मध्यप्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर-सूची

फरवरी-मार्च, 2015 सत्र

मंगलवार, दिनाँक 03 मार्च 2015

तारांकित प्रश्नोत्तर

स्वीकृत निर्माण कार्यों की अद्यतन स्थिति

1. (***क्र. 2858**) **श्री बहादुर सिंह चौहान :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन जिले में 01-01-2012 से 31-12-2014 तक स्वीकृत निर्माण कार्यों की संख्या, उनकी लागत, स्वीकृति दिनाँक, कार्यपूर्णता दिनाँक सहित बतावें? विधानसभावार, वर्षवार बतावें। (ख) उपरोक्त में से पूर्ण व अपूर्ण कार्यों की सूची पृथक-पृथक देवें? पूर्ण हुए कार्यों का कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र देवें। जो कार्य निर्धारित अवधि से विलंब से जारी है, उनकी सूची विधानसभावार देवें। (ग) कार्यों के विलंब के कारण कार्य नाम सहित स्पष्ट करें। इन्हें कब तक पूर्ण करा लिया जावेगा? विधानसभावार जानकारी दें। (घ) कार्य विलंब के उत्तरदायी ठेकेदारों व अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) स्वीकृत कार्यों की संख्या की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ', 'अ-1' एवं 'अ-2' अनुसार है।** (ख) पूर्ण कार्यों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' एवं 'ब-1' अनुसार है।** अपूर्ण कार्यों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ', 'स' एवं 'स-1' अनुसार है।** (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'द' अनुसार है।** (घ) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स-1' एवं 'द' अनुसार है।**

मंदिर प्रबंध समिति के आय-व्यय में अनियमितता

2. (***क्र. 2144**) **श्री नारायण त्रिपाठी :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) मैहर स्थित माँ शारदा देवी मंदिर की प्रबंधक समिति द्वारा वर्ष 2008 से प्रश्न दिनाँक तक प्राप्त की गई आय और किए गए सम्पूर्ण व्यय का मदवार, कार्यवार, वर्षवार विवरण दें? (ख) वर्ष 2008 के उपरांत मंदिर क्षेत्र और मेला क्षेत्र में समिति द्वारा क्या-क्या कार्य कितनी लागत से कराये जाकर क्या-क्या सुविधायें बढ़ाई गई है? समिति में विगत वर्षों में आई कमी के क्या-क्या कारण हैं? (ग) गत तीन वर्षों में समिति के आय-व्यय में

अनियमितता की शिकायतें किन-किन के द्वारा प्रशासन को की गई? शिकायतवार निराकरण की स्थिति व की गई कार्यवाही का विवरण दें। (घ) समिति की आय में कमी और व्याप्त अनियमितताओं की जाँच क्या कमेटी बनाकर कराई जाएगी और क्या जिम्मेदारों के विरूद्ध विधि सम्मत कार्यवाही होगी? यदि हाँ तो कब तक?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार है।** (ख) मंदिर क्षेत्र एवं मेला क्षेत्र में समिति द्वारा कराये गये **कार्य विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार है।** आय में कोई कमी नहीं आई है। (ग) गत तीन वर्षों मे समिति की आय के संबंध में विभागीय शिकायत मिलने पर दोषी कर्मचारी श्री बृजकिशोर मिश्रा एवं रोहिणी लोधी को दिनाँक 18/12/2012 को निलंबित किया गया तथा शिकायत की जांच हेतु जांच दल गठित कर जांच कराई गई जांच में दोषी पाये गये श्री बृजकिशोर मिश्रा को कलेक्टर के आदेश दिनाँक 08/10/2014 द्वारा सेवा से पृथक किया गया है। (घ) वर्तमान मे समिति की आय में कमी नहीं आई है। अत: कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

निर्मित डामरीकृत एवं सीमेंट कांक्रीट की सड़कों के संधारण पर व्यय

3. (*क्र. 2102) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जावरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत शासन/विभाग द्वारा वर्ष 2010-11 से लेकर प्रश्न दिनाँक तक शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में डामरीकृत एवं सीमेंट कांक्रीट की अनेक सड़कों का निर्माण किया गया है? (ख) यदि हाँ, तो क्या उपरोक्त वर्षों में बनाई गई अनेक सड़कें कुछ माहों में ही जर्जर होकर नष्ट सी हो गई थीं? क्या इनमें से उन्हीं सड़कों पर मरम्मत कर लाखों रू. के कार्य किये गये हैं? (ग) यदि हाँ, तो ऐसी कितनी सड़कें शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में किन-किन स्थानों पर होकर उन पर कुछ ही माह अथवा वर्ष बीतने के पश्चात् किस-किस प्रकार के कार्य किये गये? (घ) उपरोक्त वर्षों में बनाई गई उपरोक्त क्षेत्रों की संपूर्ण सड़कों पर व्यय की गई वास्तविक व्यय राशि एवं उन्हीं पर दोबारा किये गये कार्यों की व्यय राशि से अवगत कराऐं।

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जी हाँ। (ख) जी नहीं। जी नहीं। (ग) उत्तरांश 'ख' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है** तथा म.प्र. सड़क विकास निगम के अंतर्गत (1) लेबड जावरा फोरलेन एस.एच. 31 (2) जावरा-नयागांव फोरलेन एस.एच. 31 (3) उज्जैन जावरा मार्ग एस.एच. 17 तथा (4) जावरा पिपलोदा जालंधर खेड़ा एवं पिपलोदा सैलाना (मुख्य जिला मार्ग) सड़कों का निर्माण बी.ओ.टी. योजनांतर्गत किया गया है तथा (5) आगर-बड़ौद-अलोट-ताल जावरा मार्ग एस.एच. 41 लंबाई 108 कि.मी. में रूपये 159.70 करोड़ ए.डी.बी. योजनांतर्गत खर्च किये गये। मार्ग

अच्छी स्थिति में होने के कारण दोबारा कोई कार्य नहीं कराया गया एवं न ही कोई राशि व्यय की गई।

परिशिष्ट - "एक"

गायत्री सरोवर का रख-रखाव व सौंदर्यीकरण

4. (***क्र. 2591**) **श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कुक्षी नगर पंचायत क्षेत्र में गत् 3 वर्षों में गायत्री सरोवर के रख-रखाव एवं सौंदर्यीकरण के लिए शासन द्वारा कितनी राशि का व्यय किया गया? वर्षवार जानकारी दें। (ख) क्या वर्तमान में गायत्री सरोवर में जलकुंभी उत्पन्न हो गयी है और यह जलकुंभी मानवों के लिए विषाक्त पदार्थ है? (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में यदि हाँ, तो शासन गायत्री सरोवर की सफाई के लिए क्या कार्य करेगा और कब तक?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (**क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है।** (**ख)** एवं (**ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है।**

परिशिष्ट - "दो"

मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजनांतर्गत बैंक ऋणों की स्वीकृति

5. (***क्र. 2862**) **श्री बाला बच्चन :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) जिला बड़वानी अन्तर्गत मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना में 01-01-2014 से 01-01-2015 तक कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए? कितने प्रकरण स्वीकृत किए गए? (ख) बैंकों द्वारा उपरोक्त में से कितने प्रकरणों में ऋण स्वीकृत किया गया और कितने प्रकरण लंबित हैं? (ग) शासन द्वारा हितग्राहियों के लिए कोई बैंक गारंटी दी जाती है? यदि हाँ, तो कितने प्रकरणों में किन बैंकों में यह गारंटी दी गई? क्या हितग्राही की निजी गारंटी या शासन की गारंटी के बिना बैंक लोन स्वीकृत कर सकते हैं? (घ) बैंकों द्वारा निजी गारंटी के बिना इस योजना में ऋण स्वीकृत किये हैं, ऐसे प्रकरणों की संख्या सहित बतावें।

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) बड़वानी जिले में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अंतर्गत 01/01/2014 से 01/01/2015 तक 605 आवदेन पत्र प्राप्त हुये हैं। कुल 375 प्रकरण स्वीकृत किये गये। (ख) 375 प्रकरणों में बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृत किया गया। लक्ष्यपूर्ति पश्चात बैंकों द्वारा 230 प्रकरण वापिस किये गये। (ग) जी हाँ। योजनान्तर्गत शासन द्वारा उद्योग व सेवा संबंधी ऋण प्रकरणों में क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फार माईक्रो एण्ड

स्माल इंटरप्राईजेस (सी.जी.टी.एम.एस.ई.) के तहत गारंटी शुल्क, प्रचलित दर पर दिया जाता है। 112 प्रकरणों में 17 बैंकों के माध्यम से गारंटी दी गयी। बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्ब बैंक के मानकों के अनुसार ऋण स्वीकृत करने की कार्यवाही की जाती है। (घ) बैंकों द्वारा 50,000 रूपये से कम की राशि के 186 प्रकरणों में गांरटी के बिना ऋण स्वीकृत किया गया है।

जल आर्वधन योजना के द्वितीय चरण की स्वीकृति

6. (***क्र. 2347**) **श्री शैलेन्द्र जैन :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के परि. अता. प्रश्न क्र. 1643 दिनाँक 01.12.11 के प्रश्नांश (ग) के उत्तरांश में बताया गया था कि सागर नगर की जल आवर्धन योजना की पी.एच.ई. विभाग द्वारा डी.पी.आर. तैयार कर नगर निगम को प्रस्तुत की जानी है। प्रश्नकर्ता को पुन: 3 वर्ष बाद प्रश्न क्रं. 2104, 20 जून 2014 के उत्तरांश (क) में बताया कि पी.एच.ई. विभाग द्वारा डी.पी.आर. प्रस्तुत नहीं की गई है। उक्त विलंब के क्या कारण रहे? (ख) वर्तमान में इस योजना की वस्तु स्थिति क्या है? क्या पी.एच.ई. विभाग द्वारा डी.पी.आर. प्रस्तुत कर दी गई है? यदि हाँ, तो इसकी कितनी लागत है और यह योजना कब तक प्रारंभ हो पायेगी? (ग) क्या शासन इस विलंब हेतु दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही सुनिश्चित करेगा?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (**क**) जी हाँ। जी हाँ। सागर की जल आवर्धन योजना (द्वितीय चरण) की विस्तृत योजना तैयार करने हेतु नगर निगम, सागर से लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी परियोजना खण्ड सागर के पत्र क्रं.1360 दिनाँक 24.10.2011 द्वारा सहमति पत्र 5 वर्षों की लेखा परीक्षण रिपोर्ट एवं राशि रू. 5.00 लाख की मांग की गई थी। उपरांत लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी परियोजना खण्ड सागर का स्थानांतरण सिंहस्थ कार्यों के लिये उज्जैन हो जाने के कारण डी.पी.आर. तैयार नहीं हो पायी। (**ख**) नगर निगम व्दारा कन्सलटेंट फर्म के माध्यम से राशि रू. 171 करोड़ की योजना तैयार करायी गई है। जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (**ग**) प्रश्नांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

जल आवर्धन योजना, एनीकट एवं अन्य योजनाओं का कार्य

7. (***क्र. 623**) **श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नगर पालिका परिषद गुना में सिंध नदी का पानी, गुना में पेयजल हेतु एनीकट एवं जल आवर्धन योजना कब और कितनी राशि के साथ स्वीकृत हुई थी? भौतिक सत्यापन के बाद वर्तमान में क्या स्थिति है, कब तक पूर्ण होगी? (ख) नगर पालिका गुना में वर्ष 2012 से 2014 तक किस-किस मद से ऐसे कितने निर्माण कार्य हुये, जिनमें क्षेत्र से बाहर नगरपालिका द्वारा राशि खर्च की गई? किस नियम के तहत? कारण भी बतायें।

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) नगर पालिका परिषद् गुना में पेयजल हेतु सिंध नदी पर एनीकट के लिये रू. 318.00 लाख एवं जल आवर्धन योजना रू. 761.01 लाख की क्रमश: फरवरी 2008 एवं अक्टूबर 2014 में स्वीकृत हुई थी। भौतिक सत्यापन के बाद एनीकट का कार्य स्वीकृति अनुसार पूर्ण कराया गया है। यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. के अंतर्गत जलप्रदाय योजना का कार्य वर्तमान में 30 प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है। शेष कार्य प्रगति पर है। योजना का कार्य अक्टूबर 2015 तक पूर्ण कराया जाना लक्षित है। (ख) नगर पालिका क्षेत्र के बाहर कोई कार्य नहीं कराया गया है।

मेला स्थल पर कराये गये विकास कार्य

8. (*क्र. 2924) श्री कालुसिंह ठाकुर : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या धार जिले की धरमपुरी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम जीरापुर में विगत दिनों मेला प्राधिकरण भोपाल द्वारा मेला स्थल पर मंच, सीमेंट कांक्रीट, रोड एवं शेड आदि के निर्माण का कार्य करवाया गया है? (ख) उक्त कार्य की लागत राशि बतावें एवं किस निर्माण एजेंसी से कार्य करवाया गया है? कार्य का मूल्यांकन, गुणवत्ता एवं उपयोगिता संबंधी जांच किससे करवाई गई है?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) मेला प्राधिकरण भोपाल द्वारा कोई राशि प्रदान नहीं की गई। जानकारी निरंक है। (ख) प्रश्नांश (क) के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

ग्राम सभाओं को अधिकारों का प्रत्यायोजन

9. (*क्र. 1025) श्री निशंक कुमार जैन : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश वन विभाग वल्लभ भवन भोपाल के द्वारा दिनाँक 25 जनवरी 2001 को जारी आदेश में ग्राम सभाओं को अधिकार प्रत्यायोजित कर उसकी प्रतियां जिला पंचायत को भी प्रेषित की गई थी? (ख) यदि हाँ, तो 25 जनवरी 2001 को राज्य शासन ने कौन-कौन से अधिकार ग्राम सभा को प्रत्यायोजित किए, इन आदेश की प्रति विदिशा एवं बैतूल तिल पंचायत कार्यालय को किस दिनाँक को प्राप्त हुई? यदि प्रति प्राप्त नहीं हो, तो स्पष्ट बतावें। (ग) 25 जनवरी 2001 के आदेशानुसार ग्राम सभाओं को प्रत्यायोजित कौन-कौन से अधिकार वास्तविक रूप में प्रश्नांकित तिथि तक ग्राम सभाओं को सौंप दिए गए हैं? कौन-कौन सा प्रत्यायोजित अधिकार किन कारणों से प्रश्नांकित तिथि तक ग्राम सभा को नहीं सौंपा जा सका है? (घ) 25 जनवरी 2001 के आदेशानुसार वन विभाग द्वारा प्रत्यायोजित अधिकार ग्राम सभाओं को सौंपें जाने हेतु विदिशा एवं बैतूल जिले में क्या कार्यवाही की जा रही है? कब तक अधिकार सौंप दिए जावेंगे? समय सीमा सहित बतावें।

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) जी हाँ। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है।** मुख्य कार्यपालन अधिकारी, विदिशा ने इस आदेश की प्रति जिला

पंचायत कार्यालय में प्राप्त नहीं होना सूचित किया है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, बैतूल द्वारा बताया गया कि 14 वर्ष पुराना आवक रजिस्टर कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने के कारण आदेश प्राप्ति की तिथि बताया जाना संभव नहीं है। (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' में** दर्शित अधिसूचना दिनाँक 20.10.2001 में निहित प्रावधान अनुसार समितियों का गठन म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 6 के अंतर्गत एवं म.प्र. ग्राम सभा (सम्मिलन की प्रक्रिया) नियम, 2001 में दर्शायी प्रक्रिया अनुसार आयोजित ग्रामसभा की बैठक में किया जाता है। अतः समिति द्वारा संचालित समस्त गतिविधियां ग्रामसभा के नियंत्रण में हैं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश 'ग' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

शहरों को झुग्गी मुक्त बनाने की योजना

10. (***क्र. 2881**) **श्री चेतन्य कुमार काश्यप :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रतलाम सिटी विधान सभा क्षेत्रांतर्गत कितनी झुग्गी बस्तियां हैं? उनमें कितने परिवार रहते हैं? शहरों को झुग्गी मुक्त बनाने की शासन की क्या योजना है? (ख) रतलाम के ईश्वर नगर में 42 करोड़ रूपयों की लागत से 848 पक्के आवास बनाने संबंधी स्वीकृत योजना के क्रियान्वयन की क्या स्थिति है? इसका काम कब तक पूरा जो जायेगा? (ग) रतलाम शहर की अन्य 12 हजार झुग्गीवासी परिवारों को पक्के मकान बनाकर देने की दिशा में क्या कार्रवाई हुई? (घ) क्या शासन ने इस कार्य के लिये नगर निगम रतलाम को वांछित वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा दिये हैं? यदि नहीं, तो कब तक करा दिये जायेंगे?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) वर्ष-2011 की जनगणना अनुसार, 32 मलिन बस्तियाँ अधिसूचित हैं। 9597 परिवार निवासरत हैं। शहरों की झुग्गी मुक्त बनाने के लिए भारत सरकार व्दारा राजीव आवास योजना वर्ष 2013 में प्रारंभ की गयी है। (ख) द्वितीय आमंत्रण में निविदा प्राप्त हो गई है, जिसकी स्वीकृति की कार्यवाही विचाराधीन है। कार्यादेश जारी होने से दो वर्ष में। (ग) एवं (घ) रतलाम शहर की राजीव आवास योजना अंतर्गत "स्लम मुक्त नगर कार्ययोजन" तैयार की जा रही है। योजना तैयार हो जाने पर योजना के प्रावधान अनुसार वर्षवार विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त की जायेगी। प्रथम वर्ष की स्वीकृति परियोजना के क्रियान्वयन हेतु प्रथम किश्त की राशि एवं स्लम मुक्त नगर कार्ययोजना तैयार करने हेतु राशि विमुक्त की जा चुकी है।

स्व-रोजगार योजनाओं में ॠणों की स्वीकृति

11. (***क्र. 2537**) **कुमारी निर्मला भूरिया :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) जिला झाबुआ अंतर्गत 01 अप्रैल, 2012 से 31 दिसंबर, 2014 तक की अवधि में जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र द्वारा किस-किस बैंक को शासन की कौन-कौन सी

योजनांतर्गत कितने हितग्राहियों के ऋण प्रकरण स्वीकृति हेतु भेजे गये? (ख) प्रश्नांश (क) में प्रेषित प्रकरणों में कितने हितग्राहियों के ऋण आवेदन स्वीकार कर उन्हें राशि उपलब्ध करा दी गई? कितने हितग्राहियों के प्रकरण लंबित हैं और क्यों? (ग) लंबित प्रकरणों के निराकरण हेतु क्या कार्यवाही की गई? क्या इसके लिये दोषी अधिकारियों के उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जाकर उनके विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी एवं कब तक?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) जिला झाबुआ अंतर्गत 01 अप्रैल, 2012 से 31 दिसंबर, 2014 तक की अवधि में जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, झाबुआ द्वारा विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के अंतर्गत बैंकों को निम्नानुसार प्रकरण प्रेषित किये गये हैं :-

क्रमांक	योजना का नाम	प्रेषित प्रकरण संख्या
1	रानी दुर्गावती स्वरोजगार योजना	1203
2	दीनदयाल रोजगार योजना	85
3	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम	311
4	मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना	588
5	मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना	865
6	मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना	17
	योग	3069

(ख) प्रश्नांश (क) में प्रेषित 3069 प्रकरणों में से 967 प्रकरणों में हितग्राहियों के आवेदन स्वीकार कर उन्हें राशि उपलब्ध करा दी गई है। वर्ष 2012-2013 तथा 2013-2014 में लक्ष्यपूर्ति होने के कारण बैंको द्वारा 2102 प्रकरण लौटाये गए हैं। लक्ष्यपूर्ति के पश्चात शेष प्रकरणों को पात्रता के अनुसार आगामी वर्ष में बैंकों को प्रेषित किया जावेगा। (ग) शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

लघु वन उपज से संबंधित अधिकारों का ग्राम सभाओं को प्रत्यायोजन

12. (*क्र. 1059) श्रीमती रेखा यादव : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लघु वन उपज से संबंधित कौन-कौन से अधिकार ग्राम सभाओं को प्रत्यायोजित किए जाने के आदेश मध्यप्रदेश शासन वन विभाग वल्लभ भवन भोपाल से 25 जनवरी 2001 को जारी किए हैं? (ख) संविधान की 11वीं अनुसूची, पेसा कानून 1996 एवं वन अधिकार कानून 2006 में लघु वन उपज की क्या-क्या परिभाषा दी गई है? लघु वन उपज से संबंधित क्या-क्या प्रावधान दिए गए हैं? (ग) पंचायत विभाग के द्वारा लघु वन उपज के संबंध में पंचायती

राज व्यवस्था को संविधान की 11वीं अनुसूची, पेसा कानून 1996 वन अधिकार कानून 2006 एवं 25 जनवरी 2001 के आदेशानुसार प्रश्नांकित तिथि तक कौन-कौन से अधिकार सौंपे जाने का आदेश, निर्देश या अधिसूचना किस दिनाँक को जारी की है? प्रति सहित बतावें। (घ) लघु वन उपज से संबंधित कौन-कौन से अपराध वर्तमान में पंजीबद्ध किए जाने का अधिकार वन विभाग के किस श्रेणी या स्तर के अधिकारी को किस आदेश से लौटा दिया गया है?

वन मंत्री (**डॉ. गौरीशंकर शेजवार**) **:** (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार है।** (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब", "स" एवं "द" पर है।** (ग) लघु वनोपज के संबंध में संविधान की 11 वीं अनुसूची, पेसा कानून 1996 तथा वनअधिकार अधिनियम, 2006 एवं वन विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनाँक 25 जनवरी, 2001 के संबंध में कोई आदेश/ निर्देश या अधिसूचना पंचायत विभाग द्वारा जारी नहीं किये गये हैं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) वनक्षेत्र में परंपरागत रूप से निवास करने वाले ग्रामीणों से भिन्न अन्य व्यक्तियों द्वारा भारतीय वन अधिनियम, १९२७ तथा उसके अधीन प्रसारित नियमों के उपबंधों का उल्लंघन करते हुए लघु वनोपज संग्रहण करने पर उनके विरूद्ध भारतीय वन अधिनियम, १९२७ की धारा २६ व धारा ३३ अंतर्गत अपराध दर्ज कर उस पर अनुवर्ती कार्यवाही करने के अधिकार वन अधिकारियों के पास पूर्ववत वेष्ठित हैं। म.प्र. तेन्दुपत्ता व्यापार विनियमन अधिनियम, १९६४ के अन्तर्गत तेन्दूपत्ता एवं म.प्र. वनोपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, १९६९ अंतर्गत विनिर्दिष्ट लघु वनोपज का व्यापार करने पर अपराध पंजीबद्ध करने के अधिकार वन अधिकारियों के पास पूर्ववत वेष्ठित हैं।

<u>तीर्थ दर्शन कार्यक्रम में वित्तीय अनियमितता</u>

13. (***क्र. 2384**) **श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) मुरैना जिले की जौरा तहसील से वर्ष 2013 व 2014 में मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना के तहत कितने तीर्थ यात्रियों को मुरैना तक पहुँचाया गया था? (ख) क्या उक्त तीर्थ यात्रियों को जौरा से मुरैना जाने हेतु जिन बस वाहनों को दर्शाया गया है, उन वाहनों के नम्बर बसों के न होकर ट्रेक्टर, स्कूटरों व अन्य वाहनों के थे? इस असत्य जानकारी के लिये कौन अधिकारी दोषी है? (ग) क्या तीर्थ दर्शन यात्रा के समय तहसीलदार श्री नीरज शर्मा, प्रभारी थे, जबकि वाहनों के किराये के नाम पर शाही तहसीलदार श्रीमती मनीषा कौल द्वारा भुगतान स्वंय के खाते में जमा कराया गया था? कितनी राशि किस-किस वाहन के नाम प्राप्त कर किस दिनाँक को किस खाते नम्बर में जमा कराई? खाता धारक के नाम सहित जानकारी दी जावे। (घ) क्या उक्त वित्तीय अनियमितता के संबंध में शिकायत की गई थी? शिकायतकर्ता का नाम, शिकायत किस-किस अधिकारी को दी गई, उस पर क्या कार्यवाही की गई?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) मुरैना जिले की जौरा तहसील से वर्ष 2013 व 2014 मे मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत 270 तीर्थ यात्रियों को मुरैना तक पहुँचाया गया था।

वर्ष	माह	संख्या
2013	19/02/2013	47
	04/02/2013	52
	25/02/2013	44
	10/03/2013	11
	17/05/2013	43
	24/07/2013	36
2014	18/02/2014	37

(ख) जांच में पाया गया कि मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना मे यात्रियों को जौरा से मुरैना ले जाने वाले वाहनों के बिल पर बसों का विवरण निम्नानुसार है।

MP06-A-1723	04/02/2013
MP06-A-2218	25/02/2013
MP06-A-2218	17/05/2013
MP06-A-2987	19/02/2013
MP06-A-1831	25/02/2013
MP06-A-1703	10/03/2013
MP06-A-1703	18/02/2014

उक्त वाहनों में से एक नंबर ट्रेक्टर का तथा शेष नंबरों मे कोई वाहन रजिस्टर्ड नहीं है। यात्रा में उल्लेखित वाहनों का नेट पर रजिस्टर्ड न पाये जाने के संबंध में तीर्थ यात्रियों को परिवहन के कार्य में अनियमितता हेतु श्रीनाथ ट्रेवल्स प्रायवेट बस स्टेण्ड मुरैना के संचालक राकेश बिरथरे, अरूण डण्डोतिया, विशाल डण्डोतिया एवं राकेश उपाध्याय दोषी है। (ग) जी हाँ। वाहनवार भुगतान की जानकारी निम्नानुसार है।

वाहन क्र.	दिनाँक	राशि	खाता धारक का नाम	खाता क्रं. आफिस
MP04-A-1723	04/02/2013	3600	नगदी आफिस कानूनगो द्वारा श्रीनाथ ट्रेवल्स मुरैना	कानूनगो द्वारा नगद भुगतान
MP04-A-2218	25/02/2013	2600	--	--
MP04-A-2218	17/05/2013	2600	--	--
MP04-A-2987	19/02/2013	3200	--	--
MP04-A-1831	25/02/2013	3350	--	--
MP04-A-1703	10/03/2013	1800	--	--
MP04-A-1703	18/02/2014	3250	--	--

दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की जा रही है। (घ) जी हाँ। अनियमित कार्यवाही के कारण संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही के निर्देश दिये गये है।

नर्मदा नदी होशंगाबाद एवं अन्य नदियों में पर्यावरण सुधार

14. (***क्र. 2815**) **श्री मुकेश नायक :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) केन्द्र प्रवर्तित राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अन्तर्गत नर्मदा नदी (होशंगाबाद) मंदाकिनी नदी (चित्रकूट) और बीहर नदी (रीवा) में प्रदूषण नियंत्रण, पर्यावरण सुधार तथा नदी संरक्षण कार्यों के लिये अब तक कुल कितना धन खर्च हो चुका है और अपूर्ण कार्य पूरा करने में कितने और धन की आवश्यकता होगी? (ख) अब तक इन नदियों में सरंक्षण और सुधार के क्या-क्या काम हुए हैं और कौन से काम अभी अधूरे हैं? (ग) क्या वित्तीय संकट के कारण राज्य सरकार ने वर्ष 2013-2014 और 2014-2015 में इन नदियों के संरक्षण कार्य को धीमी गति देते हुये लागत में कटौती की है? इन वर्षों में इस परियोजना के लिये शासन द्वारा स्वीकृत तथा आवंटित धनराशि और वास्तव में व्यय धनराशि का वर्षवार विवरण दीजिए।

नगरीय विकास मंत्री (**श्री कैलाश विजयवर्गीय**) **:** (क) केन्द्र प्रवर्तित राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत प्रश्न में वर्णित योजनाओं पर दिसम्बर, 2014 तक कुल व्यय राशि रूपये 2057.96 लाख एवं वित्तीय वर्ष 2015-16 में अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त राशि रूपये 765.29 लाख की आवश्यकता होगी। (ख) नर्मदा नदी होशंगाबाद, बीहर नदी रीवा एवं मंदाकिनी नदी चित्रकूट में सीवरेज सिस्टम का कार्य प्रगति पर है तथा लो कॉस्ट सेनीटेशन/कैचमेंट एरिया, ट्रीटमेंट, पब्लिक पार्टिसिपेशन, रीवर फ्रांट डव्हलपमेंट, एच.आर.डी. एवं केपेसिटी बिल्डिंग, मॉनिटरिंग एवं इवेल्यूवेशन, क्रिमेटोरियम कार्य पूर्ण हो चुके हैं। (ग) जी नहीं। वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में बीहर नदी, रीवा के लिये स्वीकृत/आवंटित राशि क्रमशः रूपये 469.00 लाख एवं रूपये 230.00 लाख है तथा वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 (दिसम्बर, 2014 तक) व्यय राशि क्रमशः रू. 556.70 लाख एवं रू. 423.00 लाख है। मंदाकिनी नदी, चित्रकूट हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में स्वीकृत/आवंटित राशि रूपये 0.91 लाख एवं निरंक तथा वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 (दिसम्बर, 2014 तक) व्यय राशि क्रमशः रूपये 173.13 लाख एवं रूपये 100.00 लाख है। नर्मदा नदी, होशंगाबाद के लिये वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 के लिये स्वीकृत/आवंटित राशि क्रमशः रूपये 407.00 लाख एवं रूपये 300.00 लाख है तथा वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 (दिसम्बर, 2014 तक) व्यय राशि क्रमशः रू. 4.66 लाख एवं रूपये 06.55 लाख है।

विधि भवन का निर्माण

15. (*क्र. 1106) श्री प्रहलाद भारती : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासकीय पी.जी. कॉलेज शिवपुरी की जनभागीदारी समिति द्वारा नवीन विधि भवन बनाये जाने हेतु 90.62 लाख की राशि लोक निर्माण विभाग संभाग शिवपुरी को कब जारी की गयी, इस राशि के आधार पर विधि भवन निर्माण की निविदा कब-कब व कितनी-कितनी बार जारी की गई, उक्त कार्य को पूर्ण करने हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित की गई थी? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में उक्त कार्य हेतु निविदा स्वीकृति/अस्वीकृति में कितना समय लगा व शिवपुरी संभाग द्वारा कब-कब निविदा अधीक्षण यंत्री को भेजी गयी व किस-किस दिनाँक को उनके द्वारा अनुमोदन किया गया? (ग) क्या एक वर्ष से अधिक की समय अवधि के पश्चात् भी निमार्ण कार्य प्रारंभ न होने से विधि भवन के अभाव में शिवपुरी विधि महाविद्यालय की मान्यता समाप्ति के कगार पर है? यदि शिवपुरी विधि महाविद्यालय की मान्यता समाप्त होती है, तो क्या विभाग जिम्मेदारी लेगा?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) दिनाँक 20.08.2013 दो बार निविदा बुलाई गई :- प्रथम निविदा दिनाँक 15.01.2014 एवं द्वितीय निविदा दिनाँक 20.05.2014, 15 माह। (ख) उक्त कार्य की प्रथम निविदा संभाग कार्यालय के पत्र दिनाँक 22.02.2014 से स्वीकृति हेतु अधीक्षण यंत्री को भेजी गई। अधीक्षण यंत्री के पत्र दिनाँक 03.03.2014 से निविदा प्री-क्वालीफिकेशन की शर्त न होने के कारण अस्वीकृत की गई, जिसमें कुल 9 दिवस का समय लगा, द्वितीय निविदा संभाग कार्यालय के पत्र दिनाँक 03.07.2014 से स्वीकृति हेतु अधीक्षण यंत्री को भेजी गई, अधीक्षण यंत्री कार्यालय में दिनाँक 10.07.2014 को निविदा प्राप्त हुई जो एकल निविदा होने के कारण अधीक्षण यंत्री द्वारा उनके पत्र दिनाँक 18.07.2014 से मुख्य अभियंता को स्वीकृति हेतु भेजी गई, मुख्य अभियंता कार्यालय में दिनाँक 21.07.2014 को प्राप्त हुई मुख्य अभियंता द्वारा पत्र दिनाँक 31.07.2014 द्वारा निविदा इस निर्देश के साथ वापिस की गई कि निविदा आपके अधिकार क्षेत्र की है, इसलिये निविदा का निराकरण अपने स्तर से करे, जो कि दिनाँक 02.08.2014 को अधीक्षण यंत्री कार्यालय के कर्मचारी द्वारा प्राप्त की गई। तदोपरांत अधीक्षण यंत्री के पत्र दिनाँक 04.08.2014 से निविदा स्वीकृत की गई। (ग) मान्यता के संबंध में विभाग द्वारा कोई टीप दिया जाना संभव नहीं है। अत: प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

मंदिर की भूमि को कब्जा मुक्त कराया जाना

16. (*क्र. 278) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या जानकी रमण मंदिर अखाड़ा उचेहरा की भूमि ट्रस्ट के प्रबंधन में है, तथा इस मंदिर की लगभग 150 एकड़ से अधिक जमीन पर छत्रपाल सिंह तनय श्री महेन्द्र सिंह द्वारा बलपूर्वक कब्जा किया गया है? (ख) इस जमीन को कब तक कब्जा मुक्त कराया जाकर कृषि

योग्य भूमि की नीलामी कराई जावेगी? (ग) क्या बलपूर्वक कब्जा करने वालों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी?

उद्योग मंत्री (**श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) :** (क) जी नहीं। (ख) शासन संधारित मंदिरों से लगी भूमि अस्थाई रूप से मंदिर के पुजारियों के हवाले रखी गई है। उक्त निर्देशों की प्रभावशीलता प्रतिवर्ष बढाते हुये वर्तमान में आदेश दिनाँक 25/11/2014 द्वारा भूमि दिनाँक 31/05/2015 तक पुजारियों के हवाले रखी गई है। अत: भूमि नीलामी का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) मंदिर की भूमि पर किसी का कब्जा न होने से कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

बड़नगर से खाचरोद सड़क निर्माण की प्रगति

17. (***क्र. 2470) श्री मुकेश पण्ड्या :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बड़नगर विधानसभा क्षेत्र में बड़नगर से खाचरोद व्हाया सतरूण्डा उन्हेल सड़क का ठेका दिनाँक 24.12.2012 को कम्पनी मेसर्स कोनकास्ट कलकत्ता को दिया गया है। उक्त निर्माण में आज दिनाँक तक कितनी राशि व्यय की गई है एवं कितना कार्य किया गया है? (ख) उक्त सड़क निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है? क्या वर्तमान में सड़क निर्माण कार्य पूर्णत: रूका हुआ है, एवं निर्माण एजेन्सी कार्य करने में अक्षम है? (ग) उक्त निर्माणाधीन सड़क कब पूर्ण होगी एवं निर्माण एजेन्सी द्वारा कार्य न करने के कारण शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जावेगी? क्या शीघ्र ही नवीन टेण्डर जारी कर नई एजेन्सी से कार्य करवाया जावेगा एवं कार्य कब तक पूर्ण करवा लिया जावेगा?

लोक निर्माण मंत्री (**श्री सरताज सिंह) :** (क) जी हाँ। उक्त कार्य के दोनों मार्गों (1) बड़नगर-सुन्दराबाद-खरसौदकला-उन्हेंल मार्ग लंबाई 51.309 कि.मी. (2) सुन्दराबाद-रूनिजा-खाचरौद मार्ग तथा रूनिजा से सतरूण्डा मार्ग लंबाई 43.792 कि.मी., कुल लंबाई 95.101 कि.मी. पर आज दिनाँक तक अनुमानत: 14 प्रतिशत भौतिक प्रगति हुई है। चूंकि मार्ग डीबीएफओटी (एन्युटी) स्कीम के अंतर्गत किया जा रहा है, जिसमें निवेशकर्ता के कार्य की कोई माप नहीं की जाती तथा निर्माणावधि में कोई भुगतान नहीं किया जाता है। भौतिक प्रगति के अनुसार आज दिनाँक तक लगभग रूपये 20.00 करोड़ का कार्य हुआ है, एवं व्यय राशि शून्य है। (ख) कार्य के उपरोक्त मार्गो पर लगभग 65.92 कि.मी. मिट्टी का कार्य 34.645 कि.मी. सबग्रेड,16.085 कि.मी. जी.एस.बी., 3.790 कि.मी. डब्ल्यू.एम.एम. तथा 3.330 कि.मी. डी.बी.एम. एवं 7 नग पाईप पुलियाओं का निर्माण किया गया है। उक्त सड़क निर्माण कार्य अत्यन्त धीमी गति से प्रगतिरत् है एवं निर्माण एजेन्सी द्वारा किये गये कार्य की प्रगति समानुपतिक नहीं है। (ग) अनुबन्धानुसार सड़क निर्माण कार्य को पूर्ण करने की निर्धारित तिथि 06.09.2015 है एवं निर्माण एजेन्सी द्वारा कार्य न करने की स्थिति में म.प्र. सड़क विकास निगम द्वारा कन्सेशन अनुबंध के प्रावधानुसार कार्यवाही की जावेगी। प्रगतिरत् है अत: शेष प्रश्नांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

भोपाल-जबलपुर एन.एच.12 का निर्माण कार्य

18. (***क्र. 2764) श्री विश्वास सारंग :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल से जबलपुर एन.एच.-12 के निर्माण हेतु टेंडर हो चुके हैं? यदि हाँ तो कब? दिनाँक सहित कुल लागत और ठेकेदार के नाम/पते सहित जानकारी दें। (ख) प्रश्नांश (क) के तहत क्या वर्क आर्डर भी जारी हो गया है? क्या निर्माण कार्य भी शुरू हो गया है? यदि नहीं तो क्यों नहीं हुआ है? कारण सहित जानकारी दें। (ग) प्रश्नांश (क) व (ख) के तहत क्या ठेकेदार को कोई भुगतान भी किया गया है? यदि हाँ, तो कितना, और किस दिनाँक को? जानकारी दें।

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) टेंडर आर.एफ.पी. दिनाँक 22.02.2013 को आमंत्रित किया गया। परियोजना के निर्माण हेतु कन्सेशन अनुबंध दिनाँक 24.02.2014 को संपादित किया गया। परियोजना की कुल लागत रू. 2686.91 करोड़ है। निवेशकर्ता का नाम एवं पता मेसर्स ट्रांसट्राय जबलपुर भोपाल टोलवेज प्रा.लि. 8-3-833/104, मेन रोड़ कमलापुरी कालोनी हैदराबाद- 500073 (आंध्र प्रदेश)। (ख) बी.ओ.टी. आधार पर कन्सेशन अनुबंध दिनाँक 24.02.2014 को निष्पादित हुआ। निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ। कंसेशनायर द्वारा वित्तीय प्रबंधन न किये जाने के कारण निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है। (ग) कंसेशनायर को कोई भुगतान नहीं किया गया है।

इंदरगढ़-कामद मार्ग का निर्माण कार्य

19. (***क्र. 2320) श्री प्रदीप अग्रवाल :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दतिया जिले के विकासखण्ड सेंवढ़ा के अंतर्गत आने वाला इंदरगढ़-कामद मार्ग के 2007 से 2015 तक कितनी बार टेन्डर निकाले गये एवं उनके विरूद्ध कितनी बार इस मार्ग पर नवीन/मरम्मत कार्य कराया गया? निर्माण एजेन्सी का नाम/किये गये कार्य/खर्च की गई राशि का विवरण दें। (ख) क्या वर्तमान में यह मार्ग वाहन चलने योग्य हैं? यदि हाँ, तो राज्य स्तरीय टीम बनाकर इसकी जांच कराई जायेगी और यदि नहीं तो इतनी राशि खर्च होने के बाद भी विगत 10 वर्षों में इस मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण क्यों नहीं हुआ? इसके लिये कौन-कौन अधिकारी कर्मचारी दोषी है एवं ठेकेदारों के विरूद्ध अभी तक क्या कार्यवाही की गई?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है**। (ख) जी हाँ, वर्तमान में मार्ग चलने योग्य है। जांच का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। मार्ग के शेष

कार्य हेतु आमंत्रित किये गये टेण्डर में किसी भी निविदाकार द्वारा भाग न लेने के कारण निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ। कोई अधिकारी, कर्मचारी दोषी नहीं। ठेकेदारों के विरूद्ध की गई कार्यवाही की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है**।

परिशिष्ट - "तीन"

वन सर्वे डिमारकेशन में शामिल नगरीय सीमा की भूमि

20. (***क्र. 2716**) **श्री सज्जन सिंह उईके :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बैतूल जिले की बैतूल नगरीय सीमा में आने वाले किस ग्राम के किस खसरा नंबर के कितने रकबे को संरक्षित वन सर्वे डिमारकेशन में शामिल किया, इसमें से कितना रकबा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4 (1) एवं धारा 34 अ के तहत किस दिनाँक को अधिसूचित किया, कितना रकबा, किस आदेश क्रमांक, दिनाँक से राजस्व विभाग को अंतरित किया गया? (ख) धारा 34 अ में अधिसूचित भूमि एवं शासनादेश के तहत राजस्व विभाग को अंतरित कर दी गई भूमियों में से किन-किन भूमियों को वन संरक्षण कानून 1980 के दायरे में आने वाली भूमि माने जाने के आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय ने सिविल याचिका क्रमांक 202/95 में किस दिनाँक को दिए हैं? (ग) धारा 34 अ में अधिसूचित भूमि या शासनादेश के तहत 1980 के पूर्व राजस्व विभाग को अंतरित कर दी गई भूमियों को वन संरक्षण कानून 1980 के दायरे से मुक्त भूमि माने जाने के आदेश या निर्देश राज्य शासन या माननीय उच्चतम न्यायालय ने याचिका क्रमांक 202/95 में किस दिनाँक को दिए हैं? (घ) धारा 34 अ में अधिसूचित भूमि एवं 1980 के पूर्व राजस्व विभाग को अंतरित भूमि में से बैतूल नगरीय सीमा में शामिल किस ग्राम की कितनी भूमि को वन विभाग वर्तमान में किन प्रावधानों के तहत वन संरक्षण कानून 1980 के दायरे में आने वाली भूमि मान रहा है?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) एवं (घ) जानकारी संकलित की जा रही है। (ख) एवं (ग) याचिका क्रमांक 202/95 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनाँक 12.12.1996 को पारित आदेश में प्रश्नाधीन भूमियों के संबंध में विशिष्ट रूप से कोई आदेश पारित नहीं किया गया है।

कन्सल्टेंटों को किया गया भुगतान

21. (***क्र. 2866**) **श्री दिलीप सिंह परिहार :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या नीमच में जल आवर्धन योजना तैयार कराने हेतु बंगला नंबर 60, पुराना कार्यालय भवन एवं भूमि पर आवासीय योजना तैयार करने हेतु नगरीय क्षेत्र स्थित नाला चैनेलाईजेशन एवं सीवेज डिस्पोजल हेतु नगर पालिका स्वामित्व का पुराना हाट मैदान में व्यवसायिक सह आवासीय परियोजना तैयार किए जाने हेतु डॉ. राजेन्द्र प्रसाद स्टेडियम में पैवेलियन निर्माण हेतु महिला बस्ती गृह की खुली भूमि पर हॉकर्स झोन निर्माण हेतु, सब्जी

मण्डी का आधुनिकरण, नवीनीकरण प्रस्ताव, ठोस अपशिष्ट निपटान हेतु, शहरी गरीबों को एकीकृत आवास एवं मलीन बस्तियों के विकास योजना हेतु नगरीय क्षेत्र में पेयजल स्त्रोत जाजू सागर बांध की क्षमता बढ़ाने हेतु, योजना क्रं. 12, एकीकृत बस स्टेण्ड वाणिज्यिक परिसर निर्माण हेतु संबंधित कन्सल्टेंटों को भुगतान किया गया है? यदि हाँ, तो कितना-कितना कार्यवार जानकारी दें? (ख) क्या नगर पालिका, नीमच द्वारा उक्त कंसल्टेंटों को किए गए भुगतान वैधानिक रूप से किए गए हैं? (ग) नगरपालिका नीमच द्वारा नियुक्त किए गए कसंल्टेंटों के विरूद्ध किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हाँ, तो उक्त शिकायती आवेदन पत्र पर शासन की ओर से क्या कार्यवाही की गई? यदि कार्यवाही प्रस्तावित है, तो कब तक पूर्ण कर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) जी हाँ। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है**। (ख) जी हाँ। (ग) अभिलेखों के आधार पर कार्यालय में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट – "चार

ग्राम कयामपुर एवं नाहरगढ़ को नगर पंचायत बनाने की घोषणा

22. (***क्र. 2370**) **श्री हरदीप सिंह डंग :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में कयामपुर व नाहरगढ़ को नगर पंचायत बनाने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा की गई थी या नहीं? (ख) क्या नाहरगढ़ और कयामपुर दोनों क्षेत्र बड़ी एवं अधिक जनसंख्या वाली पंचायत है? क्या दूसरे क्षेत्रों में छोटी एवं कम जनसंख्या वाली ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत घोषित कर दिया गया है? (ग) यदि हाँ, तो नाहरगढ़ एवं कयामपुर को कब तक नगर पंचायत (परिषद) का दर्जा दिया जाकर स्वीकृति दी जावेगी? (घ) यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें।

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) जी नहीं। (ख) से (घ) जी नहीं। विभाग की अधिसूचना दिनाँक 27 दिसम्बर 2011 अनुसार 20,000 से अधिक जनसंख्या होने पर नगर परिषद गठन किये जाने का प्रावधान है। उक्त अधिसूचना के उपरांत कम जनसंख्या की किसी नगर परिषद का गठन नहीं किया गया है। शेषांश का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

डेरी फार्म्स का विस्थापन

23. (***क्र. 2602**) **श्री सुशील कुमार तिवारी (इंदू भैया) :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जबलपुर प्रशासन द्वारा वर्तमान जगह पर स्थापित डेरी फार्म्स को प्रदूषण करने के कारण अन्य जगह पर विस्थापित किये जाने का प्रस्ताव है? (ख) यदि हाँ, तो क्या नये प्रस्तावित स्थान पर प्रदूषण नहीं होगा एवं डेरी फार्म स्थापना से

संबंधित नियमों का पालन संभव हो सकेगा? (ग) क्या प्रदूषण रोकने के लिए शासन एवं डेरी संचालक मिलकर आवश्यक संयंत्र लगाने हेतु विचार करेंगे?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क), से (ग) की जानकारी संकलित की जा रही है।

विश्राम गृह/अतिरिक्त कक्षों के निर्माण की स्वीकृति

24. (***क्र. 2710) श्री नारायण सिंह पँवार :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या ब्यावरा नगर स्थित विश्राम गृह में केवल दो कक्ष (सूट) होने से काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है? यदि हाँ, तो क्या दो अतिरिक्त कक्ष (सूट) निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जावेगी? (ख) उपरोक्तानुसार ब्यावरा के अतिरिक्त सुठालिया नगर पंचायत क्षेत्र में भी विभाग का कोई विश्राम गृह नहीं है? यदि हाँ, तो नगर सुठालिया में विश्राम गृह की स्वीकृति कब तक प्रदान की जावेगी?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जी हाँ। वर्तमान में प्रस्तावित नहीं है। (ख) जी हाँ। वर्तमान में सुठालिया नगर पंचायत क्षेत्र में लो.नि.वि. का विश्राम गृह निर्माण का प्रस्ताव नहीं है। अत: स्वीकृति हेतु समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

उज्जैन नगर में फ्लाई ओवरब्रिज का निर्माण

25. (***क्र. 2476) श्री सतीश मालवीय :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन शहर में अभी कितने फ्लाई ओवरब्रिज स्वीकृत हैं, इनमें से कितने फ्लाई ओवरब्रिज का कार्य प्रारंभ हो चुका है, तथा शेष का कार्य कब तक प्रारंभ होगा? (ख) उक्त फ्लाई ओवरब्रिज की लागत और उन्हें बनाने वाली एजेन्सियों के नाम सहित विवरण देवें? (ग) यह फ्लाई ओवरब्रिज कब तक पूर्ण होगें? पृथक-पृथक बतावें।

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत कोई फ्लाई ओव्हर ब्रिज स्वीकृत नहीं है, अपितु 4 नग रेल्वे ओव्हर ब्रिज स्वीकृत है, तथा सभी कार्य प्रगति पर है। (ख) एवं (ग) रेल्वे ओव्हर ब्रिज की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।**

परिशिष्ट – "पांच"

नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रुप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर

वन्य प्राणियों से फसल की सुरक्षा

1. (क्र. 6) श्री दिव्यराज सिंह : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सिरमौर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत- डभौरा, जवा, सिरमौर अन्तर्गत सम्पूर्ण ग्रामों में वन्य प्राणियों (रोझ, नीलगाय) की संख्या काफी मात्रा में है जिसके कारण कृषकों को फसल की सुरक्षा करना संभव नहीं हो पा रहा है? (ख) क्या कृषको की फसल सुरक्षा हेतु कोई समुचित कार्यवाही की जा रही है? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की जा रही है? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में- वन्य प्राणियों (रोझ,नीलगाय) के लिये घरेलू जानवरों की भांति कांजी हाऊस जैसी व्यवस्था की जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक व क्या कार्यवाही की जायेगी?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) जी हाँ। (ख) मध्यप्रदेश शासन के आदेश क्रमांक एफ-22/285/99/10-2 दिनांक 21 सितम्बर, 2000 के अंतर्गत संबंधित किसान के खेत में खड़ी फसल को नुकसान पहुंचा रही नीलगाय/नीलगायों को खेत में ही मारने हेतु लिखित अनुमति जारी करने के लिए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को अधिकृत किया गया है। साथ ही वन्य प्राणियों द्वारा फसल हानि करने पर क्षतिपूर्ति राहत राशि का भुगतान करना लोक सेवा प्रदाय की गारंटी अंतर्गत राजस्व विभाग के माध्यम से सुनिश्चित किया गया है। (ग) जी नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>नगर पालिका नागदा अंतर्गत निर्माण की सड़क स्वीकृति</u>

2. (क्र. 18) श्री दिलीप सिंह शेखावत : क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या नागदा खाचरौद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत स्थित नगर पालिका नागदा में खड़े हनुमानजी से रेल्वे ओव्हर ब्रिज तक उत्कृष्ट सड़क का प्रस्ताव शासन में लंबित हैं? (ख) क्या यह रोड़ सिंहस्थ की दृष्टि से महत्वपूर्ण है? शासन द्वारा रोड़ की स्वीकृति कब तक प्रदान कर दी जावेगी?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) जी नहीं। **(ख)** जी हाँ। सिंहस्थ 2016 के लिये विधिवत प्रस्ताव प्राप्त होने पर स्वीकृति हेतु विचार किया जायेगा। समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

<u>अधिकारियों के विरूद्ध लोकायुक्त में पंजीबद्ध अपराध</u>

3. (क्र. 80) श्री भारत सिंह कुशवाह : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वनमण्डल ग्वालियर में अनियमितताओं में लिप्त किन-किन अधिकारियों के विरूद्ध लोकायुक्त द्वारा अपराध पंजीबद्ध किये गये हैं, तथा उनके विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है? (ख) क्या वन विभाग द्वारा मुख्यालय स्तर से ऐसे अधिकारियों की अनियमितताओं की जाँच कराई गई है? यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं तो क्यों? (ग) वनमण्डल ग्वालियर में कराये जा रहे वानिकी कार्यों में हुई अनियमितताओं की शिकायतों की जाँच मुख्यालय स्तर से कमेटी का गठन कर कराई जा रही है? (घ) वानिकी कार्यों की माप लंबाई, चौड़ाई, ऊॅंचाई

तथा वाटर परकोलेशन टैकों की मिट्टी का माप किस-किस कमेटी द्वारा कब-कब किया गया तथा उसमें क्या पाया गया?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) प्रश्नांकित वनमण्डल में श्री बी.आर. पाठक, तत्कालीन वन परिक्षेत्र अधिकारी, ग्वालियर, श्री जी.के. चन्द, तत्कालीन वन परिक्षेत्राधिकारी ग्वालियर एवं श्री डी.के. अहिरवार तत्कालीन वन परिक्षेत्राधिकारी, बेहट के विरूद्ध लोकायुक्त कार्यालय ग्वालियर द्वारा पंजीबद्ध प्रकरण प्राथमिक जांच में है। (ख) एवं (ग) जी नहीं। अनियमितता संबंधी कोई शिकायत प्राप्त नहीं होने के कारण जांच का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) ग्वालियर वन मण्डल अंतर्गत किसी कमेटी द्वारा वानिकी कार्यों तथा परकोलेशन टैंकों की माप नहीं की गई। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

वन समितियों द्वारा कराये गये कार्य

4. (क्र. 81) श्री भारत सिंह कुशवाह : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वनमण्डल ग्वालियर में कितनी वन समितियां रजिस्टर्ड की गई हैं? परिक्षेत्रवार समितियों की सूची बतावें? (ख) समितियों के खातों में विगत 3 वर्षो में कितनी-कितनी राशि जमा कराई गई? (ग) समितियों के माध्यम से समिति क्षेत्र में कौन-कौन से कार्य कराये गये? कार्यवार उन पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? (घ) समितियों में कराये गये कार्यों का सत्यापन कब-कब किस-किस समिति का गठन कर कराया गया? पूर्ण जानकारी देवें?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है**। (ख) विगत तीन वर्षों में समितियों के खातों में जमा राशि निम्नानुसार है :-

वर्ष	समितियों के खाते में जमा राशि (राशि रू. में)
2012-13	9725235
2013-14	8770956
2014-15	15909261

(ग) एवं (घ) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है**। समितियों में कराये गये कार्यों का सत्यापन पृथक से समिति का गठन कर नहीं कराया गया है।

वार्डियासोन व्हाया पलसावद, लालूपुरा, जलालपुर से ए.बी. रोड (मक्सी) तक सड़क निर्माण

5. (क्र. 89) श्री अरूण भीमावद : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वार्डियासोन व्हाया पलसावद - लालूपुरा - जलालपुर से ए.बी. रोड (मक्सी) सड़क निर्माण बजट 2014-15 में शासन द्वारा स्वीकृत हुआ है? (ख) यदि हुआ है, तो उक्त सड़क निर्माण की टेण्डर प्रक्रिया कब तक पूर्ण होगी? (ग) क्या उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ मेला 2016 तक सड़क निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएगा?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जी नहीं, प्रश्नांकित सडक निर्माण कार्य मुख्य बजट 2014-15 में मांग संख्या 24 आयोजना के अंतर्गत सम्मिलित है। उक्त कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति योजना सीमा के अभाव में जारी नहीं की जा सकी है। (ख) एवं (ग) उत्तरांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

जिला उद्योग केन्द्र द्वारा उद्योगों का पंजीयन

6. (क्र. 106) श्री अरूण भीमावद : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र शाजापुर में आज दिनांक तक कितने उद्योगों का पंजीयन हुआ है? विभाग द्वारा उद्योग केन्द्र लगाने के लिए कितनी भूमि चिन्हीत की गई है? (ख) जिला उद्योग व व्यापार केन्द्र को कार्यालय के पास लीज पर दी गई जमीन पर नियमानुसार कितने उद्योग संचालित किये जा रहे है व उक्त जगह पर अन्य कितने विवादित यूनिट बंद है? भूमि का क्षेत्रफल क्या है? (ग) कितने उद्योग बंटित शेड़ों में नियमानुसार संचालित नहीं हो रहे है, उन पर विभागीय कार्यवाही क्या की गई? (घ) जिले में उद्योगों के लिए सुरक्षित रखी गई भूमि पर क्या कार्यवाही की गई?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) दिनांक 01.10.2006 से इकाईयों द्वारा मेमोरेण्डम फाईल किये जाने का नियम है, जिसके तहत आज दिनांक तक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र,शाजापुर में 3410 मेमोरेण्डम फाईल किये गये है। विभाग द्वारा उद्योग लगाने के लिये शाजापुर जिले के ग्राम मोरटाकेवडी, खडी, टाण्डाखुर्द एवं पोलायकंला में 328.301 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की गई है। (ख) अर्द्वशहरीय औद्योगिक संस्थान में लीज पर दी गई जमीन पर वर्तमान में 14 औद्योगिक इकाईयां संचालित है एवं 16 इकाईयां वर्तमान में बन्द है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है**। उक्त भूमि का कुल क्षेत्रफल लगभग 1.80 हेक्टेयर है। (ग)औद्योगिक इकाईयों हेतु आवंटित 15 शेडो में से 5 शेडो में उद्योग संचालित नहीं हो रहे है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है**। संबंधितों को उद्योग प्रारंभ करने हेतु जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, शाजापुर द्वारा सूचना पत्र जारी किये गये है। (घ) शाजापुर जिले में ग्राम मोरटाकेवडी,खडी,टाण्डाखुर्द,पोलायकंला तहसील शुजालपुर में प्रस्तावित नवीन औद्योगिक क्षेत्र

की सुरक्षित भूमि 327.635 हेक्टेयर भूमि को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने हेतु प्रबंध संचालक, म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम.लि., उज्जैन को हस्तांतरित कर उक्त भूमि का आधिपत्य दिनांक 20.10.2014 को निगम को सौपा गया है।

पायका योजना के अंतर्गत खेल मैदान का विकास

7. (**क्र. 119**) **श्री मोती कश्यप :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विधानसभा क्षेत्र बड़वारा के वि.खं. बड़वारा, कटनी एवं ढीमरखेड़ा के किन ग्रामपंचायतों के ग्रामों में क्रिकेट व अन्य खेलों के टूर्नामेंट एवं गतिविधियां संचालित होती हैं? (ख) क्या प्रश्नागत के किन्हीं खेल मैदानों में किसी मद से स्टेडियम के निर्माण की वर्ष 2012 से 2015 तक किसी राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है? (ग) क्या प्रश्नांश (क) खेल मैदानों में मनरेगा एवं पायका योजना के अंतर्गत किसी राशि के स्वीकृत कर निर्माण कराये गये हैं और उनकी पूर्णता की स्थिति क्या है? (घ) क्या प्रश्नांश (क) मैदानों का किन्हीं अधिकारियों से सर्वेक्षण कराया जाकर मिनी स्टेडियमों की योजना बनायी गई हैं और उन्हें पायका एवं मनरेगा के अंतर्गत स्वीकृत कर वर्ष 2015-16 में निर्माण कराया जाना सुनिश्चित किया जावेगा?

उद्योग मंत्री (**श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया**) **:** (क) जी हाँ। (ख) जी नहीं। (ग) पायका योजनांतर्गत खेल मैदानों का निर्माण नहीं किया जा रहा है। मनरेगा द्वारा विकसित किये जा रहे खेल मैदान एवं उनके पूर्णता की स्थिति की जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है**। (घ) मिनी स्टेडियम निर्माण हेतु भूमि आरक्षण एवं स्थानांतरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। विभाग को भूमि उपलब्ध होने के पश्चात् स्टेडियम निर्माण की कार्यवाही पर विचार किया जा सकेगा।

नदियों में सेतु तथा रिटेनिंगबाल का निर्माण

8. (**क्र. 138**) **श्री मोती कश्यप :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्त्ता ने वर्ष 2010 से 2014 की अवधि में मा. मुख्यमंत्री जी एवं विभागीय मंत्री जी को वि.स.क्षे. बड़वारा की महानदी, हिरननदी, बेलकुण्डनदी एवं अन्य नदियों में सेतु निर्माण के प्रस्ताव दिये हैं? (ख) प्रश्नांश (क) क्षेत्र के वि.खं. बड़वारा के ग्राम सुड्डी के बरहाटोला एवं वि.खं. ढीमरखेड़ा के ग्राम घुघरी एवं पिपरियाशुक्ल में किन नदियों द्वारा किस प्रकार की क्षति पहुँचायी गई है? (ग) क्या प्रश्नांश (क) एवं (ख) स्थलों का विभाग द्वारा कभी कोई सर्वेक्षण किया है और क्या किन्हीं तिथियों में उनके किन्हीं अनुमानित राशि के प्रथम स्तरीय प्राक्कलन, डी.पी.आर. किन्हीं को प्रस्तुत किये गये हैं और किन स्तर में किन कारणों से लम्बित है? (घ) प्रश्नांश (ग) में से किन सेतु और रिटेनिंगबाल के निर्माण कार्यों का वर्ष 2015-16 के बजट में प्रावधान किया जाकर निर्माण कराया जावेगा?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जी हाँ। (ख) यह जानकारी विभाग के संज्ञान में नहीं है। (ग) जी हाँ। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है।** (घ) वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुरूप विचार किया जाना संभव हो सकेगा।

परिशिष्ट – "छ:"

वि.स.क्षे. बड़वारा में एन.एम.आई.जेड. की स्थापना

9. (क्र. 139) श्री मोती कश्यप : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) वर्ष 2010 से 2014 की ग्लोबल इन्वेस्टर मीटों में कितने उद्योगों को कितनी भूमि उपलब्ध करायी गई है? विवरण देवें? (ख) क्या यह सत्य है कि प्रश्नकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 22.09.2014 द्वारा मा.मुख्यमंत्री जी व अन्य को नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट जोन (N.M.I.Z.) हेतु किन्हीं सड़क व रेल्वेमार्ग/स्टेशनों, नदियों आदि मूलभूत आवश्यकताओं से युक्त कोई भूमि प्रस्तावित की है? (ग) क्या प्रश्नांश-क स्थल का किन के द्वारा किस अवधियों में निरीक्षण किया गया है और किस अधिकारी को किस अवधि तक कोई कार्यवाही निष्पादित करना निर्देशित किया है, तथा क्या वह पूर्ण कर ली गई है? (घ) क्या प्रश्नांश-ख, ग प्रस्ताव में दर्शित वन विभाग के रकबों की भूमि का किसी विधि से निराकरण कर लिया गया है? (ड.) क्या प्रश्नांश-ख, ग, घ भूमि एन.एम.आई.जेड. के लिये चयनित कर ली गई है और भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में उद्योगों को भूमि उपलब्ध नहीं करायी गयी, समिट के बाद विभिन्न AKVN's द्वारा उपलब्ध कराई गई भूमि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।** (ख) जी हाँ। (ग) प्रश्नांश 'क' स्थल निरीक्षण किया जाना लंबित है। (घ) प्रस्तावित वन भूमि के रकबों की निराकरण निरीक्षण व परीक्षण के उपरांत किया जावेगा। (ड) प्रश्नांश भूमि का चयन निरीक्षण/परीक्षण उपरांत किया जायेगा। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

उद्योगों की स्थापना से वन एवं पर्यावरण का संरक्षण

10. (क्र. 180) श्री मुरलीधर पाटीदार : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सिंगरौली जिले में उद्योगों की स्थापना, कोयला खदान, विद्युत परियोजनाओं आदि से वनों का क्षेत्रफल घट रहा है और पर्यावरण की रक्षा न होकर इस क्षेत्र में प्रदूषण हो रहा है? (ख) क्या यह सही है कि उद्योग संचालकों द्वारा पर्यावरण प्रदूषण के संबंध में कोई सुरक्षा, तकनीक या मशीनरी का उपयोग नहीं करने के कारण लोगों को अनेक बीमारियों का खतरा बना रहता है? इस संबंध में सरकार रोकथाम के क्या उपाय करेगी?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून, जो भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत है, के द्विवार्षिक वन स्थिति रिपोर्ट, २०१३ अनुसार सीधी जिले, जिसमें सिंगरौली जिला भी सम्मिलित है, में ०७ वर्ग किलोमीटर वनावरण की कमी दर्शित है। उद्योगों की स्थापना हेतु भारत सरकार,पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पर्यावरणीय स्वीकृति लेना अनिवार्य है। पर्यावरण क्षतिरोधी एवं प्रदूषणरोधी व्यवस्थाओं को आवश्यकतानुसार लगाया जाना मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। (ख) उद्योगों से होने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण तथा लोक स्वास्थ्य के खतरों की रोकथाम के लिये पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, १९८६ तथा उसके अंतर्गत प्रसारित नियमों एवं प्रभावशील योजनाओं के अनुसार अधिनियम के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारियों द्वारा परियोजनाओं की स्थापना के पूर्व परीक्षण कर परियोजनाओं की स्वीकृति दी जाती है। इस संबंध में प्रभावशील विधिक व्यवस्था में संशोधन का अधिकार भारत सरकार में वेष्ठित है।

<u>नगर निगम सिंगरौली में फायर बिग्रेड की व्यवस्था</u>

11. (**क्र. 191**) **श्री मुरलीधर पाटीदार :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सिंगरौली नगर को स्मार्ट सिटी बनाये जाने की कोई योजना है? यदि नहीं, तो शासन इस संबंध में क्या कोई विचार कर रहा है? यदि हाँ, तो कब तक इसका कार्य आरंभ किया जायेगा? (ख) क्या नगर निगम सिंगरौली में अग्निशमन संबंधी वाहन एवं उपकरण पर्याप्त संख्या में उपलब्ध है? यदि नहीं, तो सरकार फायर बिग्रेड स्थापित करने हेतु कब तक स्वीकृति प्रदान कर इसे संचालित करेगा?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) जी नहीं। जी नहीं। (ख) नगर पालिक निगम, सिंगरौली में दो फायर ब्रिगेड वाहन उपलब्ध है। संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास व्दारा फायर वाहन क्रय हेतु दिनांक 19.09.2014 को नगर पालिक निगम, सिंगरौली को रू. 16.00 लाख अनुदान स्वीकृत किया गया है। नगर पालिक निगम, सिंगरौली व्दारा फायर ब्रिगेड क्रय करने हेतु निविदा आमंत्रित की गयी है।

<u>विश्राम गृह पलेरा में उपयंत्री निवास में अवैध रूप से रहने वालों पर कार्यवाही</u>

12. (**क्र. 352**) **श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सच है कि पलेरा विश्राम गृह में निर्मित उपयंत्री निवास (लोक निर्माण विभाग) में उपयंत्री रामनाथ अहिरवार निवास नहीं कर रहे है जबकि उक्त आवास उपयंत्री के नाम से आवंटित है परन्तु लगभग 6-7 वर्ष से राजनैतिक दवाब बनाकर पूर्व नगर पंचायत पलेरा के सगे संबंधी रिश्तेदार जो उ.प्र. के निवासी है उक्त उपयंत्री के निवास में रह

रहे हैं उक्त शासकीय मकान मे रह रहे व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही करेंगे यदि हाँ, तो कब तक? (ख) उक्त शासकीय भवन को कब तक खाली करा दिया जावेगा समयावधि बतायें यदि नहीं, तो कारण बतायें?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जी हाँ। जी नहीं। वर्तमान में प्रश्नांकित आवास गृह में कोई व्यक्ति निवासरत् नहीं है। शेष प्रश्नांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

<u>पीथमपुर में औद्योगिक कचरा जलाने की अनुमति</u>

13. (क्र. 452) श्री सुदर्शन गुप्ता (आर्य) : क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि, मध्यप्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर में स्थित रामकी इनवायरो इंजीनियर्स के भस्मक में मध्यप्रदेश नियंत्रण बोर्ड ने औद्योगिक कचरा जलाने की अनुमति नहीं दी है? यदि हाँ, तो कारण स्पष्ट करें? (ख) क्या यह सही है कि प्रश्न (क) अनुसार कचरा जलाने की अनुमति नहीं दिये जाने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश की 500 से भी अधिक कंपिनयों के प्रतिमाह 800 टन से भी अधिक कचरे को नष्ट नहीं किया जा रहा हैं? यदि हाँ, तो प्रदेश शासन इस हेतु क्या कार्यवाही कर रहा है व यदि नहीं, तो उक्तानुसार कंपनियों के कचरे को जलाने हेतु क्या व्यवस्था की गई है?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) जी हाँ। मध्यप्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र, पीथमपुर जिला धार स्थित मेसर्स एम.पी. वेस्ट मेनेजमेंट प्रोजेक्ट (यूनिट रामकी इंजीनियरिंग) के भस्मक में मध्यप्रदेश स्थित उद्योगों का परिसंकटमय अपशिष्ट भस्म योग्य औद्योगिक कचरा जलाने की नियमित अनुमति प्रदान नहीं की गई है,क्योंकि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशानुसार फैसिलिटी द्वारा एम.ई.ई. (मल्टी एफेक्ट एवोपोरेटर) की स्थापना नहीं की गई थी। उच्चतम न्यायालय मे प्रचलित प्रकरण क्रमांक 9874/2012 में समय-समय पर पारित आदेश के पालनार्थ भस्मक को ट्रायल रन की अनुमति प्रदान की गई है। (ख) यह सत्य नहीं है कि मध्यप्रदेश की 500 से अधिक कंपनियों के प्रतिमाह 800 टन से भी अधिक कचरे को नष्ट नहीं किया जा रहा है। विगत पांच वर्षो में प्रदेश के विभिन्न उद्योगों से निकलने वाला भस्म योग्य परिसंकटमय लगभग 8900 मै.टन का दहन मेसर्स एम.पी.वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट में स्थापित भस्मक में विभिन्न ट्रायल रन के दौरान किया गया है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दिल्ली से अनुमति प्राप्त भस्म योग्य परिसंकटमय अपशिष्ट का दहन प्रदेश की विभिन्न सीमेंट फैक्ट्रियों में भी किया जाता है। इस उद्देश्य हेतु लगभग 4000 मै.टन/वर्ष की दर से अपशिष्ट को सह भस्मन हेतु बोर्ड द्वारा प्राधिकार दिया गया है। वर्तमान में मेसर्स एम.पी.वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट,पीथमपुर द्वारा भस्मक में एम.ई.ई. स्थापना करा ली गई है तथा इसके सफल परीक्षण के पश्चात् फेसिलिटी को नियमित भस्मक चलाने की अनुमति पर गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया जावेगा।

नगर पंचायत पलेरा द्वारा कराए गए निर्माण कार्य

14. (**क्र. 460**) **श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुख्यमंत्री अधोसंरचा के अन्तर्गत नगर पंचायत पलेरा में कितने निर्माण कार्य वर्ष 2014 में कराये गये हैं, तथा कौन सा निर्माण कार्य किस स्थान पर कराया गया है उसकी खसरा की जानकारी मय खसरा क्र., रकवा सहित उपलब्ध करायें? (ख) नगर पंचायत पलेरा में वार्ड क्र.-13 में खरगापुर रोड से वावा की कुटी तक की फिलिंग एवं बाऊन्ड्रीवाल की वित्तीय स्वीकृति एवं खसरा तथा डी.पी.आर. एवं किसके द्वारा कार्य कराया गया? (ग) नगर पंचायत पलेरा में पानी की टंकी हेतु जो भूमि आवंटित की गई थी उसका खसरा क्रमांक बताये तथा किस जगह निर्माण किया जा रहा उसकी सम्पूर्ण जानकारी स्पष्ट देवें?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (**क**) मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजनांतर्गत वर्ष 2014 में नगर परिषद पलेरा में कोई निर्माण कार्य नहीं कराया गया। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) एवं (ग) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।**

परिशिष्ट - ''सात''

एकीकृत जांच चौकियों में कार्यरत कंपनियाँ की जानकारी

15. (**क्र. 590**) **चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सत्य है कि मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड, कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन गठित कारपोरेशन है? अगर हाँ तो एकीकृत जांच चौकियों के निर्माण संचालन एवं संधारण का कार्य स्पेशल परपस व्हिकल्स कंपनी मेसर्स एम.पी. बार्डर चेक पोस्ट डेव्हलपमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित म.प्र. सड़क विकास निगम लिमिटेड ने किस दिनांक को एकीकृत जांच चौकियों के निर्माण, संचालन एवं संधारण के कार्य मेसर्स एम.पी. बार्डर चेक पोस्ट डेव्हलपमेंट कंपनी लिमिटेड को किन शर्तों/मापदण्ड/नियम के आधार पर सौंपे? (ग) क्या यह सत्य है कि प्रदेश की एकीकृत जांच चौकियों के निर्माण संचालन एवं संधारण के कार्य हेतु म.प्र.सड़क विकास निगम लिमिटेड के द्वारा कोई निविदा जारी की थी? अगर हाँ तो कब? किस-किस ने भाग लिया? अगर निविदा जारी नहीं की गई तो किन नियमों/ मापदण्डों/शर्तों के आधार पर एकीकृत जांच चौकियों के निर्माण संचालन एवं संधारण का कार्य स्पेशल परपस व्हिकल्स कंपनी मेसर्स एम.पी. बार्डर चेक पोस्ट डेव्हलपमेंट कंपनी लिमिटेड को दिया गया? (घ) क्या यह सत्य है कि मेसर्स एम.पी.बार्डर चेक पोस्ट डेव्हलपमेंट कंपनी लिमिटेड ने 24 एकीकृत जांच चौकियों

का कार्य ठेके पर दिया है? अगर हाँ तो किसको? कब? किन नियमों/शर्तों/मापदण्ड के आधार पर? अगर नहीं तो एल्सामेक्स कंपनी किस आधार पर एकीकृत जांच चौकी में कार्य कर रही है?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जी हाँ। जी हाँ। (ख) दिनांक 10/11/2010 को म.प्र. सड़क विकास निगम एवं मेसर्स एम.पी. बार्डर चेक पोस्ट कंपनी के बीच अनुबंध किया गया। अनुबंध की छाया प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** सभी 24 एकीकृत जांच चैकियों के निर्माण, संचालन, संधारण का कार्य निवेशकर्ता द्वारा किया जाना है। निवेशकर्ता किसी कंपनी को कार्य करने हेतु कार्यादेश दे सकता है इस हेतु कार्पोरेशन से अनुमोदन आवश्यक नहीं है। (ग) जी हाँ। निविदा दिनांक 30/03/2010 को जारी की गई। निविदा में आठ निवेशकर्ता कंपनीयों ने भाग लिया था। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार।** शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी हाँ। 24 बार्डर चेक पोस्ट के निर्माण, संधारण एवं संचालन का कार्य पीपीपी पद्धति पर निविदा आमंत्रित कर मेसर्स एम.पी. बार्डर चेक पोस्ट डेव्हलपमेंट कंपनी लिमिटेड को दिया गया है। इस पद्धति में निवेशकर्ता कंपनी को कार्य संचालित करने के लिए ई.पी.सी. सबलेटिंग का अधिकार प्राप्त है एवं इस हेतु कार्पोरेशन की अनुमति आवश्यक नहीं है। निवेशकर्ता द्वारा एल्सामेक्स कंपनी को संचालन एवं संधारण कार्य हेतु रखा गया है।

<u>एकीकृत जांच चौकियों की आय में कमी</u>

16. (क्र. 591) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सत्य है कि स्पेशल परपस व्हीकल कंपनी मेसर्स एम.पी.बार्डर चेक पोस्ट डेव्हलपमेंट कंपनी लिमिटेड के द्वारा/माध्यम से बार्डर स्थित 24 एकीकृत जांच चौकियों में किस दिनांक से प्रश्न तिथि तक किस नाम की कंपनी के कर्मचारी कार्य कर रहे है? किस नाम की कंपनी के द्वारा सिक्यूरिटी प्रदाय की जा रही है? चौकीवार जानकारी दें? (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित अन्तर्राज्यीय बार्डर चेक पोस्ट 24 एकीकृत जांच चौकियों का कार्य किस नाम की शासकीय/अर्धशासकीय/राज्य शासन के उपक्रम /निजी कंपनी को कब हस्तांतरित हुआ? चौकीवार जानकारी दे? (ग) प्रश्नांश (क) तथा (ख) में उल्लेखित कार्य निजी कंपनियों को हस्तांतरित किये जाने के लिये कोई निविदा बुलाई गई थी? अगर हाँ तो कब? क्या शर्तें उक्त निविदा में राशि वसूली हेतु रखी गई थी? (घ) क्या यह सत्य है कि एम.पी. बार्डर चेक पोस्ट डेव्हलपमेंट कंपनी लिमिटेड को 24 एकीकृत जांच चौकी के कार्य हस्तांतरित होने के बाद से बार्डर चेक पोस्टों की राजस्व आय में कमी आई है? अगर हाँ तो कितने प्रतिशत?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) 24 बार्डर चेक पोस्ट का कार्य बी.ओ.टी.

आधारित है एवं निविदा की शर्तों के अनुसार (एस.पी.व्ही.) एम.पी.बार्डर चेक पोस्ट कंपनी के साथ निवेश अनुबंध किया गया है। निवेशकर्ता को कार्य के संपादन हेतु किसी अन्य एजेंसी को सबलेटिंग का अधिकार प्राप्त है। निगम से अनुमति की आवश्यकता नहीं है। निवेशकर्ता से प्राप्त **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार**। (ख) म.प्र. बार्डर चेक पोस्ट डेव्हलपमेंट कंपनी लि. को 24 एकीकृत जाँच चौकियों का निर्माण संचालन एवं संधारण का कार्य दिया गया है। ये परियोजना बी.बो.टी. आधारित है। शेष **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार**। (ग) जी हाँ। 24 बार्डर चेक पोस्ट परियोजना बी.ओ.टी. पद्धति पर दिनांक 30-03-2010 को निविदा जारी की गई थी। बी.ओ.टी. पद्धति में सारा भुगतान निवेशकर्ता द्वारा किया जाता है। विभाग द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जाता है। (घ) प्रदेश के 24 चैक पोस्टों के उन्नयन तथा आधुनिकीकरण हेतु एम.पी.आर.डी.सी. को क्रियान्वयन एजेंसी बनाया गया था। एम.पी.आर.डी.सी. द्वारा बी.सी.डी.सी.एल. कंपनी के साथ अनुबंध कर पी.पी.पी. आधार पर इंटीग्रेटेड चैक पोस्टों का निर्माण कराया जा रहा है। वर्तमान में 10 जांच चैकियों पर एम.पी.बी.सी.डी.एल. कंपनी लि. द्वारा विभिन्न तिथियों से कार्य प्रारंभ किया गया है। राजस्व आय में परिवर्तन की समीक्षा वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर की जाएगी।

परिशिष्ट - "आठ"

गुना जिले के मांर्गो एवं भवनों की स्थिति

17. (**क्र. 629**) **श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक निर्माण विभाग, जिला गुना के अन्तर्गत आने वाले गुना फतेहगढ़-अनारथ-पांडौन मार्ग का भौतिक सत्यापन कर बताये कि उक्त मार्ग किस स्थिति में है? यदि मार्ग में गड्डे हो गये, खराब हो तो कब तक सुधारा जायेगा विवरण बताये? (ख) क्या विधानसभा क्षेत्र बमोरी के ग्राम बमोरी में निर्मित तहसील भवन निर्धारित प्राक्कलन एवं स्वीकृत डिजाईन अनुसार बना है? क्या उक्त भवन को हैण्डओवर कर दिया यदि नहीं तो क्या भुगतान कर दिया यदि नहीं तो ठेकेदार पर क्या कार्यवाही की? (ग) गुना जिले के बमोरी विधानसभा क्षेत्र में ऐसे कितने मार्ग एवं भवन निर्मित हुये है गत तीन वर्षो में वर्तमान में खराब हालात में है उन्हें कब तक ठीक किया जायेगा नाम सहित विवरण दें? (घ) विधानसभा क्षेत्र बमोरी में ऐसे कितने मार्ग एवं भवन गत दो वर्षों में निर्माणधीन है या निर्मित हो गये जिनका शिलान्यास लोकार्पण जनप्रतिनिधियों से नहीं कराया सूची सहित जानकारी दें?

लोक निर्माण मंत्री (**श्री सरताज सिंह**) **:** (क) म.प्र. सड़क विकास निगम के कार्य क्षेत्रान्तर्गत गुना-फतेहगढ़-पाडौन मार्ग (एस.एच. 23) पर कि.मी. 30 से 60 के मध्य कई स्थानों पर गड्ढे होकर क्षतिग्रस्त हो गया है। मार्ग के गड्ढों की मरम्मत नवीनीकरण एवं अन्य सुधारों हेतु विभाग द्वारा निविदायें आमंत्रित कर कार्य एजेन्सी का निर्धारण किया गया है। वर्तमान में इस मार्ग का मरम्मत एवं नवीनीकरण का कार्य प्रगति पर है। आगामी कुछ समय में

मार्ग की मरम्मत का कार्य पूर्ण हो जावेगा। वर्तमान में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) जी हाँ। जी हाँ, उक्त भवन दिनांक 30.08.2013 को संबंधित विभाग को हेन्ड ओव्हर किया जा चुका है। अत: शेष प्रश्नांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'अ-1' अनुसार है।** (घ) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' एवं 'ब-1' अनुसार है।**

मोबाईल टॉवरो से उत्पन्न रेडियेशन

18. (**क्र. 666**) **श्री सुदर्शन गुप्ता (आर्य) :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि मोबाईल टॉवरों के रेडिएशन से मानव शरीर से लगातार सम्पर्क में बने होने पर खतरनाक बीमारी होने का खतरा बना रहता है? यदि हाँ, तो क्या? (ख) प्रश्न (क) अनुसार यदि मोबाईल टॉवरों के रेडिएशन से मानव शरीर में बीमारी होने का खतरा रहता है, तो इसे लगाने हेतु क्या-क्या सावधानियों व नियमों का पालन किया जाना चाहिए? (ग) क्या इन्दौर जिले के शहरी क्षेत्र में लगे समस्त कम्पनियों के माबोईल टॉवरों को लगाने में नियमानुसार सावधानियाँ व नियमों का पालन किया गया है? यदि नहीं, तो ऐसी कम्पनी के विरूद्‌ध प्रदेश शासन द्‌वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (**क**) से (**ग**) प्रश्न का विषय राज्य शासन से संबंधित नहीं है, अपितु भारत सरकार के दूरसंचार विभाग से संबंधित है। प्रश्न में मोबाईल टॉवरों से निकलने वाले रेडियेशन की जानकारी चाही गई है। मोबाईल टॉवरों से निकलने वाले रेडियेशन से मानव के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव की कोई भी प्रमाणित जानकारी इस विभाग के संज्ञान में अधिकृत रूप से नहीं है। म.प्र. नगर पालिका (अस्थाई टॉवर का संस्थापन/सेल्यूलर मोबाईल फोन सेवा के लिए अधोसंरचना) नियम 2012 के बिन्दु 21 में रेडियेशन संबंधी शिकायत एवं उसके निराकरण के लिए दूरसंचार विभाग अथवा भारत सरकार के सक्षम प्राधिकारी को अधिकृत किया गया है। भारत सरकार व्दारा सभी प्रदेशों में दूरसंचार, टेलीकॉम इन्फोर्समेन्ट रिसोर्स एण्ड मॉनीटरिंग (TERM CELL) का कार्यालय खोला गया है। इसी प्रकार का एक कार्यालय भोपाल में भी है, जहाँ मोबाईल टॉवरों से उत्पन्न होने वाले रेडियेशन से संबंधित निरीक्षण एवं नियमन का कार्य किया जाता है तथा इनकी जानकारी उपलब्ध रहती है।

भवन/तालाब मार्ग निर्माण में अनियमितता

19. (**क्र. 694**) **श्री अनिल फिरोजिया :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 में उज्जैन वन वृत में कितने भवन, तालाब एवं मार्ग निर्माण कराये गये? (ख) उक्त भवन, तालाब एवं मार्गो का निर्माण किस तकनीकी एजेंसी से कराया गया? क्या इस हेतु विभाग द्‌वारा कोई विज्ञप्ति/निविदा प्रकाशित की गई?

यदि हाँ, तो किस-किस कार्य हेतु किस दिनांक को एवं कौन-कौन से समाचार पत्रों में?

वन मंत्री (**डॉ. गौरीशंकर शेजवार**) **:** (क) तालाब एवं मार्ग निर्माण नहीं कराया गया। शेष जानकारी **संलग्न परिशिष्ट अनुसार है**। (ख) भवन निर्माण कार्य विभागीय रूप से करवाया गया है। विज्ञप्ति/निविदा प्रकाशित नहीं की गई। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "नौ"

सोनकच्छ नगर में शमशान घाट का निर्माण

20. (**क्र. 706**) **श्री राजेन्द्र फूलचन्द वर्मा :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सोनकच्छ नगर में काली सिंध नदी के किनारे बने शमशान घाट के निर्माण में नगर परिषद द्वारा पिछले पांच वर्षों में कितनी राशि खर्च की गई है? उनकी प्रतिवर्ष अनुसार मय सूची के जानकारी स्पष्ट करें? (ख) क्या शमशान घाट पर पानी की टंकी, साफ-सफाई, कम्युनिटी हॉल, बैठने की व्यवस्था बारिश में दाह संस्कार की व्यवस्था है या नहीं? यदि नहीं, तो क्यों नहीं? शमशान यदि जर्जर अवस्था में है, तो इसके लिए कौन-कौन जिम्मेदार हैं? उन पर कार्यवाही की गई या नहीं? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) शमशान घाट के नव निर्माण, समतलीकरण, पानी की टंकी, कम्युनिटी हॉल, पौधारोपण, बारिश से बचाव, भवन निर्माण व शमशान घाट के सुव्यवस्थित निर्माण के लिए क्या कोई कार्यवाही की जावेगी या नहीं? यदि नहीं, तो क्यों?

नगरीय विकास मंत्री (**श्री कैलाश विजयवर्गीय**) **:** **(क)** व्यय राशि की जानकारी निरंक है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ख)** शमशान घाट पर पानी की टंकी, भारी वर्षा के कारण बह जाने से दाह संस्कार के समय पानी का टैंक खड़ा किया जाता है। बारिश में दाह संस्कार की व्यवस्था है। शमशान घाट पर पुराना टीन शेड होकर बैठक व्यवस्था है, पक्का निर्माण नहीं है। जिम्मेदारी एवं कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** जी हाँ। डी.पी.आर. तैयार कराया जा रहा है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

टोंकखुर्द नगर में रणबहादुर चावड़ा की प्रतिमा स्थापित की जाना

21. (**क्र. 707**) **श्री राजेन्द्र फूलचन्द वर्मा :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग द्वारा देवास जिले के टोंकखुर्द नगर में, प्रदेश व टोंकखुर्द के गौरव एवं प्रसिद्ध समाजसेवी स्व. श्री रणबहादुर सिंह जी चावड़ा की प्रतिमा स्थापित करने की कोई योजना सम्मिलित की गई है या नहीं, नहीं, तो क्यों? (ख) क्या स्व. रणबहादुर सिंह चावड़ा की प्रतिमा को टोंकखुर्द नगर में स्थापित करने की योजना भविष्य में संभावित है या नहीं?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) एवं (ख) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

टोल बैरियर पर अवैध वसूली की शिकायत पर कार्यवाही

22. (क्र. 746) श्री रामनिवास रावत : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुरैना एंव श्योपुर जिले में वाहनों से टोल टैक्स वसूलने हेतु किन-किन मार्गों एवं पुलों पर टोल बैरियर स्थापित हैं? उक्त टोल नाकों से गुजरने वाले वाहनों से टोल टैक्स की क्या-क्या दरें शासन द्वारा निर्धारित की गई हैं? इन टोल नाकों पर क्या-क्या सुविधाऐं होनी चाहिए? इन टोल नाकों का संचालन किस-किस ठेकेदार/संस्था द्वारा किया जा रहा है? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार एवं चंबल नदी के अटार घाट पर स्थित टोल नाकों पर वाहनों हेतु निर्धारित दर से अधिक वसूली, रेट लिस्ट न लगाए जाने, यात्रियों से दुर्व्यवहार किए जाने, दो पहिया वाहनों से टोल टैक्स वसूले जाने की कितनी शिकायतें विभागीय अधिकारियों, जिलाधीश एवं सी.एम. हेल्पलाइन पर कब-कब प्राप्त हुई? इनमें से किन-किन की जांच किस-किस अधिकारी द्वारा कब की गई? जाँच में क्या तथ्य पाए गए? (ग) इनमें से किन-किन टोल नाकों पर टोल रेट के साइन बोर्ड एवं आवश्यक सुविधाऐं उपलब्ध नहीं है? ऐसे टोल नाकों के ठेकेदारों के विरूद्ध क्या कार्यवाही किए जाने का प्रावधान हैं एवं अभी तक क्या कार्यवाही की गयी है? (घ) क्या शासन प्रश्नांश (ख) अनुसार उक्त टोल नाकों पर अवैध वसूली की शिकायतों की जांच में विभागीय अधिकारियों एवं ठेकेदारों की मिली भगत से असत्य प्रतिवेदन बनाकर शासन को गुमराह किया जा रहा है? जिससे प्रदेश की छवि खराब हो रही है? क्या शासन उक्त शिकायतों की उच्च स्तरीय जांच कराने के निर्देश प्रदान करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) मुरैना जिले में विचैला रिठौरा मार्ग के कि.मी. 4/8 में सांख नदी एवं सबलगढ़ अटार मार्ग पर चम्बल नदी पर बने पान्टून पुल पर टोल टैक्स बैरियर स्थापित है। श्योपुर जिले में कोई भी टोल टैक्स बैरियर स्थापित नहीं है। शासन द्वारा निर्धारित दरों की जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार** टोल नाकों पर संबंधित पुलिस थाने का दूरभाष क्रमांक टोल से छूट प्राप्त वाहनों की सूची शिकायत होने की स्थिति में विभाग से सम्पर्क अधिकारी का दूरभाष क्रमांक तथा शिकायत पंजी संधारित किये जाने इत्यादि की सुविधा होना चाहिए। विचैला रिठौरा मार्ग के कि.मी. 4/8 में सांख नदी पर श्री लक्ष्मण सिंह गुर्जर सबलगढ़ अटार मार्ग पर चम्बल नदी पर बने पान्टून पुल श्री विजय कुमार शर्मा, ठेकेदार द्वारा संचालन किया जा रहा है। (ख) कुल 07 शिकायतें प्राप्त हुई है, **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार** (ग) प्रश्नांश-'क' के उत्तर में उल्लेखित दोनों टोल नाकों पर टोल रेट के साईन बोर्ड एवं आवश्यक सुविधा उपलब्ध है। मुरैना संभाग अंतर्गत पान्टून पुल अटार घाट पर टोल नाके के अनुबंध

के अनुसार की जाने वाली कार्यवाही की शर्तों का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार**। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जी नहीं, शेष प्रश्नांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

उद्योगों द्वारा फैलाये जा रहे प्रदूषण की रोकथाम

23. (**क्र. 747**) **श्री रामनिवास रावत :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि वर्ष 2013-14 में जल/वायु मॉनिटरिंग परिणाम के आधार पर 215 उद्योग से उत्पन्न दूषित जल के परिणाम तथा 180 उद्योगों में वायु प्रदूषण प्रचालक निर्धारित मानकों से अधिक पाए गए हैं? (ख) क्या यह सही है कि वर्ष 2013-14 की म.प्र. प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट अनुसार सिंगरौली जिले के ही 17 उद्योगों द्वारा प्रदूषण के मानक स्तर से अधिक प्रदूषण फैलाने का उल्लेख किया गया है? यदि हाँ, तो यह उद्योग कौन-कौन से हैं? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में मानकों से अधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के तहत क्या-क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों एवं कब तक कार्यवाही की जावेगी?

नगरीय विकास मंत्री (**श्री कैलाश विजयवर्गीय**) **:** (क) जी हाँ। सामान्य प्रकार की मॉनिटरिंग में कुछ परिणाम जल/वायु प्रचालक उद्योगों में निर्धारित मानकों से अधिक पाये गये हैं। (ख) जी हाँ। उद्योगों की जानकारी **संलग्न परिशिष्ट' पर है**। (ग) उत्तरांश ''क'' एवं ''ख'' के परिप्रेक्ष्य मे मानक सीमा से अधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को समझाइश/चेतावनी पत्र जारी किये गये,जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम,1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विधिक नमूनें एकत्रित किये गये तथा प्राप्त परिणामों के आधार पर नवम्बर, 2014 तक जल एवं वायु अधिनियमों के तहत 27 प्रकरण न्यायालयों में दायर किये गये। उद्योगों की जल एवं वायु मॉनिटरिंग कर उद्योगों को प्राप्त परिणामों के आधार पर समझाइश/चेतावनी पत्र जारी किये जाना/न्यायालयीन कार्यवाही एक सतत प्रक्रिया है।

परिशिष्ट – ''दस''

हाईस्कूल भवनों के अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण किया जाना

24. (**क्र. 797**) **श्री इन्दर सिंह परमार :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विकासखण्ड कालापीपल के ग्राम सेमलिया के हाईस्कूल भवन का निर्माण कार्य का वर्कआर्डर किस ठेकेदार को किस दिनांक को दिया गया? कार्य पूर्ण करने की अवधि क्या

है? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित भवन अभी तक पूर्ण क्यों नहीं किया गया? संबंधित ठेकेदार पर कब-कब, क्या-क्या कार्यवाही की गई? (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित भवन के ठेकेदार को शाजापुर जिले में अन्य कौन-कौन से हाईस्कूल भवनों के वर्क आर्डर दिये हैं? उनकी कार्यपूर्ण करने की अवधि क्या है? वर्तमान में कार्य की भौतिक एवं वित्तीय स्थिति क्या है? (घ) हाई स्कूल सेमलिया का कार्यपूर्ण नहीं करने वाले ठेकेदार को क्या काली सूची में डाले जाने की कार्यवाही की गई है? यदि की गई तो अन्य भवनों के कार्य उक्त ठेकेदार को कैसे दिये गये?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) श्री जे.पी. शर्मा, ठेकेदार को दिनांक 03.01.2012 को दिया गया। 6 माह। (ख) जानकारी **संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है**। (ग) जानकारी **संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है**। (घ) जी नहीं। प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "ग्यारह"

उज्जैन के पास इंडस्ट्रियल सिटी विकसित की जाना

25. (क्र. 946) श्री जितेन्द्र गेहलोत : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या केन्द्रीय उद्योग राज्यमंत्री ने घोषणा की है कि उज्जैन के पास स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी विकसित होगी, तथा प्रदेश में दो विश्व स्तरीय औद्योगिक क्षेत्र उज्जैन और मुरैना के आसपास विकसित होंगे? (ख) यदि हाँ, तो उज्जैन के पास अर्थात किस क्षेत्र का चयन उपरोक्त प्रश्नांश (क) के उद्देश्य से किया जा रहा है? पूर्ण ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) जी हाँ। (ख) ग्राम नरवर जिला उज्जैन में स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी हेतु 442 हेक्टेयर भूमि का चयन विक्रम उद्योगपुरी नाम से किया गया है। विक्रम उद्योगपुरी क्षेत्र में अधोसंरचना विकास हेतु रूपये 305.00 करोड की निविदायें आमंत्रित की गई हैं।

खंडवा जिले में वनों की कटाई

26. (क्र. 980) श्री देवेन्द्र वर्मा : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खंडवा जिले में विगत तीन वर्षों में वनों की कटाई का क्या लक्ष्य रखा गया था, तथा उसके विरूद्ध कितने क्षेत्र में कितने घनमीटर वनों की कटाई का कार्य किया गया, तथा उससे शासन को कितने राजस्व की प्राप्ति हुई? (ख) क्या यह सही है कि लक्ष्य से अधिक वनों की कटाई हो जाने के कारण जंगल कटाई पर शासन द्वारा रोक लगाई गई है? यदि हाँ, तो लक्ष्य से अधिक वन कटाई करने के लिए कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार है? (ग) वनों की कटाई के विरूद्ध वन विभाग द्वारा विगत 3 वर्षों में कितनी भूमि पर कहाँ-कहाँ क्षतिपूर्ति वनीकरण किया गया? इस क्षतिपूर्ति वनीकरण पर कितनी राशि का व्यय हुआ है? (घ) क्या इन

वनीकरण की भूमि पर रोपित अधिकांश पौधे देखरेख के अभाव में नष्ट हो गए है तथा विभाग द्‌वारा पौधारोपण के पश्चात उनकी देखरेख में लापरवाही बरती गई है? इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है, तथा उन पर क्या कार्यवाही की जा रही है? क्या उनसे इस पौधरोपण में व्यय हुई शासकीय धन की वसूली की जाएगी? यदि हाँ, तो कब तक?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) जानकारी **संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।** (ख) जी नहीं। अत: शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) एवं (घ) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्‌वारा वनों की कटाई हेतु दी गई स्वीकृति में क्षतिपूर्ति वनीकरण करने की कोई शर्त नहीं रहती। अत: शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट – "बारह"

नर्मदा जल योजना अंतर्गत पाईप लाईन का विस्तार

27. (**क्र. 981**) **श्री देवेन्द्र वर्मा :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खंडवा नगर निगम में नर्मदा जल योजनान्तर्गत पाईप लाईन विस्तार हेतु निगम द्‌वारा शासन को कितनी राशि का प्रस्ताव भेजा गया? (ख) प्रेषित प्रस्ताव के प्राक्कलन में नगर के किस-किस वार्ड, गली, कालोनी में कितने किलोमीटर/मीटर एवं कितने व्यास की एवं किस मटेरियल के प्रस्ताव को शामिल किया गया है? (ग) जब नर्मदा जल योजना का सर्वे किया गया था, क्या उस सर्वे में बाद में भेजे गए पाईप लाईन विस्तार प्रस्ताव का प्रावधान शामिल नहीं किया गया था? यदि हाँ, तो कारण बतायें? (घ) क्या नर्मदा जल योजना जन-निजि भागीदारी में दी गई है, तो पाईप लाईन विस्तार हेतु शासन से अतिरिक्त राशि की मांग करना क्या नियम संगत है? यदि नहीं, तो क्या यह प्रदेश सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ बढ़ाने का कार्य नहीं है?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) नगर पालिक निगम खण्डवा के पत्र क्रमांक 898 दिनांक 20.06.2014 के व्दारा राशि रूपये 50.00 करोड का प्रस्ताव पाईप लाईन विस्तार हेतु प्रेषित किया गया है। (ख) प्रेषित प्रस्ताव के प्राक्कलन में नगर के सभी 50 वार्डो की गलियों एवं कालोनियों के लिए 225 कि.मी. पाईप लाईन विस्तार का प्रस्ताव को शामिल किया गया है। जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।** (ग) नर्मदा जल के प्रांरभिक आंकलन में कुल 285 कि.मी. पाईप लाईन प्रावधानित की गई थी, जिसमें से निविदा में 60 कि.मी. नई पाईप लाईन बिछाने का प्रावधान किया गया था, शेष 225 कि.मी. पाईप लाईन में पुरानी 195 कि.मी. पाईप लाईन का उपयोग किया जाना प्रस्तावित था। ऐजेंसी व्दारा विस्तृत सर्वे में उक्त पाईप लाईन 24 घंटे जल प्रदाय तथा 12 मीटर प्रेषर हेट के लिए उपयुक्त नहीं पाई गई। अत: नगर निगम व्दारा 225 कि.मी. पाईप लाईन के लिए राशि रूपये 50.00 करोड की योजना तैयार की गई है। (घ) नगर निगम व्दारा पाईप लाईन विस्तार कार्य का प्रेषित प्रस्ताव परीक्षणाधीन है।

नगर निगम सागर में दैनिक वेतन भोगी (मस्टर) कर्मचारियों की सेवा समाप्ति

28. (**क्र. 1010**) **इन्जी. प्रदीप लारिया :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर नगर निगम द्वारा माह अक्टूबर 2009 में कितने दैनिक वेतन भोगी (मस्टर) कर्मचारी कार्यरत थे? (ख) उक्त कार्यरत दैनिक वेतन भोगी (मस्टर) कर्मचारियों में से कितने कर्मचारियों की सेवायें विभाग द्वारा समाप्त कर दी गई है? सेवा समाप्ति का कारण व नाम सहित कर्मचारियों की विस्तृत जानकारी देवें? (ग) क्या निकाले गये दैनिक वेतन भोगी (मस्टर) कर्मचारियों के स्थान पर अन्य कर्मचारियों की विभाग द्वारा भर्ती की गई थी? (घ) यदि नये दैनिक वेतन भोगी (मस्टर) कर्मचारी भर्ती किये गये, तो निकाले गये कर्मचारियों को पुन: सेवा का अवसर क्यों प्रदान नहीं किया गया?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) कुल 58 दैनिक वेतनभोगी (मस्टर) कर्मचारी कार्यरत थे। (ख) उक्त श्रमिकों में से **संलग्न परिशिष्ट "अ" अनुसार** कार्य की आवश्यकता न होने के कारण 12 श्रमिकों की सेवा अवधि नहीं बढ़ाई गई। (ग) जी नहीं। (घ) नगर निगम सागर के विभागों के विभागीय प्रमुखों व्दारा कार्य की आवश्यकता होने पर समय-समय पर दैनिक वेतन भोगी (मस्टर) कर्मचारी रखे गये हैं। नये मस्टर कर्मचारियों को जिस कार्य के लिए रखे गये है, निकाले गये कर्मचारी उक्त कार्य के योग्य नहीं थे।

परिशिष्ट – "तेरह"

कोरेगांव में पेय जल पाईप लाईन का विस्तार

29. (**क्र. 1011**) **इन्जी. प्रदीप लारिया :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर नगर निगम द्वारा उपनगरीय क्षेत्र कोरेगांव में राजघाट परियोजना से जल प्रदाय हेतु पाईप लाईन की स्वीकृति कब और कितनी राशि की प्रदान की गई थी? (ख) उक्त स्वीकृत पाईप लाईन का कार्य किस कार्य ऐजेंसी को दिया गया, तथा उक्त निर्माण कार्य पूर्ण करने की समय-सीमा क्या थी? (ग) यदि उक्त कार्य समय-सीमा में पूर्ण नहीं किया है, तो शासन द्वारा कार्य ऐजेंसी के विरूद्ध कार्यवाही की गई है? उक्त पाईप लाईन विस्तार का कार्य कब तक पूर्ण होगा?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) जलप्रदाय हेतु पाईप लाईन की स्वीकृति नगर निगम, सागर की मेयर-इन-कौंसिल की बैठक दिनांक 17.07.2013 व्दारा राशि रू. 12.73 लाख की प्रदान की गई। **(ख)** कार्य मल्टी अर्बन इन्फ्रा सर्विस प्राईवेट लिमिटेड, नागपुर को दिया गया है। निर्माण कार्य पूर्ण करने की समयावधि तीन माह वर्षा काल सहित थी। **(ग)** कार्य समय सीमा में पूर्ण नहीं करने के लिए निकाय व्दारा समय-समय पर नोटिस दिया गया है। मेयर-इन-कौंसिल व्दारा समयावृद्धि की कार्यवाही प्रचलन में है। समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

<u>ग्राम सभाओं को प्रत्यायोजित अधिकार</u>

30. (**क्र. 1060**) **श्रीमती रेखा यादव :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची एवं पेसा कानून 1996 में पंचायती राज व्यवस्था को क्या-क्या अधिकार दिए गए हैं? मध्य प्रदेश शासन वन विभाग वल्लभ भवन भोपाल ने 25 जनवरी 2001 को कौन-कौन से अधिकार ग्रामसभाओं को प्रत्यायोजित किए? (ख) 25 जनवरी 2001 को ग्रामसभाओं को वन विभाग द्वारा प्रत्यायोजित किया गया कौन-कौन सा अधिकार वास्तविक रूप में ग्रामसभाओं को विभाग ने किस पत्र क्रमांक दिनांक के द्वारा सौंपा यदि प्रत्यायोजित अधिकार विभाग द्वारा प्रश्नांकित तिथि तक भी ग्रामसभाओं को न सौंपे गए हों तो उसका कारण बतायें? (ग) 25 जनवरी 2001 के आदेशानुसार संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के संबंध में ग्रामसभा को प्रत्यायोजित अधिकारों के अनुसार छतरपुर वनवृत एवं बैतूल वनवृत के अंतर्गत गठित कितनी संयुक्त वन प्रबंधन समिति की किन-किन गतिविधियों के संचालन का नियंत्रण ग्रामसभाओं के पास वर्तमान में है? यदि नहीं, हो तो कारण बतावें? (घ) संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के द्वारा संचालित गतिविधियों का नियंत्रण संबंधित ग्रामसभाओं को सौंपे जाने हेतु विभाग क्या कार्यवाही कर रहा हैं, कब तक करेगा समय-सीमा सहित बतावें?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'ब' अनुसार है।** (ख) एवं (ग) मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पत्र दिनांक २५ जनवरी, २००१ द्वारा ग्राम सभाओं को प्रत्यायोजित किये गये अधिकार वन विभाग द्वारा अलग से ग्राम सभाओं को नहीं सौंपे गये हैं। शासकीय संकल्प दिनांक २२ अक्टूबर, २००१ में निहित प्रावधान अनुसार समितियों का गठन मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, १९९३ की धारा-६ के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश ग्राम सभा (सम्मिलन की प्रक्रिया) नियम, २००१ में दर्शायी प्रक्रिया अनुसार आयोजित ग्राम सभा की बैठक में किया जाता है। अतः समिति द्वारा संचालित समस्त गतिविधियाँ ग्राम सभा के नियंत्रण में है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश (ख) एवं (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>सी.सी. रोड गुणवत्ता की जांच</u>

31. (**क्र. 1071**) **श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कार्यपालन मुख्य अभियंता मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग उत्तर परिक्षेत्र ग्वालियर का पत्र क्रमांक 517 दिनांक 16-7-2014 तथा तारांकित प्रश्न क्रं. 4640 दिनांक 24.07.14 में चौ. राकेश सिंह के मकान से गैस गोदाम तक सी.सी. रोड गुणवत्ता की जांच प्रतिवेदन हेतु पत्र जारी किया गया है? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही हुई? (ख) प्रश्नांश (क) के अंतर्गत वर्णित मांग का निरीक्षण किन-किन अधिकारी और अन्य लोगों ने किया? किस

प्रयोगशाला के अंतर्गत परीक्षण कराया गया? परीक्षण रिपोर्ट क्या आई? (ग) प्रश्नांश (क) के अंतर्गत वर्णित मार्ग क्वालिटी कन्ट्रोल शाखा के अंतर्गत प्रश्नांश दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? (घ) प्रश्नांश (क) में वर्णित मार्ग पर किस-किस स्तर के अधिकारियों ने निरीक्षण परीक्षण कर एम.बी. पर प्रविष्ट की गई? भुगतान करने के लिए किन-किन की टीप अंकित की गई? दोषी अधिकारियों के विरूद्ध प्रश्नांश दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जी नहीं। मुख्य अभियंता ग्वालियर ने अपने पत्र दिनांक 11.07.2014 द्वारा अधीक्षण यंत्री मण्डल ग्वालियर को जांच प्रतिवेदन भेजने हेतु पत्र लिखा गया। अधीक्षण यंत्री से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के संबंध में पूरक जानकारी चाही गई है जो अपेक्षित है। (ख) जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' एवं ''ब'' अनुसार है**। (ग) प्रश्नांश (क) के अंतर्गत वर्णित मार्ग में क्वालिटी कन्ट्रोल शाखा मुख्य अभियंता ग्वालियर द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है**। (घ) प्रश्नांश (क) में वर्णित मार्ग पर उपयंत्री द्वारा माप की प्रविष्टी एम.बी. में दर्ज की गई है जिसे सहायक यंत्री द्वारा चेक किया गया। भुगतान करने के लिये कार्यपालन यंत्री की टीप अंकित की गई। वर्तमान में जांच प्रगतिरत् है। अत: किसी को दोषी ठहराने एवं कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं होता।

राजमार्ग क्रमांक-2 भिण्ड अटेर पोरसा में गुणवत्ताहीन कार्य

32. (क्र. 1072) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजमार्ग क्रमांक-2 भिण्ड अटेर पोरसा मार्ग का उन्नयन कार्य मैसर्स गंगोत्री इंटरप्राइजेज लखनऊ द्वारा कब से प्रारम्भ किया गया, तथा कब तक बनकर पूर्ण होना है? अनुबन्ध की छायाप्रति सहित जानकारी दें? (ख) इन्दिरा गांधी चौराहा से बम्बा का किनारा होते हुए मुडियाखोडा रेल्वे स्टेशन तक का निर्माण कार्य का सुपरविजन/क्वालिटी कंट्रोल करने हेतु कंसलटेंसी आई.सी.टी.प्रा.लि. नई दिल्ली द्वारा कब-कब की गई और क्या-क्या रिपोर्ट प्राप्त हुई? (ग) क्या यह सही है कि प्रश्नांश (क) के अन्तर्गत गुणवत्ताहीन कार्य किया जा रहा है? किस प्रयोगशाला के अन्तर्गत परीक्षण करवाया गया है? विभागीय अधिकारियों द्वारा कार्य की गुणवत्ता कब चेक की? 31 जनवरी 2015 तक कार्य पूर्ण न होने के क्या कारण है? (घ) क्या यह सही है कि उक्त मार्ग की मोटाई, चौड़ाई, ऊॅंचाई, लम्बाई प्रावधान अनुसार नहीं है? साइड की पटरी नियमानुसार नहीं बनाई गई है? इसके लिये कौन दोषी है, तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) दिनांक 19.07.2011 से प्रारंभ किया गया। कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 31.03.2015 है। अनुबंध की छायाप्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है**। (ख) जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है**। (ग) जी नहीं। कार्य गुणवत्ता के अनुसार किया जा रहा है। गुणवत्ता का परीक्षण गंगोत्री

इंटरप्राइजेज के ग्राम कदौरा स्थित प्लांट में स्थापित प्रयोगशाला में करवाया गया है। विभागीय अधिकारियों के द्वारा कार्य की गुणवत्ता समय-समय पर चेक की गई है। जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार है**। 31 जनवरी 2015 तक कार्य पूर्ण न होने के कारण क्षेत्र में हुई असमय वर्षा एवं नगरीय निकाय/स्थानीय पंचायत चुनावों का होना एवं ठेकेदार द्वारा धीमी प्रगति का होना है। (घ) जी नहीं। उक्त मार्ग की मोटाई, चौडाई एवं लंबाई प्रावधान अनुसार ही है। साइड की पटरी (सोल्डर) भी नियमानुसार बनाये गये है एवं बनाए जा रहे है। अत: किसी को दोषी ठहराकर कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं है।

सहरिया जनजाति के शिक्षित युवाओं को वनरक्षक के पद पर नियुक्ति

33. (क्र. 1107) श्री प्रहलाद भारती : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. शासन द्वारा विशेष पिछड़ी सहरिया जनजाति के हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण बेरोजगार छात्रों को बिना चयन प्रक्रिया के वनरक्षक के पद पर सीधे नियुक्ति प्रदान किये जाने सम्बन्धी कोई आदेश प्रसारित किये गये हैं? यदि हाँ तो उक्त आदेश की प्रति उपलब्ध करावें? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में उक्त आदेश के पालन में श्योपुर व शिवपुरी जिले में आदेश जारी होने के दिनांक से कितने सहरिया जनजाति के युवक/युवतियों से कितने आवेदन प्राप्त हुए व उक्त आवेदनों में से किस-किस को वनरक्षक के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई है? यदि हाँ तो वर्षवार, नामवार, जानकारी उपलब्ध करावें, यदि नहीं तो कारण स्पष्ट करें? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार आवेदकों को कब तक नियुक्ति प्रदान कर दी जावेगी?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) जी, हाँ। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।** (ख) एवं (ग) प्रश्नांकित अवधि में श्योपुर जिले में 312 एवं शिवपुरी जिले में 24 आवेदन प्राप्त हुए। नियुक्ति की कार्यवाही नियमानुसार प्रचलित है। समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट – "चौदह"

सिंहस्थ 2016 हेतु स्वीकृत कार्य।

34. (क्र. 1171) डॉ. मोहन यादव : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिंहस्थ 2016 के तहत उज्जैन जिला अंतर्गत यात्रियों के आवागमन की सुविधा हेतु कौन-कौन से मार्ग कितनी-कितनी लागत के स्वीकृत किये गये हैं, तथा कौन-कौन से कार्य एवं मार्ग प्रस्तावित हैं? (ख) क्या सिंहस्थ अंतर्गत स्वीकृत मार्गों के निर्माण हेतु टेण्डर आमंत्रित किये गये हैं? यदि हाँ तो कब तथा मार्गों के निर्माण के टेण्डर किन-किन कंपनियों द्वारा किन-किन शर्तों के तहत लिये गये हैं? अनुबंध की प्रति एवं निर्माण की समय-सीमा सहित दें? (ग) ऐसे कितने कार्य है जो समय-सीमा समाप्त होने के बाद भी पूर्ण नहीं हो पाये

हैं? समय-सीमा में कार्य पूर्ण नहीं करने वाले ठेकेदारों पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं की गई है तो क्यों? (घ) विभाग अंतर्गत ऐसे कितने कार्य है जो सिंहस्थ अंतर्गत स्वीकृत होकर उनका कार्य अभी तक प्रारंभ नहीं हो पाया है? कार्यों के प्रारंभ न हो पाने का क्या कारण है, तथा इस हेतु कौन दोषी है? क्या दोषी अधिकारियों पर विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की गई है? यदि हाँ, तो किन-किन अधिकारियों पर कार्यवाही की गई है? यदि नहीं तो क्यों?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'अ-1' प्रपत्र 'ब' अनुसार है।** (ख) जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट** के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है।** (घ) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार है** कोई भी दोषी नहीं है। शेष प्रश्नांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>श्योपुर-खातौली मार्ग का निर्माण</u>

35. (क्र. 1209) श्री दुर्गालाल विजय : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्योपुर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत प्रश्न दिनांक तक श्योपुर-खातौली मार्ग निर्माण का कितना व क्या-क्या कार्य शेष रह गया है? कब तक पूर्ण कराया जावेगा? (ख) क्या यह सच है कि विभागीय अमले व ठेकेदार की उदासीनता के कारण उक्त मार्ग का निर्माण कार्य बहुत ही धीमी गति से कराया जा रहा है? प्रश्न दिनांक तक 23 में से 12 पुलिया, सड़क खुदाई, मिट्टी भराई, सीआरएम का कार्य तथा खातौली से प्रेमसर 7 कि.मी. तक डब्ल्यूएमएम का कार्य ही पूर्ण हुआ, इन कार्यों में प्राक्कलन को अनदेखा करके गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया? (ग) क्या यह भी सच है कि उक्त मार्ग अंतर्प्रांतीय मार्ग है, मार्ग के आधे हिस्से पर गिट्टी बिछी होने तथा शेष मार्ग पर धूल के गुब्बार उड़ते रहने से नागरिकों को कई प्रकार की असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है? (घ) यदि हाँ, तो कार्य पूर्णता की शेष बची दो माह की अवधि में क्या उक्त मार्ग का निर्माण कार्य आवश्यक रूप से पूर्ण करा लिया जावेगा, तथा मार्ग निर्माण में विलंब के लिये उत्तरदायियों के विरूद्ध कार्यवाही तथा अब तक पूर्ण हो चुके कार्य की गुणवत्ता की जांच शासन कराएगा? यदि नहीं, तो क्यों?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है।** (ख) जी नहीं। जी नहीं, किये गये कार्य की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' के स्तम्भ 08 एवं 09 में दर्शायेनुसार है।** कार्य गुणवत्तापूर्ण कराया जा रहा है। (ग) जी हाँ, जी नहीं मार्ग की सम्पूर्ण चौडाई एवं लंबाई में सी.आर.एम. स्तर का कार्य पूर्ण है। बगैर किसी असुविधा के यातायात निरंतर जारी है। (घ) जी नहीं, गुण-दोष के आधार पर अनुबंध की शर्तो के अनुरूप विलंब के लिये क्षतिपूर्ति की राशि ठेकेदार से वसूली जावेगी। जी नहीं। विभाग द्वारा गुणवत्ता युक्त ही कार्य सम्पादित कराया जा रहा है, अत: शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं

होते है।

<u>परिशिष्ट – "पंद्रह"</u>

<u>बागड़ नदी पर पुलिया निर्माण</u>

36. (**क्र. 1210) श्री दुर्गालाल विजय :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्योपुर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत ग्राम तलावदा व आवनी के बीच बागड़ नदी के रपटे पर बीआरजीएफ योजनांतर्गत पुलिया निर्माण का प्रस्ताव/प्राक्कलन क्या सेतु निर्माण निगम द्वारा स्वीकृति हेतु शासन को भेजा है? यदि हाँ, तो इसकी लागत व वर्तमान में स्वीकृति हेतु कब से व क्यों लंबित है? (ख) क्या यह सच है कि ग्राम तलावदा-आवनी मार्ग बहुत ही महत्वपूर्ण व व्यस्ततम ग्रामीण मार्ग है, इस मार्ग पर विद्यमान कई दर्जन ग्रामों के नागरिकों का आवागमन हर समय बना रहता है? (ग) क्या ये भी सच है कि उक्त मार्ग पर पड़ने वाले बागड़ नदी का रपटा नीचा होने के कारण वर्षाकाल में चम्बल नदी में बाढ़ आ जाने पर रपटे पर कई-कई फीट पानी बहने लगता है? इस स्थिति में रपटे के दोनों ओर के ग्रामों का कई-कई दिनों तक सम्पर्क टूटा रहता है? (घ) यदि हाँ, तो क्या शासन, उक्त रपटे पर पुलिया निर्माण हेतु वर्ष, 2015-16 के बजट में राशि की व्यवस्था कर प्रस्ताव/प्राक्कलन को स्वीकृत करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्नांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हाँ। जी हाँ। (ग) जी हाँ। जी हाँ। बाढ़ की स्थिति निर्मित होने से यातायात अवरूद्ध हो जाता है। (घ) प्रस्ताव प्राप्त होने पर वित्तीय उपलब्धता के आधार पर विचार किया जा सकेगा। अत: शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

<u>औद्योगिक क्षेत्र शुजालपुर में भू:खण्ड आवंटन में अनियमितता</u>

37. (**क्र. 1244) श्री इन्दर सिंह परमार :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या औद्योगिक क्षेत्र शुजालपुर में उद्योग स्थापित करने हेतु भू:खण्ड उपलब्ध कराये गये हैं? कुल कितने भू:खण्ड अभी तक दिये गये? वर्तमान में रिक्त भू:खण्ड कितने हैं, मानचित्र देवें? भू:खण्ड आवंटन के नियम देवें? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित क्षेत्र में भू:खण्ड आवंटन हेतु जनवरी 2012 से जनवरी, 2015 तक किन-किन के आवेदन प्राप्त हुये? जिसमें से कितने को भू:खण्ड प्रदान कर दिये गये? (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित आवेदन पत्रों में से वर्ष, 2012 से निर्धारित प्रब्याजी राशि जिला व्यापार एवं प्रौद्योगिक केन्द्र शाजापुर में जमा हैं, उनको भू:खण्ड आवंटित नहीं करने का कारण क्या है? (घ) औद्योगिक क्षेत्र शुजालपुर में जनवरी 2012 से जनवरी 2015 तक आवंटित भू:खण्डों पर किस-किस का क्या उद्योग चल रहा है,?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) जी हाँ। कुल 21 भूखण्ड अभी तक आवंटित किये गये है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार** है। वर्तमान में 3 भूखण्ड रिक्त है। मानचित्र की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार** एवं भू आंवटन नियम की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार** है। (ख) माह जनवरी 2012 से जनवरी 2015 तक कार्यालयीन रिकार्ड अनुसार कुल 12 आवेदन पत्र प्राप्त हुए, जिनमें में 09 आंवटन किया जा चुका है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार** है। (ग) वर्तमान में 3 आवेदन प्रक्रियाधीन है। उक्त औद्योगिक क्षेत्र की 5 एकड भूमि शासन द्वारा आई.टी.आई.को दिये जाने के फलस्वरूप नवीन सीमांकन पश्चात स्थिति स्पष्ट होने पर आवंटन की कार्यवाही की जावेगी। (घ) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार** है।

मार्ग-निर्माण में लेवल के अनुसार माप एवं भुगतान

38. (क्र. 1279) श्री आर.डी. प्रजापति : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मार्ग-निर्माण में कराए जाने वाले अर्थवर्क/मिट्टी कार्य के नाप लेवल लेकर कराए जाने के नियम हैं और क्या कार्य के पहले/प्रारंभिक लेवल तथा कार्य के बाद/अंतिम लेवल लेने के नियम हैं, तथा क्या उसके बाद ही मिट्टी की मात्रा का भुगतान किया जाता है, अथवा नहीं? (ख) क्या इसी प्रकार डामरीकरण कार्य में 70 m.m. के D.B.M. का कार्य भी लेवल लेकर कराए जाने के नियम हैं? (ग) यदि हाँ तो क्या छतरपुर जिले में चल रहे गढ़ीमलहरा लौंडी-चंदला-अजयगढ़ मार्ग (60 k.m.) तथा चंदला-सरबई-गौरिहार-चंद्रपुरा मार्ग (40 k.m.) के निर्माण में मिट्टी का कार्य एवं चंदला-सरबई-गौरिहार-चंद्रपुरा मार्ग के निर्माण में D.B.M. का कार्य लेवल लेकर किया गया है अथवा नहीं? (घ) यदि नहीं, तो इस अनियमितता के लिए कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं, तथा उनके विरूद्ध कब तक कार्यवाही की जाएगी तथा इस कार्य का भुगतान करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध भी कब तक कार्यवाही की जाएगी?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। (ख) जी हाँ। (ग) जी हाँ। (घ) उत्तरांश 'ग' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होते।

बैरसिया तहसील अन्तर्गत जप्त वाहनों का समय-सीमा में निराकरण

39. (क्र. 1296) श्री विष्णु खत्री : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बैरसिया तहसील अन्तर्गत वन विभाग की कितने चैक पोस्ट है इन चैक पोस्टो के प्रभारी अधिकारियों द्वारा दिनांक 01.01.2012 से दिनांक 15.02.2015 तक कितनी वाहनों को वन नियमों के अन्तर्गत पकड़ा गया है? (ख) विभाग द्वारा जप्त वाहनों को छोड़ने के क्या नियम/प्रक्रिया/समय सीमा निर्धारित है? (ग) क्या कण्डम हो रहे वाहनों को अर्थदण्ड लेकर छोड़ने की विभाग की कोई कार्य योजना/नीति है?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) प्रश्नांकित तहसील में वन विभाग का कोई चेक पोस्ट नहीं है। अत: शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) एवं (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है**। जप्त वाहनों को छोड़ने के लिए कोई समय सीमा का प्रावधान नहीं है। राजसात प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत जप्तशुदा वाहनों के निर्वर्तन की प्रक्रिया निर्धारित है।

लीज रेंट का निर्धारण

40. (**क्र. 1327**) **श्री सुरेन्द्रनाथ सिंह :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्ष 1973-75 में ई-6, ई-7 परिक्षेत्र अरेरा कालोनी, भोपाल में रहवासी कालोनी विकसित करने के लिए शासकीय भूमि म.प्र.गृह निर्माण मंडल एवं अर्ध संरचना विकास मंडल को 30 वर्ष की अवधि के लिये लीज पर दी गई थी? यदि हाँ तो लीज अवधि समाप्ति उपरांत म.प्र.गृह निर्माण मण्डल द्वारा समय-समय पर नियमानुसार लीज नवीनीकरण किया जाता रहा है? (ख) यदि हाँ तो म.प्र. गृह निर्माण मंडल स्वयं की लीज नवीनीकरण के एवज में 160 गुना लीज रेंट किस आधार पर इन रहवासियों से वसूल कर रहा है? जबकि 2 अगस्त 1994 के राजस्व विभाग के आदेश द्वारा पिछले निर्धारित दर का 6 गुना रेंट वसूल किया जाना है? लीज वसूली के क्या नियम और रेंट है इतने अधिक गुना लीज रेंट किस आधार पर वसूला जा रहा है? (ग) प्रश्न (ख) के अंतर्गत प्रश्नांक दिनांक तक म.प्र.गृह निर्माण मण्डल ने कितनी-कितनी राशि लीज रेंट की जमा की है? क्षेत्रवार जानकारी देवें? (घ) क्या लीज नवीनीकरण हेतु लीज रेंट ई-1, ई-2, ई-3, ई-4 एवं ई-5 क्षेत्रों में शासन द्वारा पिछले निर्धारित दर का 6 गुना रेंट वसूल किया जा रहा है? जबकि ई-6, ई-7 में गृह निर्माण मंडल द्वारा नियम का पालन न करते हुए 160 गुना लीज रेंट क्यों वसूला जा रहा है? कारण स्पष्ट बतावें?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) जी हाँ। गृह निर्माण मण्डल अद्योसंरचना विकास मण्डल द्वारा भवन स्वामियों के आवेदन पर लीज नवीनीकरण किया जाताद है। (ख) यह सही नहीं है कि मण्डल द्वारा 160 गुना लीज रेंट वसूल किया जा रहा है। वस्तुस्थिति यह है कि प्रथम 30 वर्ष की अवधि के लिये मण्डल द्वारा जो लीज रेंट की दर निर्धारित की गई थी, वह कम थी, इस कारण लीज नवीनीकरण के समय मण्डल द्वारा प्रथम 30 वर्ष के अंतर की राशि एवं शासन द्वारा निर्धारित लीज रेंट की दर रूपये 2.34 प्रति वर्ग मीटर का छः गुना जमा कराया जा रहा है। (ग) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर है**। (घ) मण्डल द्वारा ई-6, ई-7 क्षेत्र में 160 गुना लीज रेंट नहीं वसूला जा रहा है।

<u>परिशिष्ट – "सोलह"</u>

अवैध कॉलोनियों को वैध किया जाना

41. (**क्र. 1337**) **डॉ. कैलाश जाटव :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गोटेगॉव नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत ऐसी कितनी अवैध कॉलोनी है? जिनको वैध करने के आवेदन विभाग के पास लंबित है? (ख) क्या वर्तमान में अवैध कॉलोनियो को वैध करने के लिये शासन स्तर पर कोई कमेटी का गठन किया गया है? (ग) क्या शहर में बढ़ती हुई अवैध कालोनियों को रोकने के लिये विभाग द्वारा प्रयास किये जा रहे है? (घ) नगर की समस्त अवैध कॉलोनियों को कब तक वैध किया जायेगा? समय सीमा बतावें?

नगरीय विकास मंत्री (**श्री कैलाश विजयवर्गीय**) **:** (क) गोटेगांव नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत कालोनियों को वैध करने के संबंध में समक्ष प्राधिकारी के समक्ष कोई आवेदन लंबित नहीं है। (ख) अवैध कालोनियों को वैध करने के समस्त अधिकार समक्ष प्राधिकारी में विहित हैं। जो नगर पालिकाओं के लिए जिला कलेक्टर है। (ग) जी हाँ। (घ) नियमों में प्रावधान अनुसार अवैध कालोनियों को वैध करने की कार्यवाही की जाती है। समय सीमा बताया जाना संभव नहीं हैं।

सिंगरौली जिले में स्थापित उद्योगों में स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार प्रदाय

42. (**क्र. 1341**) **श्री राजेन्द्र मेश्राम :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या यह सही है कि जिला सिंगरौली के अंतर्गत स्थापित उद्योगों में कम्पनी प्रबंधन एवं शासन के मध्य निष्पादित इकरारनामे में स्थानीय व्यक्तियों को 50% रोजगार उपलब्ध कराये जाने की शर्त निर्धारित की गई है? यदि हाँ, तो अभी तक क्या इसका पालन किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? स्पष्ट करें? (ख) प्रश्नांश (क) के संबंध में जिला सिंगरौली में स्थापित उद्योगों में कितने पद स्वीकृत हुए है उन पर कितने व्यक्ति कार्यरत है? कार्यरत व्यक्तियों में कितन व्यक्ति स्थानीय हैं? (ग) क्या प्रश्नांश (क) के संबंध में उद्योगों द्वारा इकरार नामे के अनुसार शर्तो का पालन नहीं किया गया है, तो शासन/प्रशासन द्वारा कम्पनियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों? कब तक कार्यवाही की जायेगी?

उद्योग मंत्री (**श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया**) **:** (क) जी हाँ। जी हाँ, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है**। (ग) उत्तरांश 'क'के तारतम्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "सत्रह"

विक्रम अवार्ड खिलाड़ियों को शासकीय सेवा में नियुक्ति

43. (**क्र. 1374**) **श्रीमती ऊषा चौधरी :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रदेश शासन द्वारा विभिन्न खेल स्पर्धाओं में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने हेतु कब क्या खेल नीति बनाई गई? इसके तहत खिलाडियों को शासकीय सेवा में नौकरी देने का

क्या प्रावधान रखा गया? (ख) प्रदेश में किन-किन खेल स्पर्धाओं के विक्रम अवार्ड प्राप्त कितने खिलाड़ी है, जिन्हें नियमानुसार अभी तक शासकीय सेवा में नियुक्ति नहीं दी गई है एवं क्यों? इन्हें कब विक्रम अवार्ड घोषित किया गया था? (ग) प्रश्नांश (ख) में विक्रम अवार्ड कितने खिलाड़ियों को विगत 05 वर्षों में शासकीय सेवा में नियुक्ति दी गई? कितने खिलाड़ियों को नहीं? कब तक नियुक्ति प्रदान कर दी जावेगी?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) म.प्र. खेल नीति 2005 बनाई गई है। इस नीति में खिलाडियों को प्रोत्साहित करने एवं उन्हे शासकीय सेवा में नौकरी देने हेतु नीति निर्धारक बिन्दु क्रमांक-06 में उपलब्ध प्रावधानों की जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'क' अनुसार** है। (ख) प्रदेश में विगत वर्षो में खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा जिन विक्रम पुरस्कार प्राप्त खिलाडियों को शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अनुशंसा नहीं की गई है तथा जिस वर्ष में उन्हे विक्रम अवार्ड घोषित किया गया है, उनकी जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ख' अनुसार है**। (ग) विगत 05 वर्षो में खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा जिन खिलाडियों को विभिन्न विभागों से प्राप्त रिक्त पदों की जानकारी के आधार पर शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अनुशंसा की गई है, उनकी जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ग' अनुसार है**। जिन खिलाडियों को नियुक्ति हेतु अनुशंसा नहीं की है, उनकी नियुक्ति हेतु आवेदन इस विभाग को प्राप्त नहीं हुए है।

अवैध कॉलोनियों को वैध किया जाना

44. (क्र. 1378) श्रीमती ऊषा चौधरी : क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सतना जिले की नगर पालिका निगम सतना में कितनी अवैध कॉलोनियां शासन के रिकार्ड में दर्ज है? क्षेत्रवार अवैध कॉलोनियों की सूची उपलब्ध करावें? (ख) क्या अवैध कॉलोनियों को वैध करने के लिये माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सतना भ्रमण के दौरान घोषणा की गई थी? यदि हाँ, तो शासन स्तर पर विभाग द्वारा क्या नीति बनाई गई है व कब तक वैध कॉलोनियां घोषित कर दी जावेगी? (ग) क्या यह सही है कि नगर पालिका निगम सतना के अंदर लगभग 163 अवैध कॉलोनियां सूचीबद्ध है? इन्हें वैध बनाने के लिये शासन/प्रशासन ने क्या रणनीति तैयार की है, पूर्ण विवरण देवें? (घ) क्या माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा यह भी घोषणा की गई है कि नगर पालिका निगम के अंदर 2750 वर्ग फुट में मकान बनाने वाले मकान मालिकों को नगर निगम से नक्शा स्वीकृत कराने की जरूरत नहीं है? यदि हाँ, तो उक्त निर्णय का आदेश कब तक जारी किया जायेगा?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) नगर पालिक निगम सतना में कुल 138 अवैध कालोनियॉ निगम के रिकार्ड में दर्ज है। सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है**। (ख) जी नहीं। अवैध कालोनियों का नियमितीकरण मध्यप्रदेश नगर पालिका (कालोनाईजर का रजिस्टीकरण, निबंधन तथा शर्ते) नियम 1998 के अनुसार किया

जाता है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी नहीं। सतना नगर निगम क्षेत्र में कुल 138 अवैध कालोनी सूचीबद्ध है,जिन्हें वैध करने के लिए नियमानुसार कार्यवाही प्रचलित है। अवैध कालोनियों के नियमितीकरण की कार्यवाही नियमों में प्रावधान के अनुसार की जावेगी। विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है**। (घ) जी नहीं।

छपारा में चमरया नालो पर पुल निर्माण

45. (क्र. 1398) श्री रजनीश हरवंश सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या छपारा नगर में दो भागों में विभाजित करने वाली चमरया नदी पर पुल निर्माण कराये जाने हेतु मांग लंबे समय से विचाराधीन है? (ख) क्या चमरया नाला पर अत्यंत संकीर्ण रपटा की स्थिति जर्जर हो गई है? यदि हाँ, तो अभी तक पुल का निर्माण क्यों नहीं कराया गया है? (ग) चमरया नाला पर पुल का निर्माण कब तक किया जावेगा?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। प्लान सीलिंग के कारण बजट में सम्मिलित नहीं होने के कारण। (ग) वर्तमान में स्वीकृति नहीं है और न ही बजट में सम्मिलित है, अत: निश्चित तिथि बताना संभव नहीं है।

अनुबंध अनुसार राशि का भुगतान

46. (क्र. 1434) श्री निशंक कुमार जैन : क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विदिशा जिले के कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गंजबसौदा की कितनी भूमि पर नगरपालिका के द्वारा किस अवधि में कितनी दुकानों का निर्माण कार्य किया गया? स्कूल की भूमि पर दुकानो का निर्माण नगरपालिका ने किसकी अनुमति से किन-किन शर्तो के आधार पर किया है? (ख) स्कूल की भूमि पर बनाई गई दुकानों से नगरपालिका को प्राप्त किराये की राशि मे से कितनी राशि किस-किस दिनांक को स्कूल प्रबंधन को दी गई कितनी राशि स्कूल प्रबंधक को दिया जाना शेष है, अनुबंध के अनुसार कितनी राशि स्कूल प्रबंधन को दिया जाना चाहिए था? (ग) नगरपालिका द्वारा स्कूल की भूमि पर बनाई गई दुकानों के किराये की राशि में से स्कूल प्रबंधन को दी जाने वाली राशि का प्रश्नांकित तिथि तक भी स्कूल प्रबंधन को भुगतान न किए जाने का क्या-क्या कारण रहा है? (घ) कब तक नगरपालिका स्कूल की भूमि पर बनाई गई दुकानों के किराये की राशि में से स्कूल प्रबंधन को दी जाने वाली राशि का भुगतान मय ब्याज के कर देगा?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) नगर पालिका व्दारा वर्ष 2007-08 में 254.10 वर्ग मीटर क्षेत्र पर 24 दुकानों का निर्माण परिषद एवं पालक शिक्षक संघ की अनुमति से किया गया। शर्तें **संलग्न परिशिष्ट अनुसार है**। (ख) नगर पालिका को प्राप्त किराया राशि 11 लाख 99 हजार में से 35 प्रतिशत राशि अर्थात 4 लाख 20 हजार रूपये

दिया जाना है। वर्तमान में किराये की राशि से कोई राशि नहीं दी गई है। (ग) एवं (घ) भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने के कारण। राज्य शासन व्दारा शीघ्र भुगतान करने के निर्देश दिये गये है। नगर पालिका व्दारा चालू वित्तीय वर्ष में देय राशि भुगतान कर दी जायेगी।

परिशिष्ट – "अठारह"

मुख्य सचिव को प्रेषित पत्र पर कार्यवाही

47. (क्र. 1435) श्री निशंक कुमार जैन : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि जनवरी 2015 की प्रश्नांकित तिथि तक बुनियाद संस्था बैतूल के श्री अनिल गर्ग द्वारा जनवरी 2008 से लागू वन अधिकार कानून 2006 की धारा 3 (1) ख,ग,घ,ड., के अंतर्गत प्रचलित अधिकारों को लेखबद्ध किए जाने के संबंध में मुख्य सचिव को लिखा गया पत्र एवं उसके साथ संलग्न 46 आवेदन मुख्य सचिव कार्यालय को प्राप्त हुए है? (ख) यदि हाँ, तो वन अधिकार कानून 2006 में किन-किन जमीनों को परिभाषित किया गया है इनमें से कौन-कौन सी परिभाषित वन भूमियों को वन विभाग ने वर्किंग प्लान में सम्मिलित कर संरक्षित वन भूमि प्रतिवेदित किया जा रहा है? इन भूमियों से संबंधित कौन-कौन सी जांच वर्तमान में उपखण्ड स्तरीय समिति के अध्यक्षों के पास लंबित है? (ग) श्री अनिल गर्ग द्वारा प्रेषित आवेदनों में किस जिले में कितनी-कितनी धारा 4 (1) में अधिसूचित भूमि, नारंगी भूमि एवं निजी भूमि का उल्लेख किया गया है? इन भूमियों पर प्रचलित किन अधिकारों एवं प्रयोजनों की जांच वर्तमान में किसके समक्ष लंबित होना बताया गया है? (घ) मुख्य सचिव को प्रेषित पत्र एवं आवेदनों पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय वनाधिकार समिति ने क्या-क्या निर्णय लिया है? यदि निर्णय नहीं लिया गया हो तो कारण बतावें? कब तक निर्णय ले लिया जावेगा?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) जी हाँ। (ख) अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 2 (घ) में दी गई वन की परिभाषा **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार है।** परिभाषित वन भूमियों में से कार्य आयोजना में सम्मिलित उन भूमियों, जो भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-29 के अन्तर्गत संरक्षित वन अधिसूचित हैं या धारा 20 (अ) से संरक्षित वन अधिसूचित होने की श्रेणी में आती हैं, को संरक्षित वन प्रतिवेदित किया जा रहा है। उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा इन भूमियों पर आवेदित वन अधिकारों की जांच की जाती है। लगभग 6 लाख प्राप्त आवेदनों में वनभूमि की वर्गवार जानकारी वृहद स्वरूप की होने से नोडल विभाग आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संधारित नहीं किये जाने के कारण वांछित जानकारी दिया जाना संभव नहीं है। (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार है।** भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 4 में अधिसूचित संरक्षित वन भूमियों तथा इनमें सम्मिलित तथाकथित निजी भूमि एवं तत्कालीन नारंगी भूमि पर प्रचलित

समस्त अधिकारों एवं प्रयोजनों की जांच संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं पदेन वन व्यवस्थापन अधिकारी के पास प्रचलित है। (घ) प्रनांश से संबंधित पत्रों पर कार्यवाही करने का विषय राज्य स्तरीय निगरानी समिति के कृत्यों से भिन्न होने के कारण शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

नगर पालिका परिषद नरसिंहगढ़ द्वारा दुकान की नीलामी

48. (**क्र. 1478) श्री गिरीश भंडारी :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या नगरीय निकाय नरसिंहगढ़ द्वारा 09, 10 एवं 11 सितंबर 2013 को दुकानों की नीलामी की गई थी? यदि हाँ, तो विज्ञप्ति/आरक्षण/अधिकतम बोलीकर्ता की राशि तथा जिस व्यक्ति को दुकान नीलामी में दी गई उसके द्वारा लगाई गई राशि की जानकारी दें? (ख) किस राशि तक की बोली स्वीकृत करने का अधिकार नगर पालिका परिषद को है तथा किस राशि तक की बोली स्वीकार करने का अधिकार शासन को है? निकाय द्वारा नीलामी द्वारा बेची गई दुकानों की कीमत का निर्धारण क्या किसी सक्षम अधिकारी द्वारा कराना चाहिए? यदि हाँ, तो क्या नगरीय निकाय नरसिंहगढ ने कराया? (ग) क्या उक्त नीलामी प्रक्रिया में दुकान क्रं. 1 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित थी? यदि हाँ, तो क्या दुकान क्रं. 1 अनुसूचित जनजाति को ही नीलाम की गई? नहीं तो क्यों नहीं? (घ) कंडिका (क), (ख), (ग) में उपलब्ध कराई जानकारी के आधार पर क्या निकाय नरसिंहगढ़ द्वारा नीलामी में शासकीय दिशा निर्देशों का उल्लंघन/आरक्षण का उल्लंघन किया है? यदि हाँ तो क्या? क्या शासन उक्त नीलामी को निरस्त करेगा? हाँ तो कब तक? नहीं तो क्यों नहीं व संबंधित लोगों पर क्या कार्यवाही की जावेगी?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (**क)** जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखें परिशिष्ट अनुसार है**। (ख), (ग) एवं (घ) उपसंचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल संभाग को प्रश्नाधीन प्रकरण की विस्तृत जांच के निर्देश दिये गये है।

कॉटाफोड से नाचन बोर तक सड़क निर्माण की शिकायतें

49. (**क्र. 1497) श्री चम्पालाल देवड़ा :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) देवास जिले के बागली विधानसभा क्षेत्र में कॉटाफोड से नाचन बोर सड़क कब स्वीकृत हुई? स्वीकृत राशि, प्राक्कलन तथा तकनीकी स्वीकृति अनुसार उक्त मार्ग पर क्या-क्या कार्य होना था? (ख) उक्त सड़क निर्माण कार्य से किन-किन ग्रामों की पेयजल व्यवस्था, विद्युत सप्लाई प्रभावित हुई? किन-किन ग्रामों में नाली बनना थी? (ग) क्या-क्या कार्य पूर्ण हो गये तथा कौन-कौन से कार्य अपूर्ण है तथा क्यों कारण बतायें? उक्त कार्य कब तक पूर्ण होगें? (घ) उक्त सड़क निर्माण कार्य का विभाग के किन-किन अधिकारियों ने कब-कब निरीक्षण किया तथा क्या-क्या कमियां पाई तथा उन पर क्या-क्या कार्यवाही की?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।** (ख) पेयजल तथा विद्युत सप्लाई की व्यवस्था प्रभावित होने की सूचना नहीं है। कांटाफोड, गोदना, बोरखालिया, पलासिया,पुंजापुरा, भीकूपुरा, रतातलाई, किशनगढ और उदयनगर ग्रामों में दो लेन पेव्हड शोल्डर के साथ नाली का प्रावधान था। (ग) कांटाफोड और उदयनगर गांव में पर्याप्त चौडाई में भूमि उपलब्ध न होने के कारण कार्य निर्माण अपूर्ण है और भूमि उपलब्ध होने के बाद एवं निवेशकर्ता की सहमति उपरांत काम पूरा किया जावेगा। (घ) सड़क निर्माण का निरीक्षण समय-समय पर संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम एवं वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया गया। कार्य संतोषप्रद पाया गया। अत: कार्यवाही का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट – "उन्नीस"

वन विभाग बालाघाट में निर्माण कार्य पूर्ण / अपूर्ण

50. (क्र. 1552) श्री मधु भगत : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वन विभाग जिला बालाघाट में वर्ष 2012-13, 2013-14 तथा 2014-15 से प्रश्न दिनांक तक कौन-कौन से कार्य कितनी-कितनी राशि के किस-किस मद से कब-कब करवाये गये नियुक्त कार्य ऐजेंसी के नाम सहित विकास खण्डवार एवं वर्ष वार पूर्ण ब्यौरा देवें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार प्रचलित कार्य में से कौन-कौन से कार्य पूर्ण है कितने अपूर्ण है एवं उक्त कार्य में से किस-किस कार्य के लिये किस-किस को कितनी-कितनी राशि का भुगतान किस दिनांक को चेक/ड्राफ्ट क्रमांक एवं नगद राशि के रूप में किय गया? वर्षवार कार्यवार भुगतान की गई राशि का पूर्ण ब्यौरा देवें? (ग) प्रश्नांश (क) में वर्णित कार्यो में से कौन-कौन से कार्य है जिनके पूर्ण किये बिना अथवा कार्य प्रारंभ किये बिना कार्य से अधिक राशि का भुगतान किय गया? कार्यवार किये गये भुगतान का पूर्ण ब्यौर देवें? (घ) प्रश्नांश (क) अनुसार स्वीकृत कार्यो में अनियमितता और भ्रष्टाचार की कितनी शिकायतें जिला एवं राज्य स्तर पर प्राप्त हुई शिकायतों का विवरण देते हुये बतावे कि इनमें से किन-किन शिकायतों की जांच किसके द्वारा कराई गई एवं जांच के पश्चात क्या कार्यवाही की गई?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) :(क) एवं (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट** में है। (ग) कोई कार्य नहीं। अत: शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) स्वीकृत कार्य के संबंध में जिला स्तर पर एक शिकायत (तालाब निर्माण, ग्राम केरा) प्राप्त हुयी। जिसके संबंध में वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण सामान्य वनमण्डल बालाघाट द्वारा उप वनमण्डलाधिकारी लॉजी (सा.) की अध्यक्षता में समिति गठित कर जॉच करायी गयी। जॉच उपरान्त मुख्य वनसंरक्षक बालाघाट द्वारा तत्कालीन परिक्षेत्र अधिकारी वारासिवनी तथा वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण सामान्य वनमण्डल बालाघाट द्वारा परिक्षेत्र सहायक वारासिवनी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। राज्य स्तर पर कोई शिकायत प्राप्त होना प्रतिवेदित नहीं है।

बरैया नाले पर पुल निर्माण

51. (**क्र. 1606) श्रीमती उमादेवी लालचंद खटीक :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की घोषणानुसार हटा विकासखण्ड के बरैया नाले पर पुल निर्माण की स्वीकृति प्राप्त हुई थी? हाँ तो कब स्वीकृति आदेश की छायाप्रति उपलब्ध करावे? (ख) उक्त पुल कितनी राशि से स्वीकृत किया गया था एवं उक्त कार्य की कार्य एजेंसी क्या थी व कितनी समय सीमा में कार्य कराने हेतु आदेशित किया गया था? (ग) क्या उक्त एजेंसी द्वारा कार्य किया गया है? यदि हाँ तो कितनी राशि का कार्य किया गया है? क्या यह सही है कि 4-5 वर्ष बीत जाने के बाद भी न के बराबर कार्य हुआ? उक्त एजेंसी पर क्या कार्यवाही प्रस्तावित की गई एवं उक्त कार्य कब तक पूर्ण हो जावेगा?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जी हाँ। दिनांक 06.01.2012, **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है**। (ख) राशि रूपये 155.57 लाख। श्री प्रीतम राय 'ब' श्रेणी (न्यू) ठेकेदार, चंडी वार्ड दमोह पन्ना रोड़ हटा जिला-दमोह (म.प्र.) कार्यादेश दिनांक 30.03.2012 से 14 माह वर्षाकाल छोड़कर अर्थात् दिनांक 29.01.2014 तक। (ग) जी हाँ। राशि रूपये 8.81 लाख। ''जी नहीं''। अनुबंध की धारा-3 (सी) के तहत ठेकेदार की जोखिम एवं लागत पर ठेका निरस्त किया गया, तथा नवीन अनुबंध के अनुसार कार्य दिनांक 08.06.2016 तक पूर्ण किया जाना है।

परिशिष्ट – ''बीस''

नगर पालिका सबलगढ़ में विभिन्न मदों में प्राप्त राशि

52. (**क्र. 1622) श्री मेहरबान सिंह रावत :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सबलगढ़ नगर पालिका में सत्र 2013-14 में विभिन्न मदों में कितनी राशि का आवंटन हुआ है? मद वाइज विवरण दें? एवं मदवाइज खर्च एवं शेष राशि का ब्यौरा सूचीबद्ध बताऐं? (ख) क्या यह सही है कि सबलगढ़ न.पा. के कर्मचारियों को विगत 6 माह से वेतन एवं एरियर का भुगतान नहीं किया जा रहा है? क्या उनके वेतन की राशि से ठेकेदारों को भुगतान किया जा रहा है? (ग) यदि हाँ तो संबंधित दोषी अधिकारी/अध्यक्ष/परिषद के खिलाफ कब तक कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी? समयावधि बताऐं? (घ) सत्र 2013-14 में आय/व्यय की जानकारी निम्न प्रपत्र पर उपलब्ध कराऐं? मद का नाम, प्राप्त राशि, व्यय राशि, एजेंसी का नाम, शेष राशि।

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट "अ" एवं "ब" पर है।** (ख) जी नहीं। सबलगढ़ नगर पालिका के कर्मचारियों का वर्ष 2007-08 से 4 माह का वेतन एवं 25 प्रतिशत एरियर राशि बकाया है। वेतन की राशि से ठेकेदारों को कोई भुगतान नहीं किया गया है। (ग) प्रश्नांश (ख) के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट "ब" पर है।**

परिशिष्ट – "इक्कीस"

सबलगढ़ विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत पौध रोपण

53. (क्र. 1623) श्री मेहरबान सिंह रावत : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सबलगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विगत दो वर्षों में वन विभाग द्वारा कितने वृक्ष लगाए गए हैं व कितने तालाब व स्टाप डेम का निर्माण किया गया है एवं इन पर कितना पैसा खर्च हुआ है? (ख) वर्तमान में कितने पेड़ सही अवस्था में है व कितने सूख चुके हैं एवं कितने तालाब व स्टाप डेम सही अवस्था में है? स्थान सहित जानकारी बताऐं? (ग) यदि अधिकांश पेड़ सूख चुके हैं, तो रख रखाव का जो पैसा खर्च हुआ है, क्या वह ठीक ढंग से खर्च नहीं हुआ था? क्या विभाग द्वारा ठीक ढंग से काम नहीं किया गया? (घ) दोषी कर्मचारी/अधिकारी के खिलाफ ठीक ढंग से कार्य नहीं करने पर क्या कार्यवाही की जाएगी और कब तक? समयावधि बताऐं?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) वन विभाग द्वारा प्रश्नांकित क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2013-14 में निरंक एवं वर्ष 2014-15 में 37,500 पौधे रोपित किये गये, जिस पर रूपये 6,31,661 (रूपये छः लाख इकत्तीस हजार छः सौ इकसठ) व्यय हुआ। विगत 2 वर्षों में तालाब व स्टापडेम का निर्माण नहीं किया गया। (ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।** उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) एवं (घ) सफलता के लिये निर्धारित नार्म्स से अधिक पौधे जीवित हैं। रखरखाव के लिये राशि सही ढंग से व्यय की गई। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट – "बाईस"

जबेरा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत सड़क निर्माण

54. (क्र. 1705) श्री प्रताप सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सत्य है कि दमोह जिले की जबेरा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत आदिवासी बाहुल्य ग्रामों की बहुप्रतीक्षित सड़क ग्राम इमलिया से रमपुरा तक 3.10 किमी. ग्रामीण सड़क विकास निगम के माध्यम से बनवाई गई थी, जो ठेकेदार की मनमानी के चलते नहर पर पुलिया डाले बिना मिट्टी, मुरम भरने के कारण 26 जुलाई 2014 की हल्की बारिश में सड़क का आधे से अधिक हिस्सा पानी के प्रेशर में बह जाने से एक बड़े गड्ढ़े के रूप में तब्दील हो

गयी है? फलस्वरूप वाहनों का आवागमन बंद हो गया है? (ख) क्या यह भी सत्य है कि निर्मित की गई सड़क का निर्माण नहरों की मेढ़ पर से किया गया है तथा सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित पुलियों के ऊपर से मिट्टी, मुरम डालकर सड़क का सम लेबिल कर दिये जाने से पानी निकासी अवरूद्ध होने के फलस्वरूप पूर्व निर्मित नहर क्षतिग्रस्त हो गई है? (ग) क्या यह भी सत्य है कि ग्राम रमपुरा से इमलिया तक बन रही सड़क का निरीक्षण संबंधित विभागीय अधिकारियों द्वारा न किये जाने के फलस्वरूप ही ठेकेदार की सांठ-गांठ से घटिया निर्माण कार्य को अंजाम दिया गया है? स्थानीय ग्रामीणजनों द्वारा उल्लेखित घटिया निर्माण के संबंध में की गई शिकायतों पर विभागीय अधिकारी द्वारा स्थल की कब-कब जांच की गई तथा मौके पर क्या स्थिति पायी तथा अनियमितता के फलस्वरूप ठेकेदार के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) उक्त मार्ग का निर्माण मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण दमोह द्वारा किया जा रहा है। उनसे प्राप्त **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है**। (ख) एवं (ग) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है**।

<u>**परिशिष्ट – "तेईस"**</u>

पुजारियों का मानदेय भुगतान

55. (क्र. 1757) कुँवर विक्रम सिंह : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रदेश के म.प्र. शासन धार्मिक न्यास विभाग मंत्रलाय भोपाल के आदेश क्र. F-7-23/2002 भोपाल दिनांक 24 मई 2003 के तहत छतरपुर जिले के कितने पुजारियों को वर्ष में कितनी राशि का मानदेय वर्ष 12-13 एवं 13-14 में भुगतान किया गया? (ख) मंदिरों के पुजारियों के मानदेय भुगतान संबंधी कितने प्रकरण अब तक लंबित है? किन कारणों से? स्पष्ट करें?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) वर्ष 2012-13 मे पुजारियों को 9,62,620/- (नौ लाख बासठ हजार छैः सौ बीस) के मानदेय का भुगतान किया गया। वर्ष 2013-14 में जिले को 13.00 (तेरह लाख) का आवंटन दिया गया है। राशि वितरण हेतु तहसीलदारों को प्रत्यावंटित की गई है। (ख) जी नहीं। कोई प्रकरण लंबित नहीं है।

छतरपुर जिले में धर्मशाला निर्माण

56. (क्र. 1777) कुँवर विक्रम सिंह : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या तीर्थ यात्रियों को सुविधा प्रदान करने हेतु शासन संधारित मंदिरों में लगी भूमि पर धर्मशाला निर्माण योजना लागू है? (ख) यदि हाँ, तो वर्ष 2012-13, 13-14 में छतरपुर जिले में कितना आवंटन प्राप्त हुआ, तथा किन-किन स्थानों पर निर्माण कार्य कराया गया? (ग) क्या

खजुराहो में धर्मशाला निर्माण योजना के तहत विभाग द्वारा कार्य योजना बनाई गई? यदि हाँ, तो कब? नहीं, तो क्यों?

उद्योग मंत्री (**श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) :** (क) जी हाँ। (ख) वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 मे छतरपुर जिले को धर्मशाला निर्माण के संबंध में कोई बजट आवंटन नहीं दिया गया। (ग) जी नहीं।

<u>छतरपुर/बैतूल वनवृत्त में कार्यारत अधिकारी</u>

57. (**क्र. 1831) श्रीमती रेखा यादव :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वनपरिक्षेत्राधिकारी को राजपत्रित अधिकारी किस दिनांक को बनाया गया? इन राजपत्रित अधिकारियों से संबंधित नियम प्रश्नांकित तिथि तक भी न बनाए जाने का क्या-क्या कारण रहा है? (ख) छतरपुर वनवृत एवं बैतूल वनवृत में वर्तमान में कौन-कौन परिक्षेत्राधिकारी के रूप में कार्यरत हैं? इसमें से किसके विरूद्ध किस-किस आरोप की विभागीय जांच किस वनमंडल के संबंध में किसके समक्ष वर्तमान में लम्बित हैं? (ग) लम्बित विभागीय जांच के बाद भी परिक्षेत्राधिकारियों को सामान्य वन परिक्षेत्र में पदस्थ किए जाने के क्या प्रावधान वर्तमान में प्रचलित है? ऐसे अधिकारियों को सामान्य वन परिक्षेत्र से न हटाए जाने का क्या-क्या कारण रहा है? (घ) सामान्य वन परिक्षेत्र में पदस्थ परिक्षेत्राधिकारियों के विरूद्ध लम्बित जांच पूरी किए जाने हेतु वन मुख्यालय क्या कार्यवाही कर रहा है? कब तक जांच पूरी करवा ली जावेगी?

वन मंत्री (**डॉ. गौरीशंकर शेजवार) :** (क) वन परिक्षेत्राधिकारी (वनक्षेत्रपाल) को राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 7.7.1997 द्वारा राजपत्रित घोषित किया गया। वनक्षेत्रपाल पद के भर्ती नियम पूर्व से प्रचलित हैं, जिनमें समय-समय पर संशोधन किये गये हैं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) प्रश्नांकित वनवृत्तों में कार्यरत वन परिक्षेत्र अधिकारियों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'ब' अनुसार है**। (ग) विभागीय जांच प्रचलित होने की स्थिति में परिक्षेत्र अधिकारियों को उस परिक्षेत्र के प्रभार में नहीं रखा जाता है, जहाँ पदस्थापना के कारण जाँच से संबंधित साक्ष्य प्रभावित करने की संभावना हो। इसी कारण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' में उल्लेखित परिक्षेत्र अधिकारियों को विभागीय जांच से संबंधित परिक्षेत्र के प्रभार में वर्तमान में नहीं रखा गया है। (घ) लंबित विभागीय जांच को पूरा करने हेतु वन मुख्यालय द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश समय-समय पर जारी किये गये हैं। विभागीय जांच एक अद्र्ध न्यायिक प्रकिया है, अत: जांच पूर्ण होने हेतु समय-सीमा का बताया जाना संभव नहीं है।

<u>संयुक्त वन प्रबंधन समितियों से संबंधित अधिकार</u>

58. (**क्र. 1832**) **श्रीमती रेखा यादव :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश शासन वन विभाग वल्लभ भवन भोपाल द्वारा 25 जनवरी 2001 को जारी आदेश में संयुक्त वन प्रबधंन समितियों से संबंधित कौन-कौन से अधिकार ग्रामसभाओं को प्रत्यायोजित किए गए हैं इन प्रत्यायोजित अधिकारों को ग्रामसभा को सौपें जाने का वन मुख्यालय सतपुड़ा भवन भोपाल ने किस दिनांक को पत्र जारी किया, प्रति सहित बतावें? (ख) छतरपुर वनवृत के अन्तर्गत किस वनपरीक्षेत्र में वर्तमान में कितनी संयुक्त वन प्रबंधन समितिया कार्यरत हैं इन समितियों के द्वारा कौन-कौन सी गतिविधियों का संचालन किया जा रहा हैं इनमें से किन-किन गतिविधियों के संचालन का नियंत्रण ग्रामसभाओं के पास है? (ग) छतरपुर वनवृत के अन्तर्गत गठित संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के संबंध में 25 जनवरी 2001 के शासनादेश के बाद भी संचालन का नियंत्रण ग्रामसभाओं को प्रश्नांकित तिथि तक भी न सौपें जाने का क्या-क्या कारण रहा हैं इसके लिए शासन किसे जिम्मेदार मानता है? (घ) छतरपुर वनवृत के अन्तर्गत गठित संयुक्त वन प्रबन्धन समितियों द्वारा संचालित किन-किन गतिविधयों के संचालन का नियंत्रण कब तक ग्रामसभाओं को सौंप दिया जावेगा?

वन मंत्री (**डॉ. गौरीशंकर शेजवार**) **:** (क) प्रश्नांकित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'ब' अनुसार है।** (ख), (ग) एवं (घ) समितियों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार है।** समितियों द्वारा गतिविधियों के संचालन के लिये जारी शासकीय संकल्प दिनांक 22 अक्टूबर, 2001 की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'द' अनुसार है।** चूँकि शासकीय संकल्प में निहित प्रावधान अनुसार समितियों का गठन मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 6 के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश ग्रामसभा (सम्मिलन की प्रक्रिया) नियम, 2001 में दर्शायी प्रक्रिया अनुसार आयोजित ग्रामसभा की बैठक में किया जाता है अत: समिति द्वारा संचालित समस्त गतिविधियॉ ग्रामसभा के नियंत्रण में हैं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

नगर पंचायत मझौली को बजट आवंटन

59. (**क्र. 1914**) **श्री कुंवर सिंह टेकाम :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सीधी जिले के अंतर्गत नगर पंचायत मझौली के विकास हेतु वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 में कितनी राशि विभिन्न मदों में आवंटित की गई है? वर्षवार, मदवार जानकारी देवें? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में आवंटित राशि से कितनी राशि का व्यय किया जा चुका है? वर्षवार एवं मदवार जानकारी देवें? (ग) पेयजल हेतु पाइप लाईन बिछाने में एवं पाइप खरीदी में कितनी राशि व्यय की गई है? पाइप खरीदी प्रति मीटर किस दर पर किया गया? पूर्ण जानकारी वर्षवार देवें? हैण्ड पंप खनन का कार्य विगत 5 वर्षों में कितनी संख्या में की गई है? हैण्ड पंप उत्खनन लागत प्रति हैण्डपंप कितनी है? लागत

राशि सहित जानकारी देवें? (घ) स्ट्रीट लाइट के लिये कितनी राशि व्यय की गई है? स्ट्रीट लाइट के उपयोग में हैलोजन लाईट की खरीदी कहाँ से एवं किस दर पर की गई है?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) एवं (ख) सीधी जिले के अंतर्गत नगर पंचायत मझौली के विकास कार्यो हेतु वर्षवार, मदवार एवं व्यय का विवरण **संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" एवं "ब" पर है।** (ग) एवं (घ) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र "स" पर है।**

परिशिष्ट – "चौबीस"

संजय दुवरी अभ्यारण्य के ग्रामीणों का व्यवस्थापन

60. (**क्र. 1917**) **श्री कुंवर सिंह टेकाम :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सीधी जिले के अंतर्गत संजय दुवरी अभ्यारण्य के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की संख्या कितनी है? कितने ग्रामों का विस्थापन किया जा रहा है एवं कितने ग्रामों का विस्थापन कर दिया गया है? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में जिन ग्रामों का विस्थापन नहीं किया गया है? क्या वहाँ पर निवासरत लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है? यदि हाँ, तो किस प्रकार की सुविधायें दी जा रही है? (ग) वर्ष 2012-13 से प्रश्नांश दिनांक तक जंगली जानवरों के द्वारा जनहानि, पशुहानि एवं किसानों के फसल हानि के कितने प्रकरण प्राप्त हुए हैं? (घ) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में जन हानि, पशुहानि एवं फसल हानि के कितने प्रकरणों का मुआवजा का भुगतान कर दिया गया है? कितने का शेष है? वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 के प्रकरणों की जानकारी देवें? शेष प्रकरणों का मुआवजा भुगतान कब तक कर दिया जावेगा? समय-सीमा बतायें?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) प्रश्नांकित अभ्यारण्य के अन्तर्गत ग्रामों की संख्या 29 है। 02 ग्रामों में विस्थापन की कार्यवाही प्रगति पर है। 01ग्राम (कंजरा) का विस्थापन अप्रैल-मई 2014 में पूर्ण किया गया है। (ख) जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है।** (ग) प्रश्नांकित अवधि में जंगली जानवरों के द्वारा 02 जनहानि प्रकरण, 548 पशुहानि प्रकरण तथा 64फसल हानि के प्रकरण प्राप्त हुए हैं। (घ) 02 जन हानि, 530 पशुहानि एवं 64 फसल क्षति प्रकरणों में मुआवजा का भुगतान कर दिया गया है। 18 पशुहानि प्रकरणों में समयावधि में मुआवजा भुगतान की कार्यवाही प्रचलित है। प्रश्नांश में दर्शित अवधि के प्रकरणों एवं भुगतान की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' एवं 'स' अनुसार है।**

ग्राम गंगवाडा-अमलाथ के मध्य सेतु निर्माण

61. (**क्र. 1945**) **श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि बड़वाहा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम गंगवाडा से अमलाथा के मध्य आडी नदी पर ब्रिज निर्माण की स्वीकृति हेतु लगभग 20 ग्रामों की जनता को आवागमन एवं विशेषकर स्कूली बच्चों के आवागमन में सुगमता हेतु पहाडी नदी (आडी नदी) पर ब्रिज निर्माण स्वीकृति हेतु प्रश्नकर्ता द्वारा लगातार दो वर्षों से स्वीकृति की मांग की जा रही है? यदि हाँ, तो प्रश्नकर्ता द्वारा कब-कब प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार प्रस्ताव पर विभाग द्वारा वर्तमान तक क्या कार्यवाही की गई है? उक्त ब्रिज निर्माण में कनिष्ठ विभाग द्वारा कितनी राशि का प्राक्कलन स्वीकृति हेतु कब प्रेषित किया गया है तथा वरिष्ठ विभाग द्वारा प्राप्त प्रस्ताव पर वर्तमान तक क्या कार्यवाही की गई है? (ग) क्या यह सही है कि आगामी वित्त वर्ष 2015-2016 के प्राप्त बजट में उक्त प्रस्ताव को शामिल किया जावेगा, यदि नहीं तो क्यों? यदि हाँ, तो उक्त राशि कब तक प्राप्त होकर कार्य प्रारंभ किया जावेगा? समय सीमा बताई जावें?

लोक निर्माण मंत्री (**श्री सरताज सिंह**) **:** (क) जी हाँ। प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 16.02.2013 शासन के माध्यम से क्रमश: दिनांक 04.03.2013, 11.03.2013, 09.05.2013, 18.06.2013 एवं विधानसभा याचिका क्रमांक 4894 प्राप्त हुई है। (ख) विभाग द्वारा रूपये 219.58 लाख का प्राक्कलन तैयार किया गया है जो प्रमुख अभियंता कार्यालय में परीक्षणाधीन है। (ग) वित्तीय उपलब्धता के आधार पर विचार किया जा सकेगा। वर्तमान में न तो बजट में सम्मिलित है और न ही स्वीकृत है। अत: वर्तमान में निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

गाड़ा घाट पर पुल निर्माण

62. (**क्र. 1966**) **श्रीमती नंदनी मरावी :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिहोरा विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत सैलवारा से कछारगॉव सिलौण्डी मार्ग जिसकी लंबाई 18 कि.मी. है, इस मार्ग की स्वीकृति कब प्रदान की गई थी? कितने पुल पुलियों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित था? कितनों का निर्माण किया जा चुका है? कितने बनाया जाना शेष हैं? (ख) क्या यह सही है कि प्रश्नांश (क) अनुसार गाड़ा घाट पुल बनाया जाना शेष हैं? निर्माण की राशि कम होने के कारण एजेंसियों द्वारा कार्य नहीं कराया जा रहा? निर्माण की राशि वर्तमान लागत मूल्य पर करते हुये कब तक पुल निर्माण करा दिया जावेगा?

लोक निर्माण मंत्री (**श्री सरताज सिंह**) **:** (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है**। (ख) जी नहीं,जी नहीं। निविदा कार्यवाही प्रक्रियानधीन है। समय सीमा बताना संभव नहीं है।

परिशिष्ट – ''पच्चीस''

औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित इकाईयां

63. (**क्र. 1968**) **श्रीमती नंदनी मरावी :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित इकाईयों से निकलने वाले रा मटेरियल एवं दूषित पानी की निकासी सार्वजनिक नदियों में न हो इसके लिये क्या प्रावधान है? (ख) जबलपुर अंतर्गत क्या हरगढ़ में लगी इकाईयॉ से आयरन युक्त पानी हिरन में छोड़ा जा रहा है? इसकी रोकथाम के लिये क्या कार्यवाही की गई?

उद्योग मंत्री (**श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया**) **:** (क) औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित इकाईयों द्वारा रॉ-मटेरियल का उपयोग उत्पादन बनाने में किया जाता है। मध्यप्रदेश प्रदूषण नियत्रण मण्डल द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 के अंतर्गत जारी जल सम्मति में औद्योगिक इकाईयों से उत्पन्न होने वाले दूषित जल को उपचार संयंत्र में उपचार कर प्रक्रिया, वृक्षारोपण व अन्य कार्यों में पुर्नउपयोग/व्ययन करने एवं उद्योग परिसर के बाहर शून्य निस्त्राव की स्थिति बनाये रखने की शर्त दी जाती है एवं समय-समय पर निरीक्षण व मॉनिटरिंग कर निगरानी रखी जाती है। (ख) जी नहीं। प्रश्नाधीन ओद्योगिक क्षेत्र में स्थापित इकाईयों द्वारा प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल के उपचार हेतु उपचार संयंत्र की स्थापना की गई है एवं उपचार उपरांत उपचारित दूषित जल को प्रक्रिया में पुर्नउपयोग कर लेने की व्यवस्था की गई है।

बीना कंजिया मार्ग का पुनर्निर्माण

64. (**क्र. 2004**) **श्री महेश राय :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बीना से कंजिया (वाया आगासोद) मार्ग के पुनर्निर्माण के संबंध में परि. अता. प्रश्न संख्या 76 (क्र. 3313) दिनांक 17.07.14 में अवगत कराया था कि उक्त सड़क मार्ग के पुनर्निर्माण हेतु सी.आर.एफ. योजना में शामिल करने हेतु प्रस्ताव परीक्षणाधीन है तो सड़क निर्माण कार्य कब तक पूर्ण होगा? (ख) कंजिया से भानगढ़ की सड़क के निर्माण के उत्तर में प्रश्नांश (घ) में अवगत कराया गया था कि नवीनीकरण हेतु निविदा दिनांक 20.7.2014 को आमंत्रित की गई है? क्या यह सही है कि उक्त संबंध में अभी तक कोई निविदा जारी नहीं की गयी है? न ही मरम्मत का कार्य किया गया है? (ग) प्रश्नांश (ख) का कार्य कब तक पूर्ण होगा एवं लापरवाह अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी, अवगत करावें?

लोक निर्माण मंत्री (**श्री सरताज सिंह**) **:** (क) जी हाँ। प्रश्नांश मार्ग सी.आर.एफ. योजना की प्राथमिकता सूची में सम्मिलित नहीं है। अत: कार्य पूर्ण की सीमा बताना संभव नहीं है। (ख) जी हाँ। द्वितीय बार निविदा आमंत्रण सूचना जारी करने का वास्तविक दिनांक 28.06.2014 है। तृतीय बार निविदा दिनांक 16.02.2015 को आमंत्रित की गई है। जी हाँ।

(ग) निश्चित समय सीमा बताना संभव नहीं है। शेष प्रश्नांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

बीना में ओवर ब्रिज एवं सड़क निर्माण

65. (क्र. 2007) श्री महेश राय : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बीना में कितने ओवर ब्रिज किस रेल्वे गेट पर स्वीकृत हुये है? (ख) स्वीकृत रेल्वे ओवर ब्रिज के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गयी एवं इनके टेण्डर कब होगें? समय निश्चित कर अवगत कराये? (ग) निर्तला-भापसोन मंडी बामोरा मार्ग स्वीकृत है जिसकी टेण्डर प्रक्रिया कब पूर्ण होगी एवं निर्माण कार्य कब तक प्रारंभ होगा?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जानकारी निरंक है। (ख) उत्तरांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी हाँ। टेण्डर की टेक्निकल बिड 26 मार्च 2015 को खोले जावेगी। यह कार्य एशियन विकास बैंक की वित्तीय सहायता से किया जाना है, जिसमें निविदा की हर स्टेज की प्रक्रिया पर ए.डी.बी. का अनुमोदन आवश्यक है अत: टेण्डर प्रक्रिया पूर्ण होने एवं निर्माण कार्य प्रारंभ होने की निश्चित तिथि बताना संभव नहीं है।

सड़कों पर निर्मित पुलों पर पथकर की वसूली

66. (क्र. 2015) श्रीमती योगिता नवलसिंग बोरकर : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि शासन 30 लाख से अधिक लागत के पुलों पर पथकर वसूल करता है? (ख) यदि हाँ, तो इतनी कम लागत में जब पुलों का निर्माण नहीं हो रहा है, तो पथ कर वसूली हेतु 30 लाख का नियम बदलकर क्या शासन पुल की लागत दो करोड़ या उससे अधिक करने पर विचार कर सकता हैं? (ग) क्या पुल के दोनों ओर कम से कम 5 कि.मी. तक के ग्रामों के वाहनों को पथकर से छूट प्रदान की जा सकती है?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जी हाँ। (ख) वर्तमान में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। (ग) प्रश्नांश- 'ख' अनुसार।

माप पुस्तिका में फर्जी प्रविष्टि की जांच की शिकायत

67. (क्र. 2033) श्री पन्नालाल शाक्य : क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सत्य है कि वर्ष 2005-06 में नगरपालिका गुना ने रेल्वे स्टेशन रोड पर बाइन्डिग वर्क (सड़क चौड़ी) कार्य में तकनीकी शाखा द्वारा माप पुस्तिका में फर्जी माप अंकित कर शासन को हानि पहुँचाने की शिकायत कलेक्टर गुना को की गयी थी? (ख) क्या यह भी सत्य है कि उक्त प्रश्नांश (क) में वर्णित शिकायत में कलेक्टर गुना ने पत्र क्रमांक

1237/स्थापना/6ऋ2/07 दिनांक 08.07.07 को सचिव म.प्र. शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग भोपाल को दोनों दोषी इंजी. सहायक यंत्री एवं उपयंत्री के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रस्ताव सम्प्रेषित किया? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) में यदि हाँ तो प्रश्न (क) एवं (ख) में वर्णित दोषी अधिकारियों के विरूद्ध शासन ने क्या कार्यवाही की तथा क्या यह भी सत्य है कि दोषी दोनों इंजीनियर सहायक यंत्री एवं उपयंत्री के विरूद्ध कार्यवाही न करते हुये इन दोनों में से एक को स्थाई पदोन्नत कर दिया एवं दूसरे को सहायक यंत्री का चार्ज दिया गया? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) यदि हाँ, तो वर्ष 2005-06 में रेल्वे बाईन्डिग वर्क जो 542644/- का था एवं जिसका एक इंजीनियर वर्तमान में न.पा.गुना में ही पदस्थ है ने इसी कार्य को पुन: वर्ष 2011-12 में एजेण्डा क्रमांक 9 सम्मेलन दिनांक 30.07.2011 को नवीन परिषद में बिन्दु क्रमांक 12 पर उत्कृष्ट सड़क स्टेशन रोड पर बनाने के नाम से पुन: प्रस्ताव पास कराया जिसकी लागत पच्चीस लाख से अधिक है? वर्तमान में प्रश्नांकित मार्ग की जर्जर स्थिति की वर्तमान में सीएम हेल्प लाईन में शिकायत दर्ज कराई गई है? (ड़) प्रश्नांश (क), (ख), (ग) एवं (घ) यदि हाँ, तो ऐसे अधिकारियों के विरूद्ध शासन ने क्या कार्यवाही की अथवा की जा रही है?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (**क)** एवं (ख) जी हाँ। (ग), से (ड.) कलेक्टर व्दारा कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग से जांच कराई गई। उनके व्दारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 02-03-2007 अनुसार निर्माण कार्य में कहीं भी फर्जी माप नहीं पाई गई, न ही आर्थिक हानि/अधिक भुगतान परिलक्षित हुआ। कलेक्टर व्दारा संबंधित सहायक यंत्री एवं उपयंत्री से स्पष्टीकरण लिया गया। उनके व्दारा प्रस्तुत जवाब अनुसार कहीं भी अधिक भुगतान होना नहीं पाया गया। फिर भी कलेक्टर व्दारा यंत्रियों के व्दारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण को संतोषजनक न बताते हुये सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास को पत्र क्र. 1237/स्था./6-2/07 दिनांक 08-07-2007 लिखा गया। रेलवे स्टेशन पहुंचमार्ग का कार्य वर्ष 05-06 में विधिवत टेंडर प्रक्रिया का पालन करते हुये राष्ट्रीय राजमार्ग के यंत्रियो, प्रशासनिक अधिकारियों की देख रेख में सम्पन्न कराया गया। श्री राहुल जैन (तत्कालीन पार्षद) एक ही व्यक्ति व्दारा व्देष भावना से प्रेरित होकर लगातार शिकायतें की जाती रहीं है। इसी कारण दो रनिंग बिलों का ही भुगतान किया गया है व आज दिनांक तक उक्त कार्य का अंतिम देयक नहीं बनाया गया है, जिसके कारण ठेकेदार की धरोहर राशि रू.25,000/- एवं सुरक्षा राशि रू. 57,669/- कुल राशि रू. 82,669/- नगर पालिका कोष में जमा है। कार्य पूर्ण गुणवत्ता एवं पूर्ण प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति रू. 5.00 लाख के अंदर ही कराया गया। कार्य में कोई भी अनियमितता एवं कोई फर्जी माप सिद्ध न होने से कोई भी यंत्री दोषी न होने से संबंधित यंत्रियों के विरूद्ध कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

कुशमोदा इण्डस्ट्रीयल एरिया में प्लांट आवंटन

68. (**क्र. 2036**) **श्री पन्नालाल शाक्य :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या यह सही है कि 1 अप्रैल 2010 से जनवरी 2015 तक गुना शहर के कुशमोदा इण्डस्ट्रीयल एरिया में निरस्तीकरण की कार्यवाही क्या नियमानुसार की गई थी? उस समय मूलभूत सुविधायें जैसे विद्युत व्यवस्था, सड़क व्यवस्था, पानी उपलब्ध थे क्या? यदि नहीं तो कार्यवाही क्यों की गयी थी? (ख) कुशमोदा इण्डस्ट्रीयल एरिया में उद्योगपतियों को कितने प्लांट आवंटन किये और कितने प्लांटो का निरस्तीकरण किया गया? कितने प्लांटो का निरस्तीकरण नहीं किया गया तो क्यों? (ग) 1 अप्रैल 2010 से जनवरी 2015 तक कुशमोदा इण्डस्ट्रीयल एरिया गुना से संबंधित उद्योग संचालनालय आयुक्त पर कितने प्लांटो के अपील प्रकरण लंबित है और उनका निराकरण कब तक किया जावेगा?

उद्योग मंत्री (**श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया**) **:** (क) जी हाँ। जी नहीं। इकाई द्वारा लीजडीड कण्डिका के उल्लंघन करने के कारण निरस्तीकरण की कार्यवाही की गई है। (ख) कुशमौदा इण्डस्ट्रीयल एरिया में 79 इकाईयों को प्लांट आंवटित किये गए जिनमें 18 इकाईयों के प्लाटों का निरस्तीकरण किया गया। 24 इकाईयों द्वारा उनको आंवटित प्लॉट में उद्योग प्रांरभ कर दिया गया। 36 इकाईयों को विभाग द्वारा समयावधि में उत्पादन प्रारंभ न करने के कारण में नोटिस जारी किया गया एवं एक इकाई का प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। (ग) प्रश्नांश से संबंधित मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं औद्योगिक भवन प्रबंधन नियम 2008 के तहत कोई भी अपील प्रकरण संचालनलाय में लंबित नहीं है। अत: शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

अपूर्ण सड़कों को कार्य पूर्ण कराना

69. (**क्र. 2040**) **श्री चम्पालाल देवड़ा :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायसेन एवं देवास जिले में वर्ष 2008 से 2014 तक की अवधि में मान.मुख्य मंत्री जी की घोषणानुसार किन-किन सड़कों हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गई? (ख) उक्त सड़कों में से किन-किन सड़कों का कार्य कब पूर्ण हुआ तथा उक्त सड़को पर कार्य पूर्ण होने की दिनांक से फरवरी 2015 तक परफारमेंस गारंटी के अंतर्गत क्या-क्या कार्य कितनी राशि के करायें? (ग) किन-किन सड़कों का कार्य अपूर्ण है तथा क्यों सड़कवार कारण बताये उक्त सड़कों का कार्य पूर्ण कराने हेतु विभाग के अधिकारियों ने क्या-क्या प्रयास/कार्यवाही की? (घ) उक्त सड़को का कार्य कब तक पूर्ण होगा?

लोक निर्माण मंत्री (**श्री सरताज सिंह**) **:** (क) रायसेन जिले की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है**। देवास जिले की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है**। (ख) से (घ) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के** प्रपत्र **'अ' एवं प्रपत्र 'ब' अनुसार है।**

तेंदूखेड़ा विधानसभा, क्षेत्रान्तर्गत निर्मित सड़कें

70. (**क्र. 2077**) **श्री संजय शर्मा :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) तेंदूखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग द्‍वारा वर्तमान में कौन-कौन सी सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है? (ख) क्या लिंगा से भौंरझिर एवं एन.एच.26 से बिलहरा पहुँच मार्ग जर्जर है? यदि हाँ, तो इनके पुन: निर्माण हेतु विभाग द्‍वारा क्या कार्यवाही की गई है? (ग) क्या उपरोक्त दोनों मार्गों की निविदायें बुलाई गई है? (घ) यदि नहीं तो कब तक बुलाई जावेगी? समय-सीमा बतायें?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है।** (ख) जी नहीं। मात्र एक मार्ग एन.एच.-26 से बिलहरा पहुंच मार्ग आंशिक रूप से जर्जर है, के कि.मी. 1/2 से 4/6 =3.50 कि.मी. में बी.टी. नवीनीकरण कार्य हेतु एजेन्सी निर्धारित की गई है। (ग) उत्तरांश ''ख'' अनुसार। (घ) उत्तरांश ''ख'' के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट – "छब्बीस"

लोक निर्माण विभाग के कार्यों की स्थिति

71. (**क्र. 2081**) **श्री यशपालसिंह सिसौदिया :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मंदसौर, नीमच, रतलाम जिलें में लोक निर्माण द्‍वारा 01 जनवरी 2013 से उत्तर दिनांक तक किस-किस मद से किस-किस भवन एवं अन्य निर्माण हेतु कितनी-कितनी राशि की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति किस-किस दिनांक को प्राप्त हुई जिले एवं तहसीलवार जानकारी देवें? (ख) उक्त भवन एवं अन्य निर्माण स्वीकृतियों में से कौन-कौन सा कार्य किस-किस दिनांक को पूर्ण हो चुका है एवं कितनी राशि व्यय हुई कार्यवार जानकारी देवें? (ग) उक्त कार्यों में से कौन-कौन सा कार्य प्रक्रिया में निर्माणाधीन होकर किस स्टेज पर है? उनमें अभी तक कितनी राशि व्यय हुई? (घ) उक्त भवन निर्माण स्वीकृतियों में से कौन-कौन सा कार्य किन-किन कारणों से अभी तक प्रारंभ ही नहीं हुआ है, कारण सहित बताएं? कार्य प्रारंभ होने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है? (ड.) उक्त निर्माण स्वीकृतियों के लिये किस-किस विभाग द्‍वारा भूमि उपलब्ध नहीं कराने के कारण निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) से (ड.) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ', 'अ-1' एवं'अ-2' अनुसार है।**

लेबड़-नयागांव फोरलेन की क्षतिग्रस्त रेलिंग की मरम्मत

72. (क्र. 2082) श्री यशपालसिंह सिसौदिया : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लेबड़-नयागांव फोरलेन पर कितनी रेलिंग, साईन बोर्ड, विद्‌युत पोल, बस स्टॉप स्टेण्ड, डिवाइडर तथा रोड़ कहाँ-कहाँ पर क्षतिग्रस्त है? स्थानवार जानकारी देवें? (ख) क्या यह सही है कि प्रश्न (क) के संदर्भित समस्त प्रकार के कार्य कंसनेश्नर ठेकेदार द्‌वारा रिपेयर किये जाने एग्रीमेंट में निर्धारित है? यदि हाँ, तो कंसनेश्नर द्‌वारा 1 जनवरी 2013 के पश्चात् कहाँ-कहाँ उक्त कार्य किया गया? कहाँ नहीं, यदि नहीं तो क्यों? (ग) प्रश्न (क) फोरलेन पर लेबड़ से नयागांव तक कहाँ-कहाँ क्रॉसिंग (रोड़ क्रास) कंपनी द्‌वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार प्रदान किये गये तथा कहाँ पर ग्रामीणों द्‌वारा डिवाइडर को तोड़कर रोडक्रास के रास्ते कहाँ-कहाँ बना लिये? इन अवैध रोड़ क्रास पर 1 जनवरी 2010 से प्रश्न दिनांक तक कितने हादसों में कितनो ने जान गवाई? (घ) क्या यह सही है कि अवैध तरीके से डिवाइडर को तोड़कर रोड़ क्रास मार्ग को पुन: संशोधित (पुर्न निर्माण) की जिम्मेदारी कंसनेश्नर की है? गत 5 वर्षों से ऐसे अवैधानिक मार्गों का पुन: निर्माण कनशनेश्नर की है? गत 5 वर्षों से ऐसे अवैधानिक मार्गों का पुन: निर्माण कंसनेश्नर द्‌वारा क्यों नहीं किया?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) लेबड-नयागांव फोरलेन पर मुलथान, रतलाम, जावरा, नयागांव क्षेत्र में आंशिक रूप से रेलिंग क्षतिग्रस्त है। कोई साईन बोर्ड एवं बस स्टॉप स्टेण्ड क्षतिग्रस्त नहीं है। विद्‌युत पोल की जवाबदारी म.प्र. विद्‌युत मंडल की होती है। क्षतिग्रस्त डिवाईडर की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है**। रोड क्षतिग्रस्त नहीं है। (ख) म.प्र. विद्‌युत मण्डल के आधिपत्य के इलेक्ट्रीक लाईन पोल को छोडकर समस्त प्रकार के कार्य के रख-रखाव का दायित्व निवेशकर्ता कम्पनी का है। 1 जनवरी 2013 के पश्चात् निवेशकर्ता कम्पनी द्‌वारा रख-रखाव के समस्त कार्य को किया गया है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) लेबड-नयागांव फोरलेन पर निवेशकर्ता कंपनी द्‌वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार प्रदान किये गये क्रॉसिंग (रोड़ क्रास) की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है**, एवं ग्रामीणों द्‌वारा डिवाइडर को तोड़कर रोड क्रास के रास्ते की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है**। इस रोड क्रास पर 01.01.2010 से प्रश्न दिनांक तक कुल 32 हादसों में 4 ने जान गवाई है। (घ) कन्सेशनायर द्‌वारा तोडे गये डिवाइडर का सुधार एवं पुर्ननिर्माण कार्य निरंतर है एवं ग्रामीणों द्‌वारा डिवाईडर तोडने का कार्य भी सतत् रूप से बार-बार किया जाता है। निर्धारित मापदण्ड अनुसार प्रदान किये रोड क्रास की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है**।

परिशिष्ट - ''सत्ताईस''

नगर पंचायत पृथ्वीपुर में जल आर्वधन योजना में अनियमितता

73. (**क्र. 2111**) **श्रीमती अनीता सुनील नायक :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि टीकमगढ़ जिले की नगर पंचायत पृथ्वीपुर में जल आवर्धन योजना स्वीकृत की गयी थी? यदि हाँ, तो कहाँ से कहाँ तक, स्वीकृत वर्ष, कार्यपूर्ण वर्ष, कार्य एजेंसी का नाम, स्वीकृत राशि एवं प्रश्न दिनांक तक व्यय राशि बतावे? (ख) प्रश्नांक (क) में वर्णित योजना के निर्माण हेतु शासन के क्या मापदण्ड है? (ग) क्या यह सही है कि उपर्युक्त योजना की कार्यपूर्ण अवधि बढ़ायी गयी है? यदि हाँ, तो कब तक? क्या इसमें शासन के नियमों का पालन किया गया? यदि हाँ, तो नियम क्या थे? (घ) क्या बढ़ायी गयी अवधि में कार्य पूर्ण कर लिया जावेगा? यदि नहीं तो दोषियों के खिलाफ क्या कार्यवाही होगी और नहीं तो क्यों, कारण बतावे?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखें परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है।** (ख) जानकारी **पुस्तकालय में रखें परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है।** (ग) जी हाँ। उपर्युक्त कार्य को पूर्ण करने हेतु तीन बार समयावधि बढ़ाई गई है। 1. पी.आई.सी. प्रस्ताव क्रं. 01 दिनांक 28.09.2013 के अनुसार कार्य अवधि दिनांक 27.03.2014 तक बढ़ाई गई है। 2. पी.आई.सी. प्रस्ताव क्रं. 44 दिनांक 17.06.2014 के अनुसार कार्य अवधि दिनांक 27.12.2014 तक बढ़ाई गई है। 3. पी.आई.सी. प्रस्ताव क्रं. 34 दिनांक 19.09.2014 के अनुसार कार्य अवधि 31 मार्च 2015 तक बढ़ाई गई है। कार्यवधि बढ़ाने में नगर पालिका (प्रेसीडेंट इन काउंसिल की शक्तियां तथा उनके कामकाज का संचालन तथा प्राधिकारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य नियम 1998) में निहित प्रावधानों का पालन किया गया है। (घ) जी हाँ। योजना का कार्य 31 मार्च 2015 तक कार्य पूर्ण कराया जाना लक्षित है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

पुल निर्माण में विलम्ब पर कार्यवाही

74. (**क्र. 2114**) **पं. रमाकान्त तिवारी :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि रीवा जिले में त्योंथर तहसील के बेलन नदी के गन्था घाट में पुल निर्माण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रदान की गयी है, यदि हाँ, तो पुल निर्माण की प्रशासकीय एवं तकनीकी स्वीकृति का विवरण दें? (ख) उक्त पुल निर्माण कार्य हेतु निविदा कब प्रकाशित की गयी एवं निर्माण निविदा किस निविदाकार को दी गयी? यदि नहीं, दी गयी तो क्यों? (ग) उक्त पुल निर्माण कार्य में हो रही देरी में कौन दोषी है? दोषी के खिलाफ क्या कार्यवाही की जायेगी और कब तक? (घ) उक्त निर्माण कार्य कब तक प्रारंभ करा दिया जायेगा?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जी हाँ। प्रशासकीय स्वीकृति रू. 494.08 लाख दिनांक 03.04.2013 पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति रू. 932.75 लाख दिनांक 14.11.2014

तकनीकी स्वीकृति रू. 473.08 लाख दिनांक 07.02.2013 पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति रू. 832.55 लाख दिनांक 23.04.2013 पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति रू. 872.40 लाख दिनांक 26.11.2014। (ख) प्रथम वार निविदा दिनांक 23.04.2013, किसी निविदाकार द्वारा प्रपत्र क्रय नहीं किया गया। द्वितीय बार निविदा दिनांक 24.05.2013 एकल निविदा दर मेसर्स रामसज्जन शुक्ला सिरमौर की प्राप्त हुई। दर अधिक होने के कारण निरस्त की गई। तृतीय बार निविदा दिनांक 07.09.2013 एकल निविदा दर मेसर्स रामसज्जन शुक्ला सिरमौर की प्राप्त हुई। दर अधिक होने के कारण निरस्त की गई। चतुर्थ बार निविदा दिनांक 18.11.2014 एकल निविदा दर मेसर्स रामसज्जन शुक्ला सिरमौर की प्राप्त हुई। दर अधिक होने के कारण निरस्त की गई। पंचम बार निविदा दिनांक 12.02.2015 को आमंत्रित की गई थी। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) कोई नहीं। शेष प्रश्नांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (घ) निविदा स्वीकृति उपरांत कार्य प्रारंभ करा दिया जायेगा। निश्चित समय बताना संभव नहीं है।

त्योंथर तहसील में मऊगंज पहुंच मार्ग का निर्माण

75. (**क्र. 2119**) **पं. रमाकान्त तिवारी :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा जिले के त्योंथर तहसील बारी चौरा घाट से मऊगंज मार्ग का निर्माण क्या शासन के स्वीकृति के लिये विचाराधीन है? (ख) यदि हाँ, तो बारी चौरा घाट में चौरा घाट की कटिंग एवं रोड़ निर्माण के लिये विभाग द्वारा कब तक स्वीकृति प्रदान की जायेगी?

लोक निर्माण मंत्री (**श्री सरताज सिंह**) **:** (क) जी नहीं। (ख) उत्तरांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

अधिकारियों को दी गई स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति

76. (**क्र. 2133**) **श्री हर्ष यादव :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक निर्माण विभाग में वर्ष 2009 से प्रश्न दिनांक तक कितने और कौन-कौन प्रमुख अभियंता, मुख्य अभियन्ता व कार्यपालन यंत्रियों द्वारा स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु आवेदन दिये? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार ऐसे कितने आवेदनों में सेवानिवृत्ति हेतु अनुमति दी गई और कितने, कौन-कौन से प्रकरण किस कारण निरस्त किये गये? (ग) जबलपुर के तत्कालीन मुख्य अभियंता श्री मधुसूदन दुबे द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का आवेदन कब दिया गया था, तथा स्वीकृति कब किसके द्वारा दी गई? (घ) तत्कालीन मुख्य अभियंता लो.नि.वि. जबलपुर श्री दुबे द्वारा अपने कार्यकाल में निर्माण एजेसियों के कितनी राशि के अंतिम देयक स्वीकृत किये? सड़क निर्माता एजेंसियों को कब, किसे, कितनी राशि के मोबलाइजेशन एडवांस, मशीन खरीदी एडवांस, सिक्यूरिटी एडवांस स्वीकृत किये गए? (ड.) श्री दुबे द्वारा अपने कार्यकाल में

वार्षिक मरम्मत व विशेष मरम्मत के कितने कार्य कितनी राशि के स्वीकृत किये व अपने अधीन कार्यपालन यंत्रियों को वर्षवार कितना आवंटन प्रदाय किया?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) 3 अधिकारी। सर्व श्री आर .के. भावसार, कार्यपालन यंत्री (वि/यां), श्री एस. एस. सलूजा, कार्यपालन यंत्री (सिविल) एवं श्री एम. एस. दुबे, मुख्य अभियंता। (ख) तीनों प्रकरणों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की स्वीकृति दी गई है। (ग) श्री मधूसूदन दुबे, तत्कालीन मुख्य अभियंता, मध्य परिक्षेत्र, जबलपुर द्वारा दिनांक 16/07/2014 को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु आवेदन पत्र दिया गया एवं शासनादेश दिनांक 31/10/2014 द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की स्वीकृति दी गई है। (घ) तत्कालीन मुख्य अभियंता, लो.नि. वि. मध्य परिक्षेत्र, जबलपुर श्री दुबे द्वारा अपने कार्यकाल में निर्माण एजेंसियों के रूपये 86,43,90,122/- के अंतिम देयक स्वीकृत किये गये। शेष प्रश्नांश का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** (ड़) प्रश्नानुसार श्री दुबे द्वारा अपने कार्यकाल में कोई भी वार्षिक मरम्मत कार्य स्वीकृत नहीं किये गये है एवं विशेष मरम्मत के कुल संख्या-227 कार्य एवं राशि रूपये-783.40 लाख के स्वीकृत किये गये, जिसका विस्तृत विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार**)। श्री दुबे द्वारा अपने अधीन कार्यपालन यंत्रियों को कोई आवंटन प्रदाय नहीं किया गया।

केबल खुदाई का मरम्मतीकरण

77. (**क्र. 2134**) **श्री हर्ष यादव :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर नगर पालिका निगम द्वारा अपने सीमा क्षेत्र में भूमि गत केबल लाइन, डक्ट, पाईप लाईन आदि बिछाये जाने को लेकर होने वाली खुदाई, सड़कों की टूटफूट आदि के मरम्मतीकरण, समतलीकरण आदि के संबंध में क्या नीति-निर्देश तय किये हैं? (ख) 01 जनवरी 2013 से प्रश्न दिनांक तक उक्त क्षेत्रों में किस-किस एजेंसी को खुदाई करने व कितनी अवधि में उसका मेंटनेंस, समतलीकरण, प्रतिपूर्ति करने की अनुमति किन-किन शर्तों के आधार पर दी गई? कार्यपूर्णता, निरीक्षण अधिकारी का नाम, वर्तमान भौतिक स्थिति का विवरण दें? इस हेतु इन एजेंसियों से निकायों द्वारा कितनी राशि जमा कराई गई? कब राशि वापिस की गई? क्यों? (ग) घटिया कार्य करने व सड़कों को खोदने और मरम्मत न करने के बावजूद अनापत्ति किन के द्वारा जारी की गई? क्या इस संबंध में विस्तृत जांच कराई जाकर दोषियों को दण्डित किया जावेगा? नहीं तो क्यों?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) जानकारी **पुस्तकालय में रखें परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार है**। (ख) जानकारी **पुस्तकालय में रखें परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" एवं "स" अनुसार है**। (ग) सड़कों को खोदने व मरम्मत कार्य के लिये एस.डी.एस. मटेरियल का उपयोग कर पक्की सड़कों की मरम्मत की गई है। घटिया कार्य नहीं किया गया है। नगर निगम व्दारा कोई भी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है। अत: शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

<u>**सतना-चित्रकूट बी.ओ.टी. मार्ग का निर्माण**</u>

78. (**क्र. 2145**) **श्री नारायण त्रिपाठी :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सतना जिलान्तर्गत सतना-चित्रकूट मार्ग बी.ओ.टी. योजनांतर्गत किस एजेंसी द्वारा बनाया जा रहा है? कब उक्त मार्ग का कार्य आरंभ हुआ व कब तक निर्माण कार्य पूर्ण किया जाना था? विभाग और निर्माण एजेंसी के मध्य हुए करार की प्रतिलिपि उपलब्ध करावें? (ख) क्या यह सही है सतना-चित्रकूट मार्ग सतना जिले की अत्यंत महत्वपूर्ण सड़क हैं? उक्त सड़क का अब तक कितने प्रतिशत और क्या-क्या कार्य कहाँ पर पूर्ण हुआ है? वर्तमान में काम बन्द होने के क्या कारण हैं? (ग) क्या विभागीय अधिकारियों व गुणवत्ता नियंत्रण एजेंसी द्वारा मार्ग निर्माण का निरीक्षण किया गया? यदि हाँ, तो कब-कब? (घ) निर्माण कार्य पूर्ण न होने व सड़क यातायात हेतु उपयुक्त न होने के बावजूद टोल वसूली किये जाने के क्या कारण और वैधानिक आधार हैं?

लोक निर्माण मंत्री (**श्री सरताज सिंह**) **:** (क) सतना जिलान्तर्गत सतना-चित्रकूट मार्ग बी.ओ.टी. योजनांतर्गत मेसर्स टॉपवर्थ टोलवेज (सतना) प्रायवेट लि. मुम्बई द्वारा बनाया जा रहा है। कार्य करने हेतु नियुक्ति दिनांक 05.01.2011 थी तथा निर्माण कार्य 03.01.2013 तक पूर्ण करना था। कार्य के अनुबंध की प्रतिलिपि **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -1 अनुसार है**। (ख) जी हाँ। मार्ग के कि.मी. 0.00 से 40.02 तक का कार्य 18.06.2013 तक पूर्ण किया जा चुका है जो कि कुल कार्य का 54 प्रतिशत है। द्वितीय होमोजीनियस सेक्शन 40.02 से कि.मी. 74.132 तक का कार्य कन्सेशनायर द्वारा बिना किसी सूचना एवं कारण बताये लंबित किया गया है। निवेशकर्ता को वित्तीय उपलब्धता में कठिनाई होने के कारण उनके निर्माण हेतु कार्यरत् एजेन्सी द्वारा कार्य बन्द किया गया है। (ग) जी हाँ, **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है।** (घ) अनुबंध की शर्त के अनुसार मार्ग की कुल लंबाई 74.132 कि.मी. को दो होमोजीनियस सेक्शन में विभाजित कर अलग-अलग सेक्शन हेतु टोल प्लाजा प्रावधानित है। निवेशकर्ता द्वारा प्रथम होमोजीनियस सेक्शन कि.मी. 0.00 से कि.मी. 40.02 का निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने के फलस्वरूप अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार प्रथम होमोजीनियस सेक्शन की लंबाई 40.02 कि.मी. का ही टोल वसूला जा रहा है।

<u>**वन भूमि पर काबिज किसानों को पट्टे का बंटन**</u>

79. (**क्र. 2161**) **श्री रामसिंह यादव :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोलारस विधानसभा क्षेत्र के वन परिक्षेत्र कोलारस एवं बदरवास के अंतर्गत 31 दिसम्बर 2014 की स्थिति में वनभूमि पर ऐसे कौन-कौन से व्यक्ति अतिक्रमण कर काबिज थे जिन्हें दिसम्बर 2014 की स्थिति में उक्त भूमि के पट्टे नहीं दिए गए थे? वन परिक्षेत्र,काबिज रकबा

बताएं? (ख) उक्त काबिज भूमि का उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जा रहा है? (ग) क्या शासन वन भूमि के कब्जेदार को काबिज वन भूमि का पट्टा जारी करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? (घ) क्या यह सही है कि वन अमले द्वारा मिलीभगत से वन भूमि पर कब्जादारों का कब्जा कराया गया है? यदि नहीं, तो बगैर विभागीय सहमति के कब्जे कैसे हो गए?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) एवं (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार है।** (ग) जी नहीं। अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के पात्र को अधिभोगाधीन वन भूमि की निर्धारित सीमा के भीतर अधिकार पत्र देने के अलावा किन्ही अन्य कब्जेदारों को वन भूमि पर पट्टा जारी करने का कोई प्रावधान नहीं है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी नहीं। वनक्षेत्र विस्तृत एवं खुला क्षेत्र होता है, जिस पर अतिक्रामकों द्वारा अवैध कब्जा कर लिया जाता है। वन भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में यदि किसी विभागीय कर्मचारी की सहमति अथवा उदासीनता पाई जाती है तो उसके विरूद्ध विभाग द्वारा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है।

उत्तर वन मण्डल शहडोल के वन क्षेत्रों के लिए राशि का आवंटन

80. (**क्र. 2180**) **श्री रामपाल सिंह :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शहडोल जिले के वनमण्डल उत्तर शहडोल के वन परिक्षेत्र जयसिंहनगर, अमझोर, ब्यौहारी पूर्वी, ब्यौहारी पश्चिमी एवं गोदाबल में वन प्रबंधन सहित विभिन्न कार्यो के लिये राशि आवंटित की जाती है? (ख) यदि हाँ, तो उपरोक्त वन परिक्षेत्रों में वर्ष 2013-14 में किन-किन कार्यों के लिये कितनी राशि आवंटित की गयी और कौन-कौन से कार्य कराये गये है?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) जी हाँ। (ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।** **परिशिष्ट - "अट्ठाईस"**

जय सिंह नगर कस्बे में बायपास सड़क का निर्माण

81. (**क्र. 2181**) **श्री रामपाल सिंह :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शहडोल जिले के जयसिंह नगर कस्बा के बीचो बीच रीवा अमरकंटक राज्य मार्ग गुजरता है? जयसिंह नगर के बस्ती में जो राज्य मार्ग गुजर रही है वह अत्यंत सकरी है और बंधा साप्ताहिक बाजार के पास सड़क दुर्घटना होती है? वर्ष 2013 से अब तक कितनी सड़क दुर्घटना उक्त स्थल पर हो चुकी है? (ख) क्या वर्ष 1984 या उसके पूर्व या बाद में पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा बायपास सड़क निर्माण हेतु जनकपुर रोड से अखड़ार नदी तक मिट्टी करण का कार्य किया गया था? इसके बाद वर्ष 2005 में चूंदी नदी से जनकपुर रोड तक बायपास सड़क के लिये मिट्टी मुरूम का कार्य किया गया है और पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा

बायपास के पक्की सड़क हेतु प्राक्कलन भेजा गया है? यदि हाँ तो कब और नहीं तो कब तक कार्यवाही की जावेगी? (ग) बायपास की आवश्यकता आज से 25 वर्ष पूर्व महसूस की गई थी तो क्या बायपास निर्माण कार्य कराया जावेगा? यदि हाँ तो कब तक?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जी हाँ। जी नहीं, सड़क किनारे साप्ताहिक बाजार लगने के कारण दुर्घटनायें होती है। पुलिस थाना जयसिंह नगर से प्राप्त जानकारी अनुसार वर्ष 2013 में 5 एवं वर्ष 2014 में 10 दुर्घटनाएँ हुई है। (ख) जी हाँ। जी हाँ। जी हाँ दिनांक 21.07.2014 को प्राक्कलन परीक्षणाधीन है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) परीक्षणोपरांत निर्णय लिया जा सकेगा। निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं।

ग्राम इकलेरा में नाली निर्माण

82. (क्र. 2196) श्री गिरीश भंडारी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या तलेन से कुरावर तक सड़क निर्माण किया गया? यदि हाँ, तो क्या उक्त सड़क मार्ग में ग्राम इकलेरा में सड़क के दोनों ओर नाली निर्माण का प्रावधान था? (ख) यदि हाँ, है तो ग्राम इकलेरा में निर्माण एजेंसी द्वारा नाली निर्माण कार्य किया गया? यदि नहीं, तो क्यों नहीं? नाली निर्माण कार्य कब तक किया जावेगा?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जी हाँ। जी हाँ। (ख) जी नहीं। इकलेरा में नाली निर्माण कार्य पर्याप्त आर.ओ.डब्ल्यू. उपलब्ध न होने के कारण नहीं किया गया। आर.ओ.डब्ल्यू. उपलब्ध होने के उपरांत निवेशकर्ता की सहमति होने पर नाली निर्माण का काम पूरा किया जावेगा।

खेल अकादमी में प्रशिक्षण

83. (क्र. 2216) श्री संजय उइके : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या विभाग द्वारा संचालित खेल अकादमी में आदिवासी/अनुसूचित जाति के बालक/बालिकाओं को भी प्रशिक्षण दिया जाता है? (ख) यदि हाँ, तो प्रदेश की किन-किन अकादमी में किन-किन खेलों में कितने-कितने आदिवासी/अनुसूचित जाति के बालक/बालिकाओं ने वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15 में प्रशिक्षण प्राप्त किये?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी **संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।**

परिशिष्ट - ''उनतीस''

स्वरोजगार योनजाओं की जानकारी

84. (क्र. 2218) श्री संजय उइके : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या विभाग अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बेरोजगार युवाओं हेतु सेवा/व्यवसाय/उद्योग जैसे स्वरोजगार योजनायें संचालित करती है? (ख) यदि हाँ, तो प्रदेश के

प्रत्येक जिले में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए वित्तीय वर्ष 2014-15 में कितना लक्ष्य योजनावार आवंटित किया गया, राशि सहित बतायें?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) जी हाँ। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सहित सभी वर्गो के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना तथा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना लागू है। (ख) जिलेवार निर्धारित लक्ष्यों को वर्गवार विभाजित नहीं किया गया है।

भीकनगांव नगर पंचायत में नवीन पाईपलाईन की स्वीकृति

85. (**क्र. 2236**) **श्रीमती झूमा सोलंकी :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र भीकनगांव क्षेत्रांतर्गत नगर पंचायत भीकनगांव में वर्तमान में नल जल योजना का संचालन हेतु कौन सी योजनांतर्गत नवीन पाईपलाईन विस्तार का कार्य किया जा रहा है तथा इसकी लागत क्या है तथा इसमें कौन-कौन से और कार्य किये जायेंगे? (ख) नगर पंचायत भीकनगांव क्षेत्रांतर्गत वर्ष 2008 से वर्ष 2014 तक नल जल योजना पर (पाईप लाईन विस्तार एवं अन्य कार्य) कितनी राशि का व्यय किया गया है? (ग) नगर पंचायत भीकनगांव अंतर्गत वर्तमान में जिस पाईपलाईन से पेयजल का वितरण हो रहा है, वह कब स्थापित हुई थी, उसकी क्या लागत थी तथा वह कितने समय तक कार्य करने में सक्षम थी? क्या नवीन पाईपलाईन की आवश्यकता थी? (घ) नवीन पाईपलाईन स्थापित होने से पुरानी पाईपलाईन उपयोग विहीन हो जायेगी तथा यह पुरानी पाईपलाईन पर किया गया राशि खर्च का दुरूपयोग नहीं है? नहीं तो इसका क्या उपयोग होगा?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है**। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है।** (ग) नगर परिषद, भीकनगांव अंतर्गत वर्तमान में जिस पाईप लाईन से पेयजल का वितरण हो रहा है,वह लगभग 40 वर्ष पूर्व स्थापित की गई थी। अत: लागत बताया जाना संभव नहीं है। वह लगभग 30 वर्ष तक कार्य हेतु सक्षम थी। जी हाँ। (घ) जी नहीं, नवीन पाईप लाईन के साथ-साथ पुरानी पाईप लाईन का भी अधिकतम उपयोग किया जायेगा।

बैरसिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत अपूर्ण निर्माण कार्य

86. (**क्र. 2244**) **श्री विष्णु खत्री :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बैरसिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत दिनांक 01-01-2012 से दिनांक 15-02-2015 तक कितने निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग ने आरंभ किये हैं, प्राक्कलन अनुसार निर्माण

कार्यवार उनकी क्या लागत तय है एवं उनके पूर्ण होने की अवधि क्या है, कार्यवार नाम सहित स्पष्ट करें? (ख) स्वीकृत निर्माण कार्यों में से कितने निर्माण कार्य ऐसे हैं, जिनके कार्य पूर्ण होने की निर्धारित अवधि समाप्त हो चुकी है, कार्य अपूर्ण है? इसके क्या कारण है तथा कार्यों के लंबे समय से अपूर्ण होने के कारण क्षेत्रीय जनता को हो रही परेशानी एवं शासन पर अनावश्यक रूप से लागत वृद्धि के कारण आर्थिक बोझ के लिये कौन जिम्मेदार है? प्रत्येक निर्माण कार्यवार बढ़ी हुई लागत से शासन के खजाने पर कितना बोझ आयेगा, कार्यवार पूर्णत: स्पष्ट करें? (ग) अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराने हेतु विभाग की क्या रणनीति एवं नई समय-सीमा क्या तय है, निर्माण कार्यवार एवं संबंधित प्रभारी अधिकारियों के नाम सहित स्पष्ट करें?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ", "अ-1","अ-2" अनुसार है।** (ख) प्रश्नांश अवधि 18 अपूर्ण कार्य है जिनमें अनुबंधित अवधि पूर्ण हो चुकी है। ठेकेदार अनुबंधित दर पर कार्य संपादन कर रहे है। अत: शासन पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं आवेगा। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है।** (ग) शेष अपूर्ण कार्य पूर्ण कराने हेतु रणनीति एवं नई समय-सीमा व प्रभारी अधिकारियों के नाम की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार है।** परियोजना क्रियान्वयन ईकाई भोपाल द्वारा आई.टी.आई भवन बैरसिया का पूर्ण करने का लक्ष्य 30.06.2015 है। इस कार्य के प्रभारी अधिकारी श्री प्रदीप कुमार सक्सेना (संभागीय परियोजना यंत्री) श्री राकेश निगम (परियोजना यंत्री) श्री सुनील श्रीवास्तव (सहायक परियोजना यंत्री) है। म0प्र0 सडक विकास निगम द्वारा भोपाल-बैरसिया सिंरोज मार्ग पर एवं अंकिया बरखेडा डोंगर गांव मार्ग को अनुबंधानुसार समय-सीमा में पूर्ण करने का लक्ष्य है। इन दोनों कार्यो पर क्रमश: श्री एम.एच. रिजवी एवं श्री एस.पी. दुबे प्रभारी अधिकारी नियुक्त।

सामुदायिक भवन का निर्माण

87. (**क्र. 2250**) **श्रीमती इमरती देवी :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला ग्वालियर की नगर पंचायत पिछोर (डबरा) के वार्ड क्र.-15 में कॉलिन्द्री स्थित वर्ष 2012-13 में विधायक मद की राशि रू. 5.00 लाख सामुदायिक भवन निर्माण हेतु जारी की गई, इस कार्य को पूर्ण करने की अवधि क्या है? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार वार्ड क्र.-15 पिछोर के उक्त सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य किस ठेकेदार द्वारा किया जा रहा है, यह कार्य 02 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी क्यों अपूर्ण है, जिसमें ठेकेदार/अधिकारी कौन दोषी है, उसके विरूद्ध कब तक कार्यवाही की जाकर कार्य पूर्ण कराया जावेगा?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) 04 माह (ख) मे. के.जी. गुप्ता। शेषांश की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।**

परिशिष्ट – "तीस"

पुजारियों को मानदेय भुगतान

88. (**क्र. 2274**) **श्री संजय पाठक :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) कटनी जिले में ऐसे कितने मंदिर है जिनमें मध्यप्रदेश शासन के शासकीय अनुदान से मंदिर के पुजारियों को वेतन/मानदेय दिया जाता है? ऐसे मंदिरों की सूची मंदिरवार पुजारीवार उपलब्ध करावें? (ख) प्रश्नांश (क) यदि वेतन/अनुदान दिया जाता है तो कितना-कितना? क्या प्रदेश सरकार के पास इस वेतन राशि को बढ़ाये जाने हेतु प्रस्ताव लंबित है? हाँ तो कब से? यदि नहीं तो क्या शासन उक्त राशि को बढ़ाये जाने हेतु पहल करेगा? नहीं तो क्यों? (ग) प्रश्नाधीन जिले में ऐसे कितने मंदिर है जो शासन की सूची में रजिस्टर्ड नहीं है? तथा उनमें कौन-कौन पुजारी हैं? तहसीलवार मंदिर के नामवार सूची दें? (घ) प्रश्नांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में क्या प्रदेश सरकार ऐसे मंदिरों को रजिस्टर्ड करते हुये पुजारियों को वेतन/अनुदान का लाभ देगी? यदि हाँ तो कब तक? नहीं तो क्यों?

उद्योग मंत्री (**श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया**) **:** (क) जानकारी निरंक है (ख) प्रश्नांश (क) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य मे प्रश्न उपस्थित नहीं होता (ग) विभाग मे अपंजीकृत मंदिरों की सूची नहीं रखी जाती है। (घ) प्रश्नांश (ग) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

इंदौर संभाग में चल रहे प्रोजेक्टवार कार्य

89. (**क्र. 2310**) **श्री जितू पटवारी :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक निर्माण विभाग द्वारा इंदौर संभाग में 1 अप्रैल 2012 से वर्तमान तक कितने प्रोजेक्ट पर कार्य किया जा रहा है? प्रोजेक्टवार कार्य कहाँ-कहाँ चल रहे है? (ख) प्रश्न (क) के परिप्रेक्ष्य में इंदौर संभाग में ऐसे कितने प्रोजेक्ट है जो 50 लाख से अधिक राशि के है? उपरोक्त प्रोजेक्ट कौन-कौन से ठेकेदार को दिये गये हैं? प्रोजेक्ट एवं ठेकेदार के नाम सहित जानकारी देवें? (ग) उपरोक्त प्रोजेक्टों की वर्तमान स्थिति क्या है? कितने प्रोजेक्ट निर्धारित समय में पूर्ण कर लिये गये हैं? कितने पूर्ण कर लिये जावेंगे एवं कितने प्रोजेक्ट में समय-सीमा बढ़ाने की संभावना है? पूर्ण किये गये प्रोजेक्ट की कार्य स्वीकृति, कार्य पूर्णता दिनांक सहित जानकारी देवे? (घ) क्या विभाग द्वारा निर्धारित समय सीमा में कार्य पूर्ण करने वाले ठेकेदारों को प्रोत्साहन दिया जाता है एवं कार्य पूर्ण नहीं करने वाले ठेकेदारों पर क्या पेनाल्टी लगाई जाती है? वर्तमान तक कितने ठेकेदारों पर कितनी-कितनी पेनाल्टी लगाई गई है? नाम सहित जानकारी देवें?

लोक निर्माण मंत्री (**श्री सरताज सिंह**) **:** (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के**

प्रपत्र- अ, अ-1, एवं अ-2 अनुसार है। (ख) एवं (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- अ, अ-1, एवं 'ब' अनुसार है।** (घ) जी नहीं। जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- अ, अ-1, अ-2 एवं 'स' अनुसार है।**

औद्योगिक झोन में भूमि विकसित की जाना

90. (क्र. 2311) श्री जितू पटवारी : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) म.प्र. में उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु वर्तमान में कितने औद्योगिक झोन है? तथा कितने नवीन झोन कहाँ-कहाँ पर विकसित किये जाना प्रस्तावित है? (ख) प्रश्नांश (क) के संबंध में प्रस्तावित नवीन झोन कितनी भूमि में विकसित किये जाना है? (ग) उपरोक्त झोनो में इन्दौर संभाग में भूमि कौन-कौन से उद्योगपतियों को किस दर से कितने अवधि हेतु लीज पर प्रदान की गई है या प्रदान की जाना है? (घ) प्रश्नांश (ग) अनुसार ऐसे कितने उद्योगपति है जिन्होंने लीज पर ली गई भूमि पर उद्योग स्थापित कर लिये है एवं कितनों द्वारा उद्योग स्थापित किये जाना है? स्थापित उद्योगों से कितने लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) म.प्र. में उद्योग को बढावा देने हेतु समस्त म.प्र.औद्योगिक केन्द्र विकास निगम क्षेत्रांतर्गत 43 झोन है तथा 35 नवीन झोन एकेव्हीएन द्वारा विकसित किये जाना प्रस्तावित है। स्थलवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है।** (ख) प्रश्नांश (क)के संबंध में प्रस्तावित 35 नवीन झोन 4119.218 हेक्टेयर भूमि पर विकसित किये जाना है। (ग) उपरोक्त झोनों में इंदौर संभाग में 1685उद्योगपतियों को समय-समय पर प्रचलित दरों से 99/30वर्ष हेतु लीज पर प्रदान की गई हैं इकाईवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।** (घ) लीज पर ली गई भूमि पर 1266 उद्योगपतियों ने उद्योग स्थापित कर लिये है एवं 419 द्वारा उद्योग स्थापित किये जाना है। स्थापित उद्योगों से 94013 लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है।**

अपूर्ण सड़क का निर्माण

91. (क्र. 2385) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सुमावली विधानसभा क्षेत्र मुरैना के चन्दपुरा-बण्डपुरा सड़क मार्ग की वर्तमान स्थिति क्या है? क्या इस मार्ग निर्माण की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री द्वारा एक स्थानीय कार्यक्रम में की गई थी? (ख) उक्त मार्ग के निर्माण हेतु कितनी लंबाई स्वीकृत थी कितने कि.मी. तक कितना कार्य किया जा चुका है? कितना कार्य होना शेष है? (ग) क्या यह सही है मार्ग के अपूर्ण निर्माण के कारण वाहनों के आने-जाने में भारी असुविधा होती है जिससे ग्रामीणजनों को शासन की घोषणा का लाभ नहीं मिल पा रहा है? मार्ग पर डामरीकरण कब किया जावेगा?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जानकारी **संलग्न परिशिष्ट के अनुसार है।** जी हाँ। (ख) जानकारी **संलग्न परिशिष्ट के अनुसार है।** (ग) जी हाँ। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - ''इकतीस''

सिवनी विधानसभा में सड़कों की मरम्मत

92. (**क्र. 2434**) **श्री दिनेश राय (मुनमुन) :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी नगर के अंतर्गत सड़क के मापदण्ड क्या होना चाहिए, निर्माण करते समय और निर्माण के बाद, मेंटेनेंस के संबंध में क्या गाइड लाइन, स्पेसिफिकेशन है, प्रति देवे? सिवनी नगर की सड़कें किस स्तर की हैं? (ख) सिवनी शहर के अंतर्गत बस स्टेण्ड से कुरई-खवासा तक तथा अन्य रोड की स्थिति वर्तमान में किस स्तर की है? इनकी मरम्मत/निर्माण पर पिछले 5 वर्षों से प्रश्न दिनांक तक कितनी-कितनी राशि किस-किस सड़क पर कौन-कौन से कार्य हेतु व्यय की गई, तथा कितनी राशि का भुगतान किस एजेंसी को किया गया? तिथि सहित बतायें? (ग) क्या निर्माण तथा मरम्मत के समय और छ:माही या वार्षिक निरीक्षण किस-किस प्राधिकारी ने उक्त सड़कों का कब-कब किया? उनके नाम, पदनाम, निरीक्षण की तिथि बतायें? यदि नहीं, किया तो यह जवाबदेही कौन-कौन से अधिकारी की किस-किस अवधि में रही है? उनके नाम पद, अवधि बतायें?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) **पुस्तकालय में रखे परिशिष्टि के प्रपत्र -1 अनुसार है।** सिवनी नगर की सड़के राज्य/राजमार्ग अन्य जिला तथा ग्रामीण मार्ग स्तर की है। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है।** (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट** के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

वन भूमि में अवैध उत्खनन

93. (**क्र. 2435**) **श्री दिनेश राय (मुनमुन) :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सिवनी जिले में आरक्षित एवं संरक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत फर्शी-पत्थर एवं रेत का अवैध उत्खनन हुआ है? यदि हाँ, तो पिछले 3 वर्षों में कितने वन-कम्पार्टमेंटों में अवैध उत्खनन हुआ है? (ख) उक्त वर्णित अवैध उत्खनन से फर्शी -पत्थर,पटिया एवं रेत के उत्खनन वाले कम्पार्टमेंट के क्रमांक बतायें? (ग) क्या विगत 3 वर्षों में वन क्षेत्रों के अंतर्गत व्यापक पैमाने पर अवैध उत्खनन हुआ है? यदि नहीं, तो वन क्षेत्रों में खनिज का अवैध उत्खनन कैसे होता रहा? (घ) अवैध उत्खनन रोकने के लिए शासन के क्या नियम/नीति है? इस नियम/नीति के तहत अवैध उत्खनन रोकने के लिये सिवनी जिले में विगत दो वर्षों में क्या कार्यवाही की

गई?

वन मंत्री (**डॉ. गौरीशंकर शेजवार) :** (क) एवं (ख) प्रश्नांकित वन क्षेत्र में पिछले 3 वर्षों में फर्शी-पत्थर का अवैध उत्खनन होने का कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया परंतु 13 वन कक्षों में रेत का अवैध उत्खनन हुआ है। जिनका कक्ष क्रमांक 73,195,272,344,346,500, पी 267, पी 306, पी 350, पी 354, पी 368, पी 377, एवं पी 553 है। (ग) जी नहीं। सिवनी जिले के अंतर्गत ग्रामीणों द्वारा स्वयं की आवश्यकता के लिये वन क्षेत्र में रेत का उत्खनन किया गया है। (घ) अवैध उत्खनन रोकने के लिये वन, राजस्व तथा पुलिस विभाग की जिला स्तरीय संयुक्त टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जो समय-समय पर अवैध उत्खनन के विरूद्ध कार्यवाही करती हैं। वन अमले द्वारा अवैध उत्खनन रोकने के लिये सतत् गश्ती, वनोपज जांच नाकों पर चैकिंग, रात्रि गश्ती, वन उड़नदस्ता दलों द्वारा आकस्मिक निरीक्षण आदि कार्यवाही की जाती है। अवैध उत्खनन संबंधी अपराध भारतीय वन अधिनियम, 1927 तथा वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 मध्यप्रदेश अभिवहन (वनोपज) नियम, 2000 के अधीन दर्ज किये गये हैं। विगत 2 वर्षों में प्रश्नांकित जिले में अवैध रेत उत्खनन के 14 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये हैं जिनमें 20 अपराधियों को पकड़ा जाकर 14 वाहनों को जप्त किया गया है। 4 प्रकरणों में प्रतिकर राशि वसूली गई तथा 10 प्रकरणों में जप्त वाहनों के विरूद्ध राजसात की कार्यवाही प्रचलित है।

05 वर्षो से अधिक समय से पदस्थ अधिकारियों का स्थानांतरण

94. (**क्र. 2440) डॉ. मोहन यादव :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नगरीय प्रशासन विभाग में कार्यरत अधिकारियों के एक ही स्थान पर लंबे समय तक पदस्थ रहने के क्या नियम हैं? इस संबंध में निर्वाचन आयोग द्वारा क्या-क्या निर्देश दिये गये, नियमों एवं निर्देशो की प्रति उपलब्ध कराते हुऐ जानकारी प्रदान करें? (ख) उज्जैन संभाग में नगरीय प्रशासन विभाग में कितने इंजिनियर, सेनेटरी इंस्पेक्टर, हेल्थ ऑफिसर जनवरी 2004 से प्रश्न दिनांक तक एक ही स्थान पर एवं गृह जिले में पदस्थ हैं, दिनांक सहित सूची उपलब्ध करावें? (ग) क्या यह सही हैं कि प्रश्नांश (ख) की जानकारी अनुसार गृह जिले एवं एक ही स्थान पर अधिकारियों के पदस्थ रहने से अधिकारियों एवं ठेकेदारों के मध्य घनिष्ठता बढ जाने से कार्य गुणवत्ता प्रभावित होने के साथ भ्रष्टाचार को बढावा मिल रहा हैं? यदि हाँ, तो इसके लिये कौन जिम्मेदार हैं?

नगरीय विकास मंत्री (**श्री कैलाश विजयवर्गीय) :** (क) म.प्र. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 58 तथा म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 86 से 89 एवं 94 के अंतर्गत नगरीय निकायों व्दारा की गई नियुक्ति, राज्य शासन व्दारा की गई नियुक्ति तथा राज्य शासन व्दारा प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ करने तथा स्थानांतरण करने के प्रावधान है।

सामान्यत: नगरीय निकायों में तीन प्रकार के लोक सेवक कार्यरत रहते हैं, प्रथम- जिनकी नियुक्ति निकाय व्दारा स्वंय की गई है, व्दितीय- जो राज्य सरकार व्दारा नियुक्त किये गये हैं, तृतीय- जिन्हें राज्य सरकार स्थानांतरण अथवा प्रतिनि्ुयक्ति पर निकाय में पदस्थ करती है। प्रथम प्रकार के लोक सेवक निकाय के कर्मचारी होते हैं, जिनकी पदस्थापना अपवादित स्थानान्तरण के प्रकरणों को छोड़कर निकाय में ही रहती है। व्दितीय एवं तृतीय प्रकार के अधिकारियों की पदस्थापना समय-समय पर राज्य सरकार व्दारा की जाती है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश **पुस्तकालय में रखें परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं नियम परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है**। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखें परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार है**। (ग) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>नगरपालिका सारंगपुर अंतर्गत मुख्यमंत्री अधोसंरचना मद से कार्य कराने बावत्</u>

95. (**क्र. 2446**) **श्री कुँवरजी कोठार :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 03.03.2014 के आतारंकित प्रश्न क्र. 21 (क्र. 126) के भाग (क) की **जानकारी के परिशिष्ट** अट्टाईस के अंतर्गत वर्ष 2012-2013 में नगर पालिका सारंगपुर में मुख्यमंत्री अधोसंरचना मद में 38.00 लाख का आवंटन जारी किये जाना एवं कार्य की निविदा जारी कर दर अनुमोदन हेतु प्रकरण राज्य स्तरीय समिति में विचाराधीन होना बताया गया है? क्या उक्त राशि दिनांक 03.03.2014 तक व्यय नहीं की गई थी? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2012-2013 मे व्यय की जा चुकी है, तो उक्त राशि से कौन-कौन से कार्य कितनी-कितनी राशि के किन-किन फर्म/ठेकेदार से कराये गये हैं कार्य एवं भुगतान का विस्तृत विवरण देवें? मुख्यमंत्री अधोसंरचना के अंतर्गत निविदा किस कार्य हेतु आमंत्रित की गई थी एवं किस दिनांक को दर राज्य स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदन की गई तथा किस फर्म/ठेकेदार को कार्यादेश प्रदाय किया गया, तथा कार्यादेश की प्रति उपलब्ध करावें? (ग) क्या वर्ष 2012-2013 में नगर पालिका सारंगपुर अंतर्गत मुख्यमंत्री अधोसंरचना मद में आवंटित राशि का व्यय अन्य कार्य में किये जाने एवं प्रश्न की गलत जानकारी देने वाले अधिकारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी है? (घ) प्रश्नांश (ख) अनुसार स्वीकृत कार्य कब पूर्ण कराया गया है एवं उसका भुगतान किस फर्म को किस दिनांक को कितनी राशि का किस मद से किया गया है?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) जी हाँ। जी हाँ। (ख) उत्तरांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में जानकारी निरंक है। डामरीकरण, सी.सी. रोड़ एवं नाला/नाली, निर्माण कार्य एवं दिनांक 05.06.2014 शेषांश की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है**। (ग) राशि का व्यय अन्य कार्य में नहीं हुआ है, शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) सक्षम स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने से कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। शेषांश की जानकारी निरंक है।

<u>परिशिष्ट – ''बत्तीस''</u>

शहरी पेयजल योजना का कार्य

96. (**क्र. 2447**) **श्री कुँवरजी कोठार :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अतारांकित प्रश्न क्र. 64 (क्रं. 1325) एवं दिनांक 03.07.2014 के भाग (क) की जानकारी के परिशिष्ट बावन में दी गई तालिका के कॉलम 8 में दी गई जानकारी के अनुसार 07 माह व्यतीत हो जाने के उपरांत भी प्रश्न दिनांक तक स्वीकृति प्रदाय नहीं की गई है, स्वीकृति प्रदान न करने का कारण स्पष्ट करें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार उक्त कार्य की स्वीकृति कब तक प्रदान कर कार्य प्रारंभ करवाया जावेगा समय सीमा से अवगत करावें? (ग) क्या मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना शासन अनुदान एवं ऋण राशि के अंतर्गत 12.95 करोड़ के कार्य के द्वितीय बार टेंडर कब तक आंमत्रित किये जाना प्रस्तावित है? (घ) प्रश्नांश (ग) अनुसार उक्त कार्य को कराने में रूचि नहीं लेने वाले अधिकारी के विरूद्ध विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क), से (ग) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।** (घ) उत्तरांश (क), (ख) एवं (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "तैंतीस"

निर्माणाधीन सड़कों की स्थिति

97. (**क्र. 2478**) **श्री सतीश मालवीय :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन जिले की घट्टिया विधानसभा क्षेत्र में विगत 03 वर्षों में लोक निर्माण विभाग की कितनी सड़के निर्माणाधीन हैं एवं जनवरी 2014 से जनवरी 2015 की अवधि में कितनी सड़कें प्रस्तावित हैं एवं कितनी स्वीकृत की गई है? (ख) ऐसे कितने कार्य है जो अभी तक अपूर्ण है? इनके अपूर्ण रहने के क्या कारण है? कार्यवार विवरण देवें? क्या लंबे समय से स्वीकृत कार्य पूर्ण नहीं किये जाने पर विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की गई है? यदि हाँ, तो क्या और नहीं तो क्यों? (ग) अपूर्ण कार्य कब तक पूर्ण करवाये जावेंगे?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) घटिया विधानसभा से आंशिक रूप से निकल रहा उज्जैन सिंहस्थ बायपास निर्माणाधीन है, शेष जानकारी **संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार,** एवं महिदपुर-पान विहार जीवाजी नगर मार्ग हस्तांतरित होकर स्वीकृत है व शेष **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है।** (ख) उज्जैन सिंहस्थ बायपास निर्माणधीन है एवं निर्माण अनुबंधानुसार समय सीमा में पूर्ण होना संभावित है। शेष **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है।** (ग) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है।**

परिशिष्ट – "चौंतीस"

सिंहस्थ 2016 के संदर्भ में इन्दौर कोटा राजमार्ग का प्रबंधन

98. (**क्र. 2501**) **श्री मुरलीधर पाटीदार :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिंहस्थ 2016 को दृष्टिगत रखते हुए इन्दौर-कोटा राजमार्ग को फोरलेन में परिवर्तित करने संबंधी कोई प्रक्रिया प्रचलन में है? यदि हाँ तो कार्यवाही किस स्तर पर है एवं कार्य कब तक प्रारंभ होगा? (ख) यदि प्रश्नांश (क) का उत्तर नहीं है, तो क्या शासन सिंहस्थ 2016 हेतु यातायात व्यवस्था के सुप्रबंधन एवं दुर्घटनाओं की संभावना को कम करने के लिए क्या उक्त मार्ग के चौड़ीकरण के बारे में ठोस कदम उठायेगा? यदि हाँ तो क्या कार्यवाही की जावेगी? (ग) सिंहस्थ 2016 को दृष्टिगत रखते हुए इन्दौर-कोटा राजमार्ग पर स्थित सुसनेर एवं सोयतकलां में बस स्टैण्ड के संबंध में शासन कोई नवीन स्वीकृति दे रहा है? यदि हाँ तो बजट कब तक स्वीकृत होगा? (घ) निर्मित इन्दौर-कोटा राजमार्ग अंतर्गत नगरीय क्षेत्रों की सीमा में क्या सी.सी.रोड एवं फुटपाथ निर्मित होने थे? यदि हाँ तो निर्मित क्यों नहीं किए गए? क्या शासन जांच कर उचित कार्यवाही करेगा?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जी नहीं। अपितु इन्दौर-कोटा राजमार्ग का केवल उज्जैन शहर का शहरी भाग जिसकी लंबाई 5.98 कि.मी. है। फोरलेन में परिवर्तित करने का कार्य स्वीकृत होकर प्रगतिरत् है। शेष भाग में कोई कार्यवाही प्रचलन में नहीं है। (ख) उपरोक्त ''क'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। (ग) प्रश्नाधीन बस स्टेण्ड बाबत् कोई योजना विभाग में विचाराधीन नहीं है। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) हाँ। कार्य प्रगति पर है। प्रगतिरत् होने से जांच की आवश्यकता नहीं।

नगरीय क्षेत्रों मे पेयजल की आपूर्ति

99. (**क्र. 2502**) **श्री मुरलीधर पाटीदार :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्षेत्रांतर्गत नगरीय क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति हेतु क्या व्यवस्था है? नगरीय निकायवार विवरण देवें? (ख) क्षेत्रांतर्गत नगरीय क्षेत्र सुसनेर एवं सोयतकलां में कुल कितने निजी एवं शासकीय नल कनेक्शन है? इनमें से कितने चालू हैं? प्रचलित नल कनेक्शनों से कितना कर प्रतिमाह प्राप्त होता है एवं प्राप्त कर का व्यय विगत 2 वर्षों में किन-किन कार्यों में किया गया है? निकायवार विवरण देवें? (ग) विगत ग्रीष्मकाल में पेयजल आपूर्ति हेतु क्षेत्र के नगरीय निकायों द्वारा पेयजल परिवहन हेतु कितनी राशि व्यय की गई? पेयजल परिवहन हेतु कितना-कितना भुगतान किन-किन व्यक्तियों/एजेन्सियों को किया गया? निकायवार

विवरण देवें? (घ) नगरीय क्षेत्र सुसनेर एवं सोयतकलां में पेयजल आपूर्ति हेतु क्या मुख्यमंत्री पेयजल योजना प्रस्तावित है? यदि हाँ, तो कार्यवाही किस स्तर पर प्रचलित है?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) एवं (ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है**। (ग) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है**। (घ) जी नहीं, शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "पैंतीस"

वन्य प्राणियों की घटती संख्या

100. (क्र. 2528) श्री जितेन्द्र गेहलोत : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में वन्य प्राणियों की संख्या तेजी से घटने एवं उनकी सही सुरक्षा नहीं हो पाने के मामले में हाईकोर्ट द्वारा शासन को नोटिस जारी किया है? (ख) वन्य प्राणियों के अवैध शिकार, गश्त में कमी व लापरवाही के कारण वर्ष 2012 से 2014 तक कितने वन्य प्राणियों की मौंतों की जानकारी विभाग को है? (ग) सरकार ने वन्य प्राणियों की घटती संख्या को रोकने के लिए क्या योजना बनाई है?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) प्रदेश में वन्यप्राणियों की संख्या तेजी से घटने एवं उनकी सुरक्षा नहीं हो पाने के मामले में हाईकोर्ट द्वारा जारी कोई नोटिस प्राप्त होना नहीं पाया जाता। (ख) प्रश्नांकित जानकारी निम्नानुसार है :-

वर्ष	अवैध शिकार के दर्ज प्रकरणों की संख्या	अवैध शिकार में मारे गये वन्यप्राणियों की संख्या
2012	386	572
2013	450	858
2014	420	605

गश्त की कमी के शून्य प्रकरण एवं लापरवाही बरतने के 07 प्रकरण प्रकाश में आए। (ग) शासन के द्वारा वन्यप्राणियों की सुरक्षा हेतु प्रयासों की जानकारी **संलग्न परिशिष्ट अनुसार है**। वन्यप्राणियों की संख्या के घटने का कोई प्रमाण नहीं है।

परिशिष्ट - "छत्तीस"

इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन

101. (क्र. 2565) श्री शैलेन्द्र पटेल : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) म.प्र. सरकार द्वारा वर्ष 2012, 2013 एवं 2014 में आयोजित इन्वेस्टर मीट में वर्षवार कितने और कितनी राशि के एम.ओ.यू.पर दस्तखत हुए? इन एम.ओ.यू. की जमीनी हकीकत

क्या है? (ख) दस्तखत हुए एम.ओ.यू. की आज दिनांक तक क्या स्थिति है? कितने एम.ओ.यू. पर कार्य प्रारंभ हुआ, कितनों पर कार्य प्रारंभ होने वाला है और कितने निरस्त हो चुके हैं? (ग) इन एम.ओ.यू. में कितने सर्विस सेक्टर कितने इंडस्ट्रीयल सेक्टर, कितने एग्रीकल्चर बेस्ड एवं कितने कन्स्ट्रक्शन सेक्टर के हैं? (घ) इन आयोजनों से कितने रोजगार सृजन की संभावना है? क्या स्थानीय युवाओं को रोजगार देने हेतु सरकार ने नियम बनाए है? अगर हाँ, तो क्या?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) वर्ष 2012 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 425 एम.ओ.यू.,जिनमें लगभग राशि रूपये 167430 करोड का निवेश संभावित है,हस्ताक्षरित हुए हैं। वर्ष 2013 में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन नहीं हुआ है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2014 इन्दौर में एम.ओ.यू हस्ताक्षरित नहीं किए गए हैं। वर्ष 2012 में हस्ताक्षरित 425 एम.ओ.यू.में 73 परियोजनायें क्रियान्वित, 340 परियोजनायें क्रियान्वयनाधीन तथा 12 एम.ओ.यू. नरिस्‍त हुये हैं। (ख) प्रश्नांश 'क' के उत्तर में एम.ओ.यू. की वस्तुस्थिति बताई गई है। (ग) वर्ष 2012 में हस्ताक्षरित 425 एम.ओ.यू. में सर्विस सेक्टर के 97, इण्डस्ट्रियल सेक्टर के 221, एग्रीकल्चर सेक्टर के 66 एवं कन्सट्रक्शन सेक्टर के 41 एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किए गये हैं। (घ) वर्ष 2012 में हस्ताक्षरित 425 एम.ओ.यू. परियोजनाओं में लगभग 5.87 लाख रोजगार सृजन की संभावना है। जी हाँ, 50 प्रतिशत स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार देने का प्रावधान है।

<u>नगर पंचायत इछावर में पेयजल की व्यवस्था</u>

102. (**क्र. 2566**) **श्री शैलेन्द्र पटेल :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्तमान में नगर पंचायत इछावर अंतर्गत इछावर नगर में पेयजल की क्या व्यवस्था है? क्या इस व्यवस्था से नगर में पेयजल आपूर्ति पर्याप्त है? (ख) क्या पेयजल व्यवस्था हेतु शासन के पास कोई प्रस्ताव लंबित है? अगर हाँ, तो कौन सा प्रस्ताव है और कहाँ से और कैसे पेयजल आपूर्ति की जाएगी? (ग) प्रस्तावित प्रस्ताव पर कितना व्यय होगा? कब तक इस प्रस्ताव की स्वीकृति मिलेगी और इस पर कार्य प्रारंभ होगा?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) वर्तमान में कांकडखेड़ा स्थित जलाशय के पास लगे नलकूप से नगर की पेयजल व्यवस्था की जाती है, जो कि ग्रीष्मकाल में पर्याप्त न होने से परिवहन कर पेयजल की आपूर्ति की जाती है। (ख) जी हाँ। प्रस्तावित योजना में सीप नदी से पेयजल आपूर्ति की जाना प्रस्तावित है। (ग) प्रस्तावित योजना राशि रूपये 996.00 लाख की ए.डी.बी. व्दितीय चरण में स्वीकृति हेतु प्रस्तावित है। समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

<u>विभागीय पदोन्नति में अनियमितता</u>

103. (**क्र. 2592) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग में सब-इंजीनियर, सहायक यंत्री, कार्यपालन यंत्री, अधिक्षण यंत्री एवं मुख्य अभियंता के कितने पद रिक्त है? जानकारी प्रदान करें? (ख) विभाग द्वारा रिक्त पदों की पूर्ति के लिए डीपीसी की बैठक का आयोजन नियमानुसार किया जा रहा है? यदि नहीं तो क्यों कारण स्पष्ट करें? यदि हाँ, तो गत् 5 वर्षो में डीपीसी की बैठक का आयोजन कब-कब किया गया? (ग) क्या विभाग में भारी अनियमितता है, जिस कारणवश डीपीसी आयोजित न होने पर भी कनिष्ठ अधिकारियों को पदोन्नत कर वरिष्ठ पदों पर नियुक्त कर दिया गया है? यदि हाँ, तो इसके लिए दोषियों पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि कोई कार्यवाही नहीं की गयी तो कारण स्पष्ट करें?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) **जानकरी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र -अ अनुसार**। (ख) जी हाँ। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र- ब अनुसार**। (ग) जी नहीं। विभाग में अधिकारियों की कमी होने, सेवानिवृत्त होने अथवा स्थानांतरित होने की स्थिति में तातत्कालिक व्यवस्था के तहत कार्य सुचारू रूप से संपादित कराने की दृष्टि से प्रशासनिक आधार पर रिक्त स्थानों का प्रभार सौंपे गये है। प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट – "सैंतीस"

बजट भाषण के परिप्रेक्ष्य में दिमनी में सड़क निर्माण

104. (**क्र. 2613) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) माननीय वित्त मंत्री महोदय के जुलाई 2014 में बजट भाषण के दौरान बिंदु क्रमांक 30 में सड़कों को विकास की धमनियां मानते हुए जिस प्रकार हृदय गति की निरंतरता के लिए धमनियों को स्वास्थ्य एवं अवरोधमुक्त रखने की आवश्यकता रहती है, उसी प्रकार प्रदेश के विकास के लिये सड़कों को संचार योग्य बनाये रखा जाना आवश्यक है? भौतिक अधौसंरचना के क्षेत्र में हमारे लक्ष्य गतिमान हैं? (ख) यदि उपरोक्त सच है, तो प्रश्नकर्ता (विधायक दिमनी 07) द्वारा माननीय वित्त मंत्री महोदय जी की भावना के अनुसार कितनी रोड निर्माणों से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किये गये व उनमें से कितने रोड निर्माण कार्यों की स्वीकृत की गई व कितनी शेष है व शेष सड़कों को कब तक स्वीकृति प्रदान की जावेगी?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जी हाँ। (ख) 21 मार्गो के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया। किसी भी मार्ग की स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी है। शेष सभी सडकों की स्वीकृति हेतु वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता होने पर परीक्षणोपरांत विचार किया जा सकेगा। निश्चित तिथि बताना संभव नहीं है।

कल्याण मण्डलों का गठन

105. (**क्र. 2614**) **श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या माननीय वित्त मंत्री महोदय के जुलाई 2014 में बजट भाषण के दौरान बिंदु क्रमांक 92 में शहरी क्षेत्रों में परम्परागत कार्यों से जुड़े वर्गों के कौशल विकास, रोजगार से बेहतर परिणाम प्राप्त करने तथा जीवन स्तर के उन्नयन के लिये मध्यप्रदेश राज्य सिलाई कला मण्डल, मध्यप्रदेश राज्य वस्त्र स्वच्छता मण्डल एवं मध्यप्रदेश राज्य केशशिल्पी कल्याण मण्डल का भी गठन किया गया है? (ख) यदि हाँ, तो बिंदु क्रमांक 92 में उल्लेखित कल्याणों के संचालन हेतु क्या-क्या गतिविधि, मापदण्ड निर्धारित हैं की प्रति उपलब्ध कराते हुए वर्णित कल्याण मण्डलों को कितनी-कितनी राशि नगर निगम मुरैना को प्रदाय की जाकर राशि किन-किन कल्याण मण्डलों को दी गई?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) जी हाँ। (ख) **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।** मुरैना नगरीय निकाय को कोई राशि जारी नहीं की गयी है।

ग्राम बघराजी में स्टेडियम का निर्माण

106. (**क्र. 2682**) **श्री नीलेश अवस्थी :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जबलपुर जिले के ग्राम बघराजी में लोक निर्माण विभाग के नियंत्रण में एक स्टेडियम का निर्माण कराया गया है? उत्तर में यदि हाँ, तो क्या उल्लेखित स्टेडियम के निर्माण हेतु कितनी-कितनी लागत के कौन-कौन से निर्माण कार्यों का प्राक्कलन (स्टीमेट) तैयार करवाया गया? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित निर्माण कार्यों का अनुबंध कब किससे, कितनी लागत का किया गया? अनुबंध की शर्तों के अनुसार कौन-कौन से निर्माण कार्य, कितनी लागत से कब तक पूर्ण होने थे? (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित कार्यों में से प्रश्न दिनांक तक कौन-कौन से निर्माण कार्य कितनी-कितनी राशि से कराकर कितनी राशि का आहरण किया गया एवं कौन से निर्माण कार्य कितनी राशि के शेष है? सूची देवें? (घ) क्या उक्त निर्माण कार्य पूर्ण नहीं कराये गये एवं संपूर्ण राशि का आहरण कर लिया गया, तथा उक्त संदर्भ में सनी स्पोर्टिंग क्लब बघराजी द्वारा दिनांक 28/01/2015 को जनसुनवाई में कलेक्टर जबलपुर एवं कार्यपालन यंत्री जबलपुर को शिकायत की गई है? उत्तर में यदि हाँ, तो क्या शासन उक्त अधूरे निर्माण कार्यों की जांच कराकर दोषियों पर कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों नहीं?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जी हाँ। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।** (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित निर्माण कार्यो का अनुबंध दिनांक 07.11.2012 को श्री नमन

गुप्ता ठेकेदार से रू. 50.39 लाख का किया गया था। अनुबंध की शर्तो के अनुसार समस्त निर्माण कार्य दिनांक 06.05.2013 तक पूर्ण होने थे। (ग) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है**। (घ) जी नहीं, जी हाँ। प्राप्त शिकायत कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. संभाग क्रमांक-1 जबलपुर द्वारा अमान्य की गई अत: शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट – "अड़तीस"

गुणवत्ताहीन निर्माण की जांच

107. (क्र. 2700) पं. रमेश दुबे : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छिंदवाड़ा जिले के विधानसभा क्षेत्र चौरई में चौरई से चांद मार्ग निर्माण कब स्वीकृत हुआ, कब निविदा आमंत्रित हुई, एजेंसी कब और कौन नियुक्त हुई, निविदा की शर्तें क्या थी, कार्यवाधि क्या है, कार्य की प्रगति और लागत राशि सहित जानकारी दें? कार्य में कौन-कौन सी सामग्री किस गुणवत्ता की लगनी है, की जानकारी भी दें? (ख) क्या उक्त मार्ग के निर्माण कार्य में संलग्न उपयंत्री पर गुणवत्ताहीन निर्माण को गुणवत्तायुक्त बताने हेतु संबंधित ठेकेदार द्वारा दबाव डालने और ऐसे दबाव को मानने से इंकार करने पर ठेकेदार के प्रभाव में आकर विभाग के द्वारा स्थानांतरण नीति के विरूद्ध उस उपयंत्री का अन्यत्र स्थानांतरण कर दिया गया? यदि हाँ, तो क्यों? किन कारणों से स्थानांतरण नीति के विरूद्ध जाकर अवधि बाह्य अन्यत्र स्थानांतरण किया गया? (ग) क्या उक्त सड़क के गुणवत्ताहीन निर्माण कार्य की शिकायत प्रश्नकर्ता ने माननीय लोक निर्माण मंत्री म.प्र. शासन को पत्र क्रमांक 2201 दिनांक 17/10/2014 से तथा अन्य विभागीय अधिकारियों को अन्य पत्रों के माध्यम से किया है? (घ) यदि हाँ, तो क्या शासन उक्त शिकायत की शीघ्र जांच कराने का आदेश देगा? यदि नहीं, तो क्यों? कारण स्पष्ट करें?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) निर्माण संबंधी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है एवं सामग्री एवं गुणवत्ता की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है एवं निविदा की शर्ते **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है**। (ख) जी नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। (घ) उत्तरांश 'ग' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

पुलों का समय सीमा में निर्माण

108. (क्र. 2701) पं. रमेश दुबे : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छिन्दवाड़ा जिले के विधान सभा क्षेत्र चौरई में वर्ष 2010से प्रश्न दिनांक तक कुल कितने पुल कहाँ-कहाँ पर स्वीकृत हुए? स्वीकृत पुलों का कार्य कब प्रारंभ हुआ, पूर्ण होने की अवधि क्या थी, निर्माण समयावधि में पूर्ण नहीं होने अथवा विलंब के क्या कारण है? (ख) प्रश्नांश

(क) के प्रकाश में हलालखुर्द से बेलपेठ एवं साख से औरिया के मध्य पेंच नदी पर पुल निर्माण की स्वीकृति मिलने के पश्चात् भी आज दिनांक तक निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं होने के क्या कारण हैं? कब तक निर्माण कार्य प्रारंभ करा दिया जावेगा? (ग) क्या बासखेड़ा से पौनिया के मध्य पेंच नदी पर निर्मित पुल का अप्रोच मार्ग का निर्माण नहीं हुआ है? यदि हाँ तो इस अप्रोच मार्ग का निर्माण किसके द्वारा कब कराया जावेगा? (घ) क्या शासन प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित पुल का शीघ्र निर्माण कार्य प्रारंभ कराने तथा प्रश्नांश (ग) में उल्लेखित पुल का अप्रोच मार्ग अविलंब निर्माण कराने हेतु संबंधित अधिकारियों को आदेश देगा? यदि नहीं तो क्यों?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) हलालखुर्द बेलपेठ पेंच नदी पर निर्माणाधीन पुल में नींव की खुदाई का कार्य प्रगति पर। सांख से हलालखुर्द मार्ग पेच नदी (ओरिया ग्राम) पर पुल का सुपरस्ट्रक्चर कार्य प्रगति पर है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) पुल का पहुंच मार्ग दिनांक 29.11.2014 को पूर्ण। शेष प्रश्नांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) उत्तरांश (ख) एवं (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

<u>परिशिष्ट - "**उनतालीस**"</u>

राजगढ़ जिले में कराये गये कार्य

109. (**क्र. 2711**) **श्री नारायण सिंह पँवार :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले के अंतर्गत वन विभाग द्वारा विगत दो वर्षों में किन-किन योजनाओं के तहत कौन-कौन से कार्य कहाँ-कहाँ, कितनी-कितनी लागत से कराये गये, तथा उक्त कार्यों में कितनी राशि का भुगतान किन-किन को किया गया? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में उक्त कार्यों में से कौन-कौन से कार्य पूर्ण, तथा कौन-कौन से कार्य किन-किन कारणों से अपूर्ण है? (ग) उपरोक्तानुसार कराये गये कार्यों में वन विकास एवं सुधार के क्या परिणाम प्राप्त हुये, तथा उक्त कार्यों का भौतिक सत्यापन किन-किन अधिकारियों द्वारा कब-कब किया गया?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क), (ख) एवं (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है**। वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में श्रमिकों को क्रमश: रू. 190.51 लाख एवं रू. 156.56 लाख, वन समितियों को रू. 63.11 लाख एवं रू. 50.79 लाख, लघु उद्योग निगम को रू.103.30 लाख एवं रू. 141.15 लाख, वेट टेक्स रू. 7.10 लाख एवं रू. 11.79 लाख तथा स्थानीय विक्रेताओं को रू. 91.63 लाख एवं रू. 58.62 लाख राशि का भुगतान किया गया। वन विकास एवं सुधार कार्यों के परिणाम भविष्य में प्राप्त हो सकेंगे।

<u>लघु वनोपज के अपराध</u>

110. (क्र. 2717) श्री सज्जन सिंह उईके : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बैतूल वनवृत के प्रभात पट्टन में दिनांक 02 जून 2014 को किसके द्वारा किस दिनांक को जारी सर्च वारंट के आधार पर किस जगह की तलाशी ली जाकर किससे कितना धावड़ा गोंद जप्त किया, किस-किस धारा में 2 जून 2014 को किस-किस के विरूद्ध वन अपराध पंजीबद्ध किया, किस दिनांक को गोंद के सेम्पल किस जांच हेतु किस-किस स्थान पर प्रेषित किए गए? (ख) राज्य शासन ने 25 जनवरी 2001 को लघु वनोपज के संबंध में कौन-कौन से अधिकार ग्रामसभाओं को प्रत्यायोजित किए गए, दिनांक 25 जनवरी 2001 के बाद सर्च वारंट जारी कर लघु वनोपज की तलाशी लेने, जप्ती बनाने, वन अपराध पंजीबद्ध करने का अधिकार किस-किस वन अधिकारी को किस दिनांक को दिया गया, आदेश या अधिसूचना की प्रति सहित बतावें? (ग) 02 जून 2014 को की गई कार्यवाही से संबंधित प्रश्नांकित तिथि तक किस दिनांक को डी.एफ.ओ. दक्षिण वनमंडल, एस.डी.ओ. मुलताई एवं रेंजर मुलताई के विरूद्ध की गई शिकायत/सूचना पत्र/समझौता पत्र वनवृत बैतूल को प्राप्त हुए उसकी जांच मुख्य वन संरक्षक बैतूल के द्वारा किस-किस दिनांक को की गई यदि मुख्य वन संरक्षक बैतूल ने जांच नहीं की हो तो कारण बतावें? (घ) मुख्य वन संरक्षक बैतूल शिकायत/सूचना पत्र एवं समझौता पत्र में उल्लेखित तथ्यों एवं प्रमाणों की जांच कब तक कर आदेश जारी करेगें?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) प्रश्नांकित दिनांक को उप वनमंडल अधिकारी (सा.) मुलताई द्वारा दिनांक 02.06.2015 को जारी सर्च वारंट क्रमांक/17/08 के आधार पर श्री रविशंकर मालवीय के मकान में किराएदार के भाग की तलाशी लेकर 892.050 किलोग्राम धावड़ा गोंद जप्त की गई। प्रकरण में भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26 (च),33 (ए), 66 (क), 69 एवं म.प्र. वनोपज (व्यापार विनियमन), अधिनियम 1969 की धारा 5/16 के तहत श्री लोकेश निकाजू एवं श्री संजय शिवहरे के विरूद्ध वन अपराध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। जप्तशुदा गोंद के सैम्पल जांच हेतु दिनांक 30.06.2014 को राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर, दिनांक 10.07.2014 को वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून एवं दिनांक 16.10.2014 को जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय,जबलपुर भेजे गये। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" एवं "ब" अनुसार है**। (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "स" अनुसार** है। (घ) उत्तरांश "ग" में उल्लेखित शिकायतों में से तीन की जांच पूर्ण कर ली गई है जिसमें शिकायत में आए बिंदु निराधार पाए गए। शेष शिकायतों पर जांच प्रचलित है।

<u>बंजारीपुरा बीट में वनभूमि पर अवैध कब्जा</u>

111. (**क्र. 2728) श्रीमती अनीता सुनील नायक :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र के वनविभाग की बंजारीपुरा बीट में वनक्षेत्र है? यदि हाँ, तो रकबावार, गॉववार एवं उसमें वन विभाग की क्या-क्या योजनाऐं संचालित है? योजनावार बतायें? (ख) क्या प्रश्नांश (क) वर्णित वन क्षेत्र में पिछले दो वर्षों में अवैध कब्जे की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हाँ, तो कितनी एवं किन-किन आवेदकों द्वारा किन-किन कब्जाधारियों के खिलाफ की गयी, आवेदक वार, कब्जाधारी वार एवं शिकायत दिनांकवार बतायें? (ग) क्या प्रश्न दिनांक तक उक्त कब्जाधारियों के खिलाफ कोई विभाग द्वारा कार्यवाही की गयी है? यदि हाँ, तो क्या और नहीं तो क्यों? इसके लिए कौन दोषी है और होगी तो कब तक?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) जी हाँ। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। (ख) जी हाँ। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है। (ग) उत्तरांश 'ख' में दर्शित श्री सोबरन सिंह बुन्देला, श्री अतबलसिंह एवं श्री सिरोमनसिंह बुन्देला द्वारा कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है। शेष व्यक्तियों को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 80 (अ) के तहत निर्धारित प्रक्रिया अनुसार वन भूमि से बेदखल करने के लिए सूचना पत्र जारी कर कार्यवाही प्रारंभ की गई है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट – ''चालीस''

पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत सड़क निर्माण

112. (**क्र. 2745) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला अनूपपुर अंतर्गत पुष्पराजगढ़ वि.स. क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न योजनाओं में सड़क निर्माण हेतु विभाग द्वारा अनुविभाग राजेन्द्रग्राम एवं जैतहरी को वर्ष 2012 से प्रश्न दिनांक तक कितने निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये? (ख) प्रश्नांश (क) अविध में पूर्ण कार्यों का भौतिक सत्यापन कब-कब कराया गया? क्या सत्यापन में कोई कमियां पाई गईं, यदि हाँ तो क्या? (ग) प्रश्नांश (क) के अनुसार कितने कार्य अपूर्ण हैं उनकी मदवार जानकारी देवें? ऐसे कितने कार्य हैं जिनकी पूर्ण होने की अवधि समाप्त होने के बाद भी पूर्ण नहीं हो पाये हैं? अपूर्ण रहने के कारण बतावें? (घ) जिन्होंने निर्धारित समय सीमा में कार्य पूर्ण नहीं किया है? उसके लिये कौन उत्तरदायी है तथा शासन उनके विरूद्ध क्या कोई कार्यवाही करेगा? यदि हाँ तो कब तक? (ड़) उक्त अवधि में कौन-कौन से अनुविभागीय अधिकारी एवं उप यंत्री उक्त अनुभाग में पदस्थ रहें नाम पद व पदस्थी की तारीख की जानकारी देवें?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) कुल 13 कार्य। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में**

रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ग) कुल 8 कार्य अपूर्ण। मांग संख्या-42 योजना के 7 कार्य, मांग संख्या-42 नाबार्ड के 1 कार्य। 08 कार्य। ठेकेदारों की उदासीनता। (घ) ठेकेदार। अनुबंध की शर्तो के अनुसार 2 ठेकेदारों का अनुबंध की धारा 3 सी में निरस्त किया गया **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है**, 5 ठेकेदारों से पेनाल्टी वसूल की गई एवं 1 ठेकेदार से वसूली की जाना है **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है**। (ड.) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार है**।

ग्राम सड़क योजना अंतर्गत स्वीकृत मार्ग

113. (**क्र. 2746**) **श्री फुन्देलाल सिंह मार्को :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनूपपुर जिले में विगत 3 वर्षों मैं कितने बीओटी मार्ग, एवं कितने प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत स्वीकृत किये गये? सड़कों के नाम, अनूपपुर जिले की सीमा में आने वाली दूरी, ठेकेदारों का नाम, निवेश राशि, व्यय राशि सहित जानकारी दें? बीओटी एवं प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत बनने वाले मार्गों के पूर्ण होने एवं अपूर्ण मार्गों की जानकारी वर्षवार बतावें? (ख) किन मार्गों का कार्य ठेकेदार द्वारा निर्धारित समयावधि में पूर्ण नहीं किया गया? जिन ठेकेदारों द्वारा निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं किया गया है ऐसे ठेकेदारों के खिलाफ शासन क्या कार्यवाही करेगा? (ग) ठेकेदारों द्वारा निर्मित मार्गों के रख रखाव की अवधि कितनी थी मार्गवार विवरण दें? प्रश्न दिनांक तक किन मार्गों का रख रखाव ठेकेदारों द्वारा किया जा रहा है? मार्ग के नाम सहित जानकारी दें? कब तक खराब मार्गों की मरम्मत कर दी जायेगी? (घ) क्या ओवर लोडिंग से पटना-सटई मार्ग, लपटी दोनिया-बिजौरी मार्ग, परसेल से बम्हनी मार्ग, लीलासेला से दमेहड़ी मार्ग, नोनघटी से दमेहड़ी मार्ग, राजेन्द्र ग्राम से जैतहरी मार्ग, राजेन्द्र ग्राम से हर्राटोला मार्ग परसेल मोहाटी देकरा मार्ग, बम्हनी से केशवानी मार्ग, पोड़की से करगना मार्ग, खराब होकर के गड्ढों में परिवर्तित हो गये हैं? इन मार्गों का जीर्णोद्धार कब तक किया जायेगा? (ड़) अनूपपुर अंतर्गत बीओटी एवं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत डामर रोड, पेंच रिपेयर, WBM रोड एवं CC सड़क का निर्माण पिछले तीन वर्षो से प्रश्न दिनांक तक किन-किन एजेंसियों द्वारा निर्माण कार्य कराये गये हैं?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) लोक निर्माण विभाग में निरंक। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) एवं (ग) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रश्नाधीन मार्गो में केवल तीन मार्ग इस विभाग के अधीन है, जानकारी **संलग्न परिशिष्ट अनुसार है**। शेष मार्ग इस विभाग से संबंधित नहीं। (ड.) उत्तरांश 'क' अनुसार।

परिशिष्ट – ''इकतालीस''

<u>**विधानसभा क्षेत्र मऊगंज की सड़कों का निर्माण**</u>

114. (**क्र. 2750**) **श्री सुखेन्द्र सिंह (बन्ना) :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा जिले के विधानसभा क्षेत्र मऊगंज अन्तर्गत वर्ष 2009-10 से प्रश्न प्रस्तुति दिनांक तक कितनी नई सड़कों के निर्माण का प्रस्ताव तैयार कराया गया है? इनमें कितनी स्वीकृत हो चुकी है एवं कितनी अभी स्वीकृति हेतु कार्यवाही में है? स्वीकृत सड़कों के निर्माण की अद्यतन/भौतिक स्थिति की जानकारी देवें? (ख) प्रश्नांश (क) के प्रकाश में जो सड़कें अभी स्वीकृत नहीं हुई हैं उनकी कब तक स्वीकृति प्रदाय कर निर्माण कार्य कराया जावेगा? (ग) विधानसभा क्षेत्र मऊगंज अन्तर्गत कितनी सड़कों के मरम्मत/पैच वर्क हेतु स्वीकृति प्रदाय की गई है एवं कार्य की अद्यतन/भौतिक स्थिति की जानकारी देवें?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** एवं म.प्र. सड़क विकास निगम के अंतर्गत बहरी हनुमना मार्ग लंबाई 48.60 कि.मी. का उन्नयन का कार्य प्रस्तावित स्वीकृत किया जाकर (एन्युटी टोल) योजना अंतर्गत निर्माणाधीन है। 43.38 कि.मी. का कार्य पूर्ण शेष प्रगति पर है। मऊगंज कटरा मार्ग लंबाई 38.03 कि.मी. का उन्नयन हेतु स्वीकृत है एवं निविदा की कार्यवाही प्रचलन में है। चाकघाट सोनौरी चैराघाट हनुमना मार्ग लंबाइ 72.00 कि.मी. का डी.पी.आर. तैयार करवाया जा रहा है। (ख) निश्चित तिथि बताना संभव नहीं। (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है।**

<u>**भोपाल स्थित तालाबों में जल प्रदूषण की मात्रा**</u>

115. (**क्र. 2765**) **श्री विश्वास सारंग :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल शहर की सीमा में स्थित तालाबों का जल सबसे ज्यादा और सबसे कम किस-किस तालाब का प्रदूषित है? प्रश्न दिनांक की स्थिति में तालाबवार जानकारी दें? (ख) प्रश्नांश (क) के तहत बड़े तालाब के बोट क्लब, कमला पार्क, पंप हाउस के पास, करबला, बैरागढ और तालाब के बीचोंबीच स्थानों के जल प्रदूषण की जानकारी दें? उक्त में से सबसे ज्यादा और सबसे कम जल प्रदूषण किस-किस स्थान पर है? किस-किस स्थान का जल पीने योग्य और नहाने योग्य नहीं है? (ग) प्रश्नांश (क) व (ख) के तहत किस-किस तालाब में कौन-कौन से गंदे नालें मिले हुए हैं? क्या इन गंदे नालों के पानी के उपचार के लिए कोई योजना बनाई जा रही है? यदि हाँ तो क्या? यदि नहीं तो क्यों?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) एवं (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है।** मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बड़े तालाब की

मॉनिटरिंग वार्षिक पैकेज के अनुसार संपादित की जाती है। अप्रैल से दिसम्बर, 2014 तक की गई जल मॉनिटरिंग के परिणाम **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है।** बड़े तालाब के वोट क्लब,कमला पार्क,पंप हाउस के पास,करबला,बैरागढ़ और तालाब के बीचो-बीच जल वेस्ट डेजीनेटेड यूज्ड आई.एस. -2296 के तहत ''ए'' तथा ''बी'' श्रेणी का है अर्थात् बड़ा तालाब का जल नहाने योग्य एवं कीटाणुशोधन पश्चात् पीने योग्य है। (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है।** जी हाँ, परिशिष्ट के बिंदु क्रमांक 01 से 10 तक के तालाबों में मिलने वाले गंदे नालों के उपचार हेतु कंसल्टेंट मेसर्स व्यात् सोल्यूशन प्रा0लि0 द्वारा योजना बनाने की कार्यवाही प्रगति पर है। परिशिष्ट के बिंदु क्रमांक 11 में अंकित तालाब को प्रदूषण मुक्त करने हेतु नगर निगम स्तर पर कार्यवाही प्रचलित है।

<u>रीवा से मनगंवा के बीच टोलप्लाजा का संचालन</u>

116. (**क्र. 2783**) **श्रीमती शीला त्यागी :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा जिले के एन.एच-07 एवं एन.एच-27 में निर्माणाधीन फोरलाईन रोड कब तक पूर्ण होने का एग्रीमेंट है तथा दोनों एन.एच. में कितने टोल प्लाजा रोड टेक्स हेतु स्थापित होने हैं और कितने किलोमीटर रोड पर टोल प्लाजा संचालित करने का प्रावधान है? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में रीवा से मनगंवा के बीच क्या टोल प्लाजा स्थापित होना है, यदि हाँ, तो कब तक संचालित होगा? क्या रीवा से मनगंवा के बीच की दूरी निर्धारित मानक पर है? यदि नहीं, तो क्यों बतायें? (ग) क्या कमीश्नर रीवा से कलेक्टर रीवा एवं एस.डी.एम. मनगंवा से प्रबंधक एम.पी.आर.डी.सी. रीवा को पत्र क्रं. 413/014/1212 दि. 24 फरवरी 04 तथा क्रं./55/स्टेनो/एस.डी.ओ./014 दिनांक 06.03.04 द्वारा मढ़ीखुर्द गांव की आबादी उजाड़ने एवं भ्रष्टाचार की जांच हेतु पत्र जारी किए गये हैं? (घ) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में यदि प्रश्न दिनांक तक कार्यवाही नहीं हुई तो क्यों, दोषी अधिकारी व कंपनी कौन है, बताएं दोषी के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही कब तक की जावेगी?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) रीवा जिले के रीवा से म.प्र./उ.प्र. सीमा तक एन.एच.-7 का अनुबंध 30 वर्ष (दो वर्ष निर्माण अवधि सहित) बी.ओ.टी. आधार पर है इस मार्ग में दो टोल प्लाजा क्रमश: 49.629 कि.मी. एवं 39.671 कि.मी. मार्ग की लंबाई हेतु संचालित करना प्रावधानित है। रीवा जिले के मनगंवा से म.प्र./उ.प्र. सीमा तक एन.एच.-27 के बी.ओ.टी. आधार पर निर्माणाधीन फोरलाईन मार्ग को अनुबंधानुसार दो वर्ष निर्माण अवधि में पूर्ण करना है। इसका कंसेशन अनुबंधक 30 वर्ष (दो वर्ष निर्माण अवधि सहित है) इस मार्ग पर लंबाई 52.0 कि.मी. हेतु 01 नग टोल प्लाजा बनाया जाना प्रावधानित है। (ख) जी हाँ। रीवा से मनगंवा (एन.एच.-7) के बीच टोल प्लाजा संचालन दिनांक 15.02.2015 से

प्रारंभ हो गया है। रीवा से मनगंवा के आगे डगडौआ तक प्रथम होमोजिनियस सेक्शन की लंबाई कि.मी. 180-200 से 229-829 तक 49.63 कि.मी. है, जो केन्द्रीय परिवहन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित कन्सेशन अनुबंध अनुसार है। (ग) म.प्र. सड़क विकास निगम लि. का गठन जुलाई 2004 में हुआ था। अत: फरवरी 2004 अथवा मार्च 2004 के प्रश्नांकित पत्र प्राप्त होने का प्रश्न ही नहीं उठता। (घ) चूंकि प्रश्नांकित अवधि (फरवरी 2004 एवं मार्च 2004) में म.प्र. सड़क विकास निगम लिमिटेड संचालित ही नहीं था। अत: दोषी होने अथवा कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता।

पुराने भोपाल में नर्मदा का पानी उपलब्ध कराया जाना

117. (क्र. 2810) श्री आरिफ अकील : क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि नर्मदा प्रोजेक्ट के अन्तर्गत भोपाल शहर में पाईप लाईन डालने हेतु जीआई. एवं पीवीसी. पाईप क्रय कर डालने का कार्य किया गया है? (ख) यदि हाँ, तो कितना-कितना पाईप कितनी-कितनी राशि का क्रय किया गया और शहर में कहाँ-कहाँ, कितना-कितना पाईप डाला गया और कितने व किस-किस क्षेत्र में पाईप लाईन डालना शेष है, तथा कब तक डाला जायेगा? (ग) पुराने भोपाल के वार्ड क्रमांक 7 से 21 तक किन-किन वार्डो में नर्मदा का पानी नागरिकों को दिया जा रहा है? और किन-किन वार्डो में किन-किन कारणों से नर्मदा का पानी उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है तथा यह भी अवगत करावें कि इन वार्डो में कब तक नर्मदा का पानी उपलब्ध कराया जावेगा बतावें? (घ) प्रश्नांश (क) (ग) के परिप्रेक्ष्य में यह अवगत करावें कि पुराने भोपाल में कितनी उच्च स्तरीय पानी की टंकी निर्मित होकर तैयार है लेकिन नर्मदा का पानी सप्लाय नहीं किया जा रहा है इसके क्या कारण है और कब तक सप्लाय किया जावेगा साथ में यह भी अवगत करावें कि कितनी टंकियों का निर्माण कार्य प्रचलन में है और कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा? समय पर कार्य पूर्ण नहीं करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध उनका उत्तरदायित्व निर्धारण कर कार्यवाही की जावेगी यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं तो क्यों कारण सहित बतावें?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) जी नहीं। **(ख)** उत्तरांश (क) के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** वार्ड क्रमांक 7 से 21 में नगर निगम के अन्य स्रोत कोलार, बड़ा तलाब (भोजताल) से जल प्रदाय किये जाने के कारण प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।**

परिशिष्ट – ''बयालीस''

भोपाल नगर निगम में प्रमुख अभियंता की पदस्थापना

118. (क्र. 2811) श्री आरिफ अकील : क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा पोषित योजनाओं के क्रियानवयन हेतु प्रमुख अभियंता स्तर के अधिकारी से कार्य सम्पन्न कराने का प्रावधान है? यदि हाँ तो उक्तानुसार प्रमुख अभियंता के पद पर वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत प्रमुख अभियंता को पदस्थ कब तक किया जावेगा? (ख) क्या भोपाल नगर निगम में पदस्थ श्री बी.के.भावसार कार्यपालन यंत्री को जलकार्य विभाग में प्रमुख अभियंता प्रोजेक्ट के पद पर पदस्थ/कार्यभार सौंपा गया है? यदि हाँ तो किस नियम के तहत कब पदस्थ किया गया, तथा यह भी अवगत करावें कि इनसे वरिष्ठ एवं योग्यताधारी कौन-कौन अधिकारी थे? जिन्हें प्रावधान के विपरीत जाकर नजर अंदाज किया गया? (ग) क्या श्री भावसार को प्रमुख अभियंता के पद पर नियुक्ति किए जाने से पूर्व शासन से अनुमति ली गई थी? यदि हाँ, तो कब प्रति उपलब्ध करावें और यदि नहीं तो क्यों कारण सहित बतावें? (घ) श्री भावसार के अधीन कौन-कौन सी योजनाओं का कार्य प्रचलन में और कौन-कौन से कार्य पूर्ण हो चुके हैं उनकी गुणवत्ता की रिपोर्ट क्या है?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्नांश (ख) के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।**

<u>**परिशिष्ट - "तैंतालीस"**</u>

दमोह-हटा-गैसाबाद सड़क निर्माण

119. (क्र. 2827) श्री लखन पटेल : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दमोह जिले में दमोह-हटा-गैसाबाद एवं सिमरिया सड़क निर्माण कार्य की लागत क्या है? निर्माण एजेंसी कौन है? (ख) उपरोक्त सड़क निर्माण में गिट्टी कहाँ-कहाँ से प्राप्त की गई? (ग) सड़क की लंबाई कितनी है?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) अनुमानित लागत रूपये 11893.07 लाख। मेसर्स मोन्टीकारलो कंस्ट्रक्शन लिमि. अहमदाबाद। (ख) ग्राम पांजी (हटा) एवं ग्राम पठारी (दमोह) में स्थित खदानों से। (ग) 62.66 कि.मी.।

मुख्य अभियंता द्वारा की गई जांच पर कार्यवाही

120. (क्र. 2840) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुख्य अभियंता राजधानी परिक्षेत्र लोक निर्माण विभाग भोपाल के द्वारा वर्ष 2014

में किस-किस दिनांक को किस-किस मार्ग का निरीक्षण किया? किस-किस दिनांक को किस मार्ग के संबंध में जांच की? (ख) उक्त किए गए निरीक्षण एवं जांच के आधार पर मुख्य अभियन्ता के द्वारा किस-किस अधिकारी/ठेकेदार के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की? किस-किस अधिकारी/ठेकेदार के विरूद्ध किन-किन कार्यवाहियों की अनुशंसा प्रमुख अभियन्ता से की गई? (ग) मुख्य अभियन्ता द्वारा किए गए निरीक्षण एवं किए गए जांच के बाद किस मार्ग की कितनी राशि का बिल किस ठेकेदार को भुगतान किया गया? यह भुगतान किस आधार पर किसकी अनुशंसा या अनुमति से किया गया? (घ) मुख्य अभियन्ता द्वारा की गई जांच में जिम्मेदार या दोषी पाए गए किस-किस अधिकारी या ठेकेदार के विरूद्ध प्रश्नांकित तिथि तक किन कारणों से कार्यवाही नहीं की जा सकी है?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) से (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'ब' अनुसार है।** (घ) प्रश्नांकित तिथि तक जांच में जिम्मेदार या दोषी पाये गये अधिकारियों एवं ठेकेदारों के विरूद्ध समुचित कार्यवाही की गई है।

श्रमिकों को ई-पेमेन्ट पद्धति से भुगतान

121. (क्र. 2841) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रमुख सचिव वित्त म.प्र. शासन द्वारा पत्र क्र. एफ 1-11/2010/नियम चार/भोपाल दिनांक 15.09.2010 द्वारा समस्त शासकीय विभागों में शासकीय देयकों के भुगतान ई-पेमेंट पद्धति से कराने के निर्देश जारी किए थे? यदि हाँ, तो क्या अपर संचालक, कोष एवं लेखा द्वारा पत्र दिनांक 10.01.2011 द्वारा ई-पेमेंट से भुगतान करने के संबंध में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वित्त/बजट) म.प्र. भोपाल को निर्देश दिए थे? (ख) यदि हाँ तो क्या यह आयुक्त कोष एवं लेखा के पत्र क्र. डीटीए/ई-भुगतान/2014 भोपाल दिनांक 08 मई 2014 द्वारा समस्त भुगतान ई-भुगतान के माध्यम से किए जाने हेतु समस्त कोषालय अधिकारी म.प्र. निर्देश दिए थे? (ग) यदि हाँ, तो क्या उपरोक्त निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में प्रमुख सचिव वन म.प्र. शासन द्वारा माननीय मुख्यमंत्री द्वारा वन विभाग की समीक्षा बैठक दिनांक 23.05.2014 के बिन्दु क्रमांक 8 में मजदूरी के ऑनलाईन भुगतान की व्यवस्था में दूरस्थ क्षेत्रों में, जहाँ बैंक और पोस्ट आफिस नहीं हो ऑन लाईन व्यवस्था बंधनकारी नहीं की जावें? यदि हाँ, तो क्या अपर प्रधान वन संरक्षक (उत्पादन) म.प्र. भोपाल ने पत्र दिनांक 07.6.2014 द्वारा उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 8 की जानकारी तत्काल ई-मेल के माध्यम से भेजने हेतु समस्त मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक (क्षेत्रीय) मध्यप्रदेश को निर्देश जारी किए गए थे? (घ) यदि हाँ, तो क्या अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक विकास भोपाल द्वारा अपने पत्र क्र. एफ-02/2014/10-3/2007 भोपाल दिनांक 03 जुलाई 2014 के माध्यम से वन विभाग में देयकों की व्यवस्था के संबंध में समस्त आहरण एवं सवितरण अधिकारी वन विभाग म.प्र.

को निर्देश दिए गए थे? (ड.) यदि हाँ, तो उपरोक्त बिन्दु क्रमांक (क) से लेकर (घ) तक में जारी निर्देशों के बावजूद भी श्रमिकों को ई-पेमेन्ट के माध्यम से भुगतान न किया जाकर नगद भुगतान किया जा रहा है? यदि हाँ, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है, तथा शासन के आदेशानुसार ई-पेमेन्ट की व्यवस्था लागू की जाएगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) जी हाँ। निर्देश दिनांक 16.09.2010 प्राप्त हुआ है, परन्तु प्रश्नांकित पत्र अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वित्त/ बजट) कार्यालय में आना नहीं पाया जाता। (ख) से (घ) जी हाँ। (ड.) श्रमिकों को ई-पेमेन्ट के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है, लेकिन जहाँ विशेष कारणों से ई-भुगतान संभव नहीं है वहाँ पर म.प्र.शासन, वित्त विभाग के ज्ञापन दिनांक16.09.2010 के पैरा 3 (ख) के अनुसार श्रमिकों को नगद भुगतान किया गया है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>रोजगारमूलक ऋण योजनाओं में स्वीकृत प्रकरण</u>

122. (क्र. 2859) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) उज्जैन जिले में युवाओं को रोजगार संबंधी कितने ऋण प्रकरण स्वीकृत किए गए? 01.01.2012 से 31.01.2015 तक जानकारी विधान सभावार, वर्षवार, योजना नाम सहित देवें? (ख) कितने प्रकरणों में (क) अनुसार बैंकों द्वारा हितग्राहियों को ऋण स्वीकृत किए गए व कितने अस्वीकृत हुए? बैंक नाम सहित दोनों स्थितियों की जानकारी विधान सभावार देवें? (ग) प्रश्नांश (क) व (ख) अनुसार स्वीकृत प्रकरणों में कितनी अनुदान राशि बैंक को विभाग द्वारा जारी की गई? विधानसभावार जानकारी देवें?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>इंजीनियरिंग कांट्रेक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम के लोगों को कांट्रेक्ट दिया जाना</u>

123. (क्र. 2863) श्री बाला बच्चन : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इंजीनियरिंग कर चुके छात्रों को कांट्रेक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम की जानकारी देवें? इसकी सारी शर्ते नियमों, पात्रता का उल्लेख करें? इन्हें कौन सी ग्रेड का लाइसेंस दिया जाता है? (ख) वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में कितने लोगों का चयन कर उन्हें प्रशिक्षण दिया? जिलावार, वर्षवार बतावें? (ग) ट्रेनिंग कर चुके कितने लोगो को कांट्रेक्ट दिये गये?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) मुख्यमंत्री युवा इंजीनियर कान्ट्रेक्टर योजना के

अंतर्गत नियम एवं शर्तो से संबंधित विभाग का पत्र दिनांक 30/08/2013 एवं पत्र दिनांक 17/10/2014 आवश्यक जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** (ख) वर्ष 2013-14 में योजना प्रभावशील नहीं थी। वर्ष 2014-15 में योजना प्रभावशील हुई एवं 500 अभ्यार्थियों का कम्प्यूटर प्रणाली से आनलाईन चयन हुआ, जिनमें से 426 अभ्यार्थियों ने नियमित रहकर सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त किया। जिलेवार सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है। (ग) ट्रेनिंग कर चुके अभ्यार्थियों में से अभी तक 146 अभ्यार्थियों ने विभाग की केन्द्रीयकृत पंजीयन प्रणाली के अंतर्गत सी श्रेणी में पंजीयन कराया है।

विजय टॉकीज की लीज अवधि

_124. (**क्र. 2867**) **श्री दिलीप सिंह परिहार :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नगरपालिका नीमच स्थित फिरोजशाह रोड पर विजय टॉकीज केम्पस में स्थित 95200 वर्गफीट भूमि पर शासन के द्वारा प्रिमियम व लीजरेंट पर सिनेमाघर चलाने हेतु अनुमति दी गई थी? यदि हाँ तो उक्त लीज की अवधि कब तक रही, तथा उक्त लीज का कब-कब नवीनीकरण हुआ? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार उक्त संबंध में किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हाँ तो उक्त शिकायती आवेदन पत्र पर शासन की ओर से क्या कार्यवाही की गई? साथ ही उक्त संबंध में कोई न्यायालयीन वाद प्रचलित रहा है, अथवा प्रचलित है? यदि न्यायालय द्वारा कोई आदेश प्रसारित किया गया है, तो विजय टॉकीज भवन के तोड़ने अथवा अतिरिक्त निर्माण व सुधार संबंधी कार्य हेतु अनुमति नगरपालिका, नीमच द्वारा जारी की गई है अथवा नहीं? (ग) उक्त लीज में लीजधारी द्वारा नियमों का पालन किया गया है? यदि नहीं तो लीजधारी को जारी लीज निरस्त किए जाने संबंधी कोई कार्यवाही शासन द्वारा प्रस्तावित की गई है अथवा नहीं? यदि प्रस्तावित की गई है, तो कब तक कार्यवाही पूर्ण कर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी?

नगरीय विकास मंत्री (**श्री कैलाश विजयवर्गीय**) **:** (**क**) जी नहीं, अपितु तत्कालीन केन्टोमेंट बोर्ड व्दारा वर्ष 1946 में 90 वर्ष की अवधि के लिये सिनेमा हॉल एवं अन्य भवन हेतु लीज पर भूमि दी गई थी। म.प्र. शासन, स्थानीय शासन विभाग के पत्र क्रमांक 902/18-2/84, भोपाल दिनांक 03.03.1984 के व्दारा 1976 से 30 वर्ष के लिए लीज नवीनीकरण की स्वीकृति प्रदान की गई। म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग के पत्र क्रमांक 602/18-2/2003 दिनांक 30.09.2003 व्दारा 30 वर्ष के लिए लीज नवीनीकरण की स्वीकृति प्रदान की गई। आदेश के पालन में नगर पालिका व्दारा पंजीकृत अनुबंध संपादित किया गया। (ख) एवं (ग) प्रश्नांकित लीज भूमि के संबंध में माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, इन्दौर पीठ व्दारा याचिका क्रमांक 1879/07 में दिनांक 12.02.2015 को आदेश पारित किया गया

है, प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होने पर माननीय न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही की जायेगी।

निर्मित सड़कों की गुणवत्ता

125. (**क्र. 2877**) **श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक निर्माण विभाग अंतर्गत बड़वाहा विधानसभा क्षेत्र में कितने मार्ग है, इसमें से कितने मार्ग डामरीकृत हैं, कितने गिट्टीकृत हैं, तथा कितने मार्ग लोक निर्माण विभाग की बुक में है? इस गिट्टीकृत मार्ग को डामरीकरण किये जाने के संबंध में विभाग द्वारा कब-कब प्रस्ताव भेजे गये हैं, इसकी विस्तृत जानकारी दी जावे? (ख) लोक निर्माण विभाग द्वारा विगत 2 वर्षो में कितने मार्ग का डामरीकरण किया गया है, उसकी सूची दी जावे? इस निर्मित मार्ग के समयावधि के भीतर की डामर खराब होने की शिकायत के संबंध में विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? कार्यवाही की विस्तृत रिपोर्ट देवें, यदि कार्यवाही नहीं की गई है, तो तद्नुसार अधिकारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी? (ग) प्रश्नकर्ता द्वारा क्षेत्र के मार्गों के डामरीकरण एवं आम जनता की मांग पर गतिअवरोध निर्माण किये जाने के संबंध में विगत 2 वर्षों में किये गये पत्र व्यवहार पर विभाग द्वारा वरिष्ठ को कब-कब प्रस्ताव प्रेषित किये गये है, इसकी विस्तृत जानकारी दी जावे? इन प्रस्तावों पर विभाग द्वारा कितने कार्यो की स्वीकृति दी गई है?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) बड़वाह विधानसभा क्षेत्र में 22 मार्ग आते है इनमें से 16 मार्ग डामरीकृत एवं 6 मार्ग गिट्टीकृत है उसमें से 1 मार्ग आंशिक डामरीकृत है। उक्त सभी मार्ग लो.नि.वि. की बुक पर अंकित है। जानकारी **संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है**। गिट्टीकृत 6 मार्गो में से 1 मार्ग (हीरापुर छापरा मार्ग) डामरीकरण हेतु वर्ष 2013-14 में दिनांक 07.03.2013 द्वारा नवीनीकरण के प्रस्ताव अधीक्षण यंत्री खण्डवा कार्यालय द्वारा प्रेषित तथा मुख्य अभियंता पश्चिम परिक्षेत्र इन्दौर कार्यालय द्वारा अनुमोदित, परन्तु स्थल निरीक्षण उपरांत मार्ग पर निर्धारित क्रस्ट से कम पाये जाने के कारण उस गिट्टीकृत मार्ग को डामरीकृत किया जाना तकनीकी रूप से संभव नहीं है। अत: इसकी निविदाएँ आमंत्रित नहीं की गई थी। अन्य गिट्टीकृत 5 मार्ग भी राहत मद के 20 से 25 वर्ष पूर्व निर्मित है उनकी भी निर्धारित क्रस्ट से कम पाये जाने के कारण उन गिट्टीकृत मार्गो को डामरीकृत किया जाना तकनीकी रूप से संभव नहीं है। इस कारण विगत 2 वर्षो में डामरीकरण हेतु कोई प्रस्ताव अधीक्षण यंत्री कार्यालय से मुख्य अभियंता कार्यालय को नहीं भेजा गया। इसके अतिरिक्त म.प्र. सड़क विकास निगम के अंतर्गत बड़वाह-काटकूट मार्ग (एम.डी.आर.) एवं बड़वाह विधानसभा क्षेत्र से निकल रहे (1) इन्दौर एदलाबाद राजमार्ग क्रं. 27 एवं (2) सनावद-सुलगांव-पुनासा मुंदी राजमार्ग क्रं. 41 का निर्माण किया गया, जो डामरीकृत मार्ग है। शेष प्रश्नांश की जानकारी निरंक है। (ख) विगत दो वर्षों में बड़वाह-

विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कुल 4 मार्गो का डामरीकरण (रिनीवल) किया गया। जानकारी **संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' एवं प्रपत्र 'स' अनुसार है।** किये गये डामरीकरण (रिनीवल) कार्य में से 1 मार्ग सनावद खरगोन के कि.मी. 7 व 11 की शिकायत दिनांक 19.08.2014 को प्राप्त हुई। स्थल निरीक्षण उपरांत आवश्यक सुधार कार्य किया गया। अत: कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। इसके अतिरिक्त म.प्र. सड़क विकास निगम के अंतर्गत बड़वाह-काटकूट मार्ग एवं बड़वाह विधानसभा क्षेत्र से निकल रहे मूंदी-पुनासा-सुलगांव-सनावद राजमार्ग क्रमांक-41 का डामरीकरण किया गया। इन मार्गो के डामरीकरण के संबंध में कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, अत: कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता। (ग) विगत दो वर्षो में मार्गो पर डामरीकरण/नवीनीकरण के संबंध में कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुए। सनावद खरगोन मार्ग पर 4 स्थानों पर गति अवरोधक बनाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ इसके प्रस्ताव यातायात समिति खरगोन को कार्यपालन यंत्री, खरगोन द्वारा दिनांक 21.01.2015 को प्रेषित किये गये। अनुमोदन होने पर गति अवरोधक का निर्माण किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त म.प्र. सड़क विकास निगम के अंतर्गत बड़वाह-काटकुट मार्ग पर गति अवरोधक निर्माण संबंध में कोई पत्र व्यवहार नहीं हुआ है। इन्दौर-ईच्छापुर मार्ग पर ग्राम मोरधडी में सालिया बाबन के सामने पेट्रोल पम्प के सामने एवं सांई मंदिर के सामने स्पीड ब्रेकर बनाने हेतु तहसीलदार मानधाता के पत्र क्र. 1181/क. वा.तह/14 मान्धाता दिनांक 04.10.2014 से प्राप्त तहसीलदार मानधाता को निगम के अधीन संभागीय प्रबंधक संभाग क्र. 1 इन्दौर के पत्र 1973/ म.प्र.स.वि.नि./2014 इन्दौर दिंनाक 13.10.2014 द्वारा प्रस्ताव जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति से पारित कराए जाने हेतु भेजा गया है। स्वीकृति अपेक्षित है।

परिशिष्ट - "चौवालीस"

भावरा फाटक से सालाखेड़ी तक फोरलेन निर्माण

126. (क्र. 2882) श्री चेतन्य कुमार काश्यप : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रतलाम के भावरा फाटक से सालाखेड़ी तक फोरलेन का निर्माण करने, तथा रिंग रोड बनाने के काम को क्या बजट में शामिल कर लिया गया है? (ख) सिंहस्थ 2016 को दृष्टिगत रखते हुये ये काम जल्दी पूरे किये जायेंगे? (ग) उक्त कार्यो के लिये प्रश्नकर्ता द्वारा मंत्रीजी को सौंपे गये अनुरोध पत्रों पर क्या कार्रवाई हुई?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जी नहीं। (ख) उत्तरांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ग) सर्वे कार्य कराकर विस्तृत डी.पी.आर. परीक्षणाधीन है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

बिना अनुमति के निर्मित काम्पलेक्सों को तोड़ा जाना

1. (**क्र. 169**) **श्री मोती कश्यप :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या नगरपालिक निगम क्षेत्र कटनी में वर्ष 2012 से जनवरी 2015 तक नगर के किन्हीं मुख्य मार्गों में किन व्यक्तियों के द्वारा काम्पलेक्सों का निर्माण किया गया है? विवरण देवें? (ख) क्या प्रश्नांश (क) में से किन व्यक्तियों द्वारा कब आयुक्त नगरनिगम से स्वीकृतियाँ प्राप्त की है? (ग) प्रश्नांश (क) (ख) में से कौन से काम्पलेक्सों का निर्माण बिना स्वीकृति के व अवैध हैं तथा उनमें से किनके विरूद्ध नगरनिगम द्वारा कब कैसी कार्यवाहियॉ की गई हैं? (घ) क्या प्रश्नांश (ख) (ग) में से किनको कब तोड़ने की कार्यवाही नगरनिगम कटनी द्वारा की गई है और प्रश्नांश (ग) निर्माणों को कब तक तोड़ दिया जावेगा?

नगरीय विकास मंत्री (**श्री कैलाश विजयवर्गीय**) **:** (क) से (घ) **जानकारी पुस्तकालय में रखें परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' एवं ''ब'' अनुसार** है। समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

खेल प्रतिभाओं का चयन व प्रशिक्षण

2. (**क्र. 170**) **श्री मोती कश्यप :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या राज्य के ग्रामों में किन्हीं संस्थाओं द्वारा किस प्रकार की खेल गतिविधियां संचालित की जाती है? (ख) क्या विभाग द्वारा राज्य, जिला एवं विकासखण्ड स्तरीय किन्हीं खेल संस्थाओं का गठन किया गया है और किन्हीं अधिकारियों को उनका दायित्व दिया गया है? (ग) क्या प्रश्नांश- 'क' की टीमों का प्रश्नांश-'ख' स्तरीय संस्थाओं में पंजीयन कराया गया है? (घ) क्या वि.स.क्षे. बड़वारा के किन्हीं ग्रामों में कोई खेल प्रतियोगितायें आयोजित की जाती हैं और माह जनवरी 2015 में आयोजित हुई हैं और क्या कहाँ की किन टीमों ने भाग लिया है और विजेता बनी है? (ड.) क्या विभाग द्वारा जनपद, जिला, संभाग तथा राज्य स्तरीय प्रतिभाओं के चयन हेतु किन्हीं खेल अधिकारियों को भेजा जाता है और प्रशिक्षण का प्रबंधन किया जाता है?

उद्योग मंत्री (**श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया**) **:** (क) जी नहीं। विभाग द्वारा विकासखण्ड स्तर पर ग्रामीण खेल प्रतियोगिता एवं युवा अभियान अंतर्गत अंतर थाना खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। (ख) जी नहीं। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) प्रश्नांश ''क'' एवं ''ख'' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जी हाँ। विधानसभा क्षेत्र

बड़वारा में पूर्व में पायका योजनान्तर्गत व वर्तमान सत्र से राजीव गांधी खेल अभियान के अंतर्गत विकासखण्ड स्तरीय ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है एवं युवा अभियान अंतर्गत अंतरथाना खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। युवा अभियान अंतर्गत अंतरथाना प्रतियोगिता का विकासखण्ड स्तरीय आयोजन माह जनवरी में दिनांक 22.01.2015 को ग्राम पंचायत पिपरियाकलां में पांच खेलों कबड्डी, रस्साकसी, व्हालीबॉल एवं टेनिस बॉल, क्रिकेट, मिनी मैराथन 10 कि.मी. में कराया गया जिसमें क्रिकेट में ग्राम पंचायत लुरमी-प्रथम, कबड्डी में ग्राम पंचायत पिपरियाकलां-प्रथम, व्हालीबॉल में ग्राम पंचायत बरही-प्रथम, मिनी मैराथन 10 कि.मी. में ग्राम पंचायत पिपरियाकलां-प्रथम रहा। (ड.) जी हाँ। प्रतिभावान खिलाड़ियों को ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर, राज्य खेल अकादमियों में चयनित होने पर प्रशिक्षण दिया जाता है।

चीलर नदी पर गरासिया घाट से श्री घाट तक पैदल पुल निर्माण

3. (क्र. 310) श्री अरूण भीमावद : क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) माननीय मुख्यमंत्री महोदय के शाजापुर प्रवास के दौरान चीलर नदी पर गरासिया घाट से श्रीघाट तक पैदल पुल निर्माण करने की घोषणा की गई थी? (ख) यदि हाँ, तो मान. मुख्यमंत्री महोदय की घोषणानुसार पैदल पुल निर्माण हेतु राशि स्वीकृत हुई है? (ग) यदि हाँ, तो उक्त पैदल पुल का निर्माण कार्य क्यों प्रारम्भ नहीं हुआ है? (घ) यदि प्रारम्भ नहीं हुआ तो कब तक होगा?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) एवं (घ) निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

सड़क के निर्माण कार्य हेतु

4. (क्र. 413) श्री सचिन यादव : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सावदा से सनावद व्हाया बोरावां, भनगांव, मुलठान एवं कमोदवाड़ा मार्ग के निर्माण के लिए मु.अ.लो.नि.वि. (प) जिला इंदौर के पत्र क्रमांक 4527 दिनांक 30.09.14 का पत्र प्रमुख अभियंता, लो.नि.वि., भोपाल को कब प्राप्त हुआ और उस पर प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? (ख) प्रश्नांश (क) में दर्शित कार्य पूर्ण किये जाने के संबंध में कितने-कितने पत्र प्रश्नकर्ता एवं किस-किस के माध्यम से कब-कब प्राप्त हुए और विभागीय स्तर पर कब-कब क्या-क्या कार्यवाही की गई? (ग) प्रश्नांश (क) मार्ग का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा? हाँ, तो समय सीमा बतायें?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) दिनांक 10.10.14 को **संलग्न परिशिष्ट के**

प्रपत्र– 1 अनुसार प्राप्त हुआ किन्तु प्रश्न में उल्लेखित मार्ग का नहीं, अपितु पिपरी मछलगांव मार्ग के संबंध में था, अत: शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-"अ" अनुसार** है। संपूर्ण मार्ग डामरीकृत होने से कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्तरांश 'ख' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होते।

परिशिष्ट –"पैंतालीस"

ग्वालियर संभाग में किये गये कार्यों की जानकारी

5. (**क्र. 608**) **चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 01 जनवरी 2012 से प्रश्न दिनांक तक ग्वालियर राजस्व संभाग में ऐसी कितनी सड़कें/भवन हैं, जिनके निर्माण का ठेका ठेकेदार/फर्म ने लिया है और निर्माण कार्य को अधूरा छोड़ दिया? ऐसे ठेकेदारों/फर्मों द्वारा कितना-कितना भुगतान प्राप्त किया की जानकारी जिलेवार/वर्षवार दें? (ख) प्रश्नांश (क) के तहत निर्माण कार्य बीच में अधूरा छोड़ने वाले ठेकेदारों/फर्मों के खिलाफ क्या कार्यवाही प्रश्न तिथि तक विभाग द्वारा की गयी है? क्या ऐसे ठेकेदारों/फर्मों को ब्लेक लिस्टेड किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? अगर हाँ, तो कब तक किया जायेगा? (ग) ऐसी कम्पनियों/ठेकेदारों के विरूद्ध विभाग द्वारा कब-कब आर.सी.सी. जारी की? वर्षवार/जिलेवार/कार्यवाहीवार दें? अगर नहीं, की तो क्यों? कारण दें?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) 01 जनवरी 2012 से प्रश्न दिनांक तक ग्वालियर राजस्व संभाग में कुल 28 सड़के/भवन है, जिनका ठेका ठेकेदार/फर्म ने लिया है और निर्माण कार्य को अधूरा छोड दिया भुगतान की जानकारी जिलेवार/वर्षवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ", "अ-1" एवं "अ-2"** के स्तंभ 7 में दर्शाये अनुसार है। (ख) विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" एवं "अ-1"** में दर्शाये अनुसार है। गुना अशोकनगर ईशागढ मार्ग के कंसेशनायर का कार्य निरस्त कर उनकी परफारमेंस सिक्योरिटी राशि रू. 5.26 करोड़ जप्त की गई। ठेकेदारों/फर्मो के विरूद्ध अनुबंधानुसार कार्यवाही की गई है। ठेकेदारों/फर्मो को ब्लेक लिस्ट शासन के आदेश एफ-17-1-19/बी/भोपाल दिनांक 17.08.2011 के एपेंडिक्स 4 में दर्शाये कारण लागू न होने से ब्लेक लिस्ट नहीं किया गया। गुना अशोकनगर ईशागढ मार्ग के बी.ओ.टी. अनुबंध में कंसेशनायर को ब्लेक लिस्ट करने का प्रावधान नहीं है। शेष प्रश्नांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) आर.आर.सी. संबंधी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ"** के स्तम्भ 9 एवं 10 में दर्शाये अनुसार है।

विभाग में पदस्थ अधिकारियों की जानकारी

6. (**क्र. 609**) **चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या ग्वालियर एवं भिण्ड जिलों में लोक निर्माण विभाग में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित स्थानांतरण नीति लागू है या कोई अन्य नीति लागू है? (ख) विभाग में एक ही स्थान पर लगातार कितने वर्ष तक उपयंत्री/सहायक यंत्री नियमानुसार पदस्थ रह सकते हैं? ग्वालियर एवं भिण्ड जिले में उपयंत्री/सहायक यंत्री कब से पदस्थ हैं? स्थानवार/ पदस्थापनावार/दिनांकवार/पदवार व नामवार जानकारी दें? (ग) ग्वालियर एवं भिण्ड जिले में ऐसे कितने उपयंत्री/सहायक यंत्री है, जो एक ही स्थान पर तीन वर्ष से अधिक समय से पदस्थ हैं? स्थानवार/पदवार/नामवार जानकारी दें? क्या एक ही स्थान पर तीन वर्षों से अधिक समय तक उनकी नियुक्ति नियमानुसार है? यदि नहीं, तो फिर क्यों उक्त उपयंत्री/सहायक यंत्री को तीन वर्षो से अधिक समय से एक ही स्थान पर पदस्थ रखा गया है? (घ) क्या ग्वालियर एवं भिण्ड जिले में एक ही स्थान पर तीन साल से अधिक समय से पदस्थ उपयंत्री/सहायक यंत्री को हटाया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? नियम बतायें?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जी हाँ। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) स्थानांतरण नीति 2012-13 की कंडिका 9.9 एवं कंडिका 9.10 अनुसार। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार।** 3 वर्ष से अधिक समय से एक ही स्थान पर पदस्थ लोक सेवक को सामान्यतः स्थानांतरण किये जाने का प्रावधान है, परंतु यह अनिवार्य नहीं, कि 3 वर्ष पूर्ण होने पर स्थानांतरित किया ही जावे। (घ) प्रश्नांश- 'ग' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

इन्दौर के सुपर कॉरिडोर में प्रस्तावित निर्माण एवं योजना

7. (**क्र. 676**) **श्री सुदर्शन गुप्ता (आर्य) :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि इन्दौर में सुपर कॉरिडोर का निर्माण किया गया है, तो सुपर कॉरिडोर में क्या-क्या निर्माण प्रस्तावित हैं योजनावार स्पष्ट करें तथा इसके निर्माण में अभी तक कुल कितनी राशि व्यय हुई निर्माणवार सूची उपलब्ध करावें? (ख) क्या यह सही है कि प्रश्नांश (क) अनुसार प्रस्तावित निर्माण योजनाओं का समय पर विकास नहीं हुआ है? यदि हाँ, तो कब तक इन योजनाओं का विकास पूर्ण किया जाना था और अब कितना अतिरिक्त समय ओर लगेगा?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) जी हाँ। इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा इंदौर विकास योजना - 2021 अनुसार सुपर कॉरिडोर की योजनाओं का विकास किया जा रहा है। इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा सुपर कॉरिडोर अन्तर्गत 03 योजनाओं की भूमि का अर्जन किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत प्रस्तावित निर्माण कार्यो की सूची **संलग्न परिशिष्ट- के**

प्रपत्र 'अ' अनुसार है। इन योजनाओं के निर्माण कार्य में अभी तक कुल राशि रू. 180.98 करोड व्यय होकर, व्यय की निर्माणवार सूची **संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र- 'ब' अनुसार** है। (ख) जी, नहीं। म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के प्रावधान अनुसार योजना के अंतिम रूप लेने के पश्चात निजी भूमि स्वामियों से करार के माध्यम से भूमि प्राप्त की जाती है। आपसी समझौते से भूमि नहीं मिलने पर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत भूमि प्राप्त की जाती है। इन योजनाओं में यह कार्यवाही प्रचलन में है। निजी भूमि स्वामियों से करार किए जाने की प्रक्रिया एवं कलेक्टर कार्यालय में भू-अर्जन की कार्यवाही गतिशील होने से विकास कार्य पूर्ण होने की समयावधि निश्चित किया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट –''छियालीस''

फैक्ट्रियों एवं शहर का गन्दा पानी खान नदी व बोरिंग के पानी को प्रदूषित

8. (**क्र. 677**) **श्री सुदर्शन गुप्ता (आर्य) :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि इन्दौर शहर में फैक्ट्रियों व शहर का गन्दा पानी खान नदी में छोड़ा जाता है, जिससे यही जहरीला गन्दा पानी रिसकर भूजल में मिल कर नदी के दोनों तरफ के बोरिंगों के जल को प्रदूषित कर रहा है? (ख) यदि हाँ तो जिला प्रशासन द्वारा इसे रोकने हेतु क्या योजना बनाई गई है?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) इंदौर शहर का ज्यादातर जल-मल खान नदी में अन्य सहायक नदी एवं नालों के माध्यम से मिलता है। औद्योगिक क्षेत्र सांवेर रोड में स्थापित जल प्रदूषणकारी प्रकृति के उद्योगों के औद्योगिक निस्त्राव के उपचार हेतु दूषित जल उपचार संयंत्र की स्थापना कराई गई है व उपचारित निस्त्राव को स्वयं के परिसर में उपयोग करने के निर्देश है। तथापि सांवेर रोड़ औद्योगिक क्षेत्र में कुछ उद्योगों का उपचारित दूषित जल, बॉयलर ब्लो डाउन, कूलिंग टॉवर ब्लो डाउन, उद्योगों का घरेलू जल-मल तथा आस पास के रहवासी क्षेत्रों का घरेलू जल-मल नरवल नाले के माध्यम से लगभग 22 किलोमीटर के बाद ग्राम धनखेड़ी के पास खान नदी में मिलता है। नगर निगम इंदौर की प्रयोगशाला में खान नदी के आस-पास के नलकूपों के पानी के नमूनों की जांच रिपोर्ट के अनुसार पानी पीने योग्य नहीं पाया गया है। (ख) खान नदी के संबंध में प्रचलित व प्रस्तावित कार्यो/योजनाओं की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है।

परिशिष्ट –''सैंतालीस''

प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार

9. (**क्र. 756**) **श्री रामनिवास रावत :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) माह जनवरी 2015 की स्थिति में प्रदेश के रोजगार कार्यालयों में कितने शिक्षित एवं अशिक्षित बेराजगार पंजीकृत है महिला एवं पुरूष की पृथक-पृथक संख्या जिलेवार बतावें? (ख) वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 एवं जनवरी 2015 तक प्रदेश में कितने बेरोजगारों को सार्वजनिक, सहकारी एवं निजी क्षेत्र में रोजगार दिया गया? पुरूष एवं महिला उम्मीदवारों की संख्या, वर्षवार पृथक-पृथक बतावें? विगत वर्ष की तुलना में इस वर्ष बेरोजगारों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी आई है? (ग) वर्तमान में बेरोजगारों को स्वयं का रोजगार स्थापित करने के लिए शासन की कौन-कौन सी योजनाएँ संचालित हैं? (घ) प्रश्नांश (ख) की अवधि में प्रश्नांश (ग) अनुसार इन योजनाओं में जिला श्योपुर को कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया? कितने प्रकरण विभाग द्वारा एवं कितने प्रकरण बैंको द्वारा स्वीकृत किए गए? कितने प्रकरण किन-किन कारणों से निरस्त किए गए?

उद्योग मंत्री (**श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया**) **:** (क) माह जनवरी 2015 की स्थिति में प्रदेश के रोजगार कार्यालयों में 16,98,175 शिक्षित एवं 3,01,713 अशिक्षित बेरोजगार पंजीकृत है। महिला एवं पुरूष की पृथक-पृथक संख्या जिलेवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार** है। (ख) वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 एवं जनवरी 2015 तक प्रदेश के रोजगार कार्यालयों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में 6619, सहकारी क्षेत्र में 06 एवं निजी क्षेत्र में 83906 बेरोजगारों को रोजगार दिया गया। पुरूष एवं महिला उम्मीदवारों की संख्या, वर्षवार, पृथक-पृथक **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार** है। विगत वर्ष की तुलना में इस वर्ष बेरोजगारों की संख्या में 3.73 प्रतिशत की कमी हुई है। (ग) वर्तमान में बेरोजगारों को स्वंय का रोजगार स्थापित करने हेतु विभाग की निम्नांकित योजनाएं संचालित है :- (1) मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (2) मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना (3) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (घ) प्रश्नांश (ख) की अवधि में (ग) अनुसार इन योजनाओं में जिला श्योपुर को 948 का लक्ष्य निर्धारित किया गया। 2011 प्रकरण विभाग द्वारा बैंको को प्रेषित किये गये एवं 741 प्रकरण बैंकों द्वारा स्वीकृत किये गये। योजनावार एवं वित्तीय वर्ष अनुसार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 3 अनुसार** है। बैंकों द्वारा वर्ष 2013-14 के शेष प्रकरण लौटाये गये है तथा 2014-15 के शेष प्रकरण अभी उनके पास लंबित है।

<u>उद्योगों द्वारा केमिकल युक्त पानी बेतवा नदी में प्रवाहित</u>

10. (**क्र. 757**) **श्री रामनिवास रावत :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि औद्योगिक क्षेत्र मण्डीदीप में स्थापित उद्योगों द्वारा खतरनाक केमीकल युक्त पानी को बेतवा नदी में छोड़े जाने से होने वाले प्रदूषण के संबंध में कार्यवाही प्रचलित है एवं इस संबंध में नगर पालिका मण्डीदीप को भी सूचना पत्र जारी किया

गया था? (ख) यदि हाँ, तो उक्त प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के विरूद्ध अभी तक क्या कार्यवाही की गई है एवं प्रदूषण उपचार संयंत्र किन-किन उद्योगों के द्वारा लगाए जा चुके हैं, तथा इस संबंध में मण्डीदीप नगर पालिका द्वारा विभाग के सूचना पत्र पर क्या कार्यवाही की गई?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) औद्योगिक क्षेत्र मंडीदीप के जल प्रदूषणकारी प्रकृति के उद्योगों में दूषित जल उपचार संयंत्र स्थापित कराई गई है व निस्त्राव को पुर्नउपयोग कर, शून्य निस्त्राव की स्थिति बनाने के निर्देश है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- "अ" अनुसार** है। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- "ब" एवं "स" अनुसार** है।

<u>खंडवा जिले की अवैध कॉलोनियों में प्रदत्त मूलभूत सुविधाएं</u>

11. (क्र. 990) श्री देवेन्द्र वर्मा : क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खंडवा जिले में कितनी वैध एवं अवैध कॉलोनियां हैं? पृथक-पृथक सूची बतायें? (ख) खंडवा विधानसभा क्षेत्र में विगत 3 वर्षों में जिन कॉलोनाईजर द्वारा मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, उन कॉलोनाईजरर्स पर कब-कब एवं क्या कार्यवाही की गई? (ग) कॉलोनाईजर द्वारा अविकसित अवैध कॉलोनियों में निगम द्वारा निर्माण कार्य की अनुमति किस आधार पर प्रदान की जाती है? निगम द्वारा ऐसे कॉलोनाईजर की जमा अमानत राशि/प्लाट को जप्त कर कौन-कौन सी कॉलोनियों में विकास कार्य पूर्ण कराए गए हैं? (घ) निगम चुनाव में माननीय मुख्यमंत्रीजी की घोषणा अनुसार अवैध कॉलोनीवासियों को भी वैध कॉलोनीवासियों की भांति मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के निर्णय पर कब से अमल प्रारंभ होगा? क्या तब तक ये नागरिक मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहेंगे?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) से (घ) की जानकारी संकलित की जा रही है।

<u>खंडवा के अटल सरोवर का सौन्दर्यीकरण</u>

12. (क्र. 999) श्री देवेन्द्र वर्मा : क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खंडवा नगर में अटल सरोवर नागचून तालाब के विकास एवं सौन्दयीकरण के संबंध में निगम की आगामी कार्य योजना क्या है? यदि नहीं, तो कब तक तैयार कर ली जायेगी? (ख) यदि हाँ, तो अटल सरोवर के सौन्दर्यीकरण एवं विकास की कार्य योजना क्या शासन को प्रेषित की गई है? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) प्रस्ताव यदि शासन के पास लम्बित है, तो नगर की

इस बहुप्रतिक्षित योजना को कब तक स्वीकृति प्रदान की जायेगी? (घ) अटल सरोवर के चारों ओर अंतिक्रामक हैं, व्यापक जनहित में विभाग कब तक इस क्षेत्र को सख्ती से अतिक्रमण मुक्त करेगा?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) खण्डवा शहर के अटल सरोवर नागचून तालाब के विकास एवं सौंदर्यीकरण हेतु नगर निगम खण्डवा व्दारा पर्यटन विभाग को योजना तैयार कराने हेतु पत्र लिखा गया है। (ख) जी नहीं। उत्तरांश 'क' के अनुसार कार्यवाही की गई है। (ग) जी नहीं। समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) कलेक्टर खण्डवा एवं नगर निगम खण्डवा व्दारा अतिक्रमण हटाने के संबंध में कार्यवाही की जा रही है।

<u>खंडवा जिले की वनरोपणी में पौधों से आय</u>

13. (क्र. 1000) श्री देवेन्द्र वर्मा : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खंडवा जिले में कितनी वनरोपणी संचालित हैं? यहाँ पर कौन सी प्रजाति के पौधारोपण तैयार किये जाते हैं? वनरोपणीवार जानकारी दी जाए? (ख) गत दो वर्षों में इन नर्सरी में कितने पौधे तैयार किए गए एवं उन पर कितना व्यय हुआ है? वन रोपणीवार जानकारी दी जावे? (ग) खंडवा जिला मुख्यालय की वनरोपणी में विगत दो वर्षों में कितने पौधे किन कारणों से मृत हुए? (घ) वनरोपणी में विगत दो वर्षों में तैयार पौधों से शासन को कितनी आय हुई? लक्ष्य अनुरूप आय न होने एवं मृत पौधों की देखभाल न हो पाने पर कौन अधिकारी जिम्मेदार है, उनसे शासाकीय धन की हानि की वसूली कब तक कर ली जाएगी?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) खण्डवा जिले में छ: वन रोपणियां संचालित हैं, शेष **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' के अनुसार** है। (ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र -'ब' अनुसार** है। (ग) प्रश्नांकित रोपणी में विगत दो वर्षों में बीजारोपण, रूटशूट/ राईजोम प्रत्यारोपण (ट्रांसप्लॉटिंग), से तैयार पौधों में अंशत: अंकुरण, प्रिस्प्राउटिंग न होने की स्थिति में पुन: बीज रोपण, रूटशूट/ राईजोम प्रत्यारोपण से पौधे तैयार किये गये, मृत पौधों का रिकार्ड संधारित नहीं किया जाता है। (घ) विगत दो वर्षों में रोपणियों में तैयार किये गये पौधे बिक्री से शासन को हुई आय का विवरण निम्नानुसार है :-

वर्ष	प्राप्त आय
2012-13	6,62,720
2013-14	4,68,230

रोपणीवार आय हेतु लक्ष्य निर्धारित नहीं रहता है। उत्तरांश 'ग' के परिप्रेक्ष्य में शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट –''अड़तालीस''

लुहर्रा मार्ग का निर्माण में किसानों की भूमि अधिग्रहण का मुआवजा

14. (क्र. 1021) इन्जी. प्रदीप लारिया : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर जिले में सागर - लुहर्रा मार्ग का निर्माण कार्य कब और कितनी लागत से कराया गया था? (ख) क्या उक्त मार्ग निर्माण में किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया गया था? यदि हाँ, तो किन-किन ग्रामों के कितने किसानों की भूमि उक्त मार्ग निर्माण में अधिग्रहण की गई? (ग) क्या अधिग्रहण की गई किसानों की भूमि का मुआवजा शासन द्वारा निर्धारित समय-सीमा में प्रदान किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों और मुआवजा राशि कब तक वितरित की जावेगी? (घ) मुआवजा वितरण में हुई अनियमितता के लिये क्या दोषी शासकीय सेवकों के विरूद्ध शासन कार्यवाही करेगा?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) दिनांक 15.05.2012 को और राशि रूपये 559.00 लाख। (ख) जी हाँ। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ग) जी नहीं। भू-अर्जन अधिनियम संशोधन के कारण। अतिरिक्त राशि के भुगतान हेतु आवंटन की कार्यवाही प्रचलन में होने से वर्तमान में समय-सीमा बताना संभव नहीं है। (घ) उत्तरांश 'ग' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट –''उन्चास''

लघु उद्योग निगम सागर द्वारा क्षेत्र में किये गये कार्यों की स्वीकृति

15. (क्र. 1022) इन्जी. प्रदीप लारिया : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विगत पांच वर्षों में लघु उद्योग निगम सागर द्वारा विधानसभा क्षेत्र नरयावली में कितने कार्य स्वीकृत किये गये? जानकारी देवें? (ख) क्या उक्त स्वीकृत कार्य समयावधि में पूर्ण किये गये हैं? (ग) यदि समयावधि में पूर्ण नहीं किये गये हैं, तो विभाग द्वारा संबंधित कार्य ऐजेंसियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है? (घ) यदि विभाग द्वारा कार्य समयावधि में पूर्ण नहीं हुये हैं, तो संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध विभाग कार्यवाही करेगा?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) से (घ) कोई भी कार्य स्वीकृत नहीं किया है। अत: शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

नगर पालिका ब्यावरा को प्राप्त आय-व्यय

16. (**क्र. 1191**) **श्री नारायण सिंह पँवार :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले की नगर पालिका ब्यावरा में विगत दो वर्षों में शासन द्वारा किस-किस मद में कब-कब, कितनी राशि प्रदान की गई? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त राशि के विरूद्ध कब-कब, कितनी-कितनी राशि का भुगतान किन-किन मदों में किस-किस व्यक्ति को किस प्रयोजन हेतु किया गया? (ग) उपरोक्तानुसार नगर पालिका ब्यावरा द्वारा उक्त अवधि में किये गये विकास एवं निर्माण कार्यों का भौतिक सत्यापन किन-किन तकनीकी अधिकारियों द्वारा कब-कब किया गया? भौतिक सत्यापन में कौन-कौन से कार्य अमानक स्तर के पाये गए तथा उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही प्रस्तावित की गई? यदि नहीं तो क्यों? (घ) क्या परिषद का संचालन पूर्ण वैधानिक परिप्रेक्ष्य में किया गया? क्या निकाय द्वारा निरंतर ऐसे कार्य जिनकी लागत 50 हजार के लगभग थी? स्वीकृत किये गये जिनसे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि उक्त कार्य नगर विकास के हित में न होकर राशि का पूर्णत: दुरूपयोग हुआ है? ऐसे स्वीकृत राशि के कार्यों का भौतिक सत्यापन वरिष्ठ तकनीकी परीक्षकों से कराया जावेगा?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 'अ' अनुसार** है। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 'ब' अनुसार** है। (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 'स' अनुसार** है। भौतिक सत्यापन में कोई भी कार्य अमानक स्तर का नहीं पाया गया। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी हाँ। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

चन्द्रपुरा से तलावड़ा मार्ग की स्वीकृति

17. (**क्र. 1229**) **श्री दुर्गालाल विजय :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सच है कि श्योपुर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत चन्द्रपुरा से तलावड़ा मार्ग की दशा वर्तमान में ठीक नहीं है? ये मार्ग क्षेत्र का महत्वपूर्ण एवं व्यस्ततम ग्रामीण मार्ग हैं, इस कारण इस मार्ग का उन्नतीकरण आवश्यक है? (ख) क्या यह भी सच है कि प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित तारांकित प्रश्न संख्या-66 (क्रमांक-752), दिनांक 11.12.2014 के प्रश्नांश (ख) के उत्तर में अवगत कराया गया है कि उक्त मार्ग का प्रस्ताव स्थाई वित्तीय समिति की 98वीं बैठक में अनुमोदित है? (ग) यदि हाँ, तो प्रश्नांश (क) में वर्णित मार्ग के उन्नतीकरण कार्य की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए इस कार्य को क्या शासन वर्ष, 2015-16 की प्लान सीलिंग के तहत वर्ष, 2015-16 के ही वार्षिक बजट में शामिल करके शीघ्र प्रशासकीय स्वीकृति जारी करेगा? (घ) इस संबंध में प्रश्नकर्ता के द्वारा विभाग के मा. मंत्रीजी एवं अधिकारियों को प्रेषित पत्र दिनांक 14.1.2015 पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जी हाँ। जी नहीं, जी हाँ। (ख) जी हाँ। (ग) वर्ष 2015-16 में उपलब्ध प्लान सीलिंग एवं विभागीय बजट के अनुरूप परीक्षणोपरांत आगामी बजट में शामिल कराने की कार्यवाही की जावेगी। बजट में शामिल होने के उपरांत ही प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जा सकेगी। (घ) प्रचलित सड़क एस.ओ.आर. के अनुरूप डी.पी.आर. बनाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अत: शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

मालीपुरा से राड़ेप मार्ग की स्वीकृति

18. (**क्र. 1231**) **श्री दुर्गालाल विजय :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सच है कि श्योपुर विधान सभा क्षेत्रांतर्गत ग्राम मालीपुरा से राड़ेप मार्ग वर्तमान में कच्चा मार्ग है? (ख) उक्त कारण से ही उक्त मार्ग का निर्माण कराये जाने की आवश्यकता है? (ग) यदि हाँ, तो क्या शासन निर्माण कार्य की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए उक्त मार्ग को वर्ष, 2015-16 के वार्षिक बजट में शामिल करेगा, के उपरांत शीघ्र प्रशासकीय स्वीकृति जारी करेगा, बतावें? (घ) इस संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा मंत्री जी एवं विभागीय अधिकारियों को प्रेषित पत्र दिनांक 14.1.15 पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) जी नहीं। (घ) डी.पी.आर. तैयार करने की कार्यवाही प्रगति पर। प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

जांच हेतु लंबित जमीनों पर प्रचलित अधिकारों एवं प्रयोजनों के ब्यौरे दर्ज करना

19. (**क्र. 1446**) **श्री निशंक कुमार जैन :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 4 में अधिसूचित धारा 5 से 19 तक की जांच हेतु लंबित जमीनों पर प्रचलित अधिकारों एवं प्रयोजनों के ब्यौरे वन विभाग ने वर्किंग प्लान, संरक्षित वन कक्ष इतिहास, पी.एफ.एरिया रजिस्टर एवं संरक्षित वन कक्ष मानचित्र में लेखबद्ध किए जाने, दर्शाए जाने की कार्यवाही प्रश्नांकित तिथि तक भी प्रारंभ नहीं की है? (ख) धारा 5 से 19 तक की जांच हेतु लंबित जमीनों के संरक्षित वन कक्ष मानचित्र बनाए जाने का अधिकार वन विभाग को किस कानून, किस नियम, किस न्यायालीन आदेश के तहत प्रदान किया गया है? इन मानचित्रों के आधार पर प्रबंध किए जाने का वन विभाग को क्या-क्या अधिकार है? (ग) वन विभाग द्वारा अपने प्रबंधन में ली गई जमीनों पर प्रचलित अधिकारों को वर्किंग प्लान, वनकक्ष इतिहास एवं पी.एफ.एरिया रजिस्टर में प्रश्नांकित तिथि तक भी लेखबद्ध न किए जाने का क्या-क्या कारण रहा है? (घ) धारा 5 से 19 तक की जांच हेतु लंबित जमीनों पर प्रचलित अधिकार एवं प्रयोजनों के ब्यौरे वर्किंग प्लान पी.एफ.एरिया रजिस्टर एवं संरक्षित वन कक्ष इतिहास में लेखबद्ध किए जाने हेतु क्या

कार्यवाही की जा रही है? कब तक की जावेगी?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क), (ग) एवं (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख) प्रश्नांकित जमीनों में सम्मिलित संरक्षित वनों के प्रबन्धन हेतुमानचित्र कार्य आयोजना के अंग हैं। कार्य आयोजना के आधार पर भारतीय वन अधिनियम, १९२७ के प्रावधानों को लागूकरने हेतु इस अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए वनों का प्रबंधन करना वन विभाग का दायित्व है। धारा-४ में अधिसूचित संरक्षित वनों को छोड़कर शेष भूमियों को संरक्षित वन नहीं माना जाता लेकिन निजी भूमियों को छोड़कर शेष भूमियों के प्रबंधन हेतु उनके मानचित्र बनाये जाते हैं।

धारा 4 (1) में अधिसूचित वनखण्डों में शामिल जमीन

20. (क्र. 1447) श्री निशंक कुमार जैन : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के द्वारा दिसम्बर 2009 में वन व्यवस्थापन अधिकारियों के लिए जारी दिशा निर्देश में किस अनुविभागीय अधिकारी के समय कितने वनखण्ड में शामिल कितनी जमीनों की जांच लंबित होना बताया गया था? किस वनमंडल में कितनी नारंगी भूमि एवं कितनी निजी भूमि वन विभाग के नियंत्रण या प्रबंधन में होना बताया गया था? (ख) भोपाल संभाग के किस अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष जांच हेतु लंबित कितनी जमीनों में से कितनी जमीन आजादी के पूर्व बाजिबुल अर्ज एवं हूकूक रजिस्टर में किन-किन सार्वजनिक एवं निस्तारी प्रयोजनों के लिए दर्ज होना वन विभाग ने बताया है? (ग) जांच हेतु लंबित जमीनों पर दर्ज सार्वजनिक एवं निस्तारी प्रयोजनों को लेकर दिसम्बर, 2009 को जारी दिशा निर्देश में क्या-क्या निर्देश अनुविभागीय अधिकारी या वन व्यवस्थापन अधिकारी को दिए गए? (घ) जांच हेतु लंबित जमीनों पर बाजिबुल अर्ज, हूकूक रजिस्टर, निस्तार पत्रक, अधिकार अभिलेख में दर्ज सार्वजनिक एवं निस्तारी प्रयोजन को वन अधिकार कानून, 2006 के अनुसार लेखबद्ध किए जाने हेतु वन विभाग ने क्या-क्या कार्यवाही की है? कब तक प्रयोजनों को लेखबद्ध किए जाने की कार्यवाही कर ली जावेगी?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) एवं (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) उत्तरांश ''क'' में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। सार्वजनिक एवं निस्तारी प्रयोजनों के अधिकारों का विनिश्चयन वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा अद्र्धन्यायिक प्रक्रिया के अधीन किये जाने की कार्यवाही प्रचलित है। (घ) अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 में वन भूमि पर प्रावधानित अधिकारों की मान्यता दिये जाने की कार्यवाही इस अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु नोडल

विभाग आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा सम्पादित की जा रही है। अत: शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

निर्माण कार्यों की जानकारी

21. (**क्र. 1573**) **श्री मधु भगत :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग जिला बालाघाट में वर्ष 2012-13, 2013-14 तथा 2014-15 से प्रश्न दिनांक तक कितने कार्य कितनी-कितनी राशि के किस मद से कब-कब करवाये गये? विकासखण्डवार एवं वर्षवार पूर्ण ब्यौरा देवें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार प्रचलित कार्य में से कितने कार्य पूर्ण है? कितने अपूर्ण है? एवं उक्त कार्य में से किस-किस कार्य के लिये किस-किस को कितनी-कितनी राशि का भुगतान किस दिनांक को चेक/ड्राफ्ट क्रमांक एवं नगद राशि के रूप में किया गया? वर्षवार कार्यवार भुगतान की गई राशि का पूर्ण ब्यौरा देवें? (ग) प्रश्नांश (क) में वर्णित कार्यों में से कौन-कौन से कार्य है? जिनके पूर्ण किये बिना अथवा कार्य प्रारंभ किये बिना कार्य से अधिक राशि का भुगतान किया गया? कार्यवार किये गये भुगतान का पूर्ण ब्यौरा देवें? (घ) प्रश्नांश (क) अनुसार स्वीकृत कार्यों में अनियमितता और भ्रष्टाचार की कितनी शिकायतें जिला एवं राज्य स्तर पर प्राप्त हुई? कृपया शिकायतों का विवरण देते हुये बतावें कि इनमें से किन-किन शिकायतों की जांच किसके द्वारा कराई गई एवं जांच के पश्चात क्या कार्यवाही की गई?

उद्योग मंत्री (**श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया**) **:** (क) प्रश्नाधीन वर्षों में कोई भी राशि प्रदान नहीं की गई। (ख) से (घ), (क) के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

वन समितियों द्वारा कराये गये कार्य

22. (**क्र. 1616**) **श्रीमती उमादेवी लालचंद खटीक :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दमोह जिला अंतर्गत वन समितियों के द्वारा विगत वर्ष 2010 से 2014 तक कौन-कौन से कार्य कब-कब, कितनी-कितनी राशि से कहाँ-कहाँ कराये गये है? (ख) क्या समस्त स्वीकृत कार्य गुणवत्ता पूर्ण हुये है? यदि हाँ, तो किन-किन उपयंत्रियों / वरिष्ठ अधिकारियों ने उक्त कार्यों का मूल्यांकन किया गया है? यदि गुणवत्ता हीन कार्य हुये है, तो जांच दल वनाकर जांच करायी गयी व दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों/ऐजेसियों पर क्या-क्या कौन सी कार्यवाही की गई?

वन मंत्री (**डॉ. गौरीशंकर शेजवार**) **:** (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) जी हाँ। उक्त कार्यों का मूल्यांकन संबंधित उप वनमण्डलाधिकारियों/ परिक्षेत्राधिकारियों द्वारा किया गया। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

धार्मिक स्थलों का रख-रखाव

23. (**क्र. 1699**) **श्री सचिन यादव :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) कसरावद विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत विद्यमान मंदिरों, मस्जिदों तथा गुरूद्वारों के रख-रखाव के लिए कितनी-कितनी राशि विगत पांच वर्षो से प्रश्न दिनांक तक किस-किस मंदिर में किस-किस कार्य हेतु आवंटित की और उक्त राशि के कार्यो को पूर्ण किया गया है हाँ, तो बतायें नहीं तो क्यों कारण दें? (ख) प्रश्नांश (क) में दर्शित धार्मिक स्थलों में से ऐसे कितने स्थल ऐसे हैं जो जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है जिनके सौन्दर्यकरण का निर्माण कार्य नहीं किया गया है? (ग) प्रश्नांश (ख) में दर्शित धार्मिक स्थलों के निर्माण कार्यो को कब तक पूर्ण करा लिया जायेगा?

उद्योग मंत्री (**श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया**) **:** (क) खरगौन जिले में खरगौन विधानसभा क्षेत्रांतर्गत विगत 5 वर्षो से प्रश्न दिनांक तक निम्नानुसार मंदिरों के जीर्णोद्वार करवाये गये है (1) वर्ष 2010-11 में (अ)श्रीराम मंदिर बलकवाडा में राशि 1,00,000/- अक्षरी (एक लाख) (ब) गांगलेश्वर महादेव मंदिर कसरावद राशि 100000/-अक्षरी (एक लाख रू) (स) मनकामनेश्वर मंदिर अदलपुरा राशि रू. 100000/-अक्षरी (एक लाख रू) (2) वर्ष 2011-12 निरंक (3)वर्ष 2012-13 में श्रीराम मंदिर श्रीकृष्ण मंदिर शिवमंदिर भटयाण बु. राशि रूपये 18,00,000/-अक्षरी (अठारह लाख रू) (4)वर्ष 2013-14 में निरंक 5-वर्ष 2014-15 में निरंक (ख) प्रश्नाश क मे दर्शित धार्मिक स्थलो का कार्य पूर्ण करा लिया गया है। वर्ष 2012-13 के धार्मिक स्थलों में कार्य प्रगति पर है। (ग) प्रश्नांश ख में दर्शित वर्ष 2012-13 के धार्मिक स्थलो के जीर्णोद्वार का कार्य मार्च 2015 तक पूर्ण कर लिया जावेगा।

अनुदान राशि की स्वीकृति

24. (**क्र. 1715**) **श्री प्रताप सिंह :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) दमोह जिले में जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में रानी दुर्गावती योजना, दीनदयाल रोजगार योजना तथा अन्य योजनाओं के अन्तर्गत कितना भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य प्राप्त हुआ था? इसके विरूद्ध कितने प्रकरण तैयार कर बैंक में भेजे तथा कितने स्वीकृत हुए? स्वीकृत प्रकरणों में अनुदान राशि जारी हुई है अथवा नहीं? अनुदान की राशि कब तक जारी हो जावेगी? ऐसे प्रकरणों की सूची मय कारण के बतलावें? (ख) प्रश्नांश (क) में दर्शाये प्रकरणों में से कितने प्रकरण स्थानीय जिलास्तर समिति से अनुमोदित कर किस-किस दिनांक को प्राविधिक स्वीकृति हेतु कलेक्टर दमोह को प्रेषित किये गये हैं? कितने प्रकरण बैंकों में किन-किन दिनांक में भेजे गये हैं? (ग) ऐसे कितने प्रकरण है, जिनकी जिलास्तरीय समिति में प्राविधिक स्वीकृति हो जाने के पश्चात कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये तथा स्वीकृति हेतु लम्बित है? (घ) वर्ष 2014-15 में बेरोजगारों को रोजगार

उपलब्ध कराने हेतु शासन की कौन-कौन सी योजनाएं हैं? इन योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु दमोह जिले के लिए कितना भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किया गया है? लक्ष्य के अनुरूप अभी तक कुल कितने प्रकरण तैयार कर बैंक भेजे गये हैं? बैंकों द्वारा सभी स्वीकृत प्रकरणों में देय राशि जारी कर दी गई है अथवा प्रकरण लम्बित रखे गये हैं? यदि लम्बित रखे गये हैं? बैंकवार प्रकरणों की संख्या बताएं?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र -1 अनुसार** है। स्वीकृत प्रकरणों में अनुदान राशि जारी हुई है। (ख) रानी दुर्गावती स्वरोजगार योजना अंतर्गत बैंकों से स्वीकृत प्रकरणों में अनुदान राशि स्वीकृत करने के लिये रू. 1.00 लाख से रू. 5.00 लाख तक के प्रकरण जिला कलेक्टर को भेजे जाते थे। कलेक्टर को अनुमोदन हेतु भेजे गये प्रकरणों की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र -2 अनुसार** है। (ग) ऐसा कोई प्रकरण लम्बित नहीं है। (घ) वर्ष 2014-15 में बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिये निम्नांकित योजनाएं संचालित है :- (1) मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना (2) मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना तथा (3) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम शेष **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र -3 अनुसार** है।

<u>परिशिष्ट –''पचास''</u>

<u>वन विकास अभिकरण के तहत कार्य</u>

25. (**क्र. 1780**) **कुँवर विक्रम सिंह :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर जिले में वन विकास अभिकरण के तहत आस्था मूलक कार्य, सूक्ष्म प्रबंध योजना निर्माण, भू एवं जल संरक्षण कार्य, जागरूकता प्रशिक्षण पर शासन द्वारा कितना आवंटन 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 में प्राप्त हुआ? (ख) जिले में भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा दी गई राशि से जिले में कितने हेक्टेयर में पौधा रोपण किया गया? उनका स्थान सहित पौधों की क्या स्थिति है, विवरण दें? (ग) धरातल पर विभागीय अधिकारियों ने भौतिक सत्यापन कब किया स्पष्ट करें?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) छतरपुर जिले में वन विकास अभिकरण के तहत प्रश्नांकित कार्यों के लिए प्रश्नांकित अवधि में कोई आंवटन प्राप्त नहीं हुआ। (ख) एवं (ग) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है।

<u>परिशिष्ट –''इक्यावन''</u>

<u>नगरपालिकाओं एवं नगर पंचायतों में व्यय</u>

26. (**क्र. 1784**) **कुँवर विक्रम सिंह :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर जिलान्तर्गत वर्ष 2012 से दिसम्बर 14 तक नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों में निर्माण कार्यों एवं पार्कों के निर्माण में कितनी राशि का व्यय किया गया? (ख) कचड़ा प्रबंधन के तहत कितनी राशि का व्यय किया गया? (ग) शासन की संचालित हितग्राही मूलक योजनाओं में कितनों को लाभ मिला उनकी कितनी संख्या है?

नगरीय विकास मंत्री (**श्री कैलाश विजयवर्गीय**) **:** (क) से (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखें परिशिष्ट अनुसार** है।

<u>**विकासखाते की बजाय समिति खाते में राशि जमा करवाया जाना**</u>

27. (**क्र. 1841**) **श्रीमती रेखा यादव :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के आदेश दिनांक 28 जनवरी 2012 में वनों की सुरक्षा एवं अग्नि सुरक्षा की राशि समिति खाते में जमा करवाए जाने का अधिकार किस वन अधिकारी को प्रदान किया गया हैं? यदि वनों की सुरक्षा एवं अग्नि सुरक्षा की राशि समिति खाते में जमा करवाए जाने के कोई आदेश निर्देश नहीं है तो यह राशि किस खाते में जमा करवाए जाने के प्रावधान 28 जनवरी 2012 के पत्र में किए गए हैं? (ख) अता. प्रश्न संख्या-80 (क्रमांक 1103) दिनांक 11 दिसम्बर 2014 के संलग्न **परिशिष्ट** में छतरपुर वनवृत की कितनी समितियों को वनों की सुरक्षा एवं अग्नि सुरक्षा की कितनी राशि समिति खातें में जमा करवाए जाने की जानकारी दी गई हैं? यह राशि किस वन अधिकारी ने समिति खाते में जमा करवाई हैं पद व नाम सहित बतावें? (ग) वनों की सुरक्षा एवं अग्नि सुरक्षा की राशि 28 जनवरी 2012 के शासनादेश की अवहेलना कर विकास खाते की बजाय समिति खाते में जमा करवाए जाने वाले वन अधिकारियों के विरूद्ध राज्य शासन ने किस दिनांक को क्या-क्या कार्यवाही की यदि कार्यवाही नहीं की गई हो तो कारण बतावें? (घ) 28 जनवरी 2012 के शासनादेश का उल्लंघन कर वनों की सुरक्षा एवं अग्नि सुरक्षा की राशि समिति खाते में जमा करवाए जाने वाले वन अधिकारियों के विरूद्ध शासन क्या कार्यवाही कर रहा है? कब तक करेगा समय सीमा बतावें?

वन मंत्री (**डॉ. गौरीशंकर शेजवार**) **:** (क) प्रश्नांकित आदेश में वनों की सुरक्षा एवं अग्नि सुरक्षा की राशि समिति खाते में जमा कराये जाने का अधिकार किसी वन अधिकारी को नहीं दिया गया है, किन्तु वनों की सुरक्षा एवं अग्नि सुरक्षा के एवज में समिति द्वारा राशि अर्जित की गई एवं अर्जित राशि को समिति खाते में जमा कराये जाने के प्रावधान दिये गये हैं। (ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ग) एवं (घ) प्रश्नांकित आदेश की अवहेलना नहीं

हुई। अत: शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट –''बावन''

संरक्षित वन की अधिसूचना

28. (**क्र. 1842**) **श्रीमती रेखा यादव :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि छतरपुर वनवृत के अंतर्गत भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के तहत संरक्षित वन अधिसूचित किए बिना ही धारा 4 (1) एवं धारा 34अ के तहत भूमियों को अधिसूचित कर दिया गया है? (ख) यदि हाँ, तो छतरपुर वनवृत के अंतर्गत राजपत्र में किस दिनांक को धारा 29, धारा 4 (1) एवं धारा 34अ के तहत कितनी-कितनी भूमियों को कितने ग्रामों की समस्त भूमियों को अधिसूचित किया गया इनमें से कितनी भूमि वर्तमान वर्किंग प्लान में भी सम्मिलित हैं? (ग) धारा 29 में संरक्षित वन अधिसूचित किए बिना ही धारा 4 (1) एवं धारा 34अ में भूमियों को अधिसूचित किए जाने का प्रावधान किस-किस धारा में दिया गया है ऐसा किए जाने का अधिकार किस न्यायालीय आदेश के तहत वन विभाग को प्रदान किया गया है? (घ) 1965 में जोड़ी गई धारा 20अ के तहत छतरपुर वनवृत की कितनी जमीनों को संरक्षित वन भूमि माना गया यह जमीनें राजस्व अभिलेखों में किन-किन मदों एवं किन-किन प्रयोजनों के लिए दर्ज भूमि रही है?

वन मंत्री (**डॉ. गौरीशंकर शेजवार**) **:** (क) यह सही है कि छतरपुर वन वृत्त के अन्तर्गत भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-29 के तहत संरक्षित वन अधिसूचित किये बिना ही धारा-4 (1) के तहत भूमियों को अधिसूचित कर दिया गया है किन्तु यह सही नहीं है कि धारा-29 के तहत संरक्षित वन अधिसूचित किये बिना ही भूमियों को धारा-34 (अ) के अन्तर्गत अधिसूचित कर दिया गया है। (ख) जानकारी संकलित की जा रही है। (ग) किसी भूमि को धारा-29 में अधिसूचित किये बिना भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-4 (1) में अधिसूचित किये जाने का प्रावधान भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-3 में निहित है जिसके लिये किसी न्यायालयीन आदेश की आवश्यकता नहीं है। भारतीय वन अधिनियम, 1927 में अधिसूचित किये बिना धारा-34 (अ) के तहत अधिसूचित किये जाने का न तो कोई प्रावधान है और न ही ऐसा करने हेतु कोई न्यायालयीन आदेश है। (घ) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है।

परिशिष्ट –''तिरेपन''

बैतूल जिले में वन्यप्राणी अभयारण्य का निर्माण

29. (**क्र. 1883**) **श्री हेमन्त विजय खण्डेलवाल :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या बैतूल जिले के अंतर्गत वन्यप्राणियों की सुरक्षा की दृष्टि से वन्यप्राणी अभयारण्य के निर्माण का प्रस्ताव है? (ख) यदि हाँ तो कहाँ? (ग) क्या यह सही है कि भैंसदेही, सावलमेंढ़ा, रानीपुर, सारनी परिक्षेत्र के वनों को मिलाकर वन्यप्राणी अभयारण्य बनाने के लिए प्रस्ताव विचाराधीन है? (घ) यदि हाँ तो प्रस्ताव किस स्तर पर लंबित है?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) से (घ) जी नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>उद्योग की स्थापना</u>

30. (**क्र. 1990**) **श्रीमती नंदनी मरावी :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रश्नकर्ता के पत्र क्रमांक 137 एवं 138 दिनांक 11.10.14 के द्वारा जिला जबलपुर में तहसील सिहोरा में म.प्र.वि.यं. लि. गोसलपुर में बंद पड़ी कंपनी में उद्योग लगाने एवं विकासखण्ड कुण्डम अंतर्गत उद्योग स्थापना हेतु भूमि आरक्षित के संबंध में उल्लेख किया गया था? (ख) क्या यह सही है कि प्रश्नांश (क) प्रस्तावों पर अभी तक कार्यवाही नहीं की गई? यदि हाँ तो कब तक कार्यवाही की जावेगी?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) जी हाँ। (ख) पत्र क्र. 137 के संबंध में:- तहसील सिहोरा में मध्यप्रदेश विद्युत यंत्र लिमिटेड गोसलपुर में बंद पडी कंपनी के विरूद्ध बैंक/वित्तीय संस्थानों द्वारा उनके बकाया लेनदारियों की वसूली हेतु डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल में वाद प्रस्तुत किया है, जो कि वर्तमान में प्रचालित है। न्यायालय में प्रकरण प्रचलित होने के कारण कार्यवाही संभव नहीं है। पत्र क्र. 138 के संबंध में विकासखंड कुण्डम अंतर्गत उद्योग स्थापना के संबंध में प्रश्नाधीन भूमि का निरीक्षण पशु चिकित्सा विभाग, महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, जबलपुर, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम लि. जबलपुर, संयुक्त संचालक उद्योग परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालय जबलपुर के साथ किया एवं मौके पर पाया गया कि प्रश्नाधीन भूमि सघन वनों से आच्छादित है। प्रश्नाधीन भूमि वन विभाग के कम्पार्टमेंट क्र. 234 एवं 235 में दर्ज होकर वर्ष 1958 में पशु चिकित्सा विभाग को गौ-सेवा सदन के संयालन हेतु चारागाह के रूप में उपयोग करने हेतु दी गई थी। भूमि का हस्तांतरण वन विभाग से पशु चिकित्सा विभाग को नहीं किया गया था। आज भी भूमि पर अधिपत्य वन विभाग का है। वन भूमि होने के कारण कार्यवाही संभव नहीं है।

<u>खण्डवा-पंधाना मार्ग निर्माण कार्य पूर्ण होने की समय सीमा</u>

31. (क्र. 2019) श्रीमती योगिता नवलसिंग बोरकर : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक निर्माण विभाग द्वारा खण्डवा पंधाना मार्ग किस योजना के अन्तर्गत किया जा रहा है? उक्त कार्य की लम्बाई, लागत एवं कार्य स्वीकृति एवं पूर्ण होने की समयावधि क्या है? (ख) क्या यह निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण हो चुका है? यदि नहीं तो क्यों? निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं करने के लिए कौन अधिकारी/ठेकेदार दोषी है, उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? नहीं की तो क्यों तथा कब तक की जावेगी? (ग) क्या यह सही है कि विगत डेढ़ वर्ष से अधिक अवधि से उक्त कार्य पूर्ण नहीं होने से ग्रामीण जनता को लगभग 30 कि.मी. का अतिरिक्त लम्बा सफर चक्कर लगाकर जाना पड़ रहा है इसके लिए जिम्मेदार कौन है? (घ) उक्त कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) योजना मद 24/5054/5139 (मुख्य जिला मार्ग का उन्नयन) के अंतर्गत। लंबाई 16.60 कि.मी. लागत रूपये 1786.74 लाख एवं स्वीकृति दिनांक 12.04.2013 तथा पूर्ण होने की समयावधि अनुबंधानुसार 17 माह है। (ख) जी नहीं। खनिज उत्खनन हेतु पर्यावरण विभाग की अनुमति ठेकेदार को विलंब से दिनांक 22.01.2015 को प्राप्त होने के कारण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति अप्राप्त होने से, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होते। (ग) जी नहीं। कोई नहीं। (घ) वर्तमान में निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं है।

गरीबी रेखा में नाम जोड़ने के लंबित प्रकरण

32. (क्र. 2059) श्री चम्पालाल देवड़ा : क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) देवास जिले की बागली विधान सभा क्षेत्रांतर्गत नगर परिषदों में गरीबी रेखा की सूची में कितने लोगों के नाम दर्ज? वार्डवार संख्या बतायें? फरवरी 2015 की स्थिति में? (ख) क्या उक्त सभी व्यक्तियों के नाम नगरीय क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज है? यदि नहीं, तो उक्त गरीबी रेखा की सूची में दर्ज किन-किन परिवारों के नाम मतदाता सूची में नहीं है? (ग) 1 जनवरी 2013 से फरवरी 2015 तक उक्त जिलों के नगरीय क्षेत्रों में गरीबी रेखा की सूची में नाम जोड़ने के किन-किनके आवेदन पत्र प्राप्त हुए? किन-किनके नाम जोड़े गये, तथा किन-किनके आवेदन पत्र क्यों लंबित हैं? कारण बतायें? (घ) उक्त लंबित आवेदन पत्रों का निराकरण कब तक होगा? समयावधि बतायें?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** (ख) जी हाँ। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार**। (घ) आवेदन पत्र लंबित नहीं है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट –''चौवन''

शिक्षा उपकर राशि की वसूली

33. (**क्र. 2060**) **श्री चम्पालाल देवड़ा :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) देवास जिले के नगरीय निकायों द्वारा वर्ष 2012-13 से फरवरी 2015 तक शिक्षा उपकर की राशि वर्षवार कितनी वसूल की तथा कितनी बकाया है? (ख) क्या यह सत्य है कि उक्त राशि विद्यालयों की मरम्मत में व्यय न करके अन्य कार्य कराये यदि हाँ, तो क्यों? (ग) उक्त निर्माण द्वारा बनाये गये शांपिग काम्पलैक्स की दुकाने बेरोजगारों को आवंटित क्यों नहीं की गई कारण बताये तथा कब तक आवंटित करेंगे?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) शिक्षा उपकर की राशि का व्यय विद्यालयीन कार्यो पर ही किया गया है। (ग) शिक्षा उपकर की राशि से दुकानों का निर्माण नहीं कराया गया है।

परिशिष्ट –''पचपन''

मुख्यमंत्री जी की घोषणा पर सड़क निर्माण

34. (**क्र. 2087**) **श्री यशपालसिंह सिसौदिया :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है मन्दसौर संजीत मार्ग (35 कि.मी.) के निर्माण हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी यदि हाँ, तो कब? (ख) क्या यह सही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा उपरांत लोक निर्माण विभाग द्वारा रोड निर्माण हेतु विज्ञप्ति भी जारी की जा चुकी है? यदि हाँ, तो किस दिनांक को? विज्ञप्ति हेतु कितने ठेकेदारों ने टेण्डर/आवेदन किया, नाम बताएं? (ग) विज्ञप्ति जारी होने के पश्चात् प्रश्न दिनांक तक कार्य प्रारंभ न होने के क्या कारण है? कार्य कब तक प्रारंभ कर दिया जायेगा?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जी हाँ। 25 मई 2013। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्नांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्तरांश 'ख' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

नगरीय निकाय के प्रदेश स्तर पर लंबित योजना

35. (**क्र. 2088**) **श्री यशपालसिंह सिसौदिया :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मंदसौर जिले की विभिन्न नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगमों के 1 जनवरी 2012 से प्रश्न दिनांक तक कौन-कौन से प्रस्ताव उक्त नगरीय निकायों ने शासन के पास भेजे थे, प्राप्त प्रस्ताव पर क्या कार्यवाही की गई? (ख) उक्त जिलों की उक्त अवधि वाली कौन-कौन सी सड़को की प्रशासकीय एवं तकनीकी स्वीकृति शासन स्तर पर लंबित है? (ग) उक्त अवधि में उक्त जिलों में केन्द्र शासन से किन-किन योजनाओं की कितनी-कितनी

धनराशि, कब-कब, कहाँ-कहाँ के लिए प्राप्त हुई तथा कितनी और योजनाऐं केन्द्र के पास लंबित है तथा कितनी राज्य शासन के पास केन्द्र को भेजने हेतु विचाराधीन है? (घ) प्रश्नांश (ग) में स्वीकृत योजनाओं की राशि का किन-किन स्थानों पर निर्माण कार्य पूर्ण हो गया तथा किन-किन योजनाओं का अधूरा है, इन्हें कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) **जानकारी पुस्ताकलय में रखें परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है। (ख) नगर पालिका परिषद मन्दसौर में सिंहस्थ 2016 के तहत स्वीकृत कार्यो की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति की कार्यवाही परीक्षणाधीन है। (ग) एवं (घ) **जानकारी पुस्तकालय में रखें परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है।

जावरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पंजीकृत ट्रस्ट एवं उनसे संलग्न परिसंपतिया

36. (क्र. 2106) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) जावरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितने सामाजिक/धार्मिक/व्यक्तिगत एवं अन्य प्रकार के पंजीकृत विभिन्न प्रकार के कार्यों हेतु ट्रस्ट पंजीकृत होकर कार्यरत है? (ख) क्या उपरोक्त प्रकार के समस्त ट्रस्ट वर्तमान में प्रश्न दिनांक तक कार्यरत है अथवा शिथिल होकर निष्क्रीय है? (ग) यदि हाँ, तो क्या विभिन्न ट्रस्टों से संलग्न परिसपंतियां, भूमि, भवन, नगदी, विभिन्न प्रकार की सामग्री इत्यादि सुरक्षित होकर शासन के नियंत्रण में है तथा राजस्व रिकार्ड में पंजीबद्ध है?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : जानकारी एकत्रित की जा रही है।

जावरा नगर के मास्टर प्लान का कार्य

37. (क्र. 2107) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. के विभिन्न नगरो/महानगरों में शासन/विभाग द्वारा बढ़ती हुई जनसंख्या एवं जनआवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए मास्टर प्लान बनाये जाने का कार्य निरंतर रूप से किया जा रहा है? (ख) क्या रतलाम जिले में शासन/विभाग द्वारा निगम/न.पा. परिषद एवं नगर पंचायत परिषदों के क्षेत्रों में मास्टर प्लान बनाया जाकर उन पर कार्य किया जा रहा है? (ग) उपरोक्त नगर निगम क्षेत्र, नगर पालिका परिषद क्षेत्र एवं नगर पंचायत परिषद क्षेत्रों में मास्टर प्लान के अंतर्गत बढ़ती हुई आबादी एवं जनआवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न क्षेत्रों को सम्मिलित कर जनकार्य सम्मिलित किये गये है? यदि हाँ, तो रतलाम जिला अंतर्गत समस्त उपरोक्तानुसार तैयार किये गये मास्टर प्लान के समस्त तथ्यों, क्षेत्रों एवं कार्ययोजनाओं की स्थितियों से अवगत कराऐं?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ, संचालनालय द्‌वारा रतलाम जिले के अंतर्गत रतलाम, जावरा, एवं आलोट नगरों की विकास योजनाएं तैयार की गई है, जिसमें से प्रथम दो नगरो की विकास योजनायें अनुमोदित होकर लागू है। आलोट नगर की विकास योजना अनुमोदन हेतु विचाराधीन है। जहाँ तक कार्य किये जाने का प्रश्न है विकास योजनाओं के क्रियान्वयन का दायित्व संबधित विकास प्राधिकरणो एवं स्थानीय संस्थाओ का है। (ग) वांछित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है।

जावरा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत धार्मिक न्यासों एवं मंदिरों की स्थिति

38. (क्र. 2108) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या उद्‌योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या जावरा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत शासन/विभाग के अधीन अनेक धार्मिक न्यास एवं मंदिर तथा उनसे संलग्न अनेक परिसम्पत्तियां रिकार्ड में पंजीबद्‌ध है? (ख) यदि हाँ, तो जावरा नगर तहसील पिपलौदा एवं तहसील जावरा अंतर्गत कितने धार्मिक न्यास, मंदिर उनसे संलग्न भूमियां तथा कितनी परिसम्पत्तियां होकर शासन/विभाग के अधीन होकर नियंत्रण में है? (ग) क्या उपरोक्त प्रकार की समस्त परिसम्पत्तियां सुरक्षित होकर शासनाधीन है, तथा क्या उन पर मरम्मत मूलक, जीर्णोद्‌धार संबंधी तथा उनके विकास के लिये कार्य किये जा रहे हैं? (घ) यदि हाँ, तो वर्ष 2010 से लेकर प्रश्न दिनांक तक की स्थित से अवगत कराएं?

उद्‌योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

अवैधानिक नियुक्त कर्मचारियों को सेवा से पृथक किया जाना

39. (क्र. 2136) श्री हर्ष यादव : क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासनादेशानुसार सागर, भोपाल व रायसेन जिले के नगरीय निकायों में कौन-कौन अवैध नियुक्त कर्मचारियों को सेवा से पृथक करने के आदेश प्राप्त हुए हैं? किस-किस के मामले में आदेश का पालन कराया गया है? किस-किस प्रकरण में नहीं और क्यों? कारण बतावें? (ख) प्रश्नांश (क) वर्णित जिलों में किन-किन ने स्थगन प्राप्त किया था? स्थगन अवधि समाप्त होने के बाद क्या उन्हें सेवा से पृथक किया गया? नहीं तो क्यों? स्थगन अवधि समाप्त होने के बावजूद शासनादेश का पालन न कराने हेतु कौन-कौन उत्तरदायी है? उनके विरूद्‌ध क्या कार्यवाही की जावेगी?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) एवं (ख) **जानकारी संलग्ल परिशिष्ट** पर

है।

परिशिष्ट –''छप्पन''

सागर नगर निगम द्वारा नियम विरूद्ध ठेका दिया जाना

40. (**क्र. 2137**) **श्री हर्ष यादव :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के नगरीय निकायों द्वारा कम्प्यूटर संबंधी कार्य ठेका पद्धति से कराये जाने के क्या नियम, नीति, निर्देश हैं? (ख) सागर नगर निगम द्वारा कम्प्यूटर कार्य हेतु जो ठेका दिया गया है, क्या इस कार्य में शासन/विभाग/निकाय के नियमों-नीतियों का पालन किया गया है? नहीं तो क्यों? (ग) ठेका की अवधि बढ़ाये जाने हेतु क्या नियम-निर्देश हैं? नगर पालिक निगम सागर द्वारा कम्प्यूटर कार्य के ठेके की जो अवधि बढ़ाई गई है क्या वह नियमानुसार है? (घ) यदि नियम विरूद्ध ठेका दिया गया है और अवधि बढ़ाई गई है तो क्या यह निरस्त किया जावेगा? नहीं तो क्यों?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका (मेयर इन काउसिंल..........कर्तव्य) नियम, 1998 में निकाय द्वारा ठेके से कार्य कराने का प्रावधान है। (ख) सागर नगर निगम द्वारा कम्प्यूटर कार्य हेतु दिया ठेका निष्पादित अनुबंध के नियमों के अनुसार किया जा रहा है। (ग) ठेका की अवधि बढ़ाये जाने हेतु निष्पादित अनुबंध में ठेके की सामान्य शर्तों में प्रावधान दिए गए हैं। निष्पादित अनुबंधानुसार बढ़ाई गई ठेके की अवधि नियमानुसार है। (घ) अनुबंधानुसार ठेका अवधि बढ़ाई गई है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

4 जी नेटवर्क के टावरों का लगाया जाना

41. (**क्र. 2150**) **श्री नारायण त्रिपाठी :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला सतना अंतर्गत किन-किन निकायों में 4जी नेटवर्क के टॉवर किन-किन टेलिकाम कंपनियों द्वारा लगाये गए व लागए जा रहे है? (ख) 4जी के टॉवर लगाने हेतु उक्त निकायों द्वारा कितनी-कितनी राशि प्रति टॉवर कर/किराये आदि के रूप में ली जा रही है? (ग) क्या टेलिकाम कंपनी और निकायों द्वारा तय कर/किराये आदि की उक्त राशि नियमानुसार व युक्तिसंगत है? यदि नहीं, तो क्या इसकी समीक्षा की जावेगी? (घ) निकायों द्वारा 4जी टॉवर लगाने की अनुमति दिये जाने संबंधी करार, शर्तों आदि का पूर्ण विवरण दें? (ड.) क्या उक्त कंपनियों द्वारा समस्त पर्यावरणीय अनुमतियां ली गई है?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) सतना जिले के अंतर्गत नगर निगम सतना एवं नगर परिषद बिरसिंहपुर क्षेत्र में एयरटेल,रिलायंस, टाटा, आयडिया, वोडाफोन एवं बी.एस.एन.एल. कंपनी के 4जी नेटवर्क के टॉवर लगाये गये है। नगर परिषद रामपुर बघेलान

में रिलायंस कंपनी व्दारा 4जी नेटवर्क के टॉवर लगाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। (ख) 4जी नेटवर्क के टॉवर लगाने हेतु मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) प्रकाशित दिनांक 06-10-2012 की कंडिका (5) अनुसार निम्नलिखित अनुज्ञा शुल्क जमा कराया जाता है :-

अनुक्रमांक	नगरीय निकाय	अनुज्ञा शुल्क
1.	नगर पालिक निगम	रू. 75,000/-
2.	नगर पालिका परिषद	रू. 50,000/-
3.	नगर परिषद	रू. 25,000/-

(ग) जी हाँ। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) **जानकारी पुस्ताकालय में रखें परिशिष्ट अनुसार** है। (ड.) जी नहीं।

मैहर क्षेत्र की महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण

42. (**क्र. 2151**) **श्री नारायण त्रिपाठी :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मैहर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत मौदहा से लटागांव व भदनपुर से कैमोर की सड़कों का निर्माण कब, कितनी लागत से किस योजनान्तर्गत कराया गया? निर्माण कार्य किस एजेंसी द्वारा किन अधिकारियों की देखरेख में कराया गया? (ख) उक्त सड़कों की वर्तमान भौतिक स्थिति कैसी है? अत्यंत कम समय में इन दोनों सड़कों का पूरी तरह उखड़ जाने का क्या कारण है? क्या निर्माण एजेंसी की परफॉरमेंस राशि जब्त की गई है? नहीं तो क्यों? (ग) उक्त दोनों सड़कों के संधारण, नवनिर्माण आदि की विभाग की क्या योजना है? बतावें? मरम्मत का कार्य कब तक आरंभ कर दिया जावेगा?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ग) प्रश्नाधीन मौदहा से लटागांव मार्ग ग्राम पंचायत के अधीन है अत: संधारण/नव निर्माण का दायित्व ग्राम पंचायत का है। भदनपुर से कैमोर का अंशभाग भदनपुर से भटूरा मार्ग ए.डी.बी. फेस-4 में प्रस्तावित है। अत: समय-सीमा बताना संभव नहीं।

परिशिष्ट –''सत्तावन''

फर्म एवं सोसायटी के ऑनलाईन पंजीयन में अनावश्यक विलंब की जांच

43. (**क्र. 2162**) **श्री रामसिंह यादव :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या यह सही है कि फर्म एवं सोसायटी के ऑनलाईन पंजीयन किए जा रहे है? यदि हाँ तो कितने दिवस के भीतर पंजीयन किए जाने के नियम/निर्देश हैं? (ख) ग्वालियर संभाग के अंतर्गत नवम्बर 2014 से 31 जनवरी 2015 तक तीन माह में किन-किन के द्वारा संस्थाओं के पंजीयन हेतु ऑनलाईन आवेदन प्राप्त हुए? इसमें एक ही आवेदन में कितनी बार अलग-

अलग आपत्ति लगाई गई? (ग) क्या यह सही है कि ग्वालियर संभाग के अंतर्गत एक आवेदन में पहले एक आपत्ति लगाई गई? उसका निराकरण किया गया तो दूसरी आपत्ति काफी दिन बाद लगाई गई? उसका निराकरण किया तो फिर तीसरी आपत्ति लगाई गई? क्या एक आवेदन में पाई जाने वाली समस्त आपत्तियां एक ही बार ऑनलाईन प्रदर्शित नहीं की जा सकती? (घ) क्या शिवपुरी जिले के ग्राम खतौरा की प्रिंस संस्था क्रमांक/पंजी कक्ष/ S1050101676324112014 ग्वालियर, दिनांक 26.11.2014 जिसे निर्देशानुसार नाम परिवर्तित कर दीवान सिंह पटेल समाज कल्याण समिति रखा गया है? इसके पंजीयन में अनावश्यक विलंब क्यों किया गया? कारण सहित बतावे?

उद्योग मंत्री (**श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) :** (क) जी नहीं। फर्म्स एवं सोसायटी के पंजीयन के ऑनलाईन आवेदन प्राप्त होने पर आवेदनों का परीक्षण संबंधित अधिकारी द्वारा किया जाकर आवेदन की आपत्ति/प्रस्ताव का अनुमोदन ऑनलाईन किया जाता है। उक्त कार्य के लिये 05 दिवस का समय निर्धारित है। (ख) ग्वालियर संभाग के अंतर्गत नवम्बर 2014 से 31 जनवरी 2015 तक जिन-जिन संस्थाओं द्वारा ऑनलाईन आवेदन प्राप्त हुए एवं जिन संस्थाओं में अलग-अलग आपत्ति लगाई गई है, उनकी सूची **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। (ग) जी हाँ। की जा सकती हैं। (घ) जी हाँ। प्रश्नांकित समिति के पंजीयन प्रस्ताव का अनुमोदन दिनांक 11/02/2015 को किया जा चुका है। अनुमोदन में विलम्ब का कारण ग्वालियर संभाग के पंजीयन अधिकारी द्वारा अलग-अलग आपत्तियॉ लगाये जाने के कारण अनावश्यक विलम्ब हुआ है।

म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी किए गए अनापत्ति प्रमाण-पत्र

44. (**क्र. 2163**) **श्री रामसिंह यादव :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि प्रदेश में उद्योगो/उत्खन्न हेतु वर्ष 2013 एवं 2014 में म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किए गए है? यदि हाँ, तो किन-किन को किस हेतु उक्त प्रमाण जारी किया गया है? (ख) क्या यह सही है कि विगत वर्ष खनिज उत्खन्न/रेत उत्खन्न हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना आवश्यक किया गया है? यदि हाँ, तो उक्त पत्र की प्रति संलग्न कर जानकारी दें? कि किन-किन उद्योगों के लिए उक्त एनओसी आवश्यक है? (ग) क्या यह सही है कि शिवपुरी जिले में खनिज उत्खनन/रेत उत्खनन हेतु जनवरी 2014 से जनवरी2015 तक म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन प्रस्तुत किए गए है? यदि हाँ, तो किन-किन के आवेदनों पर कब-कब एनओसी जारी की गई? (घ) क्या यह सही है कि उक्त एनओसी न दिए जाने के कारण शिवपुरी जिले में रेत उत्खनन की रॉयल्टी राजस्व की क्षति हो रही है? तथा जरूरतमंदों के लिए रेत उपलब्ध नहीं हो पा रहा है? यदि हाँ, तो इस समस्या के समाधान हेतु क्या कार्यवाही कब तक की जावेगी?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) से (घ) जी नहीं। मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जल अधिनियम,1974 तथा वायु अधिनियम,1981 के तहत सम्मति एवं पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम,1986 के तहत प्राधिकार जारी किये जाते है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

<u>नरसिंहगढ़ स्थित वन मण्डल परिक्षेत्र में निर्माण कार्य</u>

45. (क्र. 2201) श्री गिरीश भंडारी : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या नरसिंहगढ वनमण्डल परिक्षेत्र में वर्तमान में कोई निर्माण कार्य चल रहे है? (ख) यदि हाँ, तो क्या-क्या निर्माण चल रहे है? पूर्ण जानकारी दें? उक्त निर्माण कार्य के लिए कोई विज्ञप्ति निकाली गई तो बतावें? यदि नहीं तो क्यों नहीं? शासन इस संबंध में क्या कार्यवाही करेगा? (ग) प्रश्न की कंडिका (ख) में उत्तर के अनुसार कौन-कौन सी निर्माण एजेंसी क्या-क्या निर्माण कर रही है एवं उनकी क्या लागत है? सूची उपलब्ध करावें?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) नरसिंहगढ़ वनमंडल के नाम से कोई वनमंडल नहीं है। राजगढ़ वनमंडल के नरसिंहगढ़ अभ्यारण परिक्षेत्र में कार्य प्रचलित हैं। (ख) एवं (ग) निर्माण कार्यों की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट** में है। निर्माण कार्य के लिये विज्ञप्ति नहीं निकाली गयी थी, अपितु सामग्री क्रय हेतु विज्ञप्ति निकाली गयी थी। कार्य विभागीय रूप से कराये जा रहे हैं। अत: शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>परिशिष्ट –"अट्ठावन"</u>

<u>वृक्षारोपण की जानकारी</u>

46. (क्र. 2219) श्री संजय उइके : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बालाघाट जिले की बैहर विधानसभा क्षेत्र के वन परिक्षेत्रांतर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में वृक्षारोपण हेतु कितना आवंटन प्राप्त हुआ है? (ख) कितनी भूमि पर वृक्षारोपण कराया गया है? स्थान और उक्त भूमि में कौन-कौन से वृक्ष रोपित किये गये हैं, उनमें से कितने जीवित हैं, कितने वृक्ष मृत हो चुके हैं?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) प्रश्नांकित क्षेत्र के वन परिक्षेत्रांतर्गत वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में क्रमश: राशि रू. 1,44,14,019 (एक करोड़ चबालीस लाख चौदह हजार उन्नीस) एवं रू. 1,45,13,706 (एक करोड़ पैंतालीस लाख तेरह हजार सात सौ छः) का आवंटन प्रदाय किया गया है। (ख) **जानकारी पुस्कालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है।

<u>कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को प्राप्त राशि</u>

47. (**क्र. 2220**) **श्री संजय उइके :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को शासन से वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में कितनी-कितनी राशि किस-किस मद/योजना में प्राप्त हुई? (ख) प्राप्त राशि से कौन-कौन से कार्य कराये गये, किन-किन कार्यों में, कितनी-कितनी राशि व्यय की गई?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है।

<u>नगर पंचायत में स्वीकृत कार्यों की स्वीकृति</u>

48. (**क्र. 2241**) **श्रीमती झूमा सोलंकी :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नगर पंचायत भीकनगांव अंतर्गत वर्ष 2014-15 में विभिन्न मदों में कितनी राशि प्राप्त हुई है? प्राप्त राशि का मदवार ब्यौरा देवें? (ख) वर्ष प्रारंभ 01.04.2014 में मदवार कितनी राशि शेष थी? (ग) वर्ष 2014-15 में उपलब्ध राशि के संबंध में मदवार कितनी राशि, किन-किन कार्यों पर खर्च की गई? (कार्यों की सूची लागत सहित) (घ) वर्तमान में कितनी राशि शेष है तथा शेष राशि से भविष्य में कौन-कौन से कार्य मदवार स्वीकृति हेतु प्रस्तावित है? (कार्यों की सूची लागत सहित)

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है। (ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है। (ग) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र "स" अनुसार** है। (घ) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र "द" अनुसार** है।

<u>परिशिष्ट –"उनसठ"</u>

<u>नगर पंचायत, भीकनगांव में स्वीकृत कार्य</u>

49. (**क्र. 2242**) **श्रीमती झूमा सोलंकी :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नगर पंचायत भीकनगांव में वर्ष 2014-15 में उपलब्ध राशि से कौन-कौन से कार्य कराने हेतु समाचार पत्रों में विज्ञप्ति जारी की गई? (ख) वर्ष 2014-15 में जारी विज्ञप्ति पश्चात कौन-कौन से पंजीकृत ठेकेदारों द्वारा टेण्डर फार्म जमा किये गये? (ग) नगर परिषद द्वारा वर्ष 2014-15 में कौन-कौन सा कार्य करने हेतु कौन-कौन से ठेकेदार को टेण्डर स्वीकृत किया गया? (घ) क्या कुछ ऐसे कार्य हुए हैं, जिनका समाचार पत्रों में विज्ञप्ति का प्रकाशन न करते हुए टेण्डर आमंत्रित कर नगर परिषद द्वारा स्वीकृत किये गये हों?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) से (ग) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (घ) जी नहीं।

परिशिष्ट –''साठ''

वन मण्डलाधिकारी, ग्वालियर द्वारा कराये गये कार्य

50. (**क्र. 2258**) **श्रीमती इमरती देवी :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2011-12 से 2013-14 में वन मण्डलाधिकारी ग्वालियर को विभागीय मद एवं ग्रामीण विकास विभाग (मनरेगा) से वृक्षारोपण, स्टापडेम, चेकडेम, नर्सरी, हेतु कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई, वर्षवार एवं मदवार तथा कार्यवार बतावें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार वर्ष 2011-12 से 2013-14 में उक्त मदों में प्राप्त राशि से किस स्थान पर क्या-क्या कार्य कितनी-कितनी राशि के कब स्वीकृत किये आदेश क्र. एवं दिनांक बतावें तथा प्रत्येक कार्य को पूर्ण करने की अवधि क्या है एवं प्रश्न दिनांक तक कार्यवार कितनी-कितनी राशि व्यय की जा चुकी है तथा यह कार्य किस रेंजर की देख-रेख में कराया गया? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार उक्त अवधि में विभागीय एवं मनरेगा से स्वीकृत कार्यों में से किस वर्ष का, क्या कार्य, किस कारण, समयावधि में पूर्ण नहीं हो सका यह कब तक पूर्ण किया जावेगा?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) से (ग) प्रश्नांकित अवधि में प्रश्नांकित वन मण्डल को मनरेगा से कोई राशि प्राप्त नहीं हुई। विभागीय मद से स्टॉप डेम तथा नर्सरी हेतु राशि प्राप्त नहीं हुई है। शेष **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र - 'अ' एवं 'ब' अनुसार** है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

लोक निर्माण विभाग द्वारा पहुँच मार्गों की मरम्मत

51. (**क्र. 2262**) **श्रीमती इमरती देवी :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला ग्वालियर में कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग क्र.-1 एवं संभाग क्र.-2, को विभागीय मद में अधीनस्थ पहुँच मार्गों एवं भवनों की मरम्मत हेतु वर्ष 2012-13 से 2014-15 में (दिसम्बर 2014 तक) वर्षवार कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई, पृथक-पृथक, संभागवार बतावें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार उक्त वर्ष 2012-13 से 2014-15 में प्राप्त राशि से किस पहुँच मार्ग एवं शासकीय भवनों पर क्या कार्य कितनी-कितनी राशि व्यय कर किस ठेकेदार एवं उपयंत्री की देख रेख में किया गया? संभागवार एवं वर्षवार तथा कार्यवार विस्तृत जानकारी देवें? (ग) जिला ग्वालियर में कार्यपालन यंत्री, लो.नि. विभाग संभाग क्र.-1 एवं 2, के अधीन उप संभागों में कितने-कितने कुशल, अद्र्धकुशल, श्रमिक, कार्यरत हैं? उप संभागवार नाम, पदनाम सहित सूची उपलब्ध करावें?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार** है। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार** है। (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार** है।

भवनों का निर्माण

52. (क्र. 2278) श्री संजय पाठक : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक निर्माण विभाग जिला कटनी के द्वारा विजयराघवगढ़ क्षेत्र में विगत पॉच वर्षों से लेकर प्रश्न दिनांक तक कहाँ-कहाँ पर कब-कब कौन-कौन से कार्य कितनी-कितनी राशि के किन-किन ठेकेदारों एवं विभागीय स्तर पर कौन-कौन सी योजनाओं के अंतर्गत (केन्द्रांश एवं राज्यांश) कराये गये है? कार्यवार, योजनावार, स्थानवार, एजेंसीवार, राशिवार, दिनांकवार ब्यौरा दें? (ख) प्रश्नाधिन विभाग द्वारा उक्त अवधि में जिन उद्देश्यों से भवनों का निर्माण कराया गया था वे भवन पूर्ण होने पर संबंधित विभागों को हस्तांतरित कर दिये गये है? नहीं तो क्यों?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ", "अ-1","अ-2" अनुसार** है। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ", "अ-1", "अ-2" अनुसार** है।

विभागीय योजनाओं का संचालन

53. (क्र. 2279) श्री संजय पाठक : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) कटनी जिले में खेल एवं युवक कल्याण विभाग में बालक एवं बालिकाओं के कल्याण हेतु खेल के मैदान स्टेडियम निर्माण एवं उनके शारीरिक व्यायाम हेतु बाक्सिंग तथा अखाड़े (इनडोर और आउटडोर) गेम्स हेतु क्या योजनाऐं हैं? (ख) पायका योजना कब प्रारंभ की गई तथा उक्त योजना के अंतर्गत कटनी जिले को वर्ष 2012-13,2013-14,एवं 2014-15 में किन-किन कार्यों हेतु कब-कब कितनी राशि प्राप्त हुई? प्राप्त राशि कहाँ कब-कब व्यय की गई? ब्यौरा कार्यवार, राशिवार वर्षवार दें? (ग) क्या यह सत्य है कि विभाग द्वारा खेल प्रतिभाओं को पुरस्कृत करने तथा रोजगार उपलब्ध कराने का भी प्रावधान है? यदि हाँ तो खिलाड़ी किन निर्धारित मापदण्डों को पूरा करने पर विगत तीन वर्षों में कटनी जिले में ऐसी कितनी प्रतिभाओं को सम्मानित एवं पुरूस्कृत किया जाकर रोजगार उपलब्ध कराया गया?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) वर्तमान में कटनी जिले में- 1. राजीव गांधी खेल अभियान के अंतर्गत खेल हेतु प्रत्येक विकासखण्ड में 6-8 एकड़ भूमि आरक्षित कर खेल मैदान बनाने की योजना है। उक्त योजना के अंतर्गत ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को अवसर प्रदान करने हेतु प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना किए जाने का प्रावधान है। 2. जिला स्तर पर कटनी जिले में इण्डोर खेल कुश्ती हेतु एक व आउटडोर एथलेटिक्स खेलों हेतु एक प्रशिक्षक उपलब्ध है। 3. इण्डोर खेलों हेतु इण्डोर हॉल निर्मित है। जिसमें बैडमिंटन, टेबल टेनिस,

शतरंज, व्हालीबॉल, कबड्डी के खेलों का आयोजन कराया जा सकता है। जिले में खेल परिसर झिंझरी भी निर्मित किया गया है। जिसमें क्रिकेट हेतु मैदान व इण्डोर खेल हेतु हॉल का निर्माण किया गया है। विकासखण्ड बहोरीबंद में मिनी स्टेडियम का निर्माण कराया गया है। 4. पायका योजनान्तर्गत चिन्हित ग्राम पंचायतों में पायका क्रीड़ा केन्द्रों की स्थापना की गयी है, जिसमें स्थाई स्वरूप की खेल सामग्री जैसे - मल्टीजिम, व्हालीबॉल पोल, बैडमिंटन पोल, फुटबॉल गोल पोस्ट, मल्टीपरपज मेट्स एवं एथलेटिक्स ट्रेनिंग सेट उपलब्ध कराई गई है। (ख) पायका योजना वर्ष 2008-09 से प्रारंभ की गई। प्रदेश में पायका योजनांतर्गत ग्रामीण खेल प्रतियोगिता वर्ष 2009-10 से प्रारंभ की गई है। वर्षवार आवंटित राशि, व्यय की कार्यवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। (ग) जी हाँ। प्रदेश के प्रतिभावान खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय अधिकृत चैम्पियनशिप में पदक अर्जित करने पर विक्रम पुरस्कार से सम्मानित किया जाकर शासन द्वारा उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित कर शासकीय सेवा में लिये जाने का प्रावधान है। नियमों की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है। कटनी जिले में अभी तक किसी खिलाड़ी को पुरस्कृत कर उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित नहीं किया गया है और न ही रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

गुना जिले के नेशनल हाईवे मार्ग एवं अन्य मार्गों के निर्माण व मरम्मत

54. (**क्र. 2299**) **श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या गुना जिले के (एन.एच.3) नेशनल हाईवे को फोरलेन बनाने का प्रस्ताव है? यदि हाँ तो कब तक कार्य चालू होगा? यदि नहीं तो उक्त रोड की मरम्मत कब तक करायेंगे? (ख) क्या गुना जिले में गत 5 वर्षों से कोई रोड केन्द्र एवं राज्य निधि से निर्माणधीन होकर अपूर्ण है? कब तक पूर्ण करायेंगे? क्या सिरसी जागीर से मंझोला तक बनने वाली सड़क का कार्य बन्द पड़ा है? कब तक पूर्ण होगी अन्य अधूरी सड़के कब तक पूर्ण होगी? कारण सहित बताये? (ग) क्या गुना जिले में गत 5 वर्षों में विभिन्न योजनाओं में बनी सड़कों में गड्डे होकर टूट-फूट गई है? भौतिक सत्यापन कर बताये? कौन-कौन सी सड़के है जिनकी मरम्मत एवं निर्माण होना है? कब तक पूर्ण करायेंगे? (घ) क्या गुना जिले में विभिन्न योजनाओं में विभाग द्वारा कराये गये गत 5 वर्षों के निर्माण कार्य जो अधूरे हैं, गुणवत्ता के नहीं है, समय पर नहीं बने उनका दोषी कौन है? उन पर विभाग ने क्या कार्यवाही की है? कब तक करेंगे कारणों सहित जानकारी दें?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) प्रश्नांकित मार्ग लो.नि.वि. के अंतर्गत नहीं है, अपितु एन.एच.ए.आई. से संबंधित है अत: शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) बी.ओ.टी. योजना में अशोकनगर ईशागढ मार्ग का उन्नयन कार्य प्रगति पर है। शीघ्र ही यह कार्य पूर्ण होने की संभावना है। वर्तमान में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। मार्ग

निर्माण में बाधक बिजली के खम्बों के विस्थापन कार्य के कारण प्रगति कुछ बाधित हुई थी। शेष मार्गो की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। (ग) जी नहीं। भौतिक सत्यापन कर आवश्यक संधारण किया गया। (1) गुना फतेहगढ़ आरौन मार्ग- इस मार्ग का मरम्मत कार्य प्रगति पर है। (2) गुना आरौन सिरौंज मार्ग- इस मार्ग का उन्नयन कार्य बी.ओ.टी. (टोल एवं एन्युटी) योजना में स्वीकृत होकर निर्माण एजेन्सी का निर्धारण किया जा चुका है। उक्त मार्गो के कार्य पूर्ण होने की समय-सीमा वर्तमान में बताया जाना संभव नहीं। (घ) जी नहीं। शेष विभागीय **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है।

परिशिष्ट –"इकसठ"

खेल हेतु आवंटित राशि

55. (**क्र. 2316**) **श्री जितू पटवारी :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को जबलपुर स्थित रानीताल कोटरा स्टेडियम में हॉकी टर्फ का निर्माण किये जाने हेतु कोई राशि प्रदान की गई थी? (ख) यदि हाँ तो कितनी राशि कौन से वर्ष में प्रदान की गई थी? (ग) क्या राज्य सरकार द्वारा आवंटित राशि का उपयोग प्रदत्त कार्य हेतु किया गया है? (घ) यदि उपयोग प्रदत्त कार्य हेतु नहीं किया गया तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त राशि का उपयोग कहाँ किया गया है? तथा क्या प्रदत्त राशि राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को मय ब्याज के पुन: वापस लौटाई जावेगी?

उद्योग मंत्री (**श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया**) **:** (क) जी हाँ। (ख) भारत सरकार द्वारा दिनांक 18.10.2011 को राशि रूपये 4.81 करोड़ की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में राशि रूपये 3.62 करोड़ जारी किये गये थे। (ग) जी नहीं। (घ) आवंटित राशि में से कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, (पी.आई.यू.) संभाग क्रमांक-8, जबलपुर द्वारा भारत सरकार की योजना के गैर अनुमत मद में रानीताल स्थित हॉकी एस्ट्रोटर्फ खेल मैदान हेतु समतलीकरण एवं चारदीवारी निर्माण कार्यों पर राशि रूपये 161.00 लाख व्यय की गई है। प्रकरण में परीक्षण किया जा रहा है।

सागर नगर में अनियंत्रित मांस मछली विक्रय दुकानों का स्थानांतरण

56. (**क्र. 2359**) **श्री शैलेन्द्र जैन :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन ने मांस मछली एवं संबंधित अन्य उत्पादों के विक्रय करने के संबंध में कोई नियम/नीति बनाई है? यदि हाँ, तो क्या सागर नगर निगम क्षेत्र में इसका पालन किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्या कारण है? (ख) क्या सागर नगरीय क्षेत्र में स्थापित कंपोजिट फिश एवं मीट मार्केट तैयार हो चुका है? यदि हाँ, तो सागर नगर की अनियंत्रित फिश एवं मीट विक्रय की दुकानें कब तक उसमें स्थानांतरित कर दी जायेगी?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) जी नहीं। अपितु मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम, अधिनियम, 1956 तथा मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 के अनुसार नगरीय क्षेत्रों में विक्रय की अनुमति दी जाती है। (ख) सागर नगरीय क्षेत्र में थोक मत्स्य विपणन केन्द्र का निर्माण किया जा रहा है, जिसका भवन निर्माण पूर्ण हो चुका है। एप्रोच रोड निर्माण कार्य तथा बाह्रय विद्युतीकरण, कनेक्शन आदि का कार्य शेष है। मछली विक्रय की दुकानों को कार्य पूर्ण होने पर फिश मार्केट में स्थानांतरति किया जायेगा।

धर्मश्री सागर भोपाल बायपास रोड निर्माण की प्रगति

57. (क्र. 2360) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अतारांकित प्रश्न क्रं. 1894 दिनांक 11 मार्च 2013 के प्रश्नांश (ख) के उत्तरांश में बताया गया था कि धर्मश्री सागर भोपाल बायपास रोड निर्माण में भू-अर्जन किया जाना है? क्या उक्त कार्य कर लिया गया है? यदि हाँ, तो प्रगति बतायें? (ख) क्या बायपास रोड निर्माण के साथ मार्ग में स्थित पुल भी बनाया जाना प्रस्तावित है? यदि हाँ, तो क्या रोड निर्माण में प्रस्तावित व्यय राशि में पुल पर व्यय होने वाली राशि को शामिल किया गया है? यदि नहीं, तो क्या शासन इस स्वीकृति पर विचार करेगा?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जी हाँ, जी नहीं। (ख) जी हाँ। स्वीकृत मार्ग के प्राक्कलन में एकरेखण अनुसार मार्ग पर मध्यम पुल प्रस्तावित है। मध्यम पुल की राशि सम्मिलित है शेष प्रश्नांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

सुवासरा बस स्टेण्ड की भूमि व भवन

58. (क्र. 2375) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सुवासरा विधानसभा मुख्यालय पर वर्तमान में स्थापित बस स्टेण्ड की भूमि एवं भवन जिसमें शराब की दुकान संचालित हैं, के स्वामित्व की जानकारी दें कि यह शासकीय है या अशासकीय? (ख) यदि यह शासकीय है तो राजस्व विभाग के अधीन है या नगर पंचायत के? (ग) इस भूमि पर नगर पंचायत द्वारा स्थाई बस स्टेण्ड के रूप में जो प्रस्ताव पारित हुआ है, उसके अनुसार यह भूमि स्थाई बस स्टेण्ड हेतु कब तक आवंटित की जाएगी? (घ) बस स्टेण्ड भूमि का खसरा नं. तथा क्षेत्रफल की जानकारी दें?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) एवं (ख) भूमि राज्य शासन, राजस्व विभाग के स्वामित्व की है। (ग) भूमि आवंटन संबंधी प्रकरण तहसीलदार न्यायालय में प्रचलित है। (घ) भूमि का खसरा नं. 919 तथा क्षेत्रफल 1.559 हेक्टर है।

शासकीय कार्यों हेतु भू आवंटन

59. (**क्र. 2376**) **श्री हरदीप सिंह डंग :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सत्य है कि शासन द्वारा नगर परिषद शामगढ़ बस स्टेण्ड के लिए रूपये वार्षिक भू-भाटक पर भूमि आवंटित की गई है? (ख) सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में ऐसी कितनी भूमि है जो शुल्क जमा कर किन-किन कार्यों के लिए किस-किस को दी गई है? (ग) सुवासरा नगर पंचायत नवीन भवन निर्माण हेतु प्रस्ताव क्रमांक 212 दिनांक 15.03.2013 शासन से भूमि स्वीकृति हेतु भेजे गए पत्र क्र. 440 दिनांक 30.03.2013 को आज तक स्वीकृति क्यों प्रदान नहीं की गई? (घ) सुवासरा नगर पंचायत नवीन भवन निर्माण हेतु 1 रूपये वार्षिक भू-भाटक पर भूमि आवंटन की स्वीकृति कब तक मिल जाएगी?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) जी हाँ। (ख) जैन श्वेताम्बर मंदिर घसोई, राधास्वामी सत्संग टोकड़ा, प्रबंधक कृषि सेवा सहकारी सोसायटी तरनोद, ग्रीड म.प्र. विद्युत वितरण वितरण कंपनी लि. टोकड़ा, दूरभाष केन्द्र सुवासरा एवं रूनिजा को दी गई। (ग) नगर पंचायत के नीवन भवन निर्माण हेतु भूमि आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, प्रब्याजी राशि रूपयें 13,06,200/- भू भाटक रूपये 97,965/- वार्षिक नगर पंचायत सुवासरा व्दारा जमा नहीं कराये जाने से कब्जा नहीं सौंपा गया है। (घ) राजस्व विभाग को निशुल्क भूमि आवंटन हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

विवेकानन्द युवा केन्द्रों की स्थापना

60. (**क्र. 2381**) **श्री हरदीप सिंह डंग :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) खेल एवं युवक कल्याण विभाग अंतर्गत विवेकानन्द युवा केन्द्रों की स्थापना कब की गई एवं इसके उद्देश्य क्या है? (ख) इन युवा केन्द्रों के माध्यम से प्रश्नांकित दिनांक तक कितनी खेल प्रतिभाऐ लाभान्वित हुई है? उनके नाम एवं पते बतावें? (ग) इन युवा केन्द्रों के स्थापना से प्रश्नांकित दिनांक तक कितनी राशि शासन के द्वारा व्यय की गई है? वर्षवार बतावें? (घ) यदि कोई खेल प्रतिभा इससे लाभान्वित नहीं हुई है तो इस प्रकार के केन्द्रों की स्थापना का क्या औचित्य है?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) विभाग द्वारा विवेकानन्द युवा केन्द्रों की स्थापना नहीं की गई है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) प्रश्नांश ''क'' के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) विवेकानन्द युवा केन्द्रों के लिए जो बजट प्रावधान रखा गया था वह उच्च शिक्षा विभाग को हस्तांतरित कर राशि समर्पित की गई है। (घ) प्रश्नांश क, ख एवं ग के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

शहरी फेरी वालों के कल्याण की योजना

61. (**क्र. 2382**) **श्री हरदीप सिंह डंग :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के शहरी फेरी वालों के कल्याण की योजनान्तर्गत सुवासरा विधान सभा क्षेत्र में कितने गरीब हितग्राहियों को किस-किस व्यवसाय हेतु ऋण उपलब्ध कराऐ गए है? वित्त वर्ष 2012-13 से प्रश्नांकित अवधि तक की जानकारी दी जावें? (ख) सीतामऊ सुवासरा एवं शामगढ़ नगरों में किस-किस स्थान पर हाकर्स जोन बनाए गए हैं? (ग) इन हाकर्स जोन में कहाँ-कहाँ पर कितने-कितने गरीब व्यवसायियों को व्यापार करने हेतु किन-किन स्थानों पर चबूतरों का निर्माण किया गया है, तथा कितने हाकर्स को लाभान्वित किया गया है तथा इन पर कितना-कितना व्यय किया गया है? निकायवार जानकारी दी जावें? (घ) यदि हाकर्स जोन नहीं बनाए गए है तो कब तक बनाये जावेंगे? समय सीमा बतावें?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) शहरी फेरीवालों के कल्याण की योजना अंतर्गत सुवासरा विधान सभा क्षेत्र में 61 गरीब हितग्राहियों को मनिहारी, फल फ्रूट, मसाला विक्रय, शिंकजी सेन्टर, जूता चप्पल व्यवसाय,कपड़ा व्यवसाय, चना सिंगदाना, पानी बतासे, सब्जी विक्रय, होटल व्यवसाय एवं पान सेंटर व्यवसाय हेतु लाभान्वित किया गया। (ख) नगर परिषद् सीतामऊ, सुवासरा में हाकर्स जोन नहीं है। नगर परिषद् शामगढ़ द्वारा स्टेशन रोड, गरोठ रोड, मेन रोड, उर्दू स्कूल रोड,सब्जीमण्डी में कुल 5 स्थानों पर अस्थायी हाकर्स जोन बनाये गये है। (ग) नगर परिषद् शामगढ़ द्वारा चबूतरों का निर्माण नहीं किया गया है किन्तु अस्थायी रूप से 139 पथ विक्रेताओं को हाकर्स जोन में बिठाया जाकर लाभान्वित किया गया है, निकाय द्वारा हाकर्स जोन निर्माण हेतु कोई राशि व्यय नहीं की गई है। नगर परिषद् सीतामऊ एवं सुवासरा की जानकारी निरंक है। (घ) नगर परिषद् शामगढ़ द्वारा 5 अस्थायी हाकर्स जोन का निर्माण कराया गया है। नगर परिषद् सीतामऊ में हाकर्स जोन बनाये जाने हेतु कार्यवाही प्रचलित है,नगर परिषद् सुवासरा में भूमि उपलब्ध न होने के कारण हाकर्स जोन अभी प्रस्तावित नहीं है। समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

सुमावली विधानसभा क्षेत्रांतर्गत सड़क निर्माण

62. (**क्र. 2392**) **श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सुमावली विधानसभा मुरैना क्षेत्र के बॉसी से उम्मेदगढ़बॉसी की आर.ई.एस. द्वारा निर्मित सड़क मार्ग को लोक निर्माण विभाग में स्थानांतरित करने हेतु कितने पत्र शासन को 2010 से 2014 तक प्राप्त हुये हैं? तिथि वर्षवार जानकारी दी जावे? (ख) क्या यह भी सही है कि ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग द्वारा अनापत्ति पत्र भी लोक निर्माण विभाग को प्रेषित किया जा चुका है? शासन उसे कब तक लोक निर्माण विभाग में समाहित

करेगा? (ग) क्या यह भी सही है रख-रखाव के अभाव में उक्त मार्ग की स्थिति जर्जर है, जिस पर वाहन नहीं चल पा रहे हैं? उस पर कब तक कार्य प्रारंभ किया जावेगा?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) जी नहीं प्रस्ताव परीक्षणाधीन है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) मार्ग विभाग के अधिपत्य में नहीं होने से प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट –"बासठ"

नगर पंचायतों में फायर ब्रिगेड की उपलब्धता

63. (क्र. 2395) श्री राजेन्द्र फूलचन्द वर्मा : क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सोनकच्छ विधानसभा क्षेत्र कि चारों नगर पंचायत सोनकच्छ, टोंकखुर्द, भौरासा व पीपलरावा में फायर ब्रिगेड उपलब्ध है यदि है तो किस स्थिति में है? यदि नहीं तो क्यों नहीं? (ख) यदि उपलब्ध है तो क्या विधिवत संचालन किया जा रहा है या नहीं? यदि नहीं तो क्यों नहीं? (ग) फायरब्रिगेड वाहन चालू अवस्था में है? तो क्या उसका मूल उद्देश्य वह पूर्ण कर रही है या नहीं?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) जी हाँ, सोनकच्छ विधान सभा क्षेत्र की सभी नगरीय निकायों में फायर ब्रिगेड उपलब्ध है। नगर परिषद सोनकच्छ की फायर ब्रिगेड मरम्मत हेतु वर्कशाप में भेजी गई है। (ख) एवं (ग) नगर परिषद टोंकखुर्द, पीपलरवां एवं भौंरासा में फायर ब्रिगेड चालू अवस्था में होकर संचालित है एवं नगर परिषद सोनकच्छ की फायर ब्रिगेड मरम्मत हेतु वर्कशाप में भेजी गई है।

सोनकच्छ खेल स्टेडियम का निर्माण

64. (क्र. 2400) श्री राजेन्द्र फूलचन्द वर्मा : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या यह सही है कि सोनकच्छ नगर के लिए खेल स्टेडियम स्वीकृत हुआ था? यदि हाँ, तो आज तक निर्माण कार्य शुरू क्यों नहीं हुआ? (ख) क्या शासन द्वारा सोनकच्छ नगर के खेल स्टेडियम के लिए पुष्पगीरि पर शासकीय भूमि उपलब्ध है तो उस पर स्टेडियम का निर्माण क्यों नहीं किया जा रहा है? (ग) क्या भविष्य में सोनकच्छ नगर को खेल स्टेडियम मिल सकेगा यदि हाँ, तो कब तक?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) जी नहीं। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) जी नहीं। ग्राम ओढ़ में कलेक्टर देवास द्वारा 2 हेक्टेयर भूमि खेल मैदान हेतु आवंटित की गई है परन्तु विभागीय योजनानुसार यह भूमि नगर सीमा से काफी दूर ग्राम में

होने के कारण वहाँ स्टेडियम निर्माण किया जाना संभव नहीं है। (ग) भविष्य के लिए अभी उत्तर दिया जाना संभव नहीं है।

<u>औद्योगिक क्षेत्रों संचालित ईकाईयां में</u>

65. (**क्र. 2421**) **डॉ. मोहन यादव :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) उज्जैन जिले में किन-किन औद्योगिक क्षेत्रों में कितनी-कितनी ईकाइयां संचालित है इसमें से कितनी बंद पड़ी है? नवीन उद्योगों के लिये कितने आवेदकों ने 1 जनवरी 2012 के पश्चात् आवेदन किये, कितनों को प्लाट आवंटित किये गये एवं कितनों को नहीं किये गये? जिन्हें प्लाट आवंटित नहीं किये गये उसका क्या कारण रहा मय दस्तावेज के जानकारी देवें? (ख) क्या अधिकारियों की मिलीभगत से कर प्लाटों का आवंटन क्रम अनुसार नहीं करते हुए अनियमितता करने वाले उद्योगपतियों को भूमि/प्लाट आवंटित कर दिये गये है? प्लाट आवंटन के संबंध में कितनी शिकायतें कहाँ-कहाँ पर प्राप्त हुई शिकायतों की प्रति उपलब्ध कराते हुए उन पर की गई कार्यवाही का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करें? (ग) उज्जैन जिले में कितनी औद्योगिक भूमि पर शो रूम एवं अन्य गैर औद्योगिक कार्य किये जा रहे है? जानकारी देते हुऐ बताये कि क्या ये नियमानुसार हैं?

उद्योग मंत्री (**श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया**) **:** (क) उज्जैन जिले में विभाग द्वारा संचालित औद्योगिक क्षेत्रों में संचालित इकाईयों एवं इनमें से बंद इकाईयों निम्नानुसार है:-

क्र.	औद्योगिक क्षेत्र का नाम	संचालित इकाईयां	बंद इकाईयां
1	औद्योगिक क्षेत्र मक्सी रोड, उज्जैन	444	20
2	औद्योगिक क्षेत्र देवास रोड, उज्जैन	193	10
3	औद्योगिक क्षेत्र नौलखा बीड	02	01
4	औद्योगिक क्षेत्र बॉदका	07	निल
5	अदर्वशहरीय औद्योगिक संस्थान महिदपुर	37	17
6	ग्रामीण कर्मशाला बडनगर	07	02
7	औद्योगिक क्षेत्र मेहतवास	01	निल
8	औद्योगिक क्षेत्र पाडल्याकलां	05	निल
9	औद्योगिक क्षेत्र भगतपुरी उमरनी	निल	निल

उपरोक्त औद्योगिक क्षेत्रों में से औद्योगिक क्षेत्र बांदका का को छोडकर अन्य ओद्योगिक क्षेत्रों के लिए 01 जनवरी, 2012 के पश्चात भूमि आवंटन हेतु कोई आवेदन पत्र नहीं प्राप्त किए गए। अत:शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। औद्योगिक क्षेत्र,बांदका में दो नवीन उद्योगों के लिए भूमि आवंटन के आवेदन पत्र प्राप्त हुए,जिन्हे भूमि आवंटन किया गया है।

इसके अतिरिक्त अन्य कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं एवं वर्तमान में औद्योगिक क्षेत्रों में मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं ओद्योगिक भवन प्रबंधन नियम, 2008 की कंडिका क्रमांक-11 (III) के प्रावधान अनुसार नवीन उद्योगों को भूमि आवंटन नीलामी पद्वति से किए जाने का प्रावधान है। वर्तमान में औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि आवंटन हेतु कोई आवेदन लंबित नहीं है। (ख) मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं ओद्योगिक भवन प्रबंधन नियम,2008की कंडिका क्रमांक-11 (III)के प्रावधान अनुसार जिले में स्थित औद्योगिक क्षेत्रों में नवीन उद्योगों की स्थापना हेतु भूमि आवंटन नीलामी पद्वति से किए जाना हैं। अत:प्लाटों का आवंटन क्रम अनुसार नहीं करते हुए अनियमितता करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। औद्योगिक क्षेत्रों में प्लाट आवंटन के संबंध में कोई शिकायत वर्तमान में नहीं है। (ग) जिले में स्थित औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक इकाईयों का आवंटित भूमि पर शोरूम एवं अन्य गैर औद्योगिक कार्य नहीं किए जा रहे हैं। औद्योगिक भूमि पर भूमि प्रबंधन नियम,2008 के प्रावधान अनुसार गैर औद्योगिक गतिविधि करना नियमानुसार नहीं है।

मुख्यमंत्री पेयजल योजना एवं मुख्यमंत्री अधोसंरचना अंतर्गत दिए गए कार्य

66. (**क्र. 2422**) **डॉ. मोहन यादव :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन जिले में मुख्यमंत्री पेयजल योजना एवं मुख्यमंत्री अधोसंरचना योजना के अंतर्गत कहाँ-कहाँ पर कौन-कौन से कार्य किये जा रहे हैं? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित कार्यों के संबंध में किन-किन जनप्रतिनिधियों, व्यक्तियों द्वारा कब-कब शिकायतें की गई, उक्त शिकायतों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित कार्य में से कौन-कौन से कार्य समयावधि में पूर्ण नहीं हो पाये हैं, नियत समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं किये जाने पर संबंधित ठेकेदार के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई हैं?

नगरीय विकास मंत्री (**श्री कैलाश विजयवर्गीय**) **:** (क) से (ग) की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है।

परिशिष्ट –''तिरेसठ''

तालाब एवं स्टापडेम का निर्माण

67. (**क्र. 2437**) **श्री दिनेश राय (मुनमुन) :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत तीन वर्षो में सिवनी विधानसभा क्षेत्र में विभाग द्वारा कितने वृक्ष लगाये गये हैं व कितने तालाब व स्टाप डेम का निर्माण किया गया है? एवं इस पर कितना पैसा व्यय हुआ है? (ख) वर्तमान में इनमें से कितने पेड़ अभी तक सही अवस्था में हैं व कितने सूख चुके हैं? (ग) यदि अधिकांश पेड़ सूख चुके हैं तो रख-रखाव पर जो राशि व्यय हुई है? वह क्या ठीक ढंग से व्यय नहीं हुई थी? विभाग द्वारा ठीक ढंग से काम नहीं किया गया? कारण

स्पष्ट करें?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) प्रश्नांकित क्षेत्र में विगत तीन वर्षो में विभाग द्वारा 18,94,331 पौधे लगाये गये तथा 4 तालाब का निर्माण किया गया जिस पर कुल राशि रू. 572.34 लाख (पॉच सौ बहत्तर लाख चौंतीस हजार) का व्यय हुआ। स्टाप डेम का निर्माण नहीं किया गया। (ख) 16,24,400 पौधे जीवित हैं एवं 2,69,931 पौधे सूख चुके हैं। (ग) जी नहीं। विभाग द्वारा रखरखाव पर सही ढ़ग से व्यय किया गया है। रोपित पौधों में से कुछ पौधे जीवित नहीं रह पाते हैं जिनकी संख्या विभाग में निर्धारित मापदण्ड के भीतर है।

सिविल हॉस्पिटल भवन का निर्माण

68. (**क्र. 2458**) **श्री कुँवरजी कोठार :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राजगढ़ जिले की विधान सभा क्षेत्र सारंगपुर अंतर्गत सिविल हॉस्पिटल भवन का निर्माण कार्य किस ठेकेदार को आवंटित किया गया है? किस दिनांक को कार्यादेश जारी किया गया है? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार यदि उक्त कार्यादेश जारी हो गया है, तो कार्य प्रारंभ करने में ठेकेदार स्तर से विलम्ब हो रहा है या विभाग स्तर पर? ठेकेदार के विरूद्ध अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? यदि विभागीय स्तर पर कार्य प्रारम्भ करवाने में विलम्ब हो रहा है, तो दोषी विभागीय अधिकारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों नहीं? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार सिविल अस्पताल भवन निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ हो जावेगा?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) श्री हरीनारायण पाटीदार जीरापुर को। दिनांक 13.08.2014 को कार्यादेश जारी किया गया। (ख) विलंब ठेकेदार या विभाग द्वारा नहीं किया गया। वर्तमान में कार्य प्रगति पर है। अत: किसी के विरूद्ध कार्यवाही का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। (ग) दिनांक 02.02.2015 को ले-आउट देकर, कार्य प्रगति पर है।

नगर पालिका सारंगपुर अन्तर्गत कार्यरत दै.वे.भोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण

69. (**क्र. 2459**) **श्री कुँवरजी कोठार :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय के पत्र क्रं. एफ-4-143/2007/18-1 दिनांक 16.06.2010 से दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमितिकरण करने संबंधी निर्देश जारी किये गये हैं? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार यदि हाँ तो नगर पालिका सांरगपुर में कितने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को किस-किस दिनांक को नियमित किया गया है उनके नाम एवं दिनांक बतायें? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार यदि नहीं तो वर्ष 1988 के पश्चात लगाये गये शेष दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को कब तक नियमित किया जावेगा?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) जी हाँ, पत्र क्रमांक एफ 4-143/2007/18-1 दिनांक 18-06-2010 से निर्देश जारी किये गये है। (ख) एवं (ग) **जानकारी परिशिष्ट ''अ'' अनुसार** है।

परिशिष्ट –''चौंसठ''

वन रोपणी हेतु वन संरक्षित भूमि

70. (**क्र. 2473**) **श्री मुकेश पण्ड्या :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बड़नगर विधानसभा क्षेत्र में वन संरक्षित भूमि कितनी है व किस-किस गांव में है? कितना रकबा वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में वन रोपणी हेतु संरक्षित किया गया व उसमें कितना शेष है? (ख) क्या उक्त भूमि पर अतिक्रमण हो गया है? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की गई परिणाम सहित सूची उपलब्ध करावें?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) एवं (ख) बड़नगर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत कोई आरक्षित एवं संरक्षित वनभूमि नहीं है। अत: शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

बड़नगर बायपास में अधिगृहित भूमि का मुआवजा

71. (**क्र. 2474**) **श्री मुकेश पण्ड्या :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन जिले की बड़नगर तहसील के बदनावर रोड से रूणीजा रोड बायपास की कितनी लंबाई एवं कितनी चौड़ाई है? वर्तमान में क्या सड़क पूर्ण हो चुकी है? (ख) उक्त मार्ग में कितनी निजी भूमि है? कितनी भूमि का अधिग्रहण किया गया है? अधिग्रहित भूमि में से कितने लोगों को कितना-कितना मुआवजा दिया गया? सूची उपलब्ध करावें? (ग) क्या सड़क निर्माण के पूर्व भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही नहीं करने से सड़क निर्माण कार्य प्रभावित हुआ? इसमें कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं, तथा उन पर शासन क्या कार्यवाही करेगा? (घ) उक्त रोड़ पर कितना व्यय हुआ है? सूची उपलब्ध करावे?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) प्रश्नाधीन बायपास की लंबाई 3.20 कि.मी. एवं चौडाई 7.00 मीटर है। जी नहीं, वर्तमान में मार्ग निर्माणाधीन है। (ख) 6.947 हेक्टेयर है। निजी भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही प्रचलन में है। भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही प्रचलन में होने से मुआवजा वितरण की कार्यवाही शेष है। अत: सूची उपलब्ध कराना संभव नहीं। (ग) जी नहीं। संबंधित निजी भूमि स्वामी की सहमति से कार्य प्रगतिरत् है। अत: कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) रूपये 609.68 लाख। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है।

परिशिष्ट –''पैंसठ''

सिंहस्थ मद के कार्य

72. (**क्र. 2490**) **श्री सतीश मालवीय :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे किउज्जैन - घटिया विधानसभा क्षेत्र में सिंहस्थ मद में कौन-कौन से कार्य करवाए जा रहे हैं? सूची उपलब्ध करावें? इसी क्रम में कितने कार्य प्रस्तावित हैं, जिसकी सक्षम अथारिटी से स्वीकृति नहीं मिली है, वे किस प्रक्रम पर है? सूची उपलब्ध करावें?

नगरीय विकास मंत्री (**श्री कैलाश विजयवर्गीय**) **:** जानकारी संकलित की जा रही है।

सिंहस्थ 2016 के लिये अधिग्रहित भूमि

73. (**क्र. 2491**) **श्री सतीश मालवीय :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिंहस्थ मेला 2016 के लिये कस्बा उज्जैन तथा तहसील उज्जैन व घट्टिया के कितने ग्रामों की भूमि स्थार्इ व अस्थाई रूप से अधिग्रहित की जावेगी? स्थाई व अस्थाई अधिग्रहण में लिये गये भूमि सर्वे नंबर एवं रकबा की पृथक-पृथक सूची उपलब्ध करावें? (ख) क्या सिंहस्थ 2016 में लिये गये भूमि सर्वे नंबरों में किन्हीं व्यक्तियों के अतिक्रमण है यदि हाँ, तो अतिक्रमण के प्रकार सहित नामों की सूची ग्रामवार तथा की गई कार्यवाही विवरण सहित उपलब्ध करावें?

नगरीय विकास मंत्री (**श्री कैलाश विजयवर्गीय**) **:** (क) एवं (ख) की जानकारी संकलित की जा रही है।

तकीपुर शेरपुर में रेल्वे इंजन के कारखाने का निर्माण

74. (**क्र. 2571**) **श्री शैलेन्द्र पटेल :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या सीहोर जिले के इछावर विधानसभा के ग्राम तकीपुर-शेरपुर में रेल्वे इंजन के कारखाने के निर्माण हेतु आधारशिला रख भूमि पूजन हुआ? अगर हाँ तो कब और कौन-कौन की उपस्थिति प्रमुख थी? (ख) प्रश्नांश (क) कब तक पूरा हो जाएगा? वर्तमान स्थिति क्या है? निर्माण कार्य के प्रारम्भ न होने के कारण बताएं? (ग) क्या इस कारखाने के प्रारंभ करने हेतु सरकार द्वारा एम.ओ.यू. पर दस्तखत किए गए हैं? (घ) भूमि पूजन कार्यक्रम पर कितना खर्च हुआ और किसके द्वारा किया गया?

उद्योग मंत्री (**श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया**) **:** (क) जी हाँ, दिनांक27.10.2012 को माननीय मुख्यमंत्रीजी एवं अन्य अतिथिगणों की उपस्थिति प्रमुख थी। (ख) इकाई से प्राप्त जानकारी के अनुसार इकाई की आवश्यकता एवं मांग अनुसार विभिन्न विभागों से आवश्यक अनुमतियां प्राप्त होने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने के कारण निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो सका है। (ग) जी हाँ उक्त कारखाने के प्रारंभ करने हेतु दिनांक 23.10.2010को खजुराहो समिट में म.प्र.ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लि.एवं मेसर्स दोलतराम

इंजीनियरिंग सविर्सेज प्रा.लि.के मध्य एम.ओ.यू.हस्ताक्षरित किया गया। (घ) भूमि पूजन कार्यक्रम इकाई द्वारा आयोजित किया गया था, जिसका खर्च इकाई द्वारा ही किया गया।

नगर पंचायत इछावर में पार्क निर्माण

75. (**क्र. 2572) श्री शैलेन्द्र पटेल :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या इछावार नगर में कोई पार्क स्थित है? अगर है तो कौन सा और कहाँ पर? इस पार्क की वर्तमान स्थिति क्या है? (ख) अगर नहीं तो कोई प्रस्ताव लंबित है? अगर नहीं तो नगर पंचायत में पार्क की स्थापना हेतु क्या नियम हैं? (ग) इछावर नगर में कब तक पार्क स्थापित कर दिया जाएगा?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी नहीं। मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 124 (ख) के अंतर्गत नगर परिषद को सार्वजनिक पार्को एवं उद्यानों की स्थापना करने की वैवेकिक शक्तियां प्राप्त है। (ग) समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

नवीन विश्राम गृह निर्माण

76. (**क्र. 2585) श्री इन्दर सिंह परमार :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. में नवीन विश्राम गृह निर्माण करने की कोई नीति है? यदि हाँ तो क्या तहसील एवं विकासखण्ड केन्द्रों पर नवीन विश्राम गृह निर्माण किये जायेंगे? (ख) क्या शाजापुर जिले के कालापीपल विकासखण्ड मुख्यालय पर नवीन विश्राम गृह के प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं? यदि हाँ तो क्या प्रशासकीय स्वीकृति दी जावेगी? (ग) क्या कालापीपल में नवीन विश्राम गृह हेतु भूमि का आवंटन लोक निर्माण विभाग को हो चुका है? यदि हाँ तो किस दिनांक को?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) इस संबंध में कोई नीति पत्रक नहीं। (ख) जी हाँ। प्रस्ताव परीक्षणाधीन है। (ग) जी हाँ। भूमि का आवंटन दिनांक 02.07.2014 को किया गया है।

कालापीपल एवं पोलायकलां में खेल स्टेडियम की स्वीकृति

77. (**क्र. 2586) श्री इन्दर सिंह परमार :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या कालापीपल एवं पोलायकलां में खेल स्टेडियम हेतु किसी योजना में खेल एवं युवा कल्याण जिला शाजापुर से प्रस्ताव आये है? यदि हाँ, तो किस दिनांक को किस योजना में? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित स्थान पर क्या स्टेडियम स्वीकृत किये जायेंगे? यदि हाँ,

तो कब तक? (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित स्थान पर क्या स्टेडियम हेतु भूमि खेल विभाग को आवंटित हो चुकी है यदि हाँ, तो किस दिनांक को? (घ) प्रश्नांश (ग) में उल्लेखित भूमि पर क्या खेल विभाग ने कब्जा प्राप्त कर लिया है?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) प्रश्नोत्तर ''क'' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) दोनों स्थानों के लिए दिनांक 23.07.2014 को भूमि आवंटित हुई है। (घ) जी नहीं

<u>पायका योजनान्तर्गत कार्यों में व्यय की गई राशि</u>

78. (क्र. 2599) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) पायका योजना के अंतर्गत धार जिले को वर्ष 2008-2009 से प्रश्न दिनांक तक शासन द्वारा कितना आवंटन उपलब्ध कराया गया एवं विकास खण्डवार कितनी-कितनी राशि कौन-कौन से कार्यों पर खर्च की गयी? (ख) धार जिले के कौन-कौन से विकास खण्ड के किस-किस गांव में योजनांतर्गत क्रीड़ा केन्द्र स्थापित किये गये और खेल उपकरण क्रय किये गये? राशि के व्यय की जानकारी केन्द्रवार प्रदान करें? (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित अवधि के दौरान कितने खिलाड़ियों ने संभाग, प्रदेश एवं राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लिया? खिलाड़ी का नाम, खेल आदि की जानकारी प्रदान करें?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है। (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार** है।

<u>नगर पालिका निगम मुरैना से संबंधित</u>

79. (क्र. 2619) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया : क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या माननीय वित्त मंत्री महोदय के जुलाई 2014 में बजट भाषण के दौरान बिंदु क्रमांक 72 में बढ़ते शहरी क्रम को देखते हुए नगरीय क्षेत्रों में बेहतर अधोसंरचना तथा उच्च स्तर की नागरिकों सेवाओं का प्रदाय आवश्यक है को देखते हुए मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास कार्यक्रम एवं मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता मिशन तथा मुख्यमंत्री शहरी पेयजल कार्यक्रमों के अंतर्गत अधोसंरचना सुधार के कार्य किये जा रहे हैं? (ख) यदि हाँ, तो नगर पालिका परिषद व वर्तमान में नगर निगम मुरैना को उपरोक्त उल्लेखित कार्यों हेतु कितनी-कितनी राशि अप्रैल 2014 से जनवरी 2015 तक उपलब्ध कराई गई व उपरोक्त राशि में से क्या-क्या कार्य किये गये व कार्यों की वर्तमान स्थिति क्या हैं?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) जी हाँ। **(ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।**

<u>परिशिष्ट –''छियासठ''</u>

<u>मध्यप्रदेश गरीबोन्मुख शहरी सेवा कार्यक्रम</u>

80. (**क्र. 2620**) **श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) माननीय वित्त मंत्री महोदय के जुलाई 2014 में बजट भाषण के दौरान बिंदु क्रमांक 75 में मध्यप्रदेश गरीबोन्मुख शहरी सेवा कार्यक्रम में गतिविधियों के द्वितीय चरण में मध्यप्रदेश अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के क्रियान्वयन की स्वीकृति प्रदान की गई है? (ख) यदि हाँ तो नगर पालिका परिषद व वर्तमान में नगर निगम मुरैना को उपरोक्त उल्लेखित कार्यों हेतु कितनी-कितनी राशि अप्रैल 2014 से जनवरी 2015 तक उपलब्ध कराई गई व उपरोक्त राशि में से क्या-क्या कार्य किये गये? व कार्यों की वर्तमान स्थिति क्या है?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) जी हाँ। (ख) डी.एफ.आई.डी. ब्रिटिश सरकार की वित्तीय सहायता से म.प्र. अर्बन इनफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम दिसम्बर 2012 से दिसम्बर 2015 तक की अवधि के लिये प्रदेश के तत्कालीन 14 नगर निगमों में यह परियोजना लागू की गई थी। परियोजना स्वीकृति के समय मुरैना नगर निगम की श्रेणी में न होने के कारण उपरोक्त परियोजना के अंतर्गत अप्रैल 2014 से जनवरी 2015 तक कोई राशि जारी नहीं की गई। अत: प्रश्नांश के शेष भाग की जानकारी निरंक है।

<u>खेल-कूद प्रतियोगिताएँ के आयोजन की जानकारी</u>

81. (**क्र. 2658**) **श्री विजय सिंह सोलंकी :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा खरगोन जिले में सन् 2013-14 एवं 2014-15 में खेलकूद पर किए गए खर्च की मदवार सूची देवें? (ख) प्रश्नांश (क) अन्तर्गत कितनी प्रतियोगिताएँ आयोजित की गई? उनकी सूची देवें? खर्च राशि भी दशाऐं? (ग) इन प्रतियोगिताओं में कितने SC/ST/OBC के खिलाड़ियों ने भागीदारी की? इनमें से कितने खिलाड़ी राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में पहुंचे?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। (ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है। (ग) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार** है।

परिशिष्ट –''सड़सठ''

जबलपुर जिले अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग की सड़कें

82. (**क्र. 2695) श्री नीलेश अवस्थी :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबलपुर जिले अन्तर्गत विभाग की कुल कितने किलो मीटर लम्बी सड़के कहाँ से कहाँ तक की है? स्थानवार/किलोमीटर वार जानकारी देवें? (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित सड़कों की वर्तमान स्थिति क्या है? स्थानवार/किलोमीटरवार/ स्थितिवार/अलग-अलग उपलब्ध करायें? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) में वर्णित सड़कों में से किस स्थान से किस स्थान तक की सड़कों के बी.टी. रिन्यूवल के प्रस्ताव तैयार है? किन-किन सड़कों की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है? सड़कवार/किलोमीटरवार/प्रस्ताववार, वित्तीय स्वीकृतिवार जानकारी देवें? (घ) प्रश्नांश (क) में वर्णित क्षेत्रों में वित्तीय वर्ष 2011-12 से प्रश्न दिनांक तक सड़को के संधारण में कितनी-कितनी

राशि का आवंटन प्राप्त हुआ? कितनी-कितनी राशि व्यय हुई? वर्षवार/ सड़कवार/ राशिवार/ किलोमीटर से किलोमीटर दें? किस-किस स्थान पर बी.टी. रिन्यूवल का कार्य हुआ? कितनी राशि व्यय हुई? वित्तीय वर्षवार/सड़कवार/राशिवार किलोमीटर से किलोमीटर स्थानवार जानकारी देवें?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ'** एवं राष्ट्रीय राजमार्ग की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ-1'** एवं सड़क विकास निगम की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ-2' अनुसार** है। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ'** एवं राष्ट्रीय राजमार्ग की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब-1' एवं 'अ-2' अनुसार** है। (ग) विस्तृत **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब', 'ब-1' अनुसार** है। (घ) विस्तृत **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब', 'ब-1' एवं 'स' अनुसार** है।

छिन्दवाड़ा जिले की सड़कों की जानकारी

83. (**क्र. 2704) पं. रमेश दुबे :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छिन्दवाड़ा जिले के विकासखण्ड चौरई एवं विछुवा में विगत 4 वर्षों में कुल कितने सड़क कहाँ से कहाँ तक निर्मित किये गये हैं, ये सड़के कब बनकर पूर्ण हुई तथा इनकी कार्य एजेंसियां कौन-कौन सी थी, सड़कों की लागत क्या थी, पूर्ण सड़कों में से कौन-कौन सी सड़के किस अवधि तक के लिए ठेकेदारों के मरम्मत के अधीन है? (ख) छिन्दवाड़ा जिले के विकासखण्ड चौरई एवं विछुआ में कुल कितनी सड़कें कहाँ से कहाँ तक निर्माणाधीन हैं,

निर्माणाधीन सड़कों की लागत, उनके कार्य एजेंसी, निर्माण कार्य पूर्ण करने की अवधि तथा इन सड़कों का निर्माण किन अधिकारियों/कर्मचारियों के पर्यवेक्षण में हो रहा है की जानकारी ठेकेदार व अधिकारियों के नाम पता सहित विकासखण्डवार, र्इकाईवार, सड़कवार जानकारी दें? (ग) छिन्दवाड़ा जिले के विकासखण्ड चौरई एवं विछुआ में कुल कितने सड़क कहाँ से कहाँ तक कितनी-कितनी राशि से स्वीकृत होकर निविदा के अधीन है, कौन-कौन से सड़क स्वीकृति हेतु प्रस्तावित होकर किस स्तर पर किस लिए कब से लंबित है, विकासखण्डवार, सड़कवार जानकारी दें? (घ) छिन्दवाड़ा जिले के विकासखण्ड चौरई एवं विछुआ में विगत 4 वर्षों में कुल कितने सड़कों पर कहाँ से कहाँ तक कितनी-कितनी राशि से पेंचवर्क किये गये है? तथा किस एजेंसी से पेंचवर्क कराया गया?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) विकासखण्डवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है। (ख) विकासखण्डवार निर्माणाधीन सड़कों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है। (ग) विकासखण्डवार निविदा स्तर एवं प्रस्तावित सड़कों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार** है। (घ) विकासखण्डवार पेंचवर्क की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'द' अनुसार** है।

सार्वजनिक उपक्रम के कार्यों की जानकारी

84. (क्र. 2705) पं. रमेश दुबे : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) छिन्दवाड़ा जिले के विधान सभा क्षेत्र चौरई में सार्वजनिक उपक्रम के क्षेत्र में कार्य करने हेतु कौन-कौन अधिकारी कर्मचारी संलग्न हैं उनके पदनाम व मुख्यालय का पता सहित जानकारी दें? (ख) छिन्दवाड़ा जिले के विधान सभा क्षेत्र चौरई में सार्वजनिक उपक्रम के क्षेत्र में अभी तक क्या-क्या कार्य किये गये हैं? वर्तमान में क्या प्रयास किये जा रहे हैं? जानकारी दें? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के प्रकाश में विधान सभा क्षेत्र चौरई के विकास खण्ड चौरई एवं विछुवा में कितने लोग लाभान्वित हुए हैं? लाभान्वित व्यक्तियों/परिवारों की जानकारी उनके नाम पता सहित दें?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) किसी अधिकारी, कर्मचारी को संलग्न नहीं किया गया है। (ख) एवं (ग) निरंक

मापदण्ड अनुसार शौचालयों का निर्माण

85. (क्र. 2714) श्री नारायण सिंह पँवार : क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले के नगरीय क्षेत्र ब्यावरा के अंतर्गत विगत दो वर्षो में कितने शौचालय निर्माण कार्य कतनी लागत के स्वीकृत किये जाकर किन-किन निर्माण

एजेन्सियों द्वारा उनका निर्माण कराया गया अथवा कराया जा रहा है? स्वीकृति दिनांक सहित बतावें? (ख) क्या निर्मित शौचालय निर्धारित मापदण्ड़ों के अनुरूप बनाये गये है? यदि हाँ, तो क्या उक्त शौचालय के निर्माण कार्य में अमानक स्तर की सामग्री का उपयोग किया गया, तथा अपूर्ण कार्य का भी मूल्यांकन कर संबंधितों एजेन्सियों को भुगतान कर दिया गया है? जिससे हितग्राहियों को वास्तविक लाभ प्राप्त नहीं हुआ है? (ग) उपरोक्तानुसार हितग्राहियों को वास्तविक लाभ प्राप्त न होने से उन्हें खुले में शौच जाने के लिये मजबूर होना पड़ रहा है जिससे शहरी क्षेत्र में पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है? क्या शासन ऐसे अमानक स्तर के अपूर्ण निर्माण कार्यो की गुणवत्ता की जांच वरिष्ठ तकनीकी अधिकारियों से करवाएगा?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) नगरीय क्षेत्र ब्यावरा में मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता मिशन योजनान्तर्गत 500 नग व्यक्तिगत शौचालय निर्माण हेतु रू. 68.00 लाख की कार्ययोजना दिनांक 07.12.2013 को स्वीकृति की गयी है, जिसका निर्माण कार्य एजेन्सी श्री अब्दुल नईम खान, भोपाल व्दारा किया जा रहा है। ठेकेदार को दिनांक 04.06.2014 को कार्यादेश प्रदान किया गया है। (ख) जी हाँ। जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

<u>वन समितियों के अधिकार एवं कर्तव्य</u>

86. (क्र. 2715) श्री नारायण सिंह पँवार : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश शासन के वन विभाग द्वारा ग्राम वन/वन सुरक्षा/ईको विकास समितियों के गठन के क्या प्रावधान हैं, तथा इन समितियों के क्या अधिकार एवं कर्तव्य है? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में राजगढ़ जिले में उक्त समितियों द्वारा विगत दो वर्षों में कौन-कौन से कार्य कितनी-कितनी लागत के किस प्रयोजन हेतु कब-कब कराये गये? एवं उनकी अद्यतन स्थिति क्या है, तथा उक्त कार्यों से वन सुधार एवं वन विकास में क्या-क्या परिणाम प्राप्त हुये? (ग) उपरोक्तानुसार उक्त समितियों के अध्यक्ष पद के निर्वाचन एवं आरक्षण की क्या प्रक्रिया है? क्या राजगढ़ जिले में उक्त समितियों के अध्यक्ष पद हेतु निर्वाचन व आरक्षण प्रक्रिया को नहीं अपनाया जाकर पदस्थ अध्यक्षों को ही अगले कार्यकाल के लिये नामांकित किया जाता रहा है? यदि हाँ तो इसके लिये कौन दोषी है? क्या शासन नियमानुसार इस संबंध में विस्तृत जांच कराकर उक्त समितियों के अध्यक्ष पद हेतु निर्वाचन व आरक्षण प्रक्रिया अपनाएगा? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है। (ग) प्रश्नांकित प्रक्रिया उत्तरांश (क) अनुसार है। वनमंडल राजगढ़ के अंतर्गत समितियों के

अध्यक्ष पद हेतु निर्वाचन व आरक्षण प्रक्रिया नियमानुसार की गयी है। अत: शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

अन्तरित एवं डीनोटिफाइड भूमियों का राजस्व अभिलेख में संशोधन

87. (**क्र. 2722**) **श्री सज्जन सिंह उईके :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मुख्य सचिव द्वारा दिनांक 24 जुलाई 2004 को जारी आदेश के बाद भी वन विभाग द्वारा 1980 के पूर्व राजस्व विभाग को अन्तरित एवं डीनोटीफाईड भूमियों को बैतूल जिले के राजस्व अभिलेख संशोधन पंजी में प्रश्नांकित तिथि तक भी दर्ज कर अभिलेख संशोधन के आदेश नहीं दिए गए? (ख) 1980 के पूर्व वन विभाग ने राजस्व विभाग को कितने ग्रामों की कितनी जमीन किस-किस आदेश से अन्तरित की थी, कितने ग्रामों की समस्त वन भूमि किस दिनांक को डीनोटीफाईड की गई? अन्तरित और डीनोटीफाईड जमीन राजस्व अभिलेखों में अन्तरण और डीनोटीफिकेशन के पूर्व किन-किन मदों में दर्ज थी वर्तमान में किन-किन मदों में दर्ज हैं? (ग) अन्तरित और डीनोटीफाईड कितने ग्रामों की भूमियों के अभिलेख संशोधन हेतु राजस्व अभिलेख संशोधन पंजी में प्रविष्टि दर्ज कर अभिलेख संशोधन के पटवारी को प्रश्नांकित तिथि तक भी आदेश न दिए जाने का क्या-क्या कारण रहा है? (घ) 1980 के पूर्व अन्तरित और डीनोटीफाईड जमीनों के संशोधन की प्रविष्टि संशोधन पंजी में दर्ज करवाई जाकर कब तक अभिलेख संशोधन के आदेश पटवारियों को देकर संशोधित करवा लिए जावेगें?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) राजस्व अभिलेख संशोधन के आदेश की संकलित जानकारी राजस्व विभाग से प्राप्त की जा रही है। (ख) से (घ) वन वृत्त बैतूल में 63 ग्रामों की 2340.866 हेक्टेयर वन भूमि मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पत्र क्रमांक 14470 /10/65 दिनांक 23.10.1965 से एवं 608 ग्रामों की 25374.353 हेक्टेयर वन भूमि पत्र क्रमांक 1705/10/71 दिनांक 02.04.1971 से राजस्व विभाग को अंतरित की गयी और 829 ग्रामों की समस्त वन भूमि धारा-34 (अ) के तहत 15 सितम्बर 1972 के राजपत्र में प्रकाशित कर डीनोटीफाई की गयी। शेष जानकारी संकलित की जा रही है।

सामुदायिक वन अधिकार पत्र

88. (**क्र. 2723**) **श्री सज्जन सिंह उईके :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बैतूल जिले के राजस्व अभिलेखों में दर्ज कितनी दखल रहित जमीनों को वन विभाग ने वर्किंग प्लान में सम्मिलित कर लिया है, किस-किस मद में दर्ज कितनी जमीनों की सिविल याचिका क्रमांक 202/95/ में परिभाषित वन भूमि वर्तमान में माना जा रहा है? (ख) वर्किंग प्लान में सम्मिलित कर ली गई दखल रहित भूमि एवं न्यायालय द्वारा परिभाषित वन भूमि

मानी जा रही दखल रहित जमीनें निस्तार पत्रक, अधिकार अभिलेख एवं खसरा पंजी में किन-किन सार्वजनिक एवं निस्तारी प्रयोजनों के लिए वर्तमान में भी दर्ज हैं? (ग) जनवरी 2008 से लागू वन अधिकार कानून 2006 में वन भूमि की क्या परिभाषा दी गई हैं इस परिभाषा के दायरे में आने वाली राजस्व अभिलखों दर्ज दखल रहित भूमि पर सामुदायिक वन अधिकार पत्र दिए जाने की कार्यवाही जनवरी 2008 से प्रश्नांकित तिथि तक भी न किए जाने का क्या-क्या कारण रहा है? (घ) वर्किंग प्लान में सम्मिलित दखल रहित भूमि एवं न्यायालय द्वारा परिभाषित बड़े झाड़ के जंगल मद की जमीनों पर निस्तार पत्रक में दर्ज अधिकारों एवं प्रयोजनों के सामुदायिक वन अधिकार पत्र वितरित किए जाने के संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही हैं कब तक की जावेगी?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) राजस्व अभिलेखों में दर्ज भूमियों के स्वरूप एवं मदों का संधारण वन विभाग द्वारा नहीं किया जाता है। सिविल याचिका क्रमांक 202/95 में पारित आदेश दिनांक 12.12.1996 में 'वन' की दी गई परिभाषा में भूमि के मदों का उल्लेख नहीं है। (ख) उत्तरांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) एवं (घ) वन अधिकार अधिनियम 2006 में दी गई वन भूमि की परिभाषा **संलग्न परिशिष्ट** में है। उक्त परिभाषा के अन्तर्गत आने वाली भूमियों पर त्रिस्तरीय समितियों द्वारा निर्णय लेकर सामुदायिक अधिकारों के अधिकार पत्र नोडल विभाग द्वारा दिये गये हैं लेकिन नोडल विभाग आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा वन भूमि के अन्तर्गत राजस्व मद वार एवं वन भूमि के वर्गवार जानकारी संधारित नहीं किये जाने से प्रशनांश की शेष जानकारी दिया जाना संभव नहीं है। शेष का प्रश्न उत्पन्न नहीं हेता।

<u>परिशिष्ट –"अड़सठ"</u>

<u>आरक्षित/संरक्षित वन भूमि</u>

89. (क्र. 2724) श्री सज्जन सिंह उईके : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 27 एवं धारा 34 अ के तहत राजपत्र में डीनोटीफाईड जमीनों को संरक्षित वन भूमि या नारंगी वन भूमि या न्यायालय द्वारा परिभाषित वन भूमि या समझे गए वन माने जाने का आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय ने सिविल याचिका क्रमांक 202/95 में किस दिनांक को दिया है? आदेश की प्रति सहित बतावें? (ख) बैतूल जिले के कितने ग्रामों की कितनी जमीन संरक्षित वन भूमि सर्वे डिमरकेशन में एवं कितनी जमीन नारंगी भूमि सर्वे डिमारकेशन में शामिल की गई इसमें से कितने ग्रामों की समस्त वन भूमि धारा 27 या धारा 34 अ के तहत किस दिनांक को राजपत्र में डीनोटीफाईड की गई? (ग) राजपत्र में धारा 27 एवं धारा 34 अ के तहत डीनोटीफाईड भूमियों को नारंगी वन भूमि माने जाने या न्यायालय द्वारा परिभाषित वन भूमि माने जाने का

आदेश या निर्देश राज्य सरकार या भारत सरकार ने किस दिनांक को दिया है? (घ) राजपत्र में धारा 27 या धारा 34 अ के तहत डीनोटीफाईड जमीनों को वन संरक्षण कानून 1980 के दायरे से मुक्त भूमि या दायरे से बाहर की भूमि माने जाने का आदेश याचिका क्रंमाक 202/95 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने किस दिनांक को दिया हैं?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) याचिका क्रमांक 202/05 में प्रश्नांश से संबंधित भूमियों के लिये माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। (ख) 680 ग्रामों की 149470.497 हेक्टेयर वनभूमि सर्वे-डिमारकेशन स्कीम एवं 1299 ग्रामों की 139669.840 हेक्टेयर भूमि नारंगी क्षेत्र के प्रारंभिक सर्वे में शामिल की गयी। शेष जानकारी संकलित की जा रही है। (ग) एवं (घ) ऐसे कोई आदेश या निर्देश नहीं है।

<u>अन्तरित/डीनोटीफाईड जमीन</u>

90. (क्र. 2725) श्री सज्जन सिंह उईके : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या परि. अता. प्रश्न क्रमांक 379 दिनांक 13 मार्च 2007 के उत्तरांश (ख) में राजपत्र में दिनांक 24.10.1980 के पूर्व धारा - 34 (अ) के तहत अधिसूचित एवं राजस्व को तत्समय अन्तरित जमीनों के अभिलेख संशोधन हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत भारत सरकार से अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होने से अनुमति प्राप्त करने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है, जानकारी दी गई है? (ख) यदि हाँ, तो बैतूल जिले के जिन 681 ग्रामों की जमीनों को संरक्षित वन सर्वे डिमारकेशन में शामिल किया गया उसमें से किस ग्राम की कितनी जमीन किस आदेश क्रमांक, दिनांक से वन विभाग ने राजस्व विभाग को अन्तरित की है? किस ग्राम की कितनी जमीन किस दिनांक को डीनोटीफाईड कर दी गई? (ग) वन विभाग के द्वारा अन्तरित और डीनोटीफाईड किस ग्राम की कितनी जमीनों को नारंगी भूमि के प्रारंभिक सर्वे में शामिल कर लिया गया? इन जमीनों को नारंगी भूमि के सर्वे में शामिल करने या परिभाषित वन भूमि बताए जाने या समझे गए वन बताए जाने का क्या-क्या कारण रहा है? (घ) 1980 के पूर्व वन विभाग द्वारा अन्तरित एवं डीनोटीफाईड भूमियों को संरक्षित वन, नारंगी वन, परिभाषित वन एवं समझे गए वन के आंकड़ों से पृथक किए जाने हेतु वन विभाग क्या कार्यवाही करेगा? समय सीमा सहित बतावें?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) जी हाँ। (ख) बैतूल जिले के 680 ग्रामों की संरक्षित वनभूमियों को सर्वे डिमारकेशन में शामिल किया गया है। इसमें से राजस्व विभाग को अंतरित एवं डिनोटिफाईड की गई वन भूमियों की ग्राम वार जानकारी संकलित की जा रही है। (ग) जानकारी संकलित की जा रही है। (घ) बैतूल जिले के डिनोटीफाईड भूमि को नारंगी भूमि के सर्वे में शामिल आंकड़ो से पृथक कर दिया गया है। शेष जानकारी एकत्रित की जा रही है, अत: समय सीमा नहीं बताई जा सकती।

क्षेत्रों के विकास हेतु

91. (**क्र. 2747**) **श्री फुन्देलाल सिंह मार्को :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पुष्पराजढ़ विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत विकास हेतु सांसद, विधायक एवं पार्षद निधि के अतिरिक्त अन्य कौन-कौन सी विकास योजनाओं के तहत रूपये 3 लाख से अधिक कितनी-कितनी राशि के कौन-कौन से कार्य किस-किस क्षेत्र के लिये कब-कब स्वीकृत हुये? (ख) वित्तीय वर्ष 2012-13 से वित्तीय वर्ष 2014-15 की स्थिति में जानकारी से अवगत करायें?

नगरीय विकास मंत्री (**श्री कैलाश विजयवर्गीय**) **:** (क) एवं (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखें परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" एवं "ब" अनुसार** है।

प्रस्तावित उद्योगों के लिये आंवटित भूमि की जानकारी

92. (**क्र. 2748**) **श्री फुन्देलाल सिंह मार्को :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) वर्ष 2011 से प्रश्न दिनांक तक राज्य सरकार ने शहडोल संभाग में किन उद्योगों के लिये कितनी भूमि आवंटित की है? आवंटित भूमि में से कितनी कृषि भूमि किसानों से अधिग्रहित कर ली गई है? (ख) क्या किसानों से कृषि भूमि का अधिग्रहण कर उद्योगों को देने के मामले में मा. उच्चतम न्यायालय ने कोई दिशा निर्देश जारी किये हैं? (ग) संबंधित उद्योगों द्वारा भूमि आवंटन प्राप्त होने के बाद उसका क्या उपयोग किया जा रहा है? क्या उद्योगों ने अपनी प्रस्तावित मंशा के अनुसार आवंटित भूमि का समय सीमा में उपयोग करना शुरू कर दिया है या नहीं?

उद्योग मंत्री (**श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया**) **:**(क) वर्ष 2011 से प्रश्न दिनांक तक शहडोल संभाग में उद्योगों को भूमि आंवटित नहीं किया गया है, और न ही कृषि भूमि किसानों से अधिगृहित की गई है। (ख) जी नहीं। (ग) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

मुआवजा राशि का प्रदाय

93. (**क्र. 2751**) **श्री सुखेन्द्र सिंह (बन्ना) :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या रीवा जिले की नगर पंचायत मऊगंज अन्तर्गत वार्ड क्र. 8 के निवासी श्री लखन साकेत के घर में जंगल से भटका हुआ तेंदुआ घुस गया था? जिसने इनके परिवार के कई लोगों को घायल कर दिया था फलस्वरूप इन लोगों को गंभीर चोटें आई थीं? (ख) प्रश्नांश (क) के प्रकाश में इस तेंदुए को पकड़ने में क्या वन विभाग द्वारा इस गरीब का घर पूरी तरह से तोड़ दिया गया था एवं इनके मकान निर्माण हेतु वन विभाग द्वारा मुआवजा देने

का प्रावधान किया गया था? यदि हाँ तो, वन विभाग द्वारा इस पीड़ित परिवार को कितनी मुआवजा राशि उपलब्ध कराई गई जानकारी देवें एवं यदि मुआवजा राशि प्रदाय नहीं की गई, तो कब तक प्रदाय कर दी जावेगी?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) जी नहीं। रीवा जिले के ग्राम सुन्दरपुर्वा, नगर पंचायत मऊगंज, वार्ड क्रमांक 08 अंतर्गत दिनांक 09.06.2012 को सुबह लगभग 9.00 बजे श्री राजेश साकेत पुत्र श्री वदलू साकेत के घर में जंगल से भटका हुआ तेन्दुआ घुस गया था जिसमें वार्ड क्रमांक 08 के 05 निवासी श्री हीरालाल साकेत पिता श्री भगवानदीन साकेत, श्री राजेश साकेत पिता श्री वदलू साकेत, श्रीमती ममता साकेत पति श्री रमई साकेत, श्री बबलू साकेत पिता श्री रामलखन साकेत एवं श्रीमती राजकुमारी साकेत पति श्री हीरालाल साकेत घायल हुए थे। (ख) जी नहीं। श्री राजेश साकेत के घर के छप्पर के कुछ कवेलू हटाकर तेंदुए को निश्चेतक बंदूक से बेहोश कर बाहर निकालने के पश्चात कवेलू यथा स्थान रख दिये गए थे। इस प्रकार उनके घर को कोई क्षति नहीं पहुचाई गई। अत: शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>बड़े तालाब के फुल टैंक लेवल को कम किया जाना</u>

94. (**क्र. 2766**) **श्री विश्वास सारंग :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या भोपाल शहर के बड़े तालाब को प्रदूषण से बचाने के लिए प्रश्न दिनांक तक फुल टैंक लेवल से 300 मीटर की दूरी तक निर्माण पर रोक लगी हुई है? क्या रोक एनजीटी के आदेश पर लगी हुई है? क्या यह रोक बड़े तालाब के संरक्षण के लिए मास्टर प्लान तैयार होने तक रहेगी? विस्तृत जानकारी दें? (ख) प्रश्नांश (क) के तहत क्या 300 मीटर की दूरी को कम करके 50 मीटर किये जाने का प्रस्ताव एनजीटी को भेजा जा रहा है? यदि हाँ तो क्यों? कारण दें? (ग) प्रश्नांश (ख) के तहत क्या यह दूरी बिल्डरों को लाभ पहुंचाने के लिए कम की जा रही है?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) जी हाँ। भोपाल शहर के बडे तालाब के फुल टैंक लेवल से 300 मीटर की दूरी तक निर्माण कार्य पर रोक मान. राष्ट्रीय हरित अभिकरण (NGT) में प्रचलित आवेदन क्रमांक 21/2013/सी.जेड में पारित निर्णय दिनांक 01.07.2014 के अनुपालन में है। यह रोक मान. राष्ट्रीय हरित अभिकरण (NGT) में प्रचलित प्रकरण में आगामी कार्यवाही के अंतर्गत रहेगी। (ख) एवं (ग) वर्तमान में प्रभावी भोपाल विकास योजना 2005 की कंडिका 4.47 के प्रावधानों के अंतर्गत नो कन्स्ट्रक्शन जोन एफ.टी.एल. से 50 मीटर प्रावधानित है। इस तथ्य का उल्लेख मा. राष्ट्रीय हरित अभिकरण के समक्ष किया जाता रहा है। शेषांक का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

<u>विभाग द्वारा कराये गये विभिन्न कार्यों की जानकारी</u>

95. (**क्र. 2767**) **श्री विश्वास सारंग :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक निर्माण विभाग ने 1 जनवरी 2013 से प्रश्न दिनांक तक भोपाल राजस्व संभाग स्थित लोक निर्माण के सभी संभागों में थर्मोप्लास्टिक रोड मार्किंग,पेंट से पट्टे डालने का काम, सोलर पावर रोड स्टर्ड, स्पीड ब्रेकर प्लास्टिक व रोड़ साईन बोर्ड के कार्य किन-किन दरों पर किन-किन एजेंसियों से कराये गये हैं? कितना-कितना भुगतान किया गया? (ख) प्रश्नांश (क) के तहत वर्णित कार्यों के लिए क्या खुली निविदा आमंत्रित की गयी थी? यदि हाँ तो क्या निविदा का प्रकाशन समाचार पत्रों में किया गया था? यदि हाँ तो प्रकाशित विज्ञापन की छायाप्रति दें? निविदा में भाग लेने वाली एजेंसियों के नाम पते सहित जानकारी दें? (ग) प्रश्नांश (क) में वर्णित कार्यों की गारण्टी कितने वर्ष की थी? गारण्टी पीरियड के बाद किस पदनाम/नाम के अधिकारी ने भौतिक सत्यापन कर भुगतान कराया? भौतिक सत्यापन में क्या पाया गया?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है।

<u>नगर पालिक निगम रीवा में अधिकारियों की पदस्थापना</u>

96. (**क्र. 2785**) **श्रीमती शीला त्यागी :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन द्वारा नगर पालिका निगम में भवन अधिकारी पद की नियुक्ति हेतु सिविल इंजीनियर एवं निगम आयुक्त हेतु वर्ग ए श्रेणी के सी.एम.ओ. अथवा द्वितीय श्रेणी के प्रशासनिक अधिकारियों के पदस्थापना का प्रावधान है? (ख) प्रश्नांश (क) यदि हाँ, तो नगर पालिक निगम रीवा में विगत कई वर्षों से उक्त पदों पर विद्युत इंजीनियर को प्रभार पर नियुक्त क्यों किया गया है? (ग) रीवा नगर पालिका निगम रीवा में सक्षम नियमित आयुक्त एवं सिविल इंजीनियर की नियुक्ति कब तक की जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों? (घ) नगर पालिका निगम रीवा में क्या-क्या शिकायतें प्राप्त हुई हैं?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) जी नहीं। म.प्र. नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा-293 में भवन अनुज्ञा देने की शक्तियां निगमायुक्त में वेष्ठित हैं। अधिनियम की धारा-54 में किसी निगम में आयुक्त पदस्थ करने की शक्तियां राज्य शासन में वेष्ठित हैं। (ख) उत्तरांश ''क'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) प्राप्त जानकारी अनुसार कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

<u>ग्रीन इंडिया मिशन के तहत किए गए कार्य</u>

97. (**क्र. 2802**) **श्री कमलेश शाह :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छिंदवाड़ा में ग्रीन इंडिया मिशन के तहत किए गए कार्यों की सूची विगत 3 वर्षों की देवें? (ख) उपरोक्तानुसार कार्यों की लागत, स्वीकृति दिनांक, कार्य पूर्णता दिनांक सहित बतावें? (ग) कितने कार्य पूर्ण है व कितने अपूर्ण है? अपूर्ण कार्य कब तक पूर्ण होंगे?

वन मंत्री (**डॉ. गौरीशंकर शेजवार**) **:** (क), (ख) एवं (ग) छिन्दवाड़ा में ग्रीन इंडिया मिशन के तहत किसी प्रकार के कोई भी कार्य विगत तीन वर्षों में नहीं कराये गये। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>अवैध दुकानों पर कार्यवाही बाबत्</u>

98. (**क्र. 2807**) **श्रीमती पारूल साहू केशरी :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत 5 वर्षो में सागर जिला अंतर्गत नगरीय निकायों तथा नगरपालिका निगम, नगरपालिका, नगर परिषदों एवं नगरपंचायतों के स्वामित्व की जगह पर कहाँ-कहाँ, किस-किस स्थान पर, कब-कब, कितनी-कितनी दुकानों का निर्माण किस-किस के द्वारा कराया गया है? (ख) क्या प्रश्नांश (क) के अनुसार निर्मित दुकानों में से एवं इसके अलावा अनेकों दुकानों का निर्माण अवैध पाये जाने पर संबंधित निकाय ने अवैध रूप से निर्मित हुई दुकानों को गिराने के लिये आदेश दिये गये थे? (ग) यदि हाँ, तो कब और किसके द्वारा? आदेश की प्रति देवें? और यह भी बतावें कि क्या आदेश का पालन हुआ? यदि नहीं तो क्यों? इसके लिये कौन दोषी है? दोषी के विरूद्ध कब तक और क्या कार्यवाही की जावेगी? (घ) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में अवैध रूप से निर्मित दुकानों को कब तक हटा/गिरा दिया जावेगा? यदि नहीं तो क्यों?

नगरीय विकास मंत्री (**श्री कैलाश विजयवर्गीय**) **:**(क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र "अ"** पर है। (ख) जी हाँ। (ग) अवैध दुकानों को गिराने के आदेश आयुक्त, नगर पालिक निगम, सागर व्दारा पत्र क्रं. 322 दिनांक 11.05.2012 से अतिक्रमण प्रभारी को दिये गये। आदेश की प्रति **संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है। जी नहीं। आयुक्त, नगर पालिक निगम, सागर से आदेश का पालन न होने एवं जांच उपरांत दोषी पाये गये कर्मचारी/अधिकारी के संबंध में 15 दिवस में जानकारी चाही गयी है। जांच प्रतिवेदन के अनुसार दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। (घ) माननीय व्दितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 के निर्णय अनुसार अवैध निर्माण पर स्थगन दिये जाने के कारण दुकानों को नहीं हटाया गया है। इस

आदेश के विरूद्ध नगर पालिक निगम, सागर व्दारा माननीय जिला न्यायालय, सागर में अपील दायर की गयी है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट –"उनहत्तर"

अवैध कटाई पर कार्यवाही बाबत्

99. (क्र. 2808) श्रीमती पारूल साहू केशरी : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर जिले में विगत 04वर्षों में वन विभाग के द्वारा अवैध कटाई, अवैध परिवहन एवं अवैध काष्ठ संग्रहण कराये जाने के कितने प्रकरण दर्ज किये गये? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार दर्ज किये गये प्रकरणों में से कितने प्रकरणों में क्या कार्यवाही की गयी? (ग) कितने प्रकरणों में कार्यवाही होना शेष है, इन प्रकरणों में कब तक कार्यवाही की जावेगी?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क), (ख) एवं (ग) सागर जिले में विगत 4 वर्षो में अवैध कटाई, अवैध परिवहन एवं अवैध काष्ठ संग्रहण के कुल 3190 प्रकरण दर्ज किये गये हैं। दर्ज प्रकरणों में से कुल 2413 प्रकरण निराकृत किये गये हैं। शेष 777 प्रकरणों में से 98 प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन हैं तथा 80 प्रकरणों में वाहन साजसात की प्रक्रिया प्रचलित है। 599 प्रकरणों में भारतीय वन अधिनियम/वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत जांच/ अभिसंधान की कार्यवाही प्रचलित है। अर्धन्यायिक कार्यवाही एवं न्यायालयीन कार्यवाही होने से समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

मुख्यमंत्री की घोषणा का पालन नहीं किया जाना

100. (क्र. 2812) श्री आरिफ अकील : क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भोपाल इन्दौर खण्डवा सहित अन्य शहारों में जहाँ पानी के बिल की वसूली के लिये मीटर लगाये गये है वहाँ पेयजल की स्पाट बिलिंग पर रोक लगेगी एवं जिन नगरीय निकायों का मीटर लगाने का अनुबंध हुआ है वह रद्द किया जावेगा की घोषणा वर्ष 2014 में की है? (ख) यदि हाँ, तो प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में यह अवगत करावें कि उक्त घोषणा के परिपालन में दिनांक 19 दिसम्बर 2014 को प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन को भोपाल के लिए स्पाट बिलिंग रोकने के लिए समाचार पत्र की कतरन संलग्न कर पत्र/शिकायत प्राप्त हुई हैं? (ग) यदि हाँ, तो प्राप्त पत्र/शिकायत एवं माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा के परिपालन में क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो क्यों और कब तक कार्यवाही की जावेगी? (घ) क्या भोपाल नगर निगम द्वारा नागरिकों से पानी का अधिक बिल/राशि लेने को लेकर माननीय न्यायालय द्वारा कोई आदेश जारी किए है? यदि हाँ, तो प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) जी नहीं। (ख) जी नहीं, अपितु वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति व्दारा अभ्यावेदन दिनांक 08.12.2014 राज्य शासन को दिया गया है। (ग) भोपाल शहर की पेयजल योजना भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय व्दारा इस शर्त पर स्वीकृत की गई है कि योजनांतर्गत 100 प्रतिशत मीटरिंग की जायेगी। खण्डवा नगर में नगर पालिक निगम, खण्डवा की जल प्रदाय हेतु ''जन निजी भागीदारी प्रणाली'' के अंतर्गत जल के मापन तथा नल संयोजनों के नियमितीकरण के लिये दिनांक 20.10.2014 को राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित उप-विधियों की अधिसूचना के क्रियान्वयन को **संलग्न परिशिष्ट अनुसार** स्थगित कर दिया गया है। (घ) जी नहीं। कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट –''सत्तर''

केन्द्रीय कर्मशाला में अमानक स्तर की मशीनरी क्रय

101. (क्र. 2813) श्री आरिफ अकील : क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्य भोपाल नगर निगम के अन्तर्गत केन्द्रीय कर्मशाला में प्रतिनियुक्ति पर सहायक यंत्री स्तर का अधिकारी कार्यरत है जबकि केन्द्रीय कर्मशाला में करोड़ों रूपये की मशीने क्रय की जा रही है जिसके तकनीकी मापदण्ड के निर्धारित करने के लिए सक्षम है यदि नहीं तो इस नियम विपरीत प्रक्रिया कारित करने के लिए कौन-कौन दोषी है उनके विरूद्‌ध क्या कार्यवाही की जावेगी? (ख) क्या निगम प्रशासन द्‌वारा नवीन मशीनरी आदि के मानक निर्धारित करने एवं तकनीकी मार्गदर्शन हेतु संचालनालय के यांत्रिकी प्रकोष्ठ से इस संबंध में मार्गदर्शन लिया जाता है? यदि हाँ तो प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्रय की गई मशीनों हेतु मार्गदर्शन लिया गया था यदि हाँ, तो बतावें यदि नहीं तो क्यों इसके लिए कौन-कौन दोषी है, तथा उनके विरूद्‌ध क्या कार्यवाही की जावेगी? (ग) क्या कार्यपालन (मैकेनिकल) स्तर के अधिकारी की नियुक्ति केन्द्रीय कर्मशाला में की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं तो क्यों कारण सहित बतावें?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) जी नहीं, अपितु सहायक यंत्री को अस्थायी रूप से प्रभार दिया गया है। नगर निगम में मशीनें क्रय करने में सभी तकनीकी प्रक्रिया का पालन किया जाता है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी नहीं। नगर निगम आवश्यकतानुसार नवीन मशीनरी आदि क्रय करने के लिए सक्षम है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) वर्तमान में नगर निगम भोपाल में कार्यपालन यंत्री (मैकेनिकल) स्तर का कोई भी अधिकारी कार्यरत नहीं है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

पवई जिला पन्ना में स्टेडियम

102. (**क्र. 2822**) **श्री मुकेश नायक :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) पन्ना जिले के तहसील मुख्यालय पवई में तीन करोड़ रूपयें लागत के वृहत स्टेडियम निर्माण हेतु माननीय मंत्री की घोषणा के अनुपालन हेतु संयुक्त संचालक खेल एवं युवा कल्याण, म.प्र. द्वारा दिनांक 06.08.2013 को संभागीय अभियंता परियोजना क्रियान्वयन इकाई लोक निर्माण विभाग, पन्ना को लिखे गये पत्र क्रमांक 4255/खे.यु.का./ अधो./2013 पर अब तक कार्यवाही न होने के क्या कारण है? (ख) मध्यप्रदेश सरकार की खेल नीति में खेल-कूद को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य में बुनियादी खेलकूद सुविधाओं के विकास के संदंर्भ में क्या सरकार जिलों एवं तहसीलों में खेलकूद मैदान और स्टेडियम बनाने की नीति बना रही और इसके क्या आधार होगें?

उद्योग मंत्री (**श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया**) **:** (क) पन्ना जिले के पवई में स्टेडियम निर्माण संबंधी प्रस्ताव वित्त विभाग द्वारा मान्य नहीं किया गया है। (ख) राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश खेल नीति 2005 बनाई गई है।

<u>गारमेण्ट क्लस्टर योजना जबलपुर के कार्यों की पूर्णता</u>

103. (**क्र. 2823**) **श्री मुकेश नायक :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) भारत सरकार के लगभग 31 करोड़ रूपये अनुदान और 15 करोड़ रूपये उद्योगपतियों के अंशदान से 2008 में स्वीकृत जबलपुर में गारमेण्ट क्लस्टर, योजना के तहत दिसम्बर 2014 तक कितना कार्य हुआ है? (ख) इस योजना से कितना उद्योग स्थापित हुये और इन उद्योगों में कितना उत्पादन हुआ? (ग) जबलपुर में गारमेण्ट क्लस्टर, योजना से कितने लोगों को रोजगार मिला?

उद्योग मंत्री (**श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया**) **:** (क) दिसम्बर 2014 तक परियोजना का लगभग 45 प्रतिशत विकास कार्य हो चुका है। (146 यूनिटस का एवं बाउण्ड्री वाल का निर्माण कार्य पूर्ण, कॉमन फेसिलिटी सेन्टर का कार्य प्रगति पर है)। (ख) इस परियोजना में 146 यूनिटस का आवंटन 146 औद्योगिक इकाईयों को किया जा चुका है। इकाईयों द्वारा उत्पादन कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। (ग) इकाईयों द्वारा उत्पादन कार्य प्रारंभ किए जाने पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

<u>केंद्र द्वारा दी गई राशि को निर्धारित मद में व्यय न किया जाना</u>

104. (**क्र. 2843**) **डॉ. गोविन्द सिंह :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने के लिये राजीव गांधी खेल अभियान (आरजीकए) के तहत वर्ष 2012-13 में भारत सरकार खेल मंत्रालय से कितनी राशि किन शर्तों

के साथ दी गई थी? (ख) उक्त प्राप्त राशि में से किस-किस जिले को कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई एवं प्रत्येक जिले में उक्त अवधि में किन-किन खेलों का आयोजन किस-किस स्तर पर कराया गया और उन पर कितना-कितना व्यय हुआ? (ग) क्या भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ावा देने के लिये दी गई राशि का उपयोग भारत सरकार के निर्देशों के विरूद्ध किया जाकर जिलों में निर्धारित मदों में उपयोग न कर अन्य मदों में उक्त राशि व्यय की गई है, जिसके कारण भारत सरकार ने दी गई राशि वापस मांगी है? (घ) क्या उक्त राशि के आवंटन के समय राशि व्यय करने के संबंध में संबंधित जिलों को स्पष्ट दिशानिर्देश के अभाव में राशि अन्य मद में व्यय कर दी गई? यदि हाँ, तो इसके लिये कौन जिम्मेदार है?

उद्योग मंत्री (**श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) :** (क) प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने के लिये राजीव गांधी खेल अभियान (आर.जी.के.ए.) के तहत वर्ष 2012-13 में भारत सरकार खेल मंत्रालय से कोई भी राशि प्राप्त नहीं हुई है। (ख) से (घ) प्रश्नोत्तर ''क'' के संबंध में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>लघु वनोपज के वन अपराध</u>

105. (**क्र. 2855) डॉ. गोविन्द सिंह :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य शासन किस-किस लघु वनोपज को वर्तमान में राष्ट्रीयकृत या अंतर्राष्ट्रीय लघु वनोपज मान रहा है? लघु वनोपज के संबंध में संविधान की 11वीं अनुसूची एवं पेसा कानून में क्या प्रावधान दिए हैं? राज्य शासन ने 15 मई 1998 एवं 25 जनवरी 2001 को लघु वनोपज के संबंध में क्या-क्या आदेश जारी किए? (ख) जनवरी 2008 से लागू वन अधिकारी कानून 2006 में लघु वनोपज की क्या परिभाषा दी जाकर लघु वनोपज के संबंध में कानून एवं नियमों में क्या-क्या प्रावधान किए गए हैं? इन प्रावधानों का पालन किए जाने के संबंध में वन विभाग ने कब और क्या कार्यवाही जनवरी 2008 के बाद की है? (ग) वन मुख्यालय सतपुड़ा भवन भोपाल में संकलित जानकारी के अनुसार वन अधिकार कानून में परिभाषित लघु वनोपज के गंत वर्ष में किस वनमण्डल में कितने वन अपराध पंजीबद्ध किए कितनी गिरफ्तारी की गई, कितना जुर्माना वसूला, कितने प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत कर दिए गए? बांस के प्रकरणों की पृथक जानकारी दें? (घ) जनवरी 2008 के बाद लघु वनोपज के वन अपराध पंजीबद्ध किए जाने का क्या कारण है? पंजीबद्ध वन अपराध प्रकरण समाप्त करने, न्यायालय से प्रकरण वापस लिए जाने की कार्यवाही न किए जाने का क्या कारण रहा है?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) म.प्र. राज्य में तेन्दूपत्ता, कुल्लू गोंद एवं सालबीज लघु वन उपज विनिर्दिष्ट वनोपज हैं। राज्य में किसी भी लघुवनोपज को अंतर्राष्ट्रीय लघु वनोपज नहीं माना गया है। शेष **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' 'ब' 'स' एवं 'द' अनुसार** है। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'इ' अनुसार** है।

प्रश्नांकित अधिनियम केप्रावधानों का क्रियान्वयन प्रचलित है। (ग) जानकारी संकलित की जा रही है। (घ) लघु वनोपज के वन अपराध संबंधितअधिनियमों के प्रावधनों के उल्लंघन पर पंजीबद्ध किये जाते हैं। अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 में अधिकार प्राप्त व्याक्तियों के विरूद्ध पंजीबद्ध प्रश्नांकित वन अपराधप्रकरणों को समाप्त करने बाबत् परीक्षणोपरांत अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

बैतूल वि.स. क्षेत्र के नगर पालिकाओं/परिषदों की प्रकाश व्यवस्था

106. (क्र. 2856) श्री हेमन्त विजय खण्डेलवाल : क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वि.स. क्षेत्र बैतूल के अंतर्गत नगर पालिका क्षेत्र बैतूल, नगर पंचायत बैतूल बाजार एवं आठनेर में प्रकाश व्यवस्था के तहत कितने विद्युत पोल लगे हुए हैं? (ख) कितने पोलों पर ट्यूब लाइट एवं कितनों पर हैलोजन लगे हुए हैं? (ग) विगत 3 वर्षों 2012-13, 2013-14, 2014-15 (31.01.15) तक प्रकाश व्यवस्था हेतु वर्षवार कितनी-कितनी एवं कौन-कौन सी सामग्री क्रय की गई? (घ) उपरोक्त वर्षों में वर्षवार क्रय की गई सामग्री का कितना उपयोग हुआ? 31.01.15 की स्थिति में कौन-कौन सी सामग्री कितनी मात्रा में स्टॉक में उपलब्ध हैं?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) एवं (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखें परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है। (ग) एवं (घ) **जानकारी पुस्तकालय में रखें परिशिष्ट "ब" अनुसार** है।

हैण्डपंप मरम्मत एवं मोटर मरम्मत पर व्यय

107. (क्र. 2857) श्री हेमन्त विजय खण्डेलवाल : क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नगरपालिका क्षेत्र बैतूल में वर्तमान में कितने ट्यूबवेल कितने हैंडपंप हैं, तथा कितनी विद्युत मोटर लगी हुई है? (ख) क्या हैंडपंप एवं मोटर रखरखाव का भुगतान नगर पालिका द्वारा किया जाता है? यदि हाँ, तो विगत 3 वर्षों में वर्षवार कितना-कितना आवंटन प्राप्त हुआ एवं कितना-कितना भुगतान किया गया? (ग) विगत 3 वर्ष 2012-13 से 31 दिस. 2014 तक हैंडपंप मरम्मत, मोटर मरम्मत हेतु कितना व्यय किया गया? वर्षवार हैंडपंप एवं मोटर मरम्मत पर किए गए व्यय की जानकारी देवें?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है। (ख) एवं (ग) जी हाँ। नगर पालिका व्दारान.पा.निधी, मूलभूत सुविधा, राज्य वित्त आयोग एवं चुंगी क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त राशि से भुगतान किया जाता है। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र "ब"** पर है।

परिशिष्ट –"इकहत्तर"

महिदपुर वि.स. क्षेत्र में स्टेडियम का निर्माण

108. (**क्र. 2860**) **श्री बहादुर सिंह चौहान :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विभाग द्वारा आउटडोर एवं इंडोर स्टेडियम स्वीकृत करने के क्या मापदण्ड हैं? (ख) महिदपुर वि.स. क्षेत्र के लिए आउटडोर स्टेडियम के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन है? यदि नहीं, तो इस पर कब तक विचार करके मंजूरी दी जावेगी? (ग) विभाग द्वारा महिदपुर वि.स. क्षेत्र में विगत 3 वर्षों में कौन से खेलों की कितनी खेल सामग्री प्रदाय की गई? वर्षवार बतावें?

उद्योग मंत्री (**श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया**) **:** (क) खेलों के लिए निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप उपयुक्त भूमि, प्रचलित खेल एवं क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर खेल अधोसंरचना निर्मित की जाती है। (ख) जी नहीं। अतः निश्चित अवधि बताई जाना संभव नहीं है। (ग) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है।

परिशिष्ट –''बहत्तर''

महिदपुर नगर पालिका की प्रकाश व्यवस्था

109. (**क्र. 2861**) **श्री बहादुर सिंह चौहान :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महिदपुर वि.स. क्षेत्र की महिदपुर नगर पालिका में प्रकाश व्यवस्था के तहत कितने विद्युत पोल लगे है? इन पर कितने ट्यूब लाईट एवं हैलोजन लगे है? (ख) दि. 01-01-2012 से 31-01-15 तक प्रकाश व्यवस्था हेतु कितनी एवं कौन-कौन सी सामग्री क्रय की गई? वर्षवार बतावें? (ग) उपरोक्त वर्षों में वर्षवार क्रय की गई सामग्री का कितना उपयोग हुआ? 31-01-15 तक की स्थिति में कितना स्टाक शेष है? (घ) विद्युत बिल बचाने के लिए L.E.D. लाईटों का उपयोग कब से किया जावेगा?

नगरीय विकास मंत्री (**श्री कैलाश विजयवर्गीय**) **:** (क) 1298। इन पर ट्यूब लाईट एवं हैलोजन नहीं अपितु सी.एफ.एल. बल्ब, सोडियम बल्ब एवं पावर सेवर लगे है। (ख) एवं (ग) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट** अनुसार है। (घ) विद्युत बिल बचाने के लिए सी.एफ.एल. बल्ब, सोडियम बल्ब एवं पावर सेवर का उपयोग किया जा रहा है। एल.ई.डी. लाईटों के उपयोग हेतु समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट –''तिहत्तर''

राजधानी परियोजना प्रशासन, भोपाल के दै.वे.भो. का नियमितीकरण

110. (**क्र. 2864**) **श्री बाला बच्चन :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या अतारांकित प्रश्न क्र. 1355 दि. 11.12.2014 के प्रश्नांश (क) से (ग) में दी गई जानकारी के परिप्रेक्ष्य में राजधानी परियोजना प्रशासन, भोपाल के अंतर्गत तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों की पूर्ति विभाग द्वारा कर ली गई हैं? (ख) क्या सा.प्र.वि. के आदेश क्र.

F 5-3/2006/ 1/3, दि. 29.09.2014 द्वारा शासन के समस्त विभागों को यह आदेशित किया गया है कि आदेश की कंडिका 5.1 व 5.5 के अनुसार विभाग में 10 वर्षों से कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को रिक्त पदों के विरूद्ध नियमितीकरण की कार्यवाही में शामिल किया जाएगा? (ग) क्या प्रश्नांश (ख) में संदर्भित आदेश की कंडिका 5.5 के अनुसार दै.वे.भो. कर्मचारी जिस पद/संवर्ग में कार्यरत हैं और संवर्ग का पद रिक्त न होकर अन्य कोई समकक्ष पद रिक्त है और दै.वे.भो. कर्मचारी उस पद की योग्यता धारण करता है, तो उस समकक्ष पद पर नियमितीकरण की कार्यवाही की जावेगी? (घ) प्रश्नांश (ख), (ग) का उत्तर यदि हाँ है तो दै.वे.भो. के संवर्ग के रिक्त पद अथवा समकक्ष पदों पर कब तक नियमित किया जाकर पद पूर्ति कर ली जाएगी?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) रिक्त पदों की पूर्ति की कार्यवाही प्रतिनियुक्ति/पदोन्नति/अनुकम्पा नियुक्ति आदि से नियमित प्रक्रिया से की जा रही है। (ख) सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 5-3/2006/1/3 दिनांक 29.09.2014 के संदर्भ में परीक्षण करने पर कोई भी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी पात्र नहीं पाया गया। (ग) एवं (घ) उत्तरांश''ख'' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

<u>खेल सामग्री प्रदाय एवं खेल आयोजन</u>

111. (क्र. 2865) श्री बाला बच्चन : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) 2012-13, 2013-14 तथा 2014-15 में केन्द्र सरकार द्वारा कितनी राशि का बजट प्रदेश को आवंटित हुआ? वर्षवार जानकारी देवें? प्रदेश सरकार का बजट भी उपरोक्त वर्षों का बतावें? (ख) निजी खेल संघो/व्यक्तियों को विभाग द्वारा खेल सामग्री प्रदाय करने के नियम बतावें? निजी खेल संघो/व्यक्तियों द्वारा खेल आयोजन के लिये दी जाने वाली सहायता के नियम भी स्पष्ट करें? (ग) इन्दौर संभाग के अंतर्गत दि. 01.01.2012 से 31.01.15 तक जिन निजी खेल संघो/व्यक्तियों को खेल सामग्री प्रदाय की गई सामग्री मात्रा सहित जिलावार वर्षवार बतायें? (घ) दि. 01.01.2012 से 31.01.15 तक खेल आयोजन के संबंध में इन्दौर संभाग के अंतर्गत किन खेल संघो/व्यक्तियों को अनुदान राशि दी गई?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'क' अनुसार** है। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ख' अनुसार** है। (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ग' अनुसार** है। (घ) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'घ' अनुसार** है।

<u>पेयजल योजना का क्रियान्वयन</u>

112. (**क्र. 2868**) **श्री दिलीप सिंह परिहार :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र नीमच में क्षेत्रवासियों के लिये पेयजल हेतु यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. योजना अन्तर्गत पेयजल योजना शासन स्तर से स्वीकृत है? यदि हाँ तो योजना की लागत एवं स्वीकृति वर्ष बताएं? (ख) क्या प्रश्नांश (क) में स्वीकृत पेयजल योजना शासन स्तर से वित्तीय स्वीकृति के अभाव में क्रियान्वित नहीं हो पा रही है? (ग) यदि हाँ तो प्रश्नांश (क) में उल्लिखित योजना की वित्तीय स्वीकृति कब तक जारी होगी? कार्य प्रारंभ कब तक होगा?

नगरीय विकास मंत्री (**श्री कैलाश विजयवर्गीय**) **:** (क) जी हाँ। योजना की मूल स्वीकृत राशि रू. 1545.98 लाख एवं स्वीकृति वर्ष 2014 है। (ख) एवं (ग) जी नहीं। नीमच नगर की पेयजल योजना की वित्तीय स्वीकृति लागत रू. 1828.00 लाख दिनांक 16.02.2015 को जारी की जा चुकी है।

<u>नीमच वि.स. क्षेत्र में उत्कृष्ट सड़कों का निर्माण</u>

113. (**क्र. 2869**) **श्री दिलीप सिंह परिहार :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 229 नीचम अंतर्गत नगर पालिका क्षेत्र में कहाँ-कहाँ उत्कृष्ट सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है? (ख) क्या प्रश्नांश (क) में उल्लेखित सड़को का निर्माण निर्धारित मानदण्डों के अनुसार कराया जा रहा है? हाँ, तो निर्माण कार्य कब तक पूर्ण होगा?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है। (ख) जी हाँ। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है।

<u>परिशिष्ट –''चौहत्तर</u>''

<u>नियमिति एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण</u>

114. (**क्र. 3147**) **श्री फुन्देलाल सिंह मार्को :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. लघुवनोपज संघ में कुल कितने पद आयुक्त सहकारिता से स्वीकृत है? स्वीकृत पद के विरूद्ध कितने नियमित कर्मचारी एवं कितने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी कार्यरत् हैं कितने पद रिक्त हैं श्रेणीवार जानकारी दें? (ख) स्वीकृत पदों के विरूद्ध संघ ने 15 से 25 वर्षों से कार्यरत् दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित क्यों नहीं किया है? यदि किया है तो क्या वरिष्ठता के आधार पर नियमितीकरण की कार्यवाही की गई है? यदि नहीं तो क्यों? (ग) क्या संघ सहकारिता अधिनियम के तहत कार्यरत् है यदि हाँ तो दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का नियमित करने हेतु शासन स्तर से अनुमति प्राप्त की जानी होगी? यदि नहीं

तो संघ स्तर से शेष बचे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण कब तक किया जायेगा?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।